छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **त्रयोदश सत्र**

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022

(फाल्गुन 30, शक सम्वत् 1943)

[अंक 09]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022

(फाल्गुन 30, शक सम्वत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए.)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह बीच का कांच हटवा दीजिये। इस समय कोई कोरोना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मामा-भांजा एकदम अलग हैं। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। श्री धनेन्द्र साहू।

श्री नारायण चंदेल :- होली के अवसर में कांच को निकलवा दीजिये।

महासमुन्द जिले से अन्य प्रान्तों में मजदूरों का पलायन

[श्रम]

1. (*क्र. 876) श्री धनेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- महासमुन्द जिले के कितने गांवों से कितनी संख्या में मजदूरों ने अन्य प्रान्त में वर्ष 2021-22 में 15/02/2022 तक मजदूरी करने के लिए पलायन किये है ? कृपया थानावार जानकारी देवे ? तथा प्रशासन द्वारा पलायन रोकने क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : महासमुंद जिले के 551 गांवों से 30,009 मजदूरों ने अन्य प्रान्त में वर्ष 2021-22 में 15/02/2022 तक मजदूरी करने के लिए पलायन किये है। थानावार जानकारी संलग्न **प्रपत्र**[1] अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद से प्राप्त जानकारी अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15.02.2021 तक कुल 250547 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिनकों 10819.88 लाख रूपये का मजदूरी भुगतान किया गया है।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि महासमुंद जिले के 551 गांवों से लगभग 30,000 मजदूरों ने अन्य प्रांतों में पलायन किया है। मैंने थानावार अलग-अलग जानकारी भी मांगी। उन्होंने थानावार जानकारी भी अलग-अलग दिया है। चूंकि यह आंकड़े थानों से लिया गया है। मैं कहना चाहूंगा, सच्चाई यह है कि इससे कहीं तीन गुना, चार गुना अधिक मजदूरों ने पलायन किया है। बिना पंजीयन के भी मजदूरों ने पलायन किया है। थानों में जो पंजीयन हुआ, यह वह संख्या है। आज के ही प्रश्नोत्तरी में मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कोराना काल में पलायन करने वाले जो मजदूर वापस आए हैं, उनकी संख्या लगभग 61 हजार से अधिक है और इसमें भी इतना अंतर है। तो यह जो वास्तविक जो आंकड़े हैं, जो मजदूर पलायन करके वापिस आए, वह लगभग आधे पंजीयन के हैं और आधे बिना पंजीयन के हैं। तो यह थाने के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसको आप जांच करवायेंगे या दिखवायेंगे क्या कि वास्तविक आंकडे कितने हैं? क्योंकि जानकारी मिलती है कि महासमुंद जिले में सर्वाधिक मजदूरों का पलायन होता है। लगभग लाखों की संख्या में पलायन है। जबकि आंकड़े मात्र 30,000 के ही आए हैं। इसको आप पुन: जांच करा लेंगे क्या?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आई है, वह हमारा राजस्व विभाग से और थानों से जानकारी मंगाई है। वह जानकारी हमारे नगरीय निकायों के माध्यम से भी मंगाई गई है। आपको पार्टिकुलर यदि कहीं ज्यादा पलायन हुआ है, उसकी जानकारी चाहिए तो हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरा माफिया लोग सक्रिय हैं। पूरा पुलिस प्रशासन के प्रश्रय पर, राजस्व विभाग के प्रश्रय पर बड़े पैमाने पर वहां पर पलायन होता है और जो कि आपका रिकार्ड से बाहर है, रिकार्डेड है। इस पर आप रोकथाम के लिए कार्यवाही करेंगे क्या? दूसरी बात मैंने यह पूछा है कि आपने इसको रोकन के लिए क्या उपाय किए हैं? यह पलायन का कलंक आज हमारे पूरे प्रदेश में मजदूरों का लगता है। पिछली 15 साल, जिनकी कुशासन में बड़े पैमाने पर पलायन होते थे। उसको हम लोग इसी विधान सभा में मुद्दा उठाते थे और सरकार इनकार करती रहती थी कि इतना पलायन नहीं हुआ है। लेकिन जब कोरोना काल में वापस आए तो वही संख्या साढ़े पांच लाख से अधिक श्रमिक इस प्रदेश में वापस लौटे हैं। लगभग आज भी स्थिति वही है कि लगभग उतनी संख्या में लोग पलायन करके गए होंगे। मैंने आपसे यह पूछा था कि आपने इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं? आपने जानकारी दी है कि मनरेगा के अंतर्गत आपने लगभग 2,50,000 मजदूरों को लगभग 108 करोड़ रूपये की काम उपलब्ध कराया है। इसमें आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने यह जो मजदूरी भुगतान की राशि लगभग 108 करोड़ का उल्लेख किया है, यह मजदूरी भुगतान की राशि है या सामग्री भुगतान का भी है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राशि मजदूरी की भुगतान का है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको जोड़-घटाना किया है। यह 193 रूपये मजदूरों की मजदूरी की जो राशि है, वह लगभग 22 दिन की राशि है। इसके अनुसार 22 दिन काम करने के पर 108 करोड़ का भुगतान बनता है। तो यह 22 दिन काम देकर कहे कि हम पलायन रोक सकते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि यह गंभीर समस्या है। हमने उनको सिर्फ मनरेगा के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया और हम कोशिश करते हैं कि इससे पलायन रूक जाए तो यह संभव नहीं है। उसके लिए पर्याप्त ऐसी व्यवस्था करेंगे क्या? क्या उपाय करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर श्रमिक पलायन करके जा रहे हैं, उसको आप रोक सकें, इसके लिए आप कौन सी कार्यवाही करेंगे, जिसके लिए पलायन रूके?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलबध कराया जाता है। जो मजदूर हैं, अगर वह बेहतर मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं तो उसके लिए पंजीयन की व्यवस्था है। हमारी नई श्रमिक नीति बनी है, उसमें प्रावधान है कि अगर उनको दूसरी जगह ज्यादा मजदूरी प्राप्त होती है तो उनका पंजीयन किया जाता है और पंजीयन करने के बाद उनको अनुमति दी जाती है। अगर कोई अनाधिकृत पलायन हो रहा है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। थाना स्तर पर भी कार्रवाई होती है और हमारे श्रम विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई करते हैं। अगर इस तरह की कहीं की कोई पर्टीकूलर जानकारी है तो माननीय सदस्य बता देंगे, हम उसको भी दिखवा लेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से दो आग्रह है, एक तो बिना पंजीयन की व्यवस्था होने के बावजूद भी बिना पंजीयन के बड़े पैमाने पर उनको माफिया लोग ले जाते हैं। उसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन को जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक तो वह नहीं हो रहा है। दूसरा, मनरेगा के अलावा अन्य और भी जो, जैसे ईंट भट्ठे के मजदूर हैं, उनका मनरेगा में काम से उनका काम नहीं चलता है। उनको जिस काम में उनकी विशेषज्ञता है, जो उनकी हैबिट में है, उनको जिस काम को करने की आदत है उनको उस तरह से काम उपलब्ध कराकर हम लोग पलायन को रोके। तो क्या आप ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे, जिससे जिस कार्य के लिए जो कुशल श्रमिक के रूप में हैं उनके लायक उनको यहां पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आप ऐसा कोई कार्य करेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कलेक्टरों को स्किल मैंपिंग के निर्देश दिये गये हैं और ऐसे मजदूर है जो किसी काम में माहिर हैं, जो बढ़ाई हैं और हमारे निर्माण मजदूर हैं, ऐसे लोग के स्किल मैपिंग के निर्देश दिये गये हैं। हमारे श्रम विभाग द्वारा भी स्किल मैंपिंग का काम किया जाता है। जो स्थानीय उद्योग हैं वहां भी ऐसे लोगों को नियोजित करने का प्रावधान है और हम लोगों की और सरकार की पूरा प्रयास रहता है कि कहीं कोई अनाधिकृत पंजीयन न हो और जो स्किल मैंपिंग के निर्देश दिये गये हैं उसके आधार पर स्थानीय रोजगार के केंद्र है, वहां भी उनका

पंजीयन किया जाता है और जो स्थानीय रोजगार के उद्योग हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उन लोगों के यहां जो काम करते हैं उसमें भी उन लोगों को नियोजित करने का प्रावधान है। आने वाले समय में और रोजगार सृजित हो, हम लोग इसका प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, पलायन जो है वह छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है और आप, हम सब इससे भली-भांति परिचित हैं। महासमुंद है, जांजगीर है, बिलासपुर है, मुंगेली है इधर से अधिकतर लोग पलायन करते हैं तो जैसा कि विधायक जी चाहते हैं, इस तरह की कार्य योजना बनाई जाए कि इस कलंक को समाप्त करें और पलायन को रोके, मेरा यह निर्देश है। आप मंत्रिमण्डल में बात कर लीजिएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा पलायन तो हमारे जिले से होता है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने जांजगीर तो बोला ही है।

श्री नारायण चंदेल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- जांजगीर से, बिलासपुर से, मुंगेली से, सभी जगहों से होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पलायन नहीं होने दूंगा। खोलवा भर दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका उठना जरूरी है। किसी भी प्रश्न में इनको एक बार उठ कर बोलना जरूरी है। इनको 25 प्रश्न में 25 बार अनुमति दे दीजिए या इनको 50 बार अनुमति दे दीजिए, हर प्रश्न में 2-4 पूरक प्रश्न यह पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इसको पलायन कराना...।

श्री अजय चन्द्राकर :- भइया, मैं आप से नहीं पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- रजनीश कुमार सिंह।

श्री अजय चन्द्राकर :- जय हो।

अध्यक्ष महोदय :- रजनीश कुमार सिंह।

नान के द्वारा चना, गुड़ की आपूर्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 1328) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि नान के द्वारा चना व गुड़ आपूर्ति की जाती है ? यदि हॉ तो अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2022 तक किस-किस प्रदायकर्ता के द्वारा, किस-किस दर पर, कितनी-कितनी सामग्री का प्रदाय किया गया है? प्रदायकर्ता चयन हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? (ख) प्रश्नांश 'क'

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुसार निविदाएं कितनी मात्रा के लिए की गई थी तथा इस निविदा के आधार पर कितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई व कितने प्रतिशत अधिक मात्रा में आदेश दिया गया ? (ग) कंडिका 'क' अनुसार सामग्री हेतु कब-कब, किस फर्म को आदेश दिया गया, उन्हें कितने दिनों के अंदर सामग्री प्रदान करनी थी व उनके द्वारा कितने दिन में व कितने विलम्ब से सामग्री प्रदान की गई? विलम्ब से सामग्री प्रदान करने पर जुर्माना/दण्ड का क्या प्रावधान है, क्या इसका पालन हुआ है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हाँ। अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2022 तक चना एवं गुड़ प्रदायकर्ता, दर एवम प्रदाय मात्रा की जानकारी संलग्न प्रपत्र -'अ'[2] अनुसार है। चना क्रय हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 में 04.04.2020 को तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16.02.2021 को जारी की गई । मधुर गुड क्रय हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20.05.2020 को तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 09.04.2021 को जारी की गई। (ख) चना क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 61152.00 मेट्रिक टन मात्रा के लिए आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 52202.159 मेट्रिक टन मात्रा की तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 62760.00 मेट्रिक टन मात्रा के लिए आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 50097.343 मेट्रिक टन मात्रा (जनवरी, 2022 तक) की खरीदी की गई है। गुड क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 14000 मेट्रिक टन मात्रा के आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 10111.338 मेट्रिक टन मात्रा की तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 16800.00 मेट्रिक टन मात्रा के लिए आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 9399.054 मेट्रिक टन मात्रा (जनवरी, 2022 तक) की खरीदी गई है। प्रश्नांकित अवधि में चना एवं गुड क्रय हेतु अधिक मात्रा का प्रदाय आदेश नहीं दिया गया है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में चना एवं गुड़ प्रदाय हेतु संबधित फर्म को जारी आदेश एवं उनके द्वारा प्रदाय की जानकारी संलग्न प्रपत्र ब एवं स अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में चना प्रदाय आदेश मात्रा को निविदा नियमों एवं शर्तो के अनुसार एक माह (30 दिवस) में सामग्री प्रदाय करने का प्रावधान था एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में चना प्रदाय आदेश मात्रा को निविदा नियमों एवं शर्तो के अनुसार प्रथम प्रदाय आदेश को डेढ़ माह (45 दिवस) मे प्रदाय करना है तथा उसके बाद दिये गये सप्लाई आदेश मात्रा को एक माह (30 दिवस) में प्रदाय करना है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् सामग्री प्रदाय मात्रा के लिए निविदा नियमों एवं शर्तो के अनुसार 2% कटौती करने का प्रावधान है जिसका पालन किया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुड़ प्रदाय आदेश मात्रा को निविदा नियमों एवं शर्तो के अनुसार एक माह (30 दिवस) में सामग्री प्रदाय करने का प्रावधान था । एक माह के पश्चात निविदा नियमों एवं शर्तो के अनुसार 2% कटौती किये जाने का प्रावधान है जिसका पालन किया गया है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी,जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी के निर्णय अनुसार प्रश्न नहीं करूंगा।

---

2 परिशिष्ट “दो”

अध्यक्ष महोदय :- वैरी गुड। तीसरा प्रश्न, डॉ. विनय जायसवाल।

प्रश्न क्रमांक : 3 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- पलायन। ननकीराम जी कंवर।

प्रश्न क्रमांक : 4 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- पलायन। माननीय सत्यनारायण जी शर्मा।

कोविड १९ के कारण मृत सफाई कर्मियों को मुआवजा एवं उनके परिवार के सदस्यों को सेवा में लिया जाना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 861) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कोविड-१९ के कारण ३१ जनवरी, २०२२ तक कितने सफाई कर्मियों की मृत्यु हुई है? जिलेवार विवरण दें. (ख) प्रत्येक सफाई कर्मियों की मृत्यु पर कितना- कितना मुआवजा दिया गया है? क्या यह मुआवजा फ्रंट लाइन वर्कर को दिए जाने वाले मुआवजे के बराबर है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या कोविड-१९ से मृत सफाई कर्मियों के परिवार के सदस्यों/ उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति अथवा किसी अन्य प्रकार से सेवा में लिया गया है? हाँ, तो विवरण दें. यदि नहीं तो क्यों?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रदेश में कोविड-19 के कारण 31 जनवरी, 2022 तक नगरीय निकायों में कुल 04 सफाई कर्मियों की मृत्यु संबंधी जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	निकाय का नाम	मृत सफाई कर्मियों की संख्या
1	महासमुन्द	न.पा.बागबाहरा	01
2	दुर्ग	न.नि.भिलाई	02
3	बिलासपुर	न.नि.बिलासपुर	01
	कुल योग		04

(ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को देय राशि रू. 50000/- का भुगतान नगर पालिका परिषद् बागबाहरा के 1 कर्मचारी, नगर पालिक निगम, भिलाई के 1 कर्मचारी एवं न.नि.बिलासपुर में 1 कर्मचारी को किया गया है।न.नि.भिलाई के 1 कर्मचारी का आवेदन प्रक्रियाधीन है । (ग) कोविड-19 से मृत सफाई कर्मियों के परिवार के सदस्यों/उत्तराधिकारियों में से न.नि.भिलाई के द्वारा 1 आवेदक तथा न.नि.बिलासपुर में 1 आवेदक के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं तथा न.नि.भिलाई के 1 आवेदक एवं न.पा.बागबाहरा के 1 आवेदक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हता न होने के कारण शासन निर्देशों के पालन में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखे जाने बाबत् निर्देश हैं । जानकारी संलग्न प्रपत्र[3] अनुसार है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाकाल में हमारे बहुत से सफाईकर्मियों की मौत हुई है। आप भी इस बात को जानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्लेसमेंट के कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने का नियम है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन राजस्व विभाग में अभी जो कोरोना काल में श्रमिक मृत हुए हैं उन श्रमिकों को 50,000 रूपये दिये जाने का प्रावधान है और अगर हमारे यहां जो सफाईकर्मी जो मृत हुए हैं महासमुंद में, बागबहरा में 1, दुर्ग में 2, दुर्ग के नगर-निगम भिलाई में 2 और बिलासपुर नगर-निगम में 1। इन 4 लोगों की मृत्यु हुई है। उनको मुआवजा दिया जा चुका है। अगर किसी प्लेसमेंट के कर्मचारी को मुआवजा नहीं मिला है तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य दे देंगे। उनको भी मुआवजा दिला दिया जाएगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसकी जगह रिक्त हो गई तो उनको भी अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। आपने जवाब में कहा है कि पद रिक्त न होने से। तो उसकी मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक रूप से पद रिक्त हो गया, तो क्या आप उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि प्लेसमेंट के कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वे प्लेसमेंट के कर्मचारी नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपके पास प्लेसमेंट में कोई जानकारी है तो दे दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उनको प्लेसमेंट में रखा जाये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट का कर्मचारी नहीं था, आपके नगर निगम का नियमित कर्मचारी था ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको पात्रता नहीं थी इसलिए उनको प्लेसमेंट में नौकरी दी गई है, उनको प्लेसमेंट में रखा गया है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पद तो रिक्त हो गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सफाई कर्मचारियों का जो नियमित पद है, उसको पिछली सरकार ने डाईंग कैडर घोषित कर दिया गया था तो उनका पद सांख्येतर पद होता है । वह पद ऐसा है कि यदि उनकी मृत्यु होती है या अपने पद से हटाये जाते हैं तो वह पद समाप्त हो

[3] परिशिष्ट "चार"

Uncorrected and unedited/Not for Publication Monday, March 21, 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाता है तो उनको अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है तो जो कर्मचारी हैं, उनको हम प्लेसमेंट में लेने का प्रयास करेंगे और सफाई कर्मियों का जो डाइंग कैडर है..

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही अनुरोध है कि रायपुर में कम से कम 50-60 सफाई कर्मचारियों की मौत कोरोना से हुई है, जो प्लेसमेंट में काम करते थे । उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसको दिखवा लेंगे। राजस्व विभाग द्वारा 50 हजार रूपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है । अगर जानकारी है तो आप दे देंगे, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जी ।

<u>रायपुर जिले में संचालित बायोडीजल पंप</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 1286) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या सही है कि रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित हैं, अगर हां तो क्या पंप संचालकों के द्वारा सरकारी नियमों का पालन किया गया है ? (ख) अगर नहीं तो क्यों ? पंप संचालकों पर विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है यदि हॉ अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- (क) वर्तमान में रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित नहीं है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता । (ख) प्रश्नांश 'क' की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि रायपुर जिले में बायोडीजल पम्प संचालित है या नहीं ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित नहीं है । माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा गलत जानकारी दी गई है । अभी भी विधान सभा भवन से 10 किलोमीटर के अंदर में बायोडीजल पंप संचालित है । विभाग द्वारा इस पंप को संचालित नहीं किया जा रहा है तो इसको कौन संचालित कर रहा है, क्या यह पंप वैध है या अवैध ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर जिले में कोई भी बायोडीजल पंप संचालित नहीं है और जो उसका संचालन कर रहे थे, वह अवैध था। निरीक्षण के दौरान उसमें कमी पाई गई और उसको बंद करा दिया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो उत्तर आया है, वह गलत है । यह बात मंत्री जी प्रश्न के उत्तर में बता सकते थे, लेकिन ऐसे गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है कि रायपुर जिले में बायोडीजल पंप संचालित है ? तो नियम, प्रक्रिया और हमारे विभाग के द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। वह पंप अवैध रूप से संचालित था इसलिए वैसा उत्तर दिया गया है । विभाग से जो अनुमति लेना था, विभाग से एन.ओ.सी. लेना था, वह नहीं लिया गया है । वह पंप अवैध रूप से संचालित है, इसके नियम-प्रक्रिया और गाईड लाईन का पालन नहीं किया गया था इसलिए उस पंप को बंद कर दिया गया है । जिसको भी संचालित करना होगा, उसको नियम-प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो एन.ओ.सी. प्राप्त करेगा, उसी को पंप संचालन की अनुमति मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, यह पंप अवैध रूप से कितने दिनों तक संचालित था, ऐसी कोई जानकारी दे सकते हैं क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पंप कब से संचालित हो रहा था, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे विभाग से जांच दल गया था और 14.01.2021 उसका निरीक्षण को किया गया । जहां पर जांच दल गया था, वहां पर मेसर्स श्री गणेश बायो फ्यूल्स, रावाभांटा से 25964 लीटर बायो फ्यूल्स जप्त किया गया, इसके संचालक हार्दिक पटेल हैं । दूसरा, मेसर्स उमिया बायो फ्यूल्स के संचालक मदनलाल बाल जी भाई पटेल हैं, इनके यहां 20.12.2020 को जांच दल गया था और फर्म में 21 हजार लीटर अपमिश्रित एवं संदिग्ध द्रवित उत्पाद को मयवाहन जप्त किया गया ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि विभाग के अधिकारी उनको सह दे रहे हैं, उसी के कारण आजतक बायोडीजल पंप संचालित हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह मेरा निवेदन है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ यह मामला है। हर कोई खुले आम अवैध रूप से बायोडीजल विक्रय का संचालन कर रहे हैं। पता नहीं, अधिकारी लोगों को क्यों नहीं दिखता। माननीय विधायक जी बोल रही हैं, कार्रवाई के लिए निवेदन कर रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, बिना सरंक्षण के संचालन नहीं हो सकता है। किसी न किसी का सरंक्षण प्राप्त है। अभी भी अवैध रूप से चल रहा है। मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के अनुसार बायोडीजल विक्रय करने के लिए अधिसूचना में जो गाईडलाईन दिया गया है, उस शर्त

के आधार पर ही किसी को अनुमति दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संचालन करता है, तो वह अवैध है और जहां भी इसके बारे में शिकायत मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- Thank you. देवेन्द्र बहादुर सिंह जी।

नगर पंचायत बसना एवं पिथौरा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (*क्र. 1119) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में नगर पंचायत बसना एवं पिथौरा में किन योजनायों में किन कार्यो के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई? **(ख)** कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं, कितने अपूर्ण हैं, अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र[4] अनुसार है

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत बसना में पेयजल की समस्या है। उसके निराकरण के लिए जलाशय से पानी सप्लाई की योजना स्वीकृत की गई है, जो कि चालू है। लेकिन वहां एक ही टंकी का प्रावधान किया गया है। दोबारा जांचकर वहां आवश्यकतानुसार और टंकी की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो सब जगह पानी की सप्लाई हो सकती है। उसको दिखवाकर दोबारा ओवरहेड टैंक की स्वीकृति देंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तो पेयजल वाला प्रश्न पूछा भी नहीं था। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि उनके यहां पेयजल आवर्द्धन योजना चल रहा है, उसका काम जल्दी होना चाहिए तो निश्चित रूप से उसको दिखवा लेंगे।

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पिथौरा नगर पंचायत में पहले गौरवपथ स्वीकृत हुआ था, लेकिन वह किसी कारण से लेप्स हो गया है। वहां दोबारा गौरवपथ प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तावित है।

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रस्तावित है। प्रस्ताव आयेगा तो उसमें आगे विचार करेंगे।

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिया गया है।

---

[4] परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी स्वीकृत नहीं है।

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी स्वीकृत नहीं है। प्रस्ताव है, उसमें आगे जरूर विचार करेंगे।

धान के भीगने, खराब होने व परिवहन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 1256) श्री नारायण चंदेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 से 07 फरवरी 2022 तक जांजगीर-चाम्पा जिले के किन-किन विकास खण्डों के कौन-कौन से धान खरीदी केन्द्रों में बेमौसम हुई बारिश से कितना-कितना धान भीगा व खराब हुआ? **(ख)** उक्त जिले में प्रश्नांश 'क' अवधि में कितनी राशि का धान भीगा व खराब हुआ है, शासन को कितनी राशि की क्षति हुई है? **(ग)** मौसम विभाग द्वारा पूर्व से बेमौसम बारिश होने के सूचना के बाद भी सोसायटियों में धान को भीगने से बचाने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं किये हेतु कौन-कौन दोषी है, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? **(घ)** सोसायटियों में धान खरीदी की तिथि समाप्त होने के बाद कितने दिनों में परिवहन किये जाने का प्रावधान है? किन-किन फर्मों के द्वारा जिले के धान का परिवहन किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रश्नांकित अवधि में जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में बेमौसम बारिश से धान भीगा व खराब नहीं हुआ है । **(ख)** प्रश्नांश 'क' की जानकारी के परिपेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । **(ग)** मौसम विभाग से बेमौसम बारिश होने की पूर्व सूचना के बाद सहकारी समितियों ने उपार्जन केन्द्रों में धान को भीगने से बचाने हेतु तिरपाल, कैप कव्हर आदि की व्यवस्था किया जाकर बारिश से भीगने से बचाने की कार्यवाही की गई है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । **(घ)** धान उपार्जन नीति 2020-21 के अनुसार दिनांक 28.02.2021 तक तथा खरीफ वर्ष 2021-22 की उपार्जन नीति के अनुसार खरीदी केन्द्र में भंडारित समस्त धान को विपणन संघ द्वारा दिनांक 28.02.2022 तक उठाव कराये जाने के निर्देश है । जांजगीर-चांपा जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 में परिवहनकर्ता श्री दिनेश शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री दिनेश मिश्रा, श्री वाई.के. जैन, श्री रामकुमार यादव, श्री संतोष कुमार यादव, श्री जयप्रकाश गोयल एवं श्री विमल कुमार गोयल के द्वारा तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में श्री दिनेश शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री दिनेश मिश्रा, श्री रामकुमार यादव, श्री जयप्रकाश गोयल, श्री विमल कुमार गोयल, श्री हिमांशु अग्रवाल एवं श्री नितिन कुमार अग्रवाल के द्वारा जिले में धान परिवहन का कार्य किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी का पौनी पसारी बंद कर दिया है। इसलिए हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड अंतर्गत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (*क्र. 1122) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड में वर्ष 2019-20 से 10 फरवरी, 2022 तक कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ख)** कितने हितग्राहियों का नाम प्रतिक्षा सूची में है? **(ग)** उपरोक्त स्वीकृत सूची में कितने आवासों का निर्माण अपूर्ण है?

नगरीयप्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) सिहावा विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड में वर्ष 2019-20 से 10 फरवरी, 2022 तक कुल 862 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। निकायवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[5] अनुसार है**(ख)** योजना अंतर्गत प्रतीक्षा सूची निरंक है। **(ग)**उपरोक्त स्वीकृत सूची में कुल 764 आवासों का निर्माण अपूर्ण है। निकायवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है, जिसमें 764 आवासों का निर्माण अपूर्ण है, ऐसा माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब मिला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो ब्लाक मगरलोड एवं नगरी ब्लाक है। मगरलोड ब्लाक में वर्ष 2019-20 का आवास निर्माण अधूरा है, एक या दो किश्त आया है। मैंने पता किया तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि अभी पैसा नहीं आया है और जो पैसा आया था, वह वापस हो गया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया जांच करके उनके मकानों को बनवाने की कृपा करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, नगरीय निकाय में 167 लोग वन भूमि में निवासरत हैं। लेकिन उनको अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है। अगर वे लोग नियम-प्रक्रिया के तहत पात्र आते हैं तो कृपया उन्हें पट्टा प्रदान करने हेतु जल्दी से अनुमति प्रदान करें तथा उनके आवासों को बनाने में क्या दिक्कत है, उसके बारे में जांच करवाकर राशि दिलाने की कृपा करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग वन भूमि में काबिज हैं, वैसे उनको पट्टा दिये जाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन वन विभाग अनुमति देती है तो वन अधिकार पट्टा दिया जाता है, और उस आधार पर दिया जायेगा।

---

[5] परिशिष्ट "छः"

जहां तक हमारे नगरीय निकाय में भारत सरकार के नार्म्स हैं, जो प्रधानमंत्री आवास, बी.एल.सी. के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, तो राशि वापस नहीं हुई है। हमारे पास राशि है। अभी निकाय में 1392.74 लाख रूपया व्यय किया गया है और 127.26 लाख रूपया निकाय के पास उपलब्ध है।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब अधिकारी से बात की तो उन्होंने वही आन्सर दिया । उन्होंने ऐसा आन्सर क्यों दिया है, कृपया उनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही करें । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल जी मोहले ।

<u>मुआवजा विषयक</u>

[लोक निर्माण]

10. (*क्र. 1268) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मेन रोड़ से चाकापेण्ड्रा,गाडामोर,प्रतापपुर मार्ग मुंगेली से नांदघाट एवं मुंगेली विधानसभा श्रेत्र में कुल ऐसे कितने मार्ग हैं, जिनमें किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है? अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन के एवज में मुआवजा राशि किस दर से दी जा रही है ?जनवरी,2022 तक कौन-कौन से गांव के कितने किसानों को मुआवजा दिया गया ? कितना शेष है ग्रामवार बतावें?

गृहमंत्री(श्री ताम्रध्वज साहू): जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[6] अनुसार है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एडीबी परियोजना अंतर्गत पैकेज में तीन और नौ मार्ग बताये हैं, इनका क्या सर्वे हो चुका है, सर्वे की प्रक्रिया पूरी हुई है कि नहीं बताने का कष्ट करेंगे ? क्रमांक 5, यह एडीबी मार्ग का है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एडीबी परियोजना लेन 3 का सर्वे हो गया है, इसका टेण्डर हो गया है, फेस 3 का काम भी चालू हो गया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- टेण्डर हो गया है तो कब तक किया जायेगा ? यह कितने राशि का बना है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- देखिये, किसान की जमीन का मुआवजा और अधिग्रहण आपने पूछा है । मैंने उसमें दे दिया है कि इसमें जो गांव है, गुण्डू कांपा, दो किसान है, उसकी जमीन अधिग्रहण का और उनके भुगतान का है । मैंने कोना का, जरहागांव का, तीनों का इसमें बता दिया है । एडीबी 3 लोन के

[6] परिशिष्ट “एक”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अंतर्गत लोरमी, पैजनिया,मसना मार्ग है, इसमें तीनों गांव का जो राशि वर्गमीटर के हिसाब से है, उसे मैंने बता दिया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक और प्रश्न है, चांका-पेंड्रा, दाराबोर प्रतापपुर में, लगभग 112 से ज्यादा किसान है, इन किसानों का क्या सर्वे हो चुका है, मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- यह प्रकरण चल रहा है, किनकी-किनकी जमीन लेनी है, जैसे कलेक्टर या एस.डी.एम. के यहां पेश करते हैं, वह पेश हो गया है, नोटिसें जा रही हैं और यह प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपका यह प्रक्रिया कितने महीने में पूरा होता है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया का निश्चित नहीं है कि कितने महीने में पूरा होगा । कभी बिजली लाईन है तो उसको हटाने का काम है, अलग-अलग रहता है । प्रक्रियाधीन है, इसको बहुत जल्दी करके चालू करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

नगर पंचायत भखारा में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

11. (*क्र. 1261) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या नगर पंचायत भखारा के द्वारा खसरा नं0- 330/4 में व्यवसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है यदि हां तो परिषद में किस दिनांक को हुआ? क्या उक्त प्रस्ताव का सामान्य सभा से अनुमोदन लिया गया है ? यदि हां तो किस दिनांक को अनुमोदन किया गया बतावें? क्या उक्त प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल था ? **(ख)** क्या उक्त स्थल पर निर्माण हेतु नियमानुसार सम्बधित अधिकारीयों से अनुमति ली गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से अनुमति ली गई है एवं उक्त अनुमति नगर पंचायत भखारा को कब प्राप्त हुई? **(ग)** उक्त निर्माण कार्य हेतु किस मद से कितनी राशि से काम्पलेक्स में कितनी दुकान बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था एवं वर्तमान में कितनी दुकान बनायी जा रही हैं? **(घ)** क्या उक्त निर्माण के पूर्व संबंधित विभाग से आधिपत्य एवं भूउपयोगिता में परिवर्तन कराया गया है यदि हां तो कब पत्र जारी किया गया था एवं कब प्राप्त हुआ? (ड.) क्या उक्त निर्माण कार्य में किसी प्रकार की शिकायत या न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है यदि हां तो अद्‌यतन स्थिति से अवगत करावें?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां । परिषद की बैठक दिनांक 18.11.2020 के प्रस्ताव क्रमांक 04 में शासकीय भूमि खसरा नं. 330/4 में व्यवसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया गया है। दिनांक 18.11.2020 को आयोजित बैठक के एजेंडा में अनुमोदन दिया गया है। यह प्रस्ताव एजेंडाक्रमांक 04 में शामिल था। **(ख)**जी नहीं। उक्त निर्माण शासकीय भूमि में किया जा रहा है। कलेक्टर जिला धमतरी के आदेश क्रमांक 373 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा उक्त भूमि नगर पंचायत भखारा को निशुल्क हस्तांतरित की गयी है। आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ग)**यह स्व-वित्तीय योजना के तहत कराया जा रहा है जिसमें 04 नग दुकान का निर्माण कुल लागत राशि रूपये 38.08 लाख से कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। **(घ)** प्रश्नाधीन भूमि कलेक्टर, धमतरी के आदेश क्रमांक 373 दिनांक 19.06.2014 द्वारा निकाय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। भूउपयोगिता के संबंध में पृथक से कोई अनुमति नहीं लिया गया है ।(ड.)जी हां। वर्तमान में प्रकरण अपर आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण में मान. न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2022 द्वारा स्थगन जारी होने के फलस्वरूप निर्माण कार्य बंद है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या उक्त काम्पलेक्स निर्माण के लिए सामान्य सभा में अनुमोदन लिया गया है, यह मेरा पहला प्रश्न है । मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या उक्त स्थल पर निर्माण हेतु संबंधित अधिकारियों से अनुमति ली गई है । मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या नगर निवेश से अनापत्ति ली गई है । मेरा चौथा प्रश्न है कि कितने दुकानों के लिए अनुमति ली गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने चार प्रश्न एक साथ दिया है । चारों प्रश्न का एक साथ जवाब दे दीजिए ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिषद ने अनुमति दी है, परिषद का प्रस्ताव 18-11-2020 को उप स्वास्थ्य केन्द्र के पास सामुदायिक काम्पलेक्स निर्माण हेतु परिषद का खसरा नंबर 304 में वार्ड क्रमांक 14 में 4 नग शापिंग काम्पलेक्स डबल डेक प्राक्कलन स्थल अनुसार पुनरीक्षित कर प्राप्त दर पर कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । दूसरा, भूमि का आवंटन कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है, अग्रिम आधिपत्य उनसे प्राप्त होने के बाद कार्य प्रारंभ किया गया था । तीसरा, अनुमति लेने की जहां तक बात है, अगर परिषद ने अनुमति दे दिया है, परिषद की सभा ने वर्ष 2020 में पारित किया है, उसमें अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है । सरकारी काम के लिए अलग से डायवर्सन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है । उसका एस्टीमेट स्वीकृत हुआ है और उसके आधार पर निकाय के निधि से बनाया जा रहा है । निकाय की निधि से स्वीकृत की गई है, शासन ने अनुमति दी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निकाय में कौन सी निधि होती है और कौन से निधि से यह बनाया जा रहा है ? मंत्री जी कृपया जानकारी देंगे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निकाय के पास जो प्रापर्टी टैक्स आता है, शासकीय जो अनुदान रहते हैं, उसमें जो बचत राशि रहती है, वह निकाय निधि होती है । उस निकाय के निधि से बनाया जा रहा है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, एक प्रश्न और है । आप जो काम्पलेक्स बना रहे हैं, वर्तमान में प्रकरण अपर आयुक्त, रायपुर संभाग के समक्ष विचाराधीन है । क्या आपको न्यायालय में इसके लिये स्थगन प्राप्त हुआ है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- जी हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इन लोगों ने जमीन के लिए रास्ते की मांग की थी । तहसीलदार के लिए आवेदन दिया गया था, उसको निरस्त कर दिया, फिर एस.डी.एम. के पास अपील में गया, एस.डी.एम. ने भी उस प्रकरण को खारिज कर दिया था। एस.डी.एम. के प्रकरण खारिज करने के बाद अपील में कमिश्नर रायपुर संभाग के पास आया है। अपर आयुक्त के पास प्रकरण लंबित है। उन्होंने स्थगन दिया है। स्थगन देने के बाद कार्य बंद कर दिया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि इनको जो माननीय न्यायालाय का आदेश मिला था, न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अपने पद का दुरूपयोग करते हैं, इनके नगर पंचायत सी.एम.ओ. ने जो इनको न्यायालय के आदेश की कापी मिली है, इनको स्थगन 19.01.2022 को मिला है, इन्होंने नगर पंचायत में 02.02.2022 को जानकारी दी है। यह पूरी जानकारी मेरे पास है। यह भ्रष्ट अधिकारी जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, इस complex को बनाने में उनका स्वार्थ है, मेरे पास पूरी जानकारी है। उनका स्वार्थ जब पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। इस व्यक्ति ने स्थगन आदेश 02 तारीख को नगर पंचायत भखारा में जमा कर दिया। उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय इन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा है, यदि आपकी अनुमति होगी तो मैं जिसकी तस्वीर सदन के पटल पर रखना चाहती हूं। इस भ्रष्ट सी.एम.ओ. ने उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा न होने पर, चूंकि इन्होंने बड़ी रकम की डिमांड उस गरीब आदमी से की थी और जब उस गरीब आदमी ने इनकी व्यक्तिगत लालच को देखते हुए उनकी डिमांड को पूरी नहीं किया तो उन्होंने न्यायालय के स्थगन के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, पूरा स्लैब ढाल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहती हूं कि क्या इस भ्रष्ट अधिकारी को जिन्होंने केवल और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की है, क्या आप उस अधिकारी को निलंबित करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बाद 21.02.2022 का है, उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। न्यायालय के निर्णय के बाद कार्य बंद कर दिया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने इसकी मौखिक जानकारी विभाग के सचिव को दी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका बहुत प्रश्न हो गया।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने माननीय मंत्री जी को इसकी मौखिक जानकारी दूरभाष के माध्यम से दी थी और विभाग के सचिव को भी जानकारी दी थी। क्योंकि यह न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की जा रही है, क्या आप इस अधिकारी पर कार्यवाई करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने मुझे फोन किया था। मैंने खुद ही उस अधिकारी को फोन करके बात किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 12 श्री आशीष कुमार छाबड़ा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- चलिये ठीक है, आप कहते हैं कि आपने उस अधिकारी से फोन पर बात की, उन्होंने आपको ये जानकारी दी। आप मुझे ये बताईये कि भूमि खसरा नंबर 330/4 में बहुत से लोगों को व्यवस्थापन के लिए जो जमीन दी गई, उसके बाद भी जिन लोगों ने कब्जा किया है, क्या आपने उन कब्जाधारियों को हटाया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास जो जानकारी है, वह माननीय मंत्री जी को दे दीजिए। इतना लंबा प्रश्न नहीं होता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, मैंने सारी चीज आपके सामने रखी है, मैंने सदन के सामने सारी चीजें पेश की हैं। माननीय न्यायालय का जो आदेश आया था, मैंने माननीय न्यायालय के आदेश को भी आपको दिखाया है, मौखिक जानकारी भी दी है। उसके बाद क्या आप इस अधिकारी पर कार्यवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनसे जाकर मिल लीजिए न। आज यहीं तो पास में हैं, उनके कक्ष में चले जाईए और जो बातें हैं उनको बता दीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सिमगा-चिल्फी NH30 मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

12. (*क्र. 1383) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली NH30 सिमगा-चिल्फी मार्ग का निर्माण किस वर्ष किस ठेकेदार के द्वारा किया गया है ? **(ख)** क्या 'क' सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर ठेकेदार द्वारा सड़क राज्य सरकार को सौंप दी गयी है तथा सड़क के मरम्मत का कार्य किस ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** [7]अनुसार है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर चाहा था। नेशनल हाईवे-30 जो जबलपुर से रायपुर को जोड़ने का काम करता है उसमें सिमगा से लेकर कवर्धा मार्ग का 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य में माननीय मंत्री जी का जो परिशिष्ट में जवाब आया है मार्च 2015 से मार्च 2017 तक कार्य किया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त कार्य को कब तक ठेकेदार को पूर्ण करना था ? किस वर्ष में कार्य को पूर्ण हो जाना था जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है ? अभी तक कार्य के पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंध के अनुसार कार्य को दिनांक 22-03-2017 तक पूरा करना था।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपका जवाब भी आया है कि 22-03-2017 से लेकर आज तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, अभी 2022 हो चुका है। वह चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, सीधा रायपुर (छत्तीसगढ़) से जबलपुर (मध्यप्रदेश) को जोड़ने वाला मार्ग है और माननीय वन मंत्री जी का भी वह क्षेत्र आता है, उनके क्षेत्र को भी जोड़ता है। मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि वहां पर जो कार्य हुआ है वह काफी हल्की गुणवत्ता वाला हुआ है, यह मार्ग बनने से पहले ही इस मार्ग में कई जगहों पर गढ्ढे हो चुके हैं, उसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु होती जा रही है, तो मेरा आपसे निवेदन है और मैंने पूर्व में भी यह प्रश्न विधान सभा में लगाया था तो आपके द्वारा यह जवाब आया था कि ठेकेदार को निर्देशित किया जायेगा कि वह उसके ऊपर डामर बी.टी. का कार्य करें लेकिन आज दिनांक तक वहां काम शुरू नहीं हो पाया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आप जब लोकसभा के सांसद थे तो आपने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं।

---

[7] परिशिष्ट -"आठ"

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, मंत्री जी, आज शिष्य गुरू से प्रश्न कर रहा है, क्या है अंदर की बात ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मेरे लिये गौरव की बात है कि मेरा शिष्य मुझसे प्रश्न कर रहा है, इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो ट्रेन्ड हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसका पूरा जवाब दे देता हूं। सही कहना है, मैं जब उस समय सांसद था तो यह रोड का काम चल रहा था और रोड का काम जब चल रहा था, तो दिशा कमेटी की मीटिंग सांसद लोग लेते हैं, तो मैं बेमेतरा में जब मीटिंग लेता था तो मैं खुद भी बार-बार यह विषय उठाता था कि यह सड़क कमजोर और खराब बन रही है, पर उस समय कोई उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे। सड़कें जितनी बनी है, उतनी बन गई है, लगातार पत्राचार हुआ, एन.एच. को, दिल्ली को और उस पर जो फाईनल निर्णय हुआ है, मैं वह आपको बता देता हूं। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा, दिनांक 11.09.2019 को कार्य की समीक्षा बैठक की गयी एवं बैठक में दिये गये निर्देशानुसार ठेकेदार के साथ सप्लीमेण्ट्री एग्रीमेंट दिनांक 29.09.2021 को एक वर्ष के लिये किया गया। जिसके अंतर्गत ठेकेदार कर्वधा से बेमेतरा तक लगभग 45 कि.मी. एवं बेमेतरा से सिमगा के बीच लगभग 8 कि.मी. की मरम्मत कर उसके ऊपर डामरीकृत परत बिछायेंगे और मार्ग का संधारण, जो आपका एक प्रश्न भी है, मार्ग का संधारण ठेकेदार स्वयं अपने व्यय पर 30 वर्ष के लिये अर्थात 20.03.2047 तक मेंटेनेंस, मरम्मत कार्य करेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मेरा एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द निर्देशित हो जाये, कि ठेकेदार जल्द से जल्द काम कर दे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चंदन कश्यप जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क में हम लोग भी आते-जाते हैं, आपने पूरा पढ़ दिया लेकिन यह काम हुआ कि नहीं यह तो बता दीजिये और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और कब तक हो जायेगा ? यह जरा क्लीयर बता दीजिये न, वह सड़क जनहित का मामला है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया न कि केंद्र में परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ ठेकेदार की एग्रीमेंट हो गयी और केंद्र सरकार ने ठेकेदार को समय दे दिया और उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको निर्देशित कर दिया है कि आप यह काम करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं सर, अफसर तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मंत्री जी, एक निर्देश यह भी दे देंगे कि ठेकेदार के द्वारा जो बिजली के पोल लगाये गये हैं, वह भी आज दिनांक तक चालू नहीं हो पाये हैं। कबाड़ी लोग उस पोल को चोरी कर के लेकर जा रहे हैं, मेरा निवेदन है, मैं उसमें भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आफिसर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप यह जवाब भी तो उन्हीं से पूछ के दे रहे होंगे न । उन अधिकारी से पूछ-पाछ के जवाब दे दीजिये, यह जनहित का मुद्दा है, हम लोग भी उस सड़क से आते हैं, पण्डरिया से, लोरमी से, कवर्धा हो कर, बेमेतरा हो कर, सिमगा हो कर, रायपुर आते हैं। मंत्री जी भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा होता है, यह तो रोज आते-जाते हैं। इसको बनवाईये, कुल मिलाकर आशय यह है कि यह सड़क बन जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जल्दी बनवाईये, थोड़ा-सा चाबूक चलाईये। चाबूक।

<u>जिला नारायणपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य</u>

[लोक निर्माण]

13. (*क्र. 1251) श्री चंदन कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला नारायणपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यालय नारायणपुर में बखरूपारा से नया बस स्टैण्ड मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य एवं पुराना बस स्टैण्ड से नया रेलवे लाईन पहुंच मार्ग निर्माणाधीन है ? **(ख)** कंडिका ''क'' के कार्य वर्तमान में किस एजेंसी द्वारा किये जा रहे हैं, निर्माण कब तक पूर्ण कर लिये जावेगें ? एजेंसी को किये गये भुगतान, पूर्ण/अपूर्ण की अद्यतन जानकारी देवें ? **(ग)** कंडिका ''क'' के कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि क्या है ? समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हॉ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[8] अनुसार है। **(ख)** एवं**(ग)**जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो जानकारी दी गयी है। सरल क्रमांक 2 की कार्य की लागत राशि एवं पोर्ट मार्ग की दूरी कितनी है, जबकि यहां जानकारी दी गयी है कि लंबाई 3.5 कि.मी. और (व्यवधान) में 2.20 कि.मी.। इस तरह गलत जानकारी देने के कारण आप अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- एक बार फिर से पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न को दोहराईये।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि सरल क्रमांक - 02 के कार्य की लागत राशि एवं पोर्ट मार्ग की लंबाई कितनी है ? आपके द्वारा जानकारी में दिया गया है कि 3.5 कि.मी.। जबकि मैंने भूमि पूजन किया तो वहां पर 2.20 कि.मी. लिखा गया है। आप ऐसी गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ?

8 परिशिष्ट “नौ”

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा विभाग से जानकारी आई, मैंने जानकारी दी। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह गलत है तो मैं जांच करवा लूंगा। अगर जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि हम 3.50 कि.मी. बता रहे हैं और अधिकारी 2.20 कि.मी. बता रहे हैं, तो अगर वैसा होगा तो अधिकारी के ऊपर जरूर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। अनूप नाग जी।

श्री चंदन कश्यप :- क्या विभाग द्वारा उक्त दोनों सड़क, निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले विद्युत विभाग नगर पालिका एवं वन विभाग से अनुमति या सहमति ली गयी या नहीं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त प्रक्रियाओं का पालन विधिवत् किया जाता है, उसका हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अब तक पुराना बस स्टैण्ड, रेलवे लाईन पहुंच मार्ग निर्माण कार्य कितने हो चुके हैं जबकि वहां सिर्फ नाली बनी है और वह भी स्तरहीन बना है इसमें जांच किया जाना अति आवश्यक है, क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय,यह अभी का प्रकरण है, यह पूरा हो जाए, कोई शिकायत आएगी तो हम जरूर करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप शिकायत करिये, वह जांच करायेंगे।

प्रश्न संख्या -14 XX XX

प्रश्न संख्या -15 XX XX

<u>रायपुर - केन्द्री एक्सप्रेस वे में अनियमितता तथा विभाग की कार्यवाही</u>

[लोक निर्माण]

16. (*क्र. 1362) श्री शिवरतन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर - केन्द्री एक्सप्रेस रोड निर्माणकर्ता एंजेंसी कौन थी? उक्त सड़क निर्माण कार्यो में पायी गयी अनियमितता के लिये किस-किस अधिकारी को निलंबित किया गया है तथा निर्माण में कौन-कौन सी अनियमितता थी? **(ख)** उक्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत किस कार्पोरेशन द्वारा कराया गया था तथा अनियमितता के दोषी अधिकारी क्या उक्त कार्यालय के मूल कर्मचारी थे या उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिया गया था ? **(ग)** निलंबित अधिकारियाें को निलंबन के कितने दिन पश्चात किन-किन बिदुंओं पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा विभागीय जांच बैठायी गयी तो जांच पुर्ण करने की समय सीमा क्या निर्धारित थी ? कितनी जांच पूर्ण हो गयी, कितनी जांच अपूर्ण है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपूर्ण होने के कारण क्या है? **(घ)** किस-किस निलंबित अधिकारी को कब-कब, किस-किस आधार पर सेवा में पुनः बहाल किया गया तथा निर्माणकर्ता ठेकेदार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) मेसर्स आयरन टैंगल लिमिटेड, अहमदाबाद । जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[9] अनुसार है। **(ख)** छ.ग. सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, रायपुर। अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न केन्द्री एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में अलग-अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिये गये और अनियमितता के मामले में 6 लोगों को निलंबित किया गया, इन 6 में 2 लोगों को उनके मूल विभाग ने फिर से रि-स्टे कर दिया, बहाल कर दिया। पहला मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति में एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए जो व्यक्ति आये। क्या उनके निलंबन का अधिकार विभाग के पास था ? और यदि विभाग ने उनको निलंबित किया तो उनके मूल विभाग ने उनको किस आधार पर फिर से बहाल किया ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी-कर्मचारियों को लिया गया था। जब एक्सप्रेस वे की शिकायतें आयीं तो जब उस पर कार्यवाही शुरू हुई तो संबंधित विभागों को कहा गया। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर है हम उसको जहां प्रतिनियुक्ति पर हैं वह उसको कार्यवाही, निलंबित करने, बहाल करने का नहीं करते। उनके मूल विभाग को लिखा गया और मूल विभाग को जो कारण भी लिखा गया कि इस कारण से यह गलती है तो उसके आधार पर मूल विभाग ने उनको निलंबित किया और एक-दो जो बहाल हुआ, जिनकी जांच प्रक्रिया पूरी हो गई तो उनको बहाल किया गया है। बाकी का प्रक्रियाधीन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हम लोग 16 प्रश्नों तक पहुंच गये हैं। अगर मुझे आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा तो हम 25 प्रश्नों तक पहुंच जाएंगे। आप शार्ट में प्रश्न करते जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। यह 600 करोड़ से, मूल विभाग ने निलंबित किया। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि विभागीय जांच एक वर्ष में पूर्ण होनी थी और वह पूर्ण नहीं हुई, अभी प्रक्रियाधीन है। ये दो जो कर्मचारी हैं जिनको उनके मूल विभाग ने रिस्टे, बहाल किया है क्या इनके खिलाफ कोई अलग जांच कमेटी थी ? जिसकी रिपोर्ट आ गई, उस आधार पर उनको बहाल कर दिया गया ?

---

[9] परिशिष्ट "बारह"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग-अलग के बजाए, पूरे 6 लोगों के विषय में बता देता हूँ। 6 शासकीय सेवक निलंबित हुए, एक शासकीय सेवक सतीश कुमार जाधव दिनांक 16.03.2020 को जल संसाधन विभाग का था, उसको निलंबित किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 09.03.2020 को जल संसाधन विभाग को निलंबित करने के लिए लिखा गया था। 5 शासकीय सेवक जिसमें जतिन्द्र सिंह, विवेक सिन्हा, एस.सी.आर्य, निशेष भट्ट, फरहाज फारूकी, दिनांक 03.03.2020 को सी.जी.आर.डी.सी.एल. द्वारा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र के परिप्रेक्ष्य में निलंबित किया गया। एक शासकीय सेवक सतीश कुमार जाधव की जांच प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और वह सेवानिवृत्त हो गये हैं। विभागीय जांच में आंशिक रूप से दोषी पाया गया, इसलिए जल संसाधन विभाग द्वारा जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। 5 शासकीय सेवकों की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। आप जो कह रहे हैं कि दो शासकीय सेवक जतिन्द्र सिंह और विवेक सिन्हा को उनके मूल विभाग द्वारा बहाल किया गया है। 3 शासकीय सेवक वर्तमान में निलंबित है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दो मूल विभाग के द्वारा उनको बहाल किया गया है क्या इनकी जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है ? क्या विभाग को प्राप्त हो गई है ? ये जतिन्द्र सिंह राज्य शहरी विकास अभिकरण का प्रतिनियुक्ति पर था और सतीश कुमार जाधव, ये जल संसाधन विभाग का प्रतिनियुक्ति पर था, इन दोनों को बहाल किया गया है, क्या इनकी जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उनके विभाग को लिखा गया था, उनने निलंबित किया, उनने जांच की, उनने बहाल किया। अगर आप उसके विषय में कहें तो मैं जानकारी मंगाकर दे दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, PWD विभाग में काम हो रहा था, PWD विभाग के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गयी। आपने विभाग को लिख दिया। आप विभाग को लिखकर मुक्त तो नहीं हो सकते। आखिर सारी अनियमितताओं की जांच PWD विभाग कर रहा है। PWD विभाग जब तक सारी अनियमितताओं का क्लीयरेंस नहीं करेगा तो मूल विभाग कैसे कार्रवाई कर सकता है? आप इस जांच को एक वर्ष में पूर्ण कराने वाले थे, जांच गठित करने की समय सीमा में लगभग 3 वर्ष हो रही है। कोई समय सीमा है ? माननीय अध्यक्ष जी, तीन वर्ष में दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पेपरों में बड़े जोरदार ढंग से छपा था। किसी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। वह तीन वर्षों में न सड़क चालू कर पाए, न जांच कम्प्लीट कर पाए, न ठेकेदार पर कार्रवाई कर पाए। जो अधिकारी निलंबित किए गए थे, धीरे-धीरे बहाल करने की कार्रवाई हो रही है। उसके पीछे सच क्या है, यह तो जनता के सामने आए कि खाली बातों का जमाखर्च था ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के सामने सच तो आ ही गया है। चुनाव के पहले जल्दी-जल्दी उद्घाटन करेंगे, जैसा-तैसा करके रात दिन बनवाए। एक्सप्रेस-वे पूरा सत्यानाश हो गया। ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम ठेकदार से उन्हीं के खर्चे पर 300-400 जितना लग रहा है, पूरा सड़क बनवा रहे हैं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई ठेकेदार पर हुई है। ठेकेदार को सस्पेंड करते, 10-20 करोड़ फाईन करते, उससे अच्छा हम पूरा काम ठेकेदार से करवा रहे हैं और लगभग पूरा काम समाप्ति की ओर है। वह इनके कार्यकाल का है जिसको हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जहां तक जांच प्रक्रिया, निलंबन, बहाली का प्रश्न है तो अलग-अलग कोरोनाकाल आया, अलग-अलग काम हुआ। पूरी प्रक्रिया चालू है, कहीं पर किसी को नहीं बक्शा जा रहा है, बहाल भी हो रहे हैं, सस्पेंड भी हुए हैं, जांच भी हो रही है, अध्यक्ष जी, सब प्रक्रिया नियमानुसार विधिवत चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं देख लीजिए। इन्होंने उत्तर में स्वयं लिखा है कि जांच की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। जब जांच पूर्ण नहीं हुई है तो दो अधिकारी कैसे बहाल हो गए ? क्या आपके विभाग ने उनको एन.ओ.सी. दी कि इनको क्लीयरेंस मिल गया है कि यह दोषी नहीं हैं ? आखिर कारण जनता के सामने आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो आप पूछ चुके हैं। चलिए ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, आप बोल रहे हैं न कि सच जनता के सामने आ गया, आपने 3 साल में जो किया है, वह भी जनता जान रही है। आप बड़ा जोरदार भाषण दे रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बक्शेंगे नहीं, आज क्या स्थिति है, पूरी जनता देख रही है, आपने तीन साल में क्या किया ?

श्री मोहन मरकाम :- आपके पाप को धो रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आपने लोगों ने जो 15 साल में किया, वह तो समय से गलती सामने आ गयी नहीं तो वहां कितनी-बड़ी घटनाएं होती, कारों में कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। वहां पर कई लोग बचे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कृष्णमूर्ति बांधी। आप बैठिए-बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह जो दो अधिकारी जिनका क्लीयरेंस बहाल हो गया हैं, आप उत्तर दीजिए न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 600 करोड़ रूपए की सड़क है और सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो ठीक है मगर मंत्री जी आपकी इच्छानुसार ही जवाब दें, यह तो संभव नहीं हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी पूरे दावे लस्कर के साथ (व्यवधान) जो दो लोगों को बहाल किया है, क्या उनको क्लीयरेंस दे दिया ? क्या इसकी विभागीय जांच पूर्ण हो गयी ? उनको सक्त कर दिया गया। यह तो बताएं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बता दिया है। माननीय मंत्री जी सिर्फ इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर पूरा कह दिया है। माननीय सदस्य जितना जानना चाहते हैं, मैंने सभी का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा कह दिया है। कृष्णमूर्ति बांधी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है। जो दो अधिकारी बहाल किए गए, क्या यह निर्दोष साबित हो गए ? क्या PWD विभाग ने इनको क्लीयरेंस दे दिया कि यह दोषी नहीं हैं क्या इसलिए इनको बहाल किया गया ? आप इसका उत्तर दीजिए न।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निलंबन कोई सजा नहीं होती। जांच प्रक्रिया चलती रहती हैं, पूरा नहीं होने के बावजूद बहाल किया जाता है। कभी 6 महीने हो गए तो बहाल कर दिया जाता है। यह चलता है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सजा मिलती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अच्छा जब बहाल किया जाता है तो पूरे 6 को बहाल करना था। दो अधिकारियों के ऊपर ही कृपा क्यों हुई। अगर यह निर्दोष साबित नहीं हुए थे, जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी तो आपने दो को बहाल क्यों किया? बहाल करना था तो पूरे 6 के 6 को बहाल करना था। इसमें किसकी कृपा हुई, यह तो बता दो। यह दो लोगों को बहाल करने में किसी न किसी की कृपा हुई होगी। लक्ष्मी जी की कृपा हो गयी, किसी नेता की कृपा हो गयी। किसकी कृपा हो गयी ? (व्यवधान) पूरा प्रदेश जानना चाहता है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है। कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बात करते हैं। इनको बात करना सीखाईए। कुछ भी बोलते रहते हो।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, अब लक्ष्मी जी की कृपा (व्यवधान) के कारण बिगड़ा था। लक्ष्मी जी की कृपा के कारण एक्सप्रेस वे ख़राब हुआ था।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मेरे से सीख लिया करो। थोड़ा बहुत सीख लिया करो। बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो थोड़ा बहुत सीख लिया करो। हमारे मंत्री जी को क्यों अनावश्यक रूप से बोलते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने अच्छे मंत्री हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, प्लीज, आप बैठ जाईए। कृष्णमूर्ति बांधी, आप सवाल करिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मेरे पास सीखने के लिए आ जाईए। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बता दिया। अब दूसरा प्रश्न करने दीजिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, बिना शिव की कृपा के किसी का कल्याण ही नहीं हुआ है। (व्यवधान) शिव की कृपा ले लिया करो। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने अच्छे मंत्री हैं। उनके बारे में सवाल करते हैं। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो काम किया है...। (व्यवधान) मंत्री जी, उसको पूरा ठेकेदार से बनवा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए-चलिए प्लीज। शर्मा जी ऐसा मत करिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हर प्रश्न में राजनीति करेंगे तो कैसे बनेगा ? आप तो हर चीज को राजनीति से देखते हैं । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप एकाध प्रश्न जो पहले मंत्री थे उनसे भी पूछ लेते।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही पाइंटेड प्रश्न किया है कि जिनको बहाल किया गया है । (व्यवधान) 4 अभी भी सस्पेंड हैं । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या जांच के बाद उनको क्लियरेंस दे दिया गया कि ये निर्दोष नहीं हैं ? उनको किस आधार पर बहाल किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने पाइंटेड प्रश्न का पाइंटेड उत्तर दे दिया कि ये दो लोग थे, वे दूसरे विभाग से आये थे । उस विभाग ने उनका निलम्बन समाप्त कर दिया है । वे पता कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुल 6 हैं वे सभी दूसरे विभाग के थे । पूरे 6 के 6 दूसरे विभाग के थे ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर कारण तो पता चले ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उन्हें प्रतिनियुक्ति में आपकी सरकार ने लाया था । आप लोगों ने ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहां पर क्यों भेजा था ? सब इनके कार्यकाल का है, इन्होंने भेजा था और अब माननीय मंत्री जी ने उनको निलंबित कर दिया है और क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोग उनको बचा क्यों रहे हो ? (व्यवधान) उनको बचा क्यों रहे हो और उनको बचाने के पीछे क्या कारण है ? (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग उनको लेकर क्यों आये थे ? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार आप लोगों के पाप को धो रही है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समय खराब मत करिये । चलिये, बैठिये। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- आप लोग ठीक तरीके से प्रश्न पूछिए न, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. डहरिया जी, श्री अरूण वोरा जी प्लीज बैठ जायें । डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी को प्रश्न पूछने दीजिये ।

किसानों द्वारा की गई आत्महत्या ।

[गृह]

17. (*क्र. 786) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी,2019 से दिनांक 12.02.2022 तक प्रदेश में कितने किसानों द्वारा आत्महत्या करने पर शासन द्वारा मुआवजा / सहायता राशि दी गयी ? मुआवजा / सहायता राशि देने का क्या नियम है? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार इनमें कितने अनुसूचित जाति /अनुसुचित जन जाति एवं अल्प पिछड़ा वर्गकेथे?कृपयावर्गवारजानकारीदेवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- (क)प्रावधान नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में किसान आत्महत्या के प्रकाश में आए मामलों की जानकारी संलग्न प्रपत्र[10] अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में प्रश्न किया । आप गृहमंत्री हैं । मैंने कृषि विभाग में आत्महत्या के लिये मुआवजा की बात की है, शायद कृषि विभाग का कुछ अलग है उसकी भी जानकारी हो गयी । आपने अपने गृह विभाग में तो यह कह दिया कि प्रावधान नहीं है, यदि दूसरे विभाग से कोई प्रावधान होगा तो वह जानकारी भी बता दीजियेगा । यदि प्रावधान नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये चूंकि आप किसानों के हितैषी के रूप में उनके बारे में सोचते हैं लेकिन आपने यह स्वीकार भी किया है कि किसानों की आत्महत्या हो रही है तो मैंने पूछा था कि क्या किसानों को मुआवजा एवं उनको सहायता देने का प्रावधान भी आपने रखा है तो आपका प्रावधान नहीं है । अब प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रावधान नहीं है तो यूपी के किसान को आपने किन शर्तों पर, किस योजना के अंतर्गत कैसे प्रावधानित करके 50 लाख रूपये दिये ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न नहीं बनता है, आप अपने प्रश्न के बारे में बात कीजिये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आप यह बता दीजिये कि आपने उनको सहायता देने का कैसे 50 लाख रूपये का प्रावधान बनाया ?

[10] परिशिष्ट "तेरह"

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने प्रश्न तक सीमित रहिए, वह प्रश्न नहीं बनता ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से उद्भुत नहीं होता । यहां के किसानों के विषय में उन्होंने पूछा कि कितनी मौत हुई, कितना हुआ। मैंने उसका उत्तर दिया है, यह इस प्रश्न से उद्भुत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल नहीं होता । श्रीमती इंदू बंजारे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उद्भुत नहीं होता यह तो ठीक है लेकिन अभी बांधी जी ने तो एक ही प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे तो प्रश्न ही नहीं पकड़ पा रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उद्भुत नहीं हो रहा है तो बाकी तो प्रश्न उद्भुत हो रहे हैं न ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया कि यह प्रश्न उद्भुत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- वे प्रश्न की तैयारी करके नहीं आये हैं, मैं क्या करूं ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न का उत्तर आ गया कि यूपी के किसान को दे सकते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान को नहीं दे सकते । आपने कहा कि प्रश्न उद्भुत नहीं होता मतलब हम किसानों की आत्मत्या पर उनके साथ नहीं खड़े हैं । यह इससे उद्भुत हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया । आप स्वयं उत्तर दे रहे हैं और स्वयं प्रश्न कर रहे हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि मैंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का स्लेब मांगा है और आपने दिया है तो क्या आपने पिछड़े वर्ग में सभी सामान्य को एग्जाई कर दिया तो क्या आप पिछड़े वर्ग का स्लेब बताने का कष्ट कर सकते हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अलग-अलग तो बताया है। अनुसूचित जनजाति कृषिगत कारण से एक भी आत्महत्या नहीं हुई, अन्य कारणों से 187, योग 187 । अनुसूचित जाति में कृषि कारणों से एक भी आत्महत्या नहीं है, अन्य कारणों से 79 है । जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग है उसमें कृषिगत कारण से 2 और अन्य कारणों से 302 कुल योग 304 और सभी का योग 570 है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न है । क्या ऐसे किसानों की आत्महत्या करने पर हम छत्तीसगढ़ किसानों के लिये सहायता या मुआवजा देने के लिये कोई ऐसे नियम बना सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- विचार कर लीजियेगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बना है ।

अध्यक्ष महोदय :- कृषि मंत्री जी इस बारे में विचार कर लेंगे । श्रीमती इंदू बंजारे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 570 किसानों ने 01 जनवरी, 2019 से 12 जनवरी, 2022 तक आत्महत्या की है । यह गंभीर मामला है । हम लोगों ने अनेक बार प्रश्न के माध्यम से यह बात उठायी है कि जब सारे लोग खुशहाल हैं तो आखिर किसान आत्महत्या की ओर क्यों बढ़ रहे हैं ? यह मुख्य प्रश्न है और आगे कोई आत्महत्या न करे इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या सार्थक पहल हो सकती है और दूसरी बात प्रश्न उद्भुत नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे प्रदेश के किसान को मुआवजे की राशि दे सकते हैं तो क्या यहां के किसानों के लिए जो किसान आत्महत्या किये हैं, इनके लिए क्या कोई मुआवजा की राशि निर्धारित करेंगे ? यदि नियम नहीं है तो कोई नियम बनायेंगे क्या? क्योंकि यह किसानों की सरकार है और किसानों के प्रति सहृयता है। यदि 570 किसानों ने आत्महत्या की है तो किसानों की सरकार की सहृयता दिखाई नहीं दे रही है कि किसानों के प्रति कितना गंभीर है ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कि यदि नियम नहीं है तो क्या नियम बनायेंगे और आगे किसान आत्महत्या न करें, इसके लिए उसमें जो भी कारण आये हैं, उस कारण का परीक्षण कराना चाहिए कि आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और परीक्षण कराने के बाद उसमें कोई नया प्रयोजन डालेंगे क्या कि किसान आत्महत्या न करें ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका अच्छा सुझाव है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जी, जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तरप्रदेश का जो उल्लेख किया है, वह कोई मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन होता है कि वह चाहे यहां जिस प्रकार से उपयोग उसका करें। तो यह मुआवजा की श्रेणी में नहीं आता। नंबर एक। नंबर दो, यहां छत्तीसगढ़ की बात है तो यहां भी सहायता विवेकाधीन होता है। कहीं पर देते हैं, कहीं पर नहीं देते, पर मुआवजा का प्रावधान अभी तक नहीं है। नंबर तीन, किसानों की आत्महत्या रोकने के विषय में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा, आप देखेंगे लगातार इन 3 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, सिंचाई कर माफ और धान खरीदी 2500 रूपये में, दोनों मिलाकर करने के बाद किसानों की आत्महत्या में कमी आयी। अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण दे देता हूं। वर्ष 2016 में 585, वर्ष 2017 में 285, वर्ष 2018 में 182 तीन साल में कुल 1052 और अभी वर्ष 2019 में 233, वर्ष 2020 में 227, वर्ष 2021 में 170 कुल

570। अध्यक्ष जी, आधा हुआ है। तो हम लगातार रोक रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या न हो, उसके लिए पूरा विचार करके हम लोग सहृदयतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद। इंदू बंजारे।

अध्यक्ष महोदय :- केशव प्रसाद चंद्रा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय एक मिनट..।

अध्यक्ष महोदय :- होगे बबा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अभी मंत्री जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्री जी का विवेकाधीन कोटा होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी विवेकाधीन कोटा शुरू करेंगे क्या ? मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा-अच्छा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी का देने का विवेकाधीन है, पर विवेकाधीन का पता कब चला। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान को भी पता है। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, नेता जी के पूछने के बाद संतोष होना चाहिए न। ये अपने नेता की बात मानते नहीं है। ये संतोष नहीं होते, इसलिए बार-बार खड़े हो जाते हैं। पूरी बात जब नेता जी बोलते हैं, तो उनकी बात इन्हें माननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी जब यू.पी. के किसान को 50 लाख दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ के किसान को क्यों नहीं दे रहे हैं ? छत्तीसगढ़ के किसानों को भी 50-50 लाख देना देना चाहिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सब दे रहे हैं इसीलिए तो 1000 से 500 आया है। दे रहे हैं तभी तो 1000 से 500 आया है। आधा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। बढिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- 50 लाख देना चाहिए, जब यू.पी. के किसान को दे रहे हैं तो।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी के खड़े होने के बाद इन्हें खड़े नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय केशव प्रसाद चन्द्रा जी।

प्रश्न संख्या 18 :- **XX** **XX**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

19. (*क्र. 1350) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में दिनांक 10 फरवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने डी.पी.आर. स्वीकृत हुए हैं ? हितग्राहियों की संख्या बतायें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के उत्तर में कितने को भवन अनुज्ञा जारी की जा चुकी है और भुगतान की स्थिति क्या है ? **(ग)** वर्तमान में कितने हितग्राहियों की भवन अनुज्ञा जारी करना शेष है, उनको कब तक जारी कर दी जावेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में दिनांक 10 फरवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 01 डी.पी.आर. स्वीकृत हुआ हैं, जिसमें हितग्राहियों की संख्या 443 है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' के उत्तर में 308 को भवन अनुज्ञा जारी की जा चुकी है, और किसी प्रकार का भुगतान नहीं की गई है। **(ग)** वर्तमान में 135 हितग्राहियों की भवन अनुज्ञा जारी करना शेष है। हितग्राहियो के पात्रता एवं भूमि स्वामित्व के दस्तावेजो का परीक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत पात्र हितग्राहियो को भवन अनुज्ञा जारी कर दी जावेगी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत जैजेपुर में भवन अनुज्ञा 135 हितग्राहियों को जारी नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पात्रता एवं भूमि स्वामित्व के दस्तावेज के परीक्षण के बाद इन्हें जारी कर देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या डी.पी.आर. बनाते समय पात्रता और भूमि स्वामित्व के कागजात नहीं देखे जाते क्या ? और अगर देखा जाता है तो अभी तक आपने 135 लोगों को अनुज्ञा से क्यों वंचित रखा है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.एल.सी. योजना के तहत जो स्वीकृति होती है, उसमें हितग्राही से affidavit लिया जाता है और हितग्राही के affidavit के आधार पर बाकी चीजों की जांच करके स्वीकृति दी जाती है। डी.पी.आर. तैयार करके हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहां से स्वीकृति होती है, फिर केन्द्र सरकार को जाता है। केन्द्र सरकार की स्वीकृति आने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है और यह जो हम अनुज्ञप्ति जो देते हैं वह नि:शुल्क देते हैं। जहां तक सदस्य बता रहे हैं कि 135 सदस्यों को अनुज्ञप्ति जारी नहीं हुई है तो उसको मैं दिखवा लूंगा कि क्यों रूका हुआ है ? और उसका जल्दी निराकरण करवा देंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछने का केवल इतना ही आशय है कि जान-बूझकर सी.एम.ओ. के द्वारा यह नहीं दिया जा रहा है। डी.पी.आर. बनाते हैं, उस समय पूरी चीजों का परीक्षण किया जाता है। आपका डी.पी.आर. बन गया। आपने 443 लोगों की स्वीकृति भी दे दी, उसमें

से 308 को आपने भवन अनुज्ञा भी जारी कर दी। केवल दुर्भावनावश 135 लोगों की भवन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये ग़रीब आदमी हैं, पात्र हैं, इनको भवन अनुज्ञा जारी करने का निर्देश देंगे की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका निवेदन स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि 135 को दिखवा लेंगे तो बात समाप्त हो गई ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- धन्यवाद् ।

बस्तर जिले में गांजा तस्करी के पंजीबद्ध प्रकरण

[गृह]

20. (*क्र. 1313) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर जिले में वर्ष 2019 से 20/02/2022 तक गांजा तस्करी व शराब तस्करी के कितना प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं ? जानकारी वर्षवार बतावें ? **(ख)** कृपया बतावें कि इस प्रकार की तस्करी पर शिकंजा कसने गृह विभाग क्या-क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' [11] अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब " अनुसार है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बस्तर जिले में गांजा तस्करी से संबंधित था, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है लेकिन चिंता यह है कि हर साल प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं । 37, 46, 52 इस प्रकार से प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि बस्तर जिला एक मैदानी क्षेत्र हैं और कई जगह आंध्रा, ओडिशा, तेलंगाना से सड़क माध्यम से जुड़ा है । कई सड़कों पर चेकपोस्ट नहीं है । जिसके कारण से यह स्थिति है । इसमें कोई शक नहीं कि बस्तर जिले या छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे गांजा तस्कर हों या शराब तस्कर हों, कई प्रकरण दर्ज किये गये हैं । मैं आंकड़ा देना चाहूंगा कोलावल, फेटियावन, बदलावंड, नलपावंड, तारापुर, उड़ियापाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क है इनमें अस्थायी या स्थायी चेकपोस्ट बनाएंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नगरनार थाना के अंतर्गत तारापुर में एक चेकपोस्ट बनाने जा रहे हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- बदलावंड भी काफी आवाजाही वाला रास्ता है, वहां भी एक चेकपोस्ट घोषित करते तो अच्छा रहता ।

[11] परिशिष्ट "चौदह"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी जगह का नाम लिखकर दे दें, मैं अपने अधिकारियों से कह दूंगा जाकर जांच कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करवा लीजिएगा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- थैंक यू ।

बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर को कोविडसेंटर बनाया जाना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

21. (*क्र. 1300) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि कोरोना महामारी के दौरान रायपुर नगर निगम पालिका के द्वारा बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कोविड सेंटर बनाया गया था ? यदि हॉ तो किस अवधि से किस अवधि तक बनाया गया था तथा इसमें कुल कितनी राशि, किन-किन फर्मो को किसके फण्ड से दी गयी? **(ख)** क्या यह सही है कि सीसीटीवी कैमरा, साउंड सिस्टम, इंटरकॉम, वायर, बडे बिजली बल्ब, सीएफएल बल्ब, ए.सी. व कूलर किराये पर लिये गये थे ? यदि हॉ तो इसके लिए कुल कितनी राशि, किस-किस फर्म को, किस दर पर, भुगतान की गई है व कितनी राशि भुगतान की जानी शेष है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क)बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम को नगर निगम द्वारा नहीं अपितु रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा दिनांक 25.07.2020 से 29.10.2020 एवं 12.04.2021 से 31.05.2021 की समयावधि में अस्थाई कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राशि रूपये 23664045.00 एवं नगर निगम रायपुर द्वारा राशि रूपये 1881179.00 व्यय किया गया है। विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"**[12] अनुसार है।**(ख)**जी हां। कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु अस्थाई कोविड केयर सेंटर कोविड-19 महामारी के आपातकालीन स्थिति एवं लॉक डाउन अवधि में सीसीटीवी कैमरा, साउण्ड सिस्टम, इंटरकॉम, विद्युत व्यवस्था हेतु केबल, आंतरिक एवं बाहय प्रकाश व्यवस्था हेतु मेटल हेडलाइट, बल्ब एवं ए.सी व कुलर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वार्षिक दर अनुबंध निविदा क्र. 208/स्मार्ट सिटी/2019 दिनांक 26.11.2019 एवं निविदा क्र. 372/RSCL/2021 रायपुर दिनांक 26.03.2021 में स्वीकृत न्यूनतम दर अनुसार किराये पर लिये गये थे। भुगतान संबंधित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"**अनुसार है। इंटरकॉम का राशि रूपये 2010600.00 का भुगतान किया जाना शेष है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में कोविडकाल में..।

अध्यक्ष महोदय :- आप सामने देखकर बात कीजिए, घड़ी देखते हुए पूछिये।

---

[12] परिशिष्ट "पन्द्रह"

श्री धरमलाल कौशिक :- कोविडकाल में वहां अस्थायी कोविड सेंटर खोला गया था । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम इस विभाग के द्वारा किया गया है । मैं 2-3 बातें बता देता हूं, माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे । क्या इंटरकॉम के लिए निविदा बुलाई गई थी और यदि निविदा बुलाई गई थी तो क्या 20 लाख रूपए उसका भुगतान करना शेष है ? आपने साउंड सिस्टम लगाया था उसके लिए 15 लाख, 15 हजार का भुगतान किया । सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के लिए आपने 17 लाख का भुगतान किया और इसी प्रकार से ए.सी. और अन्य व्यवस्थाओं का भुगतान किया गया है । समय कम है, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि आप नया इंटरकॉम और साऊंड सिस्टम खरीदकर लगाते तो उसका क्या रेट होता ? आपने जो किराया भुगतान किया है और बाजार में नये सिस्टम का क्या रेट है, यह ज़रा बता दीजिए ? क्या इस अनियमितता की जांच कराएंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, उस समय कोविड संक्रमण का काल था, लॉकडाऊन चल रहा था । कलेक्टर द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि इसको जल्दी से जल्दी कोविड सेंटर बनाकर काम प्रारंभ किया जाए । किराये की दर टेंडर से निकाले गये थे और सम्पूर्ण रायपुर में लॉकडाऊन था, प्रतिदिन 4 हजार से ज्यादा केस आ रहे थे और 80 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी । इसलिए यह पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर एवं होटल मैनेजमेंट नया रायपुर में भी इसी टेंडर रेट एवं एजेंसी द्वारा टेम्परेरी कोविड सेंटर के लिए तय किया गया था, उस आधार पर उनको दिया गया था । इसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है, जिस तरह की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कर रहे हैं । आवश्यकता थी, इसलिए किराये पर लिए गए थे, तत्काल कैसे खरीद सकते थे, तत्काल इंटरकॉम और साऊंड सिस्टम खरीदकर लगाने में ही एक सप्ताह लगता है, इसलिए किराये पर लगवाया गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, 144 दिन के लिए 1 ए.सी. का किराया 2 लाख, 19 हजार का भुगतान हुआ है । अब आप बताइए, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ? 1 ए.सी. का भुगतान 144 दिन के लिए 2 लाख, 19 हजार 480 रूपए । मंत्री जी, इसमें सारी चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है, अभी समय कम है इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इसकी जांच करवाइए । यह जनता का पैसा है, कोविडकाल का मतलब यह नहीं है कि आप उसको लुटा दो, उसमें भ्रष्टाचार करो और जिस प्रकार से करप्शन हुआ है, स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि 1 ए.सी.का किराया ही आपने 2 लाख, 19 हजार से ज्यादा किया है । इन सारे मामलों की जांच कराएंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं दिखवा लूंगा अध्यक्ष महोदय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह दिखवा लूंगा, यह क्या शब्द होता है ?

अध्यक्ष महोदय :- दिखवा लेंगे, मतलब जांच करा लेंगे । प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सत्र में आज पहली बार 21 प्रश्नों पर चर्चा हुई, उसके आपको बहुत बहुत बधाई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् । इन्होंने सहयोग नहीं दिया, नहीं तो मैं 25 प्रश्नों तक पहुंचा देता ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- साथ में अजय जी को भी बधाई कि आज अजय जी एक घंटे में एक बार भी खड़े नहीं हुए, इनको भी बधाई ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर (उत्तर)) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में आज पहली बार 21 क्योंश्चन आए हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री कुलदीप जुनेजा :- साथ में अजय जी को भी बधाई। आप पहली बार अजय जी एक बार भी खड़े नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने सहयोग नहीं दिया, नहीं तो मैं 25 क्योंश्चन तक पहुंचा देता।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अजय जी एक घंटे में एक भी बार खड़े खड़े नहीं हुए। इनको भी बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- मैं छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ. प्रेमसाय जी टेकाम।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- मैं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल की सूचना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है। 19 मार्च को महासमुंद में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक ए.एस.आई. की ड्यूटी के दौरान हत्या हो गई और हत्या करने वाले शराब पीने वाले अपराधी थे, जो सार्वजनिक स्थान में बैठ कर शराब पी रहे थे।

समय :
12.01 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

18 मार्च की रात को राज्य सभा सांसद रामविचार नेताम जी के अंबिकापुर निवास में चोरी की घटना घटित हुई और वह शासकीय निवास है, जहां पूरे क्षेत्र, पूरे संभाग के अधिकारीगण भी निवास करते हैं। वहीं कोरबा में डीपेश शांडिल्य पर और जांजगीर-चांपा में राजू देवांगन के ऊपर चाकूबाजी की घटनाएं हुईं। रायपुर सिविल लाईन में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुईं। रायपुर सिविल लाईन क्षेत्र में तीन वर्षीय मासूम का अपहरण कर लिया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खत्म हुई है। वहीं छेरीखेड़ी में 147 परिवारों को उजाड़ने का प्रयास किया गया। जनघोषणा-पत्र में तो बड़ी जोरदार घोषणा थी कि जो भूमिहीन हैं, पांच सदस्यीय परिवार के लिए हम आवास की व्यवस्था करेंगे, बाड़ी की व्यवस्था करेंगे, पर होली के एक दिन पहले उनको उजाड़ने का प्रयास किया गया। जो लोग इनका विरोध करने गये थे, उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बाबी कश्यप के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और इनके खिलाफ गैर-जमानती अपराधों में मामला कायम करके आठ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक तरफ पूरे प्रदश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है। अपराधियों का हौसला बढ़ा है। दूसरी तरफ यह सरकार लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर हमने स्थगन दिया है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे स्थगन को स्वीकार कर इस पर चर्चा करायें।

श्री नारायण चंदेल (जाँजगीर-चाँपा) :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और नित नये किस्म के अपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। माननीय सभापति जी, ठीक होली के दिन रात को सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर के सिविल लाईन में बगल में एस.डी.एम. का घर है, सामने सर्किट हाऊस है, सामने एस.पी. का बंगला है और उसी के सामने में राज्य सभा सांसद रामविचार नेता जी के घर में चोर धावा बोलते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। किसी को कानों-कान जानकारी नहीं होती। अभी भी जो अपराधी हैं, वह पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। रायपुर के छेरीखेड़ी की घटना में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर में, कार्यकर्ताओं के ऊपर में Non bailable धाराएं लगाई गईं। लगातार जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही हैं। हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। हमारा आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, यह संयोग की बात है कि शून्काल में आज माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और आपके लिए भी कृतज्ञता इसलिए है कि इसी सत्र में इस सदन में एक बार कानून व्यवस्था में चर्चा की हैं। लेकिन जो लोग कानून व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार हैं, शायद उनकी जो भी व्यवस्था हों, छत्तीसगढ़ में कहीं दिखती नहीं है और मैं तो थक-हारकर कानून व्यवस्था के मामले में यह बोलने वाला हूं कि पुलिस को खुद सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया जाए और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। (शेम-शेम की आवाज) हम खुद अपनी रक्षा के लिए तैयार हो। कल्याणकारी राज्य में जनता की सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसमें यह सरकार असफल रही है। एक बात। अब रामविचार नेताम, प्रदेश के, देश के, सबके के, समाज के, इस सदन के 5-6 बार सदस्य रहे, वह असुरक्षित हैं। पुरखों के एंटिक गहने भी, जो आजकल बनते नहीं हैं कोई उसका मूल्य नहीं निकाल न सकता है वह तो 3 लाख, डेढ़ लाख, चार लाख, पांच लाख रूपये पेपर ने छाप दिया। पर वह पुरखों के समकालीन एंटीक गहने भी वहां से चोरी हो गये।, साहब, विकास शर्मा को हम लोग जानते हैं। अपने स्वाभाविक रूप में टहल रहा है और आदमी पुलिस वाले को मार दे और पुलिस वाले देखते रहे। मतलब, महासमुंद में कैसी घटना घट रही है? कलेक्टोरेट के अंदर एक शासकीय कर्मचारी को मार दिया गया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे लोगों ने अबकारी विभाग के अधिकारी को खून से लथ-पथ देखा। वहां कलेक्टर उपस्थित था। सरेआम चाकू मार दिया गया। मैं एस्ट्रोसिटी एक्ट, बॉबी कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी, ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, जगदलपुर में 3-4 लोग फरार हैं। माने, यदि आपको परेशान करने का यदि कोई तरीका मिले और उस तरह के अपराध या आंदोलन, उस तरह के नहीं हुए हैं तो आप जिस समय वह घटना घटी, वह आदमी नहीं था लेकिन उसके ऊपर लगा कि एस्ट्रोसिटी एक्ट लगा दो, उसको 2-4 दिन के लिए भेज दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक ही बात आपसे आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आप सफल हैं या असफल हैं, उसका निर्णय जनता देगी लेकिन कानून-व्यवस्था के मामले में आप असफल हैं। बाकी मैं लिखता हूं कि पुलिस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए कि पुलिस अपने मूल कामों से दूर हो गई है और वह हर काम कर रही है जो पुलिस को नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो धमक होती है न राजनीतिक धमक, वह प्रदेश में समाप्त होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- देखिये चन्द्राकर जी, भाषण नहीं, संक्षेप में कहिये। ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए आपसे आग्रह है कि आप यदि इससे महत्वपूर्ण विषय, स्वीकार करेंगे तो हम आपको उससे अवगत कराएंगे कि किस तरह से लेन-देन हो रहे हैं। किस तरह से नशेड़ियों को संरक्षण मिल रहा है। किस तरह से पैसे लेकर अधिकारी पदस्थ किये जा रहे हैं, आप स्वीकार करते हैं तो हम ये सारी चीजें प्रमाणित करते हैं।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई। धर्मजीत सिंह जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर कोई अपनी समस्या उठाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि मुझे कल पता चला कि पंजाब से आप पार्टी के सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ के लोरमी विधानसभा के ग्राम बठा के शिवकुमार पाठक के बेटे विकास संदीप पाठक को उम्मीदवार बनाया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बधाई हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बठा के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़कर बिलासपुर के स्कूल में पढ़े। वह हैदराबाद में पढ़े फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर वह आई.आई.टी. में हिंदी में वहां प्रोफेसर थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह बधाई के पात्र हैं आपके गांव के हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने ने ही यह पूरी रणनीति बनाई थी। इसका उनको इनाम मिल रहा है, ऐसा बताया गया है। यह अच्छी बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ के एक लड़के को कम से कम पंजाब में जाकर सांसद बनने का अवसर मिल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बधाई के लिए अवगत नहीं करवा रहे हैं। यह आपके लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने के लिए छत्तीसगढ़ में बला बुला रहे हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, वह पढ़ा-लिखा आदमी है। देखिये बला-वला कोई नहीं होता है हम उसकी योग्यता की तारीफ कर रहे हैं। वह बठा गांव, जहां पर मुश्किल से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है।

सभापति महोदय :- चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी सर।

सभापति महोदय :- चलिये, अब हो गया।

कृषिमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं इसका मतलब है आपका इशारा दिख रहा है। यह क्या है? सदन यह जानना चाहता है

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। मेरा कोई इशारा नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि लोरमी के उस गांव का लड़का है जो एक छोटा-सा गांव है और वह हमारी छत्तीसगढ़ की माटी का बेटा है। उसने वहां पर अपने हुनर से किया है और हमारा उससे क्या लेना-देना है? मैं तो उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि वह छत्तीसगढ़ का बेटा है।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय बांधी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह बला को बुला रहे हैं। वह तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, शासन ग्रामीण और शहरी आवास के लिए उनको भूमि का अधिकार देने की बात करके उनको संरक्षित करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दोहरी नीति को अपना करके ऐसे घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। अब यह दोहरी नीति है, किस तरीके से भावनात्मक नीति है? एक तरफ और वह भी किसमें कि अपने घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है उसमें आवास का अधिकार देकर उसको संरक्षित करने का काम करने की तरफ कर रहे हैं और 147 परिवार को उजाड़ने का भी काम कर रहे हैं   और 147 परिवारों को उजाड़ने का भी काम कर रहे हैं । यह कैसी दोहरी नीति है इसलिए हमने इस संबंध में स्थगन दिया है, उसको स्वीकार करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी तो सरकार बना रही है, परन्तु उस नई राजधानी में रहने वाले गरीबों के साथ में, जो पुश्तैनी तरीके से छेड़ी-खेड़ी के गांव का हिस्सा है, उस हिस्से को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय त्यौहार, हिन्दुओं का त्यौहार होली के दिन 17 तारीख को 147 लोगों को नोटिस दी गई । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बैठे हैं । क्या होली के दिन किसी को उसके घर उजाड़ने की नोटिस दी जाती है ? नोटिस से वे कितने भयभीत होगें, वे त्यौहार मनाने से वंचित हो गए, उनके मन में डर और भय पैदा हो गया । डर और भय पैदा होने के कारण वे छेड़ी-खेड़ी से 20 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे । रायपुर पहुंचकर वे मुख्यमंत्री जी को और कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, परन्तु उनका ज्ञापन लेने कोई नहीं आया, पर उनको लाठियां मिली, उनको डंडे मिले, उनको लात-घूंसे मिले और यह सरकार अपने घोषणा-पत्र में कहती है कि हम सबको घर देंगे, उनको दो कमरे का मकान देंगे, उनको पानी देंगे ।

सभापति महोदय :- आपने जो सूचना दी है, उसके बारे में संक्षिप्त में बता दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यह इतना बड़ी घटना है कि 147 परिवारों को त्यौहार मनाने से रोका जाये । मेरे पास नोटिस की कॉपी है।

सभापति महोदय :- आपने स्थगन दिया है न ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने स्थगन दिया है और हमारे दल के सभी सदस्यों ने स्थगन दिया है । इसमें उन लोगों से 17 तारीख की पावती ली है । इसमें अधिकांश परिवार ऐसे परिवार है..

सभापति महोदय :- जब विषय आएगा, तब बात करिएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, सरकार को यही पर घोषणा करनी चाहिए कि उनको उजाड़ा नहीं जाएगा । आज नई राजधानी में हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आपकी बात आ गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज नई राजधानी में हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आपकी बात आ गई, भाषण की अनुमति नहीं है । आपने आसंदी का ध्यानाकर्षित कर दिया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, जब वहां पर लाठी चार्ज हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको लाठी चार्ज से बचाने के लिए वहां पर गए तो 12 लोगों को अरेस्ट करके उनके ऊपर में नॉन बेलेबल धाराएं लगायी गई हैं।

सभापति महोदय :- आपने स्थगन में सारी बातें बता दी हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही हम लोगों ने स्थगन दिया है । एक नौजवान सब इंस्पेक्टर की महासमुंद में हत्या हो गई । पुलिस की कुछ धमक बची है, पुलिस का कुछ रूतबा बचा है ?

सभापति महोदय :- आपने कोई विषय-वस्तु लगाया होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने स्थगन लगाया है ।

सभापति महोदय :- हां, तो आपकी बात आ गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, सांसद महोदय के घर में चोरी हो गई। अगर छत्तीसगढ़ में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, बेघरों को घर नहीं दिया जा रहा है और इसके ऊपर में आप चर्चा करवाएं, इस बात का आपसे आग्रह है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, छेड़ी-खेड़ी में लगभग 147 परिवारों को नोटिस दी गई, उजाड़ने का प्रयास किया गया । यहां तक कि बिजली, पानी, गली, रोड़, सब बना दिया गया है । इसके बावजूद सरकार उनको उजाड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गैर जमानतीय धारा लगायी गई है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, इस गंभीर विषय पर, कानून व्यवस्था पर हम सब लोगों ने स्थगन दिया है और दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर विषय पर जब राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । जो विषय है, इतने गंभीर घटनाओं पर जो विषय उठा रहे हैं और उसमें हर राजनीतिक दल के लोग विपक्ष में रहकर समर्थन करते हैं तो उस विषय से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़कर गंभीर धारायें, नान बेलेबल धारायें लगाई जा रही हैं।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई, विषय एक ही है, वही है। केवल रिपीटेशन हो रहा है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- हमने इसमें स्थगन दिया है। आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकार कर चर्चा करायें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, आज हमने जिस विषय पर स्थगन दिया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि कानून-व्यवस्था पूरी

तरह चरमरा गई है। आज अपराधी बे-लगाम, बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का डर-भय खत्म हो गया है, आज यह स्थिति है।

सभापति महोदय :- चलिये, सब बातें आ गई हैं, सभी की बातें आ गई हैं। माननीय कौशिक जी,

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, सभी बातें आ गई तो स्थगन स्वीकार कर लीजिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, 17 मार्च को नोटिस दी जाती है और 18 तारीख को होली होती है। श्री शीतराम धृतलहरे, देवी सिंह बंजारे, विमला बंजारे, श्याम चेलक, बसंत कोसरिया इन सबको नोटिस दिया गया है। ये सब वर्षों से बसे हुए हैं, कोई नये आकर नहीं बसे हैं, स्थापित लोग है। स्थापित लोगों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। इनको बचाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री जी से मिलने गये, तो लाठी चार्ज किया गया। ना केवल लाठी चार्ज किया गया बल्कि उनके ऊपर धारायें लगाई गई और उनको जेल में बंद किया गया है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संरक्षण देने वाली सरकार है। होली के दिन किसी को उजाड़ने का काम किया है।

सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद कानून का जिनको संरक्षक माना जाता है, रक्षक माना जाता है, यदि पुलिस के ए.एस.आई. के ऊपर प्रहार हो और ऐसा प्रहार जिसमें उसकी पीट-पीटकर हत्या हो जाती है तो प्रदेश में आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है। सिविल लाईन एरिया में सांसद निवास, श्री रामविचार नेताम जी के निवास में रात को चोरी हो जाती है। यहां पर अनेक घटनाओं का जिक्र आया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। अराजकता की स्थिति निर्मित है। जिस प्रकार से यहां नशे का कारोबार चल रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, हमने इन सारे विषयों को लेकर, कानून व्यवस्था की स्थति को लेकर स्थगन और ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, यदि आप इसे स्वीकार करेंगे, चर्चा करायेंग तो हम सारे तथ्यों के साथ विषय को रखेंगे। मैं समझता हूं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्थगन है। आप इसको स्वीकार करें, चर्चा करायें ताकि हम सारे तथ्यों के साथ विषय को रख सकें।

सभापति महोदय :- अब नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है।

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय :- आपकी सारी बातें आ गई हैं। सभी लोगों की बातें आ गई हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप इसे स्वीकार कर चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- श्री ननकीराम जी कंवर , आप ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस वालों की हत्या होती है। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं।

सभापति महोदय :- ननकीराम जी कंवर, ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आप इस स्थगन को स्वीकार कर चर्चा करायें। एक तरफ लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

श्री ननकीराम कंवर :- कानून व्यवस्था का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था ही नहीं है तो आखिर चर्चा करने का औचित्य क्या है ?

सभापति महोदय :- आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना को माननीय अध्यक्ष जी ने अग्राह्य कर दिया है। चलिये माननीय ननकीराम जी कंवर।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं। उनके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। उनको तो स्व-मोटो बयान देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, स्थगन पर चर्चा करवाईये।

सभापति महोदय :- माननीय गुलाब कमरो।

श्री नारायण चंदेल :- गृहमंत्री मौन हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- गृहमंत्री जी मौन बैठे हुए हैं। उनके अधिकारी मारे जा रहे हैं, ए.एस.आई. मारे जा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

सभापति महोदय :- माननीय ननकीराम जी कंवर, आप अपनी सूचना पढ़ें।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, पहले इन्हें तो बंद कराईये।

सभापति महोदय :- आप अपनी सूचना पढ़िये।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति जी, इनको बंद कराईये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.20 से 12.28 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.28 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश का पालन उरगा थाना, जिला-कोरबा द्वारा नहीं की जाना

सभापति महोदय :- माननीय ननकीराम जी कंवर ।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है-

प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्र.क्र. 333/2014 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2020 का पालन उरगा थाना जिला कोरबा द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है । जो माननीय न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन है । आरोपी के विरूद्ध उरगा थाना में अनेकों शिकायत पर प्रथम सूचना दर्ज है । ग्राम भलपहरी के दो प्रकरण और ग्राम कुदूरमाल, देवरमाल, दादरखुर्द के कई किसानों द्वारा जमीन हड़पने संबंधी शिकायत कर प्रथम सूचना दर्ज कराया गया है । पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । कोरबा शहर रिसदी में शासकीय जमीन पर घरसा बनाकर सड़क तक आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है और राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । आरोपी द्वारा उक्त बेजा कब्जा को बेचने की कोशिश की जा रही है । कोरबा में हो रही जमीन अफरा तफरी में पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से कोरबा जिले के आम जनमानस में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 333/2014 में दिनांक 03.01.2020 को आदेश पारित नहीं किया गया है, अपितु सी.आई.एस. **(केश इंफर्मेशन सिस्टम)** क्रमांक 3033/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा 03.01.2020 को पारित निर्णय के बिन्दु 32 में **"संबंधित थाना को को अभियुक्त देवेन्द्र पाण्डेय के संबंध में अतिरिक्त विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।"** इस संबंध में सी.आई.एस. क्रमांक 3033/2014 में दिनांक 13.12.2019 को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में **"संबंधित थाना को निर्देशित किया है कि देवेन्द्र पाण्डेय के संबंध में अतिरिक्त विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें।"** न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा द्वारा थाना प्रभारी उरगा जिला कोरबा को आदेशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के C.r.M.P. **(क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन)** No. 67 of 2021 में पारित आदेश के पालन में दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1486/2014 के संबंध में कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावे। थाना प्रभारी उरगा द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिपालन में कार्यवाही स्थगित रखी गई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है।

देवेन्द्र पाण्डेय एवं उनके संबंधियों के विरूद्ध थाना उरगा जिला कोरबा में कुल 03 अपराध पंजीबद्ध है/ जिनका विवरण इस प्रकार है।

थाना उरगा में ग्राम भलपहरी के प्रार्थी उर्मिला बाई महंत की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 610/2021 धारा 420 भारतीय दण्ड विधान कायम पर विवेचना में लिया गया है। केस डायरी दिनांक 14.12.2021 से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जमा है। ग्राम देवरमल के निवासियों की शिकायत की जांच नायब तहसीलदार एन.जे. गेंदले द्वारा की गई। नायब तहसीलदार श्री गेंदले की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 785/2012, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, प्रकरण में सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्राम दादरखुर्द के प्रार्थी प्रभाती लाल पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1129/2021 धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 16.12.2021 को आरोपियों को अंतरिम जमानत दिये जाने का निर्णय पारित किया है।

राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा शहर के रिसदी क्षेत्र की शासकीय जमीन पर सृष्टि मेडिकल को आबंटित भूमि खसरा नम्बर 296/04, 296/05 एवं शासकीय भूमि खसरा नम्बर 296/1क का आंशिक भाग में कच्चे पहुंच मार्ग के संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार कोरबा के प्रतिवेदन अनुसार विधिवत प्रकरण दर्ज पर सुनवाई की जा रही है। यह विषय शासकीय भूमि अतिक्रमण से संबंधित है अत: अवैध अतिक्रमण पर बेदखली हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है। किसी प्रकार की भूमि की अफरा-तफरी नहीं की गई है।

पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा सभी प्रकरणों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। जिससे आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति जी, ग्राम देवरमाल में शिकायत किसके द्वारा की गई है? जहां तक मुझको मालूम है कि पुरूषोत्तम पटेल के द्वारा शिकायत की गई है। आप मुझे यह बता दीजिए कि एफ.आई.आर. किसके नाम पर दर्ज हुई है और चालान किसके नाम पर प्रस्तुत किया गया है? आप जो 13 बोल रहे हैं न, उसमें कौन-कौन है? क्या यह बात सही है कि आरोपी को गवाह बना दिया गया है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने ध्यानाकर्षण में जो प्रश्न किया था, सभी का अलग-अलग मैंने उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे हैं, अगर उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति जी, मैंने स्पष्ट रूप से ग्राम देवरमाल के किसान के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संबंध में कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है, देवेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध में लिखा है और उसके लड़के को आरोपी बनाया है और आपको ताज्जुब होगा। आप गलत जवाब मत दीजिये नहीं तो आपके ऊपर बात आयेगी। उसके बाद में उस लड़के को गवाह बना दिया गया, वह पहले चौथे नंबर पर आरोपी था उसके बाद उसको चौदह नंबर में गवाह बना दिया गया, क्या यह बात सही है ? आपने किस आधार पर उसको गवाह बनाया है यह बता दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, थाना उरगा, जिला-कोरबा, अपराध क्रमांक 785/2012 द्वारा 420, 467, 468, 671, 120बी34। इसमें प्रार्थी एन.जे. गेनले, नायब तहसीलदार, कार्यालय तहसील कोरबा, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, प्रकरण के आरोपी शिवम पाण्डेय एवं अन्य 10 आरोपियों कि गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण की आज की स्थिति है, प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करना शेष है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपीगणों द्वारा भूमि को धोखाधड़ी कर, आरोपियों का नाम भी है, विजय कुमार पटेल, शांति बाई, धनेश्वर दास, रंग लाल, नामदेव, ओमप्रकाश सिंह, शंभुराम पटेल, बसंती पटेल, नंदराम यादव, उमेन्द्र राम कुर्रे, छबिलाल कौशिक, शिवम पाण्डेय।

सभापति महोदय :- चलिये हो गया।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आरोपी को गवाह कैसे बना दिया। चालान प्रस्तुत हो गया, आप तो गलत जानकारी दे रहे हैं, मेरे पास सब सर्टिफाईड कॉपी भी है। इसलिये मैं बता रहा हूं कि आरोपी को गवाह बना दिया तो किस आधार पर गवाह बनाया गया, मैं यह निवेदन कर पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कहा न कि गवाह तो नहीं बनाया गया, जो आरोपी है..।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बता रहा हूं कि अगर मेरी बात गलत होगी तो मुझे दण्डित किया जायेगा और माननीय मंत्री जी की बात गलत होगी तो उनको दण्डित किया जायेगा, मैं तो यही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, इस मामले को दिखवा लीजिये। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको दिखवा लीजिये। चलिये गुलाब कमरो जी।

श्री ननकीराम कंवर :- ठीक है। माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न।

जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, क्या उसके विरूद्ध और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ? जिला बदर की कार्रवाई होती है। मैं तो कहता हूं कि इस केस में आपको एक केस और है, ई.ओ.डब्ल्यू का। मतलब यह सरकार उस व्यक्ति के ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है ? ई.ओ.डब्ल्यू. में अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि सच में ऐसी सरकार चलती रहेगी तो अपराध में वृद्धि होता जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय सभापति महोदय, सरकार मेहरबान नहीं है, कोर्ट से स्टे है, इसलिये हम लोग शांत बैठे हैं, कोर्ट के आदेश के विपरित तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते।

समय :
12.38 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये।)**

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद। श्री गुलाब कमरो।

(2) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वनमंडल मरवाही द्वारा पुलिया एवं स्टॉपडेम निर्माण कार्य में अनियमितता किया जाना।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वनमंडल मरवाही द्वारा ग्राम पंचायत चुकतीपानी, ठाड़पथरा, पकरिया, कैंवची, पड़वनियां एवं तराईगांव में पुलिया एवं स्टॉपडेम निर्माण कार्य के कुल 33 कार्यों का बिना कार्य किये ही सामग्री का राशि आहरण कर वित्तीय अनियमितता किये जाने की शिकायत थी। उक्त शिकायत की जांच कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा किया गया था। जांच में प्रमाणित पाया गया है, कि मनरेगा क्रियान्वयन हेतु जारी नियमों का पालन न करते हुये इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिये कार्य प्रभारी अधिकारी, कार्य का निरीक्षण करने वाले अधिकारी, सत्यापनकर्ता अधिकारी एवं तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल मरवारही पूर्ण रूप से अनियमितता हेतु जिम्मेदार है, किन्तु इन जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध शासन प्रशासन द्वारा आज पर्यन्त तक कोई भी कार्रवाई नहीं किये जाने से कार्य में लगे मजदूर, कार्य स्वीकृत ग्राम पंचायतों के नागरिकों एवं क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपकी अनुमति से 16 मार्च तक अनुपस्थित रहा, आज उपस्थित हुआ हूं। इस बीच में व्यक्तिगत, पारिवारिक, स्वास्थ्य कारणों से मैं बाहर था और होली पर्व में भी उपस्थित नहीं था तो मैं सभी साथियों को, आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को, मंत्रिमण्डल के सभी साथियों को, सभी वरिष्ठ विधायकों को, संसदीय सचिवों को, होली पर्व की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं, सभी अधिकारी भी उपस्थित है, सभी को शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो और आज सदन को अपना पूरा समय दीजिये, आप जब तक यहां है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से ही उपस्थित हूँ और मैं पूरा समय रहूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन में बहुत लम्बे समय तक नहीं थे। यहां पूरा सदन चिंतित था कि राजा साहब, कहां हैं ? उसमें बाद में अध्यक्ष जी के द्वारा बातें आयीं तो हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि ईश्तहार जारी थोड़ी करना पड़ेगा कि आपको ढूंढकर लायें ? लेकिन बाद में जानकारी आ गई थी तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए सभी लोग चिंतित थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। माननीय मंत्री जी, पारिवारिक काम तो ठीक है आप दिल्ली गये, मुम्बई गये। हम लोग सोच रहे थे कि आप किसी मिशन पर हैं। आप गोपनीय मिशन, सार्वजनिक मिशन, किसी भी तरह का कोई मिशन होगा तो आप सदन को अवगत करायेंगे तो अच्छा लगेगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ही एक मिशन है तो स्वाभाविक है कि आदमी हर पल मिशन पर ही रहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वनमंडल मरवाही के प्रश्नाधीन ग्रामों में पुलिया एवं स्टॉपडेम निर्माण कार्य में बिना कार्य किए ही सामग्री की राशि आहरण किए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम जिला स्तरीय समीक्षा के दौरान जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा दिनांक 31.07.2021 को प्रतिवेदित किया गया। कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रतिवेदन के आधार पर कुल 27 कार्यों की जांच हेतु राज्य स्तर से दिनांक 04.08.2021 को वरिष्ठ अधिकारियों की चार सदस्यीय जांच-समिति का गठन किया गया।

शिकायतकर्ता श्री मनोज गुप्ता का दिनांक 31.07.2021 को लिखा गया शिकायती पत्र दिनांक 06.08.2021 को प्राप्त होने पर शिकायत में शामिल कार्यों को शामिल करते हुए कुल 33 कार्यों की जांच हेतु जांच समिति को कार्यालयीन पत्र दिनांक 17.08.2021 द्वारा निर्देशित किया गया। जांच-समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.09.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के नियमों/निर्देशों का उल्लंघन जैसे अभिलेख उपलब्ध नहीं होना, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश उपलब्ध ना होना, निर्माण कार्यों का अनुमोदित कार्ययोजना में शामिल नहीं होना आदि प्रतिवेदित किया गया। जांच प्रतिवेदन पर कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.10.2021 द्वारा अभिमत चाहा गया, प्रतिउत्तर में दिनांक 03.12.2021 को कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त अभिमत में श्री वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल मरवाही द्वारा नियमों/निर्देशों का उल्लंघन होना बताया गया।

इन कार्यों का कार्य एजेंसी वनमंडलाधिकारी, वनमंडल मरवाही है। जांच में संलिप्त अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन स्तर को प्राप्त हुआ है, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

चूंकि नियमानुसार जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही निरंतर प्रचलन में है अत: कार्य में लग मजदूर, कार्य स्वीकृत ग्राम पंचायतों के नागरिकों एवं क्षेत्र की जनता में राज्य सरकार के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना एक कानून है। जिस तरह से वह ट्रायबल क्षेत्र आता है वह आदिवासियों का क्षेत्र है। वहां एक छोटे से गांव में आदिवासी लोग रहते हैं, वहां रोजगार मूलक काम न चालू करके, मटेरियल मूलक कार्य हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 7 करोड़ रूपये का मामला है। इस 7 करोड़ रूपये में से 6 करोड़ रूपये मटेरियल के लिए मात्र 40 हजार रूपये मजदूरी में खर्च किया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है इसमें स्पष्ट रूप से आ गया है कि जो राज्य स्तरीय टीम गठित किये हैं, वह भी जांच रिपोर्ट में पुष्टि किये हैं। कलेक्टर से मांगे गए अभिमत में भी पुष्टि हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह कौन-कौन अधिकारी हैं ? वे कितनी संख्या में हैं ? इस जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि किसी भी कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के पहले, पूर्व में हर स्टीमेट में टी.एफ. करना अनिवार्य है। इसमें जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं इसमें तत्कालीक जिला पंचायत सी.ई.ओ. भी उतने ही दोषी हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें कितने अधिकारी-कर्मचारी दोषी हैं ? और कब कार्यवाही करेंगे ? मैं आपके माध्यम से, आज इसी पवित्र सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यह भ्रष्टाचार, अनियमितता का मामला है, यहां पर महात्मा गांधी नरेगा एक कानून है, इसमें आप निलंबन की कार्यवाही करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- यह तो बहुत लम्बा सवाल है। आप बहुत लम्बा सवाल कर रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे संवेदनशील प्रश्न और जानकारियों को सदन में उठाया। मेरे पास यह शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी के माध्यम से 31 जुलाई को प्राप्त हुई थी मैंने उसको कार्रवाई के लिए आगे जांच के लिए भेजा था। जांच हुई और जो तथ्य सामने आए। प्रथम दृष्टया इसमें गलती हुई है, गंभीर गलती हुई है। सामग्री की क्रय करने की राशि को बड़ी मात्रा में व्यय किया गया। मनरेगा के जो प्रावधान हैं, नियम हैं, उनका उल्लंघन करते हुए कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही बड़ी मात्रा की राशि का, सामग्री की राशि का आहरण, तत्कालीन वन मंडलाधिकारी जो अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके द्वारा राशि का आहरण कर लिया गया। इसमें यह भी पाया गया, यह जो काम मंजूर हुए, जहां मनरेगा के माध्यम से काम होते हैं, उनका मूल उद्देश्य व्यक्तिमूलक, रोजगार मूलक कार्य लेने का

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहता है। फिर भी 60-40 का जो प्रावधान है, उसका भी उल्लंघन करते हुए, 80 प्रतिशत से ज्यादा की प्रतिशतता की राशि सामग्री की थी। मेरे ख्याल से कलेक्टर ने 14 प्रतिशत लिखा था। 14 या 16 प्रतिशत लेबर या 84 या 86 प्रतिशत मटेरियल रहता है और मटेरियल का एकमुश्त भुगतान हुआ। जांच में यह बात आई है, मुझे सदन को अवगत कराने में कतई संकोच नहीं है। मैं पुन: माननीय सदस्य को बधाई दूंगा कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया और जो लोग फिल्ड में सजग थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सजग थे, उन्होंने शासन पक्ष के होते हुए भी जनहित काम में जांच में अनियमितता पाई या दौरे में पाई, उसको उन्होंने उठाया। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि कितने अधिकारी थे तो वन विभाग के 15 अधिकारी थे। इनमें तीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त वनमंडलाधिकारी, के.पी. ढिंढोरे, उप वनमंडलाधिकारी, श्री गोपाल प्रसाद जांगड़े, परिक्षेत्र अधिकारी थे, इनको विभाग की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और शेष जो 12 सदस्य हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि रिकार्ड में है। इनको सो-काज नोटिस दिया गया है। वन विभाग के अतिरिक्त इसमें प्रथम दृष्टया जो जिला पंचायत सी.ई.ओ. थे, उनकी गलती परिलक्षित हो रही है, यह प्रथम दृष्टया गलती परिलक्षित हो रही है। प्राक्कलन की प्रस्तुति में तकनीकी, प्राक्कलन की स्वीकृति के अभाव में और जिला पंचायत के माध्यम से कार्यों की स्वीकृत सूची में सम्मिलित न होने पर भी कैसे सी.ई.ओ. ने जिन्हें शासन की ओर से नियुक्ति देकर इतनी गंभीर जिम्मेदारी दी जाती है, उन्होंने शासन के पक्ष को भी शर्मिंदा किया और घोर अनियमितता की है। इनके विरूद्ध जो प्रथम दृष्टया गलती परिलक्षित हो रही है, इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई इनका पद देखते हुए, मंत्री स्तर पर नहीं हो सकेगा तो जी.ए.डी. को इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई के लिए मैं अपनी ओर से लिखूंगा और वन विभाग से भी जो चर्चा हुई है, अपनी ओर से सभी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए मैं चर्चा करूंगा और जो डीएफओ हैं, जो रिटायर हो गए हैं, आईएफएस के अधिकारी हैं, समन्वय में संबंधित यह मामला जाएगा। क्योंकि यह रिटायर हो गए हैं तो उतना विलंब न हो कि रिकवरी की बात न आ सके। मैं अपनी ओर से इसमें कार्रवाई करने के लिए यह बात सदन के सामने रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रेणु जोगी। आपका प्रश्न समाप्त हो गया है न कि और कुछ सोच रहे हैं। आप और सोच लीजिए तब तक मैं इन लोगों से बात करता हूं।

श्री गुलाब कमरो :- जी।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहती हूं, चूंकि यह केवची मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं यह कहना चाहूंगी कि श्री गुलाब कमरो की शिकायत से सहमत हूं। तीन-तीन डीएफओ बदल चुके हैं। पांच साल पहले तीन किलोमीटर की एक मुख्यमंत्री सड़क स्वीकृत हुई थी, जो केवची से ठाड़पथरा एक बैगा गांव है, उसको जोड़ती है जो एक सीधे साटकट अमरकंटक जाने का है, वहां पर जो भी तीन डीएफओ रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। उन्होंने मात्र

एक दो पेड़ के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की और अभी भी वह रोड स्वीकृत है, लंबित है। मैं आपका और वनमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। वह बैगा ग्राम जो काफी बड़ा है और अमरकंटक तक फैला है, तीन किलोमीटर सड़क बन जाए तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री मोहित राम (पाली तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक मिनट अनुमति चाहता था । हमारे साथी विद्वान विधायक गुलाब कमरो जी आज सदन में एक प्रश्न लाये हैं और हमारे सदन के सभी मंत्री और साथी विधायक उससे अवगत हुए । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा था कि चूंकि माननीय मंत्री जी राजा साहब कह रहे हैं कि मैं सस्पेंड करने के लिये कोशिश करूंगा या विचार करूंगा । यह उनकी एक भावना पर ठेस पहुंच रही है । मैं तो यही मानता हूं कि यदि वास्तव में उनकी गलती इतनी ज्यादा गंभीर है तो बाद वाली बात में नहीं जाना चाहिए । माननीय मंत्री जी को इस सदन में बड़ा अच्छा परिचय देना चाहिए और इससे सरकार का भी अच्छा संदेश जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आप एक-साथ उत्तर दे दीजियेगा । श्री बृजमोहन जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सब बातों को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट आ गयी, दोषी पाया गया । प्रथम दृष्टया दोषी हैं तो इसके बाद माननीय मंत्री जी आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है । निलंबित करने की घोषणा यदि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के गलत काम करने के दोषी पाये गये हैं तो आपको इस सदन में घोषणा करनी चाहिए कि जितने लोगों के नाम रिपोर्ट में आये हैं उन सभी लोगों को निलंबित किया जाता है तो इससे सदन का सम्मान बढ़ेगा । आपको यह घोषणा करनी चाहिए । क्या आप यह घोषणा करेंगे?

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मनरेगा का विषय है । माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में, अपने मूल ध्यानाकर्षण में 33 कार्यों का उल्लेख किया है और आपने अपने उत्तर में 27 कार्य दिया है तो क्या सभी 33 कार्यों में आपने स्वीकार किया यह उस तरह की अनियमितता थी ? या 6 कार्य घटा दें तो आप यह कहना चाहते हैं कि केवल 27 कार्यों में अनियमितता थी और 6 कार्य नियमानुकूल थे ? दूसरा कौन-कौन से अधिकारियों की टीम बनायी गयी थी और अनुशासनात्मक कार्यवाही से आपका क्या तात्पर्य है ? इस बारे में थोड़ा बताईये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह । सबका जवाब इकट्ठे दिलवा देंगे, वे बहुत दिनों बाद आये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष जी सबका जवाब इकट्ठे दिलवायेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको इकट्ठा याद कहां रहेगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि याद नहीं रहेगा तो फिर याद दिला-दिलाकर पूछेंगे । माननीय मंत्री जी, यह जो जीपीएम नया जिला बना है न वहां पर सब मामला गड़बड़ चल रहा है । वहां हर विभाग में गड़बड़ चल रहा है और निश्चित रूप से गुलाब कमरो जी ने जो पूछा है यह बिल्कुल सौ प्रतिशत सत्य है और वन विभाग को आपने इतने करोड़ का काम दे दिया, कौन सी.ई.ओ. दिया ? क्यों दिया ? हम लोग छोटे-मोटे काम करने के लिये बोलते हैं तो आप लोग कायदे-कानून, दफा-धारा बताते हैं । आप पहले उनको निलम्बित करिये, आप तो सी.ई.ओ. के साहब हैं न । सी.ई.ओ. तो आपके अंडर में है । जो भी सी.ई.ओ. हो उसको सस्पेंड करिये, जो भी विभाग के अधिकारी दोषी हैं उनका निलंबन करने की घोषणा कीजिये और आप बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी और भी जिन मंत्री से कराना हो, आप उनसे कराते रहियेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा में जो गड़बड़ी करते हैं उसको आप समाप्त करके और उच्च पद देते हैं । यदि इसमें भी आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो जो शामिल हैं न उसको माफ कीजिये कैबिनेट में जाकर और बड़े-बड़े पदों में बैठाईये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, अगर आज आप इस सदन में निलंबन की घोषणा नहीं करेंगे तो यह संदेश जायेगा कि हर जिले में...।

श्री अजय चंद्राकर :- जांजगीर में भी उच्च स्तरीय जांच हुई थी । वह आदमी आज उच्च पद में है । आपने सारी जांच को समाप्त कर दिया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह संदेश जायेगा कि हर जिले में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर ले अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी और पूछकर कार्यवाही करने की बात हर मंत्री करना शुरू करेंगे । यह नजीर बनेगा इसलिये आप हिम्मत करके और पूरी दृढ़ता से निलंबित करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मरवाही विधायक ध्रुव साहब ।

डॉ. के.के. ध्रुव (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मरवाही विधानसभा मेरे विधानसभा क्षेत्र का है । मैं चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो मेडम बोल रहीं थीं कि उनका विधानसभा क्षेत्र है।

डॉ. के.के. ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष जी, मरवाही वनमंडल है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, मरवाही मतलब आपका है । चलिये ।

डॉ. के.के. ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग ऐसे ही हंस-हंसकर बात करेंगे तो माननीय मंत्री जी कहां से सस्पेंड करेंगे ? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर दिलवाईये न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मरवाही दो टुकड़े में है । आधा पेण्ड्रा गौरेला है और आधा मरवाही में है ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे मालूम है ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- बिलासपुर में पेंण्ड्रा थोड़ी है ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा बिलासपुर ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले मूल प्रश्नकर्ता पूछेंगे । चलिये ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे तथ्य प्रमाणित हो चुके हैं। मंत्री जी का जवाब आ गया है। लगभग 6 महीने हो गये । राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट, कलेक्टर का अभिमत, उन्हें लगभग 4 महीने, लगभग 6 महीने हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं अब चाहूंगा। कुछ बचा नहीं है तो आज इस पवित्र सदन में मैं चाहूंगा कि उनको तात्कालिक जिला पंचायत सी.ई.ओ. एवं अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा करें। ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शैलेश पाण्डे जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा में आज तक जो भी गड़बड़ी हुई, निलंबन हुए और बहाल हुए हैं। इसमें सारे तथ्य स्वीकार किये गये हैं और उनसे राशि वसूल होनी चाहिए या जो आपने मूल प्रश्न बताया है कि अनुशासनात्मक मतलब क्या होता है? अनुशासनात्मक मतलब पैसा खाने का विषय होता है क्या? आप इसे क्लियर कीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से ही जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यह बिलासपुर जिला पंचायत के अधीन होता है और जो बिलासपुर जिला पंचायत होती है, उसी के अंतर्गत यह संचालित की जाती है। वर्तमान में अभी तक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें बड़ी जांच और भी करवायें। आज जो निलंबन की कार्यवाही करनी है, वह तो करिए साथ ही साथ पूरे बिलासपुर जिले में जो-जो गड़बडियां हुई हैं, उनकी भी उच्च स्तरीय जांच जरूर करवायी जाये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- जांच क्या जो ऑडिट में आता है, उन्हें सजा नहीं मिलती, न उनसे वसूली होती है, न उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज होते। ऑडिट करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण लगाया और जो आरोप लगाये गये, उन सारे आरोपों को मंत्री जी ने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के प्रथम दृष्टया में दोषी पाया गया, वे यहां तक बोल चुके हैं। उसके बाद एक बात आयी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि मैं बात करूंगा, पूछूंगा। वास्तव में यह पूछने की बात नहीं है, कार्यवाही करने की है। यदि आपके पास में सबूत हैं और जो सबूत प्रस्तुत हुए हैं, वे सही हैं तो आपको इसमें कार्यवाही करनी चाहिए, निलंबन की घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि आप उसे टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। आप तो उसे सस्पेंड कर रहे हैं और सस्पेंड करने के बाद आप उसमें जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद जब बात आये, राशि वसूल करने का, टर्मिनेट करने की, आपको सारे अधिकार हैं। उसके बाद में और भी बाकी जो गड़बडियां हैं, जिस बात को उन्होंने उठाया है, उसे भी विशेष रूप से दिखवाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपका भी क्षेत्र है। पुराना क्षेत्र है। वर्तमान में भाभी जी का क्षेत्र है। इसलिए मंत्री जी उसे सस्पेंड करें और नहीं करेंगे तो आसंदी निर्देशित करें और यहां सस्पेंड की घोषणा होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस दल के नेता, इस दल के नेता, उधर के विधायक, इधर के विधायक अर्थात् सदन और मंत्री जी की स्वीकारोक्ति है। अर्थात् सदन समवेत स्वर से यह बात चाहता है और इसलिए मंत्री जी को अधिकतम कार्यवाही करनी चाहिए और यदि पूछने की जरूरत है तो केबिनेट ले जाकर जांच समाप्त करके वनमंडलाधिकारी को पी.एस.सी. का सदस्य बना देना चाहिए। क्योंकि इसके पहले सचिव स्तर की एक आदमी की जांच हुई थी तो उसे समाप्त करके आप आपने पी.एस.सी. का अध्यक्ष बना दिया। तो इसे सचिव बना दीजिए, यदि कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो। पी.एस.सी. का सदस्य बना दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- वन मंत्री तो बैठे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर, मैं मनरेगा में दो साल से एक वन ग्राम विंदावल है वहां पर एक मुक्तिधाम के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरा स्वतंत्रता संग्राम टाइप का संघर्ष चल रहा है। अभी तक क्यों नहीं बना है? कैसे 9 करोड़, 8 करोड़ का हो जाता है। यह जादू क्या है? आप या तो इसका भी प्रबोधन करवा दो कि यह 9 करोड़ का मटेरियल का माल वन विभाग में चला गया और साढ़े 3 लाख का मुक्तिधाम में मैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते थे, वैसे ही लड़ रहा हूं। नहीं हुआ है। तो भैया, इसमें या तो कार्यवाही करो या फिर हम लोगों को भी ऐसे माल-टाल जहां से होता है..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सब बातें स्वीकार हो गईं। स्वीकार होने के बाद माननीय मंत्री जी, अगर यह संयुक्त जिम्मेदारी है, न वन मंत्री के पास जाने की जरूरत है, न मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत है, न जी.ए.डी. के पास जाने की जरूरत है। माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब आप तो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। आप तो दावेदार भी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका भविष्य बहुत सुनहरा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप ऐसी बातें कहेंगे कि जी.ए.डी. जायेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे तो सदन का महत्व क्या है? सदन का महत्व क्या है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैं अपनी बात कहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सब बातें स्वीकार होने के बाद, बल्कि उसमें तो 2-4 लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और जो कम दोषी हैं, उन्हें निलंबित करना चाहिए और सदन में ही घोषणा होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वसूली होनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन पर वसूली की कार्यवाही होनी चाहिए। यह कार्यवाही करने की घोषणा मंत्री जी को करनी चाहिए, तभी सदन की गरिमा बढ़ेगी। सब बातों को स्वीकार करने के बाद भी अगर मंत्री जी नहीं करते हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यजनक होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या कहना है बताएं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा, नियमों के पालन से और नियमों के अनुरूप कार्यवाही करने से बढ़ती है । हम बंधे हैं आज की व्यवस्था में, तो देश के संविधान से बंधे हैं । संविधानिक नियमों से बंधे हैं । विभागीय नियमों से बंधे हैं । उससे अतिरिक्त कार्य करने की हमारी भी सीमाएं होती हैं । मुझे बताइए, आप लोगों का अनुभव मुझसे ज्यादा है । अगर ए-ग्रेड से ऊपर के अधिकारी को सस्पेंड किया जा सकता है तो बताइए, मैं अभी घोषणा कर देता हूं । अगर रिटायर्ड डी.एफ.ओ. को सस्पेंड किया जा सकता है तो बताइए, मैं भी कर देता हूं । वह रिटायर्ड है और आई.एफ.एस. के अधिकारी हैं । मुझे जो जानकारी दी गई है, मैं उसे सदन में साझा कर रहा हूं कि आई.एफ.एस. के अधिकारी होने के नाते मामला समन्वय में जाएगा, मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएगा और फिर कार्यवाही की अनुमति के बाद उनके ऊपर कार्यवाही होगी । स्वीकारोक्ति के बाद मेरी सीमा यह है। अगर नियम दूसरे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी सस्पेंशन की घोषणा कर देता हूं। 15 का नाम उसमें था 12 के लिए तो मैंने बोल ही दिया । बाकी दो भी अगर सस्पेंड करने योग्य हैं यदि उस परिधि में आते हैं तो वह भी हो जाएंगे । शेष बचे एक सी.ई.ओ., सी.ई.ओ. के ऊपर न तो अभी तक जांच हुई है, मैंने इसीलिए प्रथम दृष्टया कहा । सी.ई.ओ. के ऊपर कोई जांच दल गठित करके कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसीलिए उसको प्रक्रियाधीन लिखा गया है । सी.ई.ओ. के ऊपर कार्यवाही करने की जो प्रक्रिया है, सामने वाले को भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, यह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई, केवल उतना ही अंतर है, उतनी ही बात है । मैं उन व्यक्तियों में आखिरी व्यक्ति हूं जो किसी को बचाने के लिए पहल करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने स्वयं कहा है कि सी.ई.ओ. ने प्रथम दृष्टया घोर अनियमितता की है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- प्रथम दृष्टया । लेकिन यह तो जांच ।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो सी.ई.ओ. के बारे में हो गया । वन मंत्री जी यहां उपस्थित हैं ।

उन्होंने आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है । सामूहिक जवाबदारी है । उनसे इशारे में आप बात कर लीजिए, जितने लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं, यहां कर दीजिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बिल्कुल ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूं कि इसमें आपराधिक मामले भी बनते हैं, इनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज कराइए ।

श्री गुलाब कमरो :- मनरेगा में एफ.आई.आर. का कानून है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको पी.एस.सी. का मेम्बर बना दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वह तो अभी आपके लिए रखना है ।

श्री गुलाब कमरो :- महात्मा गांधी मनरेगा योजना नहीं, कानून है साहब । अध्यक्ष महोदय, इसमें एफ.आई.आर. भी बनता है । क्योंकि यह आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- एफ.आई.आर. भी होगा । रोकने की या बचाने की कोई मंशा नहीं है । यदि एफ.आई.आर. की कार्यवाही बनती है तो एफ.आई.आर. भी होगा।

अध्यक्ष महोदय :- रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी वसूली की कार्यवाही तो कर ही सकते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 100 प्रतिशत, सबके ऊपर । यह 6 करोड़ के ऊपर की राशि है, जो माननीय सदस्य भी उसको उठा रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय :- मतलब, 6 करोड़ से ऊपर की राशि, बिना टी.एस. के ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसमें जांच में आया है कि मौके पर 1 करोड़ की सामग्री पाई गई या काम लगाया गया है । वरना 6 करोड़ की राशि का इसमें उल्लेख आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- बिना टी.एस. के प्रशासकीय स्वीकृति भी हो गई, पैसा भी खर्च हो गया, भुगतान भी हो गया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह अपने आप में एक दृष्टांत है । इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- इसको आप भी दृष्टांत बनाते हुए, जितने लोग को यहां सस्पेंड कर सकते हैं, कर दीजिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जितने में अधिकार में हैं, सबको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड माना जाय।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं होता । आपको बोलना पड़ेगा कि आप उनमें से कितने को सस्पेंड कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब साबित है तो भी सदन कुछ नहीं कर पा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- अरे, करने दीजिए ना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- एक रिटायर्ड है तो उसको कैसे सस्पेंड करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- उसके ऊपर कार्रवाई करिये ना, एफ.आई.आर. दर्ज कराइए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 100 प्रतिशत ।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी कितने लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं बता दीजिए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 14 । 15 में से 14, एक जो रिटायर है, चूंकि आई.एफ. एस. के अधिकारी हैं, नियमत: यह बताया गया है कि उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी । इसके पहले नान घोटाला हुआ था, आई.ए.एस. के अधिकारियों का नाम आया था तो हमने दिल्ली भेजा था । प्रधानमंत्री जी को लिखा था, वहां से अनुमति आने के बाद कार्रवाई होती है, तो यह बंधन है ।

अध्यक्ष महोदय :- रिटायर्ड के खिलाफ वित्तीय अनियमितता है तो आप वसूली की कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सी.ई.ओ. का नाम बताया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वे एडीशनल कलेक्टर के पद पर हैं, मुझे बताया गया है कि इसलिए जी.ए.डी. के पास भेजना पड़ेगा । हम सोचने के लिए नहीं भेजेंगे, हम सस्पेंड करने के लिए भेजेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- और जांच करके आगे की कार्यवाही बनती है, अगर वित्तीय अनियमितता में उनकी भी भागीदारी बनती है तो वे भी रिकवरी के पात्र होंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महादेय, मनरेगा में सारी चीजें पहली बार ऐसी हुई कि समवेत स्वर में हमने स्वीकार कर लिया कि इसमें गलत हुआ। माननीय मंत्री महोदय की जो भी उत्तर आए हैं, वह निश्चयाधिबोधक एक भी नहीं थे, वे सभी भविष्यातीत थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। सदन में वरिष्ठतम विधायक माननीय बृजमोहन जी ने कहा, आपने भी चार-पांच बार प्रश्न किया, तो यह तो फिर निरंकुशता है। भविष्य में होगा तो देखेंगे। सदन में इतने लोग इतनी गंभीरता से इस विषय को उठा रहे हैं और सहमति है। सहमति है तो यह होगा। यह होना चाहिये, बाकी सब तो भविष्यवादी वाक्य है कि यह होगा, यह होगा और हमने ...।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सी.ई.ओ. के खिलाफ जांच में कभी कोई बात कभी कोई दखल नहीं आई।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सिंहदेव साहब। हमने आपके जांच को देखा है कि कितने लोगों से राशि वसूल हुई है या नहीं हुई है उसको हम जानते हैं । आपने कितने जांच को खत्म किया, यह भी हम जानते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है आपको यह अधिकार है कि सी.ई.ओ. को भी, आई.ए.एस., आई.एफ.एस. को भी कि हम उनको निलंबन की कार्यवाही करते हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके बाद में निलंबन की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया अपनाने के लिए ऊपर भेजेंगे, परंतु निलंबन करने का अधिकार आपको है। आपको आई.ए.एस., आई.एफ.एस. को भी निलंबर करने का अधिकार है। आप निलंबन की घोषणा कर देंगे कि सदन में मैंने घोषणा की है, उसके बाद में आप सहमति के लिए ऊपर भेज देंगे। आप सूचना के लिए ऊपर भेज देंगे। आपको अधिकार है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। राज्य सरकार ने आई.ए.एस. को भी निलंबित किया है, आई.पी.एस. को भी निलंबित किया है, आई.एफ.एस. को भी निलंबित किया है। निलंबित करने के बाद में वहां पर सहमति के लिए सूचना के लिए भेजा है। तो यह आपको अधिकार है। एडिशनल कलेक्टर राज्य प्रशासनिक अधिकारी है, उसको तो आपको सस्पेंड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे ही एक आई.ए.एस. अधिकारी मेरे विभाग के एम.डी. थे। उनको राज्य सरकार ने सस्पेंड किया। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सर वे सरपंच को पच्चीस-पचास हजार के लिए जेल भेज देते हैं, जो निर्वाचित सरपंच हैं। तो यह सात करोड़ वाले मामले में इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। माननीय मंत्री जी आपकी इमेज खराब हो जायेगी। आपकी ईमेज का मामला है। कार्यवाही कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। श्री केशव प्रसाद चंद्रा।

श्री अजय चंद्राकर :- ओ राजा साहब। आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो भविष्य में आपका शासन कैसे होगा, इससे यह परिलक्षित हो रहा है। सब ढीला-ढाला चलेगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 को सस्पेंड करेंगे कह कर तो मंत्री जी ने कह दिया। उस सी.ई.ओ. साहब का नाम जानना चाहते हैं। यदि सदन में कोई बाध्यता नहीं होगा तो बता दें। हो सकता है अगल-बगल के जिला पंचायत के ...।

श्री अजय चंद्राकर :- किसका संरक्षण है, यह बता दीजिये?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अगल-बगल के जिला पंचायत में गये होंगे तो उनसे कम से कम हम लोग दूर रहेंगे। यदि बाध्यता नहीं होगी तो उस महाप्रभु का नाम बता दीजिये जो बिना टी.एस. के स्वीकृति दे रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- संरक्षण कौन दे रहा है? चलो छोड़ो। हम लोग आपके विभाग से विवश हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट मिनट सर। मैं समझता हूं ...।

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, हम लोग विवश हैं। हम लोगों से बड़ी दूसरी एजेंसियां हैं। यहां पर विधायिका की सर्वोच्चता खत्म हो रही है। आपके नेतृत्व में ऐसा नहीं होना चाहिये। विधायिका की सर्वोच्चता खत्म हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मुझे बालने तो दीजिये। सदन की घोषणा के पालन में कार्रवाई के लिए जी.ए.डी. को भेज सकते हैं। यह मैं माननीय मंत्री जी को बता रहा हूं। उसके बाद में मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उसमें प्रावधान है तो उसके अनुरूप कार्यवाही होगी।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- है तो नहीं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हमने इसमें जी.ए.डी. से चर्चा की थी। जी.ए.डी. ने कहा कि जी.ए.डी. से अनुमित लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं सस्पेंशन के बारे में घोषणा नहीं कर रहा। यदि उसमें प्रावधान है ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन से बड़ा जी.ए.डी. है क्या? सदन से बड़ा जी.ए.डी. थोड़ी है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसीजिए मैं बोल रहा हूं कि विधायिका की सर्वोच्चता खत्म हो रही है। आप जी.ए.डी. को यही बुलाईये। अध्यक्ष महोदय, जी.ए.डी. को सदन के अंदर बुलाया जाय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखिये, प्रशासन से बड़ा शासन होता है और शासन का सर्वाधिकार है। प्रशासन का शासक शासन होता है। यह तो शासन की व्यवस्था प्रशासन कर रही है। यह दुर्भाग्यजनक है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तथ्य को ध्यान में लाया है, उसका मैं सस्पेंशन की घोषणा करता हूँ।

अध्यक्ष महादेय :- आपकी बात को घोषणा कर रहे हैं, उसको सुनिये तो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मेरी जानकारी सीमित है। आपने जो तथ्य जानकारी में लाया कि इसमें सस्पेंशन किया जा सकता है, तो मैं सस्पेंशन की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- उसका नाम क्या है, बता दीजिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जिला सी.ई.ओ. का नाम बता दीजिये मंत्री जी। उनको नमस्ते करेंगे, बिना टी.एस. के स्वीकृति दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- अब तो सस्पेंड ही हो गये तो कहां से नाम बतायेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- शायद आप ही के पास तो है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। यही दुगिर्त जांजगीर-चांपा का होगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप उस महाप्रभु का नाम बता दीजिये।

श्री नारायण चंदेल :- वैसे लोग हमारे जिले में ही जाते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अभी 20 परसेंट चल रहा है । जांजगीर-चांपा के मटेरियल में 20 परसेंट चल रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे सब लोग आपके जिले में ही जाते हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- यह सरकार की गलती है।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय वनमंत्री, श्री मोहम्मद अकबर की ओर से माननीय सदस्यों की लॉबी स्थित कक्ष में है। पत्रकारगणों के प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें। नियम-267 (क) के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

समय :

1:11 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
2. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
3. श्री चंदन कश्यप
4. श्री ननकरीराम कंवर

अध्यक्ष महोदय :- अरूण वोरा जी, प्रतिवदेन की प्रस्तुति।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में 3000 बिजली संविदा कर्मचारी आंदोलनरत हैं और उनके लिए हमने आपको ध्यानाकर्षण दिया है। एक तरफ लोगों को रेग्यूलर करने की बात की जा रही है और 3000 लोग पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो आपका जीरो आवर का है। अब जीरो आवर कहां से आया?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, यह शून्यकाल चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल नहीं चल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने शून्यकाल के ऊपर चर्चा की बात की है तो 3000 संविदा कर्मचारियों का भविष्य जो है, वह अंधकार में हो गया है। हमने ध्यानाकर्षण दिया है हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप भी लिखकर दे दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1:12 बजे **<u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>**

<u>याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन</u>

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
2. श्री पुरूषोत्तम कंवर
3. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
4. श्री लालजीत सिंह राठिया
5. श्री धरम लाल कौशिक

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीय टी.एस.सिंहदेव जी अपनी मांगों का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय टी.एस.सिंहदेव. साहब का बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहा है। हम उनका सदन में स्वागत करते हैं और पिछले 6 महीने से वह छत्तीसगढ़ में कम हैं तो हम यह चाहेंगे कि वह छत्तीसगढ़ में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको तो लगता था कि आप बजट प्रस्तुत करने के लिए आएंगे कि नहीं कि अकबर जी प्रस्तुत करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज हम लोगों को दशहरा के नीलकंठ जैसे दर्शन दिये हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपकी सब मांगों को मान भी लिये। उन्होंने आते ही आपकी सब मांगें मान ली।

समय :

1:13 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>**

मांग संख्या	**30**	**पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**80**	**त्रिस्तरीय पंचाती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**19**	**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन हजार चार सौ चौरानबे करोड़, तिरासी लाख, तिरालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - तीन हजार चार सौ बहत्तर करोड़, अन्ठानबे लाख, इंक्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिये - दो हजार आठ सौ तेईस करोड़, अठारह लाख, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार एक सौ आठ करोड़, तिरानबे लाख, इंक्यावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ तिरानबे करोड़, तीन लाख, तीन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन करोड़, पचासी लाख, पच्चीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री धरमलाल कौशिक 24
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल 7
3. श्री अजय चंद्राकर 6

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

4.	श्री नारायण चंदेल	1
5.	श्री शिवरतन शर्मा	8
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	21
7.	श्री पुन्नूलाल मोहले	7

मांग संख्या - 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.	श्री धरमलाल कौशिक	2
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
3.	श्री अजय चन्द्राकर	6
4.	श्री शिवरतन शर्मा	5
5.	श्री नारायण चंदेल	1

मांग संख्या - 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1.	श्री धरमलाल कौशिक	8
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	11
3.	श्री पुन्नूलाल मोहले	7
4.	श्री अजय चंद्राकर	9
5.	श्री शिवरतन शर्मा	5
6.	श्री नारायण चंदेल	1
7.	श्री डमरूधर पुजारी	2
8.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
9.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	5

मांग संख्या-79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4.	श्री शिवरतन शर्मा	3
5.	श्री नारायण चंदेल	1
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
7.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	4

मांग संख्या-7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरम लाल कौशिक	5
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
3.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	3
4.	श्री शिवरतन शर्मा	5
5.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2
6.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या-50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरम लाल कौशिक	1
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री अजय चन्द्राकर	2
4.	श्री शिवरतन शर्मा	3
5.	श्री डमरूधर पुजारी	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा शुरू होने के पहले आपसे आग्रह है कि शुक्रवार को आपने कहा था कि उद्योग विभाग पारित हुआ है, आबकारी विभाग में हम चर्चा कर सकते हैं, आप सब सोमवार को चर्चा में भाग लीजिए। यदि ऐसी व्यवस्था आपने दी थी, बाकी आपका निर्देश जैसा होगा, वैसा मानेंगे। यदि आबकारी विभाग में चर्चा करनी है। अध्यक्ष जी, यह आपने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं । मैं आपको याद दिला रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे याद है, मैं देख रहा हूं कि उसमें कैसे चर्चा कर सकते हैं । मगर एक बात है कि आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे । नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसा कहेंगे, वैसा हम करेंगे, लेकिन वह व्यवस्था भी आपने ही दी थी ।

अध्यक्ष महोदय:- अभी दे देते हैं । डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी चर्चा शुरू करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या-30, 80, 19, 79, 7 और 50 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सेवा करते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में इस सेवा के माध्यम से जनता के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं और इस पूरे सेवाकाल में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है । जब हम विश्वास के साथ काम करेंगे तो उसकी सेवा है, लेकिन मैं दु:ख के साथ कहता हूं कि जैसा हमारे चिकित्सकों पर, संस्थाओं पर लोगों को विश्वास होना चाहिए क्योंकि विश्वास होगा, तब उस संस्था में लोग जाएंगे, विश्वास होगा, तभी चिकित्सा के लिए जाएंगे और इस विश्वास को कायम करने में मंत्री जी सक्षम नहीं हो पाये हैं । मैं कुछ उदाहरण देकर बताता हूं । पहला उदाहरण जो आपकी कार्य प्रणाली है, वह आपकी सक्षमता को प्रदर्शित करता है । प्रदेश में जितने हॉस्पिटल हैं चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, सी.एच.सी. हो, जिला अस्पताल हो या जो भी यूनिट है, वहां ओ.पी.डी. में मरीजों की संख्या कम हो गई है और इसके कारण हमारे संस्थाओं में लोगों का विश्वास नहीं रह गया है । दूसरा, हमारे प्रदेश के अस्पतालों में बहुत अच्छे-अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, सिटी स्कैन मशीन अधिकांश जगह बंद पड़े हुए हैं । कहने का मतलब यह है कि जिनके भरोसे में यह संस्थाएं डायग्नोस्टिक तौर पर चलती हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अगर चल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे है । इंस्ट्रूमेंट्स बिगड़ गई तो कोई बात नहीं है। इन भावनाओं के साथ में वह चल रही हैं ।

समय :-
1:19 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इसके कारण छत्तीसगढ़ में ईलाज कराना बहुत महंगी चिकित्सा बन गई है । प्राईवेट क्षेत्र में बहुत पैसे खर्च होने लगे हैं, लेकिन इस विश्वास की कमी के कारण हमको हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वह हमारी कार्य प्रणाली के कारण, अक्षमता के कारण इसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है । तीसरा, आज आप कुपोषण देख लीजिए, नेशनल हेल्थ फैमली रिपोर्ट के अनुसार जो कुपोषण है, जिसमें हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी चलाते हैं, यह सब सिस्टम चलाने के बावजूद भी माताओं और बच्चों में एनिमिया है। हमने एनिमिया के डायग्नोसिस के लिए भी बहुत सारे सिस्टम बनाकर रखे हुए हैं। गांवों में जो मैदानी क्षेत्र है, वहां उप केन्द्र हैं, हम उनको अनटाइड फंड देते हैं। आप उनको अनटाइड फंड देते हैं या नहीं देते, यह भी भगवान मालिक है। अगर आपने अनटाइड फंड दिया

है तो कितनी बार दिया, वह बता देंगे कि हमने नियमित रूप से इतना अनटाइड फंड दिया है। उसका उपयोग छोटी-छोटी डायग्नोसिस के लिए, माताओं के लिए, एनिमिया टेस्ट के लिए करते हैं। लेकिन वह नहीं होने का परिणाम यह है कि आज हम एनिमिया से ग्रसित हो गये हैं। पहले एनिमिया 47 प्रतिशत था लेकिन आज हम 61 प्रतिशत की ओर बढ़ रहे हैं। एनिमिया में हमारी ऐसी स्थिति है। ये आकड़ें हमारी सक्षमता को भी दर्शाते हैं। 5 वर्ष के जितने बच्चें हैं, उनमें भी 60 प्रतिशत से अधिक एनिमिया है। माननीय मंत्री जी, आज ही इसी विषय पर 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा है। तो इस तरह से एक वातावरण बना हुआ है। जितनी शासकीय संस्थाएं हैं, उनकी व्यवस्था, उनके रखरखाव के लिए सरकार ने कुछ फंड जारी किया हुआ है। इस फंड की भी उचित रूप से, नियमित रूप से मानीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। परिणाम यह है कि जीवनदीप समिति में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला स्वास्थ्य केन्द्र, सभी केन्द्रों में जिला स्तर पर कम से कम 20 लाख रूपये सी.एस.सी. स्तर पर 10 लाख रूपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर 5 लाख रूपये उसकी व्यवस्था और रखरखाव के लिए देते हैं, वह पैसा भी उनको नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कैसे विश्वास विकसित होगा ?

माननीय सभापति महोदय, जितने ए.एन.एम. हैं, मैदानी कार्यकर्ता हैं, हम उनको भी अनटाइड फण्ड देते हैं। इन अनटाइड फण्डस का भी कोई भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपकी नजर, आपकी समीक्षा फेल है, आपका विभाग इसमें पूरा फेल है। इसके कारण मैदानी स्तर पर मजबूती के साथ स्वास्थ्य अमला डटा रहना चाहिए, इन अनटाइड फण्डों से भी जो व्यवस्था बनती है, वह खत्म हो गया है। इसमें मेन्टनेंस फण्ड का तो भगवान ही मालिक है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी कथनी और करनी को देखते हैं तो उसमे भी बड़ा अंतर है। आपकी भावनात्मक बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इस विधानसभा में ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- कौन सी कथनी करनी के बारे में बता रहे हो ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं वह बता रहा हूं, दे रहा हूं। मैं जो बातें बोलूंगा, उसका एक-एक प्रमाण दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- ढाई साल वाली कथनी करनी है या और कुछ है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- और भी कुछ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- राजा साहब, 10 मार्च निकल गया है। यू.पी. का परिणाम भी आ गया है। आपका परिणाम कब आ रहा है ? माननीय मंत्री जी का परिणाम आ जाये। परिणाम के बारे में बता दीजिये। देखिये, ऊपर वाला जो करेगा, परन्तु आपको भी अपने पुरूषार्थ को भी दिखाने की जरूरत है। आपके बिना पुरूषार्थ दिखये परिणाम थोड़ी न आयेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, अब कथनी और करनी की बातें हैं, भावनात्मक बातें हैं, भ्रम की बातें हैं। आपने अपनी घोषणा-पत्र में इन बातों का भावनात्मक तरीके से उल्लेख किया। आपने जो वादा किया, आप स्वयं उसको पूर्ण नहीं किया। आपने वादा किया तो क्यों किया ? क्योंकि आपने भ्रम फैलाने के लिए वादा किया, आपने भावनात्मक तरीके से बातचीत की। आपने जिन बातों को बड़ी दबंगता से रखा, लेकिन उसको पूर्ण भी नहीं किया। यही तो कथनी और करनी अलग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसका एक-एक उदाहरण बताता हूं। आपने स्वयं मितानिनों को 5 हजार रूपये देने की घोषणा की थी। क्या आप उन्हें दे पाये ? जितने अनियमित कर्मचारी हैं, जितने संविदा के कर्मचारी हैं, जितने डेलीवेजेस के कर्मचारी हैं, आपने इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, तो क्या आप इनको नियमित करने के लिए सोचा, कोई प्रक्रिया कर सके ? आज भी अधूरा पड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आपने कुछ जिलों में एयर एम्ब्युलेंस की कम्पना की थी। आपने बस्तर और सरगुजा, सुपेबेड़ा में भी घोषणा की थी तो क्या आप इसको प्रारंभ करा पाये ? इसमें प्रगति करा पाये ? आपने 1 हजार चिकित्सकों को अधिक वेतनमान में और 2 सौ चिकित्सकों को भर्ती के लिए खुद बातचीत की थी। जबकि नियुक्ति के सन्दर्भ में स्वास्थ्य विभाग में हमारे राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के बहुत अवसर हैं। आज भी स्वास्थ्य विभाग में 35 से 40 परशेंट पद रिक्त है । चिकित्सक ग्रुप के कहीं किसी जिले में एक्सेस भी है । इस तरीके से जिन पदों में अवसर हैं, वहां वादा करने के बाद भी आप उन पदों की पूर्ति नहीं कर पाये । कुछ जिलों में जो सुपरश्पैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल है, सी.एस.सी. और पी.एस.सी. का है, अपग्रेड करेंगे, उन्नयन करेंगे ? सुपरश्पैसिलिटी हॉस्पीटल में हम उनको कन्वर्ट करेंगे, इस पर भी आप खरे नहीं उतर पाये ? आपने छत्तीसगढ़ के अधोसंरचना के संदर्भ में भी बहुत से ऐसे निर्णय लिये हैं कि हम निर्माण करेंगे, आज भी आपके 45 परशेंट अधोसंरचना के जो बिल्डिंग हैं, वह अधूरा पड़ा हुआ है ? सभापति महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, हम दो साल से बड़े उत्साह से देख रहे थे कि यह बहुत बढ़िया होगा । भगवान जाने यह कैसा है, वादा तो बहुत अच्छा हुआ है । यह एक रहस्यम वाक्य हो गया है । यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम रहस्य से भरा हुआ हो गया है । अब इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है, यह हो पायेगा कि नहीं हो पायेगा, केवल कल्पना मात्र से रहेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बताऊंगा कि फरियाली की व्यवस्था है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- फरियाली यानी फरियाना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिंहदेव जी, सामने में फाईल रखे हो और मास्क लगा लिये हो, हनुमान जी जैसा । हंसी

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं बचूंगा कैसे ? हर तरीके से तो बचना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मास्क लगा लिया है, आपको बचने की जरूरत नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये हटवा दो ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने हर क्षेत्र में आऊटसोर्सिंग के लिए कल्पना की है । स्वास्थ्य में ही बोलूंगा । आऊटसोर्सिंग नहीं होने देंगे । आपने क्या किया, जितने संस्थायें हैं, एम्बुलेंस की संस्थायें हैं, संचालन की व्यवस्था है, सभी में प्लेसमेंट एजेंसियों को दे दिया है । एक ओर आप छत्तीसगढ़ के लोगों को बताते हैं कि आऊटसोर्सिंग नहीं करेंगे, प्लेसमेंट को देंगे । परिणाम यह है कि आज भी जो एम्बुलेंस में काम करते हैं, उसको तन्ख्वाह नहीं मिलती है । उसको तन्ख्वाह में, वेतन में बार्गेनिंग करते हैं, इतना तन्ख्वाह दोगे तो आपको रखेंगे । आज भी कई एम्बुलेंस वाले हैं, जो संचालन करते हैं, उनको प्लेसमेंट एजेंसियों ने आज भी वेतनमान नहीं दिया हुआ है । उनकी स्थिति कलेक्टर दर से भी बद्तर है । इसलिए जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उस पर आपका कोई समीक्षा नहीं है, उसका कोई नियंत्रण नहीं है । माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी देते हैं, विधान सभा में भी प्रमाणित तौर पर जानकारी देते हैं, आज भी जैसे एक घटना घटी है । यहां पर घटना नहीं घटी है, सदन के अंदर चर्चा हुई है । उसमें जानकारी दी गई है कि जो गलत करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, बेईमानी करने वाले हैं, आप उस पर कोई कार्यवाही करें । आप तो बहुत ही अच्छे हैं । सहज, सरल हैं । आपका भ्रष्ट्राचार से कोई लेना-देना नहीं है । भ्रष्ट्राचार के मामले को सदन में जानकारी देने के बाद भी, लोगों से जानकारी देने के बाद भी, आप कार्यवाही नहीं करते हैं । यह आपकी मौन जो स्वीकृति है, वह समझ से परे है । सभापति महोदय, विधान सभा के अंतर्गत जो गलत जानकारियां दी गई है, उन जानकारियों को मैं प्रस्तुत करता हूँ । इसी विधान सभा के अंदर 14 दिसम्बर को जानकारी दी गई थी कि केन्द्र से कब कितना वेंटिलेटर आया और कब वितरण हुआ ? आपके द्वारा जो जानकारी दी गई थी, वह जानकारी दी गई थी कि मई, जुलाई 2021 को ventilator आया और वितरण की बातचीत मार्च में आई कि 8 मार्च को वितरण किया गया। अब यह कैसे संभव होगा ? यह गलत जानकारी दी गई। आपका ध्यान इधर भी जाना चाहिए, जिन बातों को जानकारी में ऐसा कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज है, कोरोनाकाल आया। कोरोनाकाल में विधानसभा में कई प्रश्न उठे कि कितनी मृत्यु हुई ? आपके द्वारा दो अलग-अलग प्लेटफार्म में अलग-अलग तरीके से मृत्यु की संख्या को बताया गया। आपने एक बार विधानसभा के अंदर बताया था कि 13 हजार कोरोना के कारण मृत्यु हुई। आप यह बता रहे हैं कि कोरोना के कारण 13 हजार की मृत्यु हुई और जब 50 हजार रुपये मुआवजा देने की बात आई तो आपने कहा कि 19 हजार लोगों को मुआवजा दे रहे हैं तो यह 6 हजार लोगों का अंतर आया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यह direction दिया था कि कोरोना में मृत लोग तथा corona positive होने के 30 दिन बाद मृत लोगों को भी, वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग उपचार के बाद ठीक होकर घर चले गये थे, corona negative आ गये थे, कुछ दिन बाद अगर उनकी मृत्यु हुई तो corona positive के 30 दिन के अंदर जितने लोगों की मृत्यु हुई, उनको वह राशि देनी थी, इसलिए वह अंतर है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, कोरोना से डेथ के लिए मेडिकल बुलेटिन मेडिकल डिपार्टमेण्ट के द्वारा जारी किया गया जिसमें लगभग 14 हजार की संख्या में मृत्यु होना जारी किया गया। मेडिकल बुलेटिन विभाग के द्वारा संचालित होता है, उसमें भी 14 हजार लोगों की कोरोना से मृत्यु की जानकारी दी गई। यहां भी भ्रामक, गलत जानकारी की स्थिति बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन की इस गलत जानकारी से हम क्या समझें ? आपने विधानसभा में जो जानकारी दी उसको या मेडिकल बुलेटिन के द्वारा आप जो कोरोना से मृत्यु के आंकड़े बता रहे हैं, हम उसको सत्य मानें, हम किस जानकारी को सत्य मानें ? माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैंने कहा कि एक भ्रम की स्थिति बन रही है। इसलिए मेरा यही कहना है कि यह जो भ्रामक, दोहरी प्रकार की जानकारी है, उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बातचीत आती है, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको उसकी जानकारी दी गई।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। भ्रष्टाचार की बात आती है। छत्तीसढ़ में मेडिकल सप्लाई के लिए C.G.M.S.C. बना हुआ है। यह पहले से बना हुआ है। C.G.M.S.C. के माध्यम से करोड़ों, अरबों की दवाई खरीदकर सप्लाई करनी है, यह सब चीज की व्यवस्था पहले से बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने राज्य स्तर पर क्रय करने का नियम बनाया है। क्रय करने का नियम बनाने के बावजूद भी, दो नियम हो गये हैं। एक तो हमारा C.G.M.S.C. का नियम हो गया और दूसरा राज्य स्तर पर क्रय नियम की बातचीत आ गई। यह दो बातें आ गईं। किसकी जरूरत थी, किसकी जरूरत नहीं थी, इसमें नियत क्या है, कैसी सोच है, कैसी कल्पना है, यह नहीं मालूम, लेकिन खरीदी की गई। खरीदी भी कैसे की गई, इसमें करोड़ों रुपये की नहीं, अरबों रुपये की दवाई खरीदी गई। यहां तक की इस दवाई की खरीदी में वित्त विभाग का अनुमोदन नहीं लिया गया। वित्त विभाग ने अनुमोदन भी नहीं दिया, फिर भी खरीदी की गई है। यह एक प्रकार से वित्त नियमों का उलंघन भी है। वित्त नियमों का उलंघन करने पर भी माननीय मंत्री जी इस बात को आपके संज्ञान में लाने के बावजूद भी इस पर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। माननीय सभापति महोदय, जो हमारी दवाईयां हैं, जिन दवाईयों को केन्द्र सरकार ने एक रेट दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने जो दवाइयां उपलब्ध करवाई है, उसका एक रेट निर्धारित किया गया है और जो निर्धारित रेट है, उस रेट की दर से भी अधिक कीमत पर हमने दवाई को खरीदने का प्रयास किया है, जो निर्धारित दर थी

उससे अधिक में। जिस दवाई को 15 रूपये में खरीदना है, उस दवाई को 27 रूपये में खरीदा गया। इसके लिये भी माननीय मंत्री जी को ध्यानाकर्षण ला करके विधान सभा के अंतर्गत में जानकारी भी दी गयी, लेकिन जो इस निर्धारित दर है, आपने इसमें भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ध्यानाकर्षण में जो तथ्य और जो जानकारी आपके समक्ष लायी गयी, उस पर भी आप मौन रहे। दूसरा है, विटामिन ''ए'' की खरीदी के लिये, आपने मई 2021 में विटामिन ''ए'' खरीदने के लिये केरल के उन कंपनियों को अनुमति दी जो प्रतिबंधित है। यूनिक्योर प्रा.लि. को, इसके बावजूद भी यूनिक्योर प्रा.लि. जो संस्था है, जो प्रतिबंधित है, आपने उसको विटामिन ''ए'' खरीदने की अनुमति प्रदान की और इसके कारण जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको भी आपने अनुमति दी। कांकेर में जो दवाइयां, GEM पोर्टल से MRI की मशीन, MRI मशीन तो निश्चित तौर पर Tercheal हॉस्पिटल में रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगा, मेडिकल कॉलेज में रहेगा, तो जिन चार लोगों को यह दिया गया था, जिन चार लोगों ने GEM पोर्टल से भाग लिया था, उसमें चार में से एक आदमी qwalified था और तीन आदमी un-qwalified थे। MRI सप्लाई करने के लिये जो qwalified था, उसको न देते हुये, तीन में से किसी को दे दिया गया और वह भी कैसे दिया गया। जिले में कलेक्टर को जिन MRI मशीनों की 1 लाख से ज्यादा की खरीदी की अनुमति नहीं है, फिर भी DMF fund से उसको खरीदा गया और इस तरीके से इस पर भी जांच करनी चाहिये और यह खनिज फंड का दुरूपयोग है। माननीय मंत्री जी, इस पर भी ध्यान दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय माननीय अकबर जी ने इसका जवाब दिया था कि जो चलित संजीवनी, एंबुलेंस के रूप में है, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हो रही थी और आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने जवाब दिया था, हमने बताया था कि आपके यहां पर एंबुलेंस संचालन करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, वे राज्य को अंधेरे में रख कर के उसको संचालन करके करोड़ों रूपये की गफलत कर रही है, वह संस्थाएं हम सब लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। एक तो, उन संस्थाओं को, इतना बड़ा सिस्टम लगाने के बाद, जो कि एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसके कार्य करने की जो प्रणाली थी, उसमें मरीजों की संख्या बहुत कम थी। फिर जिन डॉक्टरों को आपने वादा किया था कि हम MBBS डॉक्टर देंगे, यहां पर आयुर्वेद डॉक्टर देंगे, उसकी भी संख्या नहीं आ रही है, उसकी संख्या की जानकारी देने के लिये भी जो बात की गयी थी उस तरीके से उन लोगों ने, उस संस्था ने पूरे अनुबंध का पालन नहीं किया लेकिन फिर भी आपने अनुबंध का पालन न करने पर उनको अनुमति दे दी। इसलिये भी हमने कहा कि इस पर यह भी एक जांच का विषय है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, गर्भवती माताओं की जो मृत्यु दर है, एक आंकड़े बताता हूं, संस्थागत प्रसव का। माननीय मंत्री जी, बहुत बड़ी important बात है, आप कल्पना करते हैं कि हमारा संस्थागत प्रसव का 85 प्रतिशत success रेट है। आपने अपने इस प्रतिवेदन में कहा

कि संस्थागत प्रसव 85 प्रतिशत है। मंत्री जी अब मुझे एक बात बता दीजिये कि जननी सुरक्षा का पैसा आप कितने लोगों को दिया है ? अर्थात् आपने तय किया है कि जननी सुरक्षा योजना का पैसा जो 1400 ग्रामीण अंचल में है, और 1000 हमारे शहरी अंचल में है, हमें उनको, संस्थागत प्रसव करने वालों को उनकी दवाइयों के लिये, diet के लिये देना है, आपने कितने लोगों को दिया ? अगर छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव 85 प्रतिशत है, वह संख्या में कितने होंगे ? भुगतान, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है, आपने जननी सुरक्षा योजना का लाभ 1 लाख, 33 हजार लोगों को दिया है और एक तरफ आप संस्थागत प्रसव को 85 प्रतिशत कहते हैं। यह आंकड़े भी विचारणीय हैं या तो आप संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा योजना का पैसा माताओं को नहीं दे रहे हैं, उनके खाने को नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आप समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, उनको उस योजना का पैसा नहीं दे रहे हैं। एक तो यह बहुत बड़ी योजना है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी कोई समीक्षा नहीं है कि हम मातृत्व, शिशु मृत्यु दर को जमीनी स्तर पर, बेसिक तौर पर कैसे रोकें ? initial फेस में हम ग्रामीण मैदानी स्तर पर ही इनके कुपोषण को कैसे रोकें ? हम उनको संस्थागत प्रसव से मेडिकल facility कैसे प्रोवाईड करें। अब हम वहीं से फेल हैं। हम संस्थागत प्रसव के लिए फण्ड नहीं दे रहे हैं। अनटाईट फण्ड जो उप केन्द्रों में होता है, माननीय मंत्री जी, आपने उसको भी नहीं दिया। इस तरीके से देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और लोगों का स्वास्थ्य सेवा के प्रति विश्वास नहीं है। वहां लोग मजबूरन जाने को तैयार हो रहे हैं इसलिये मैं यह कह रहा हूँ कि जो माननीय मंत्री जी की सक्षमता स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नहीं दिखती है। वह सहज, सरल हैं, लेकिन यह नियंत्रण करने में कोई सक्षम नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब दूसरा है। मैं पंचायत पर कुछ बातें रख रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, एक बार पंचायत के संदर्भ में प्रश्न आया था, मैंने प्रदेश तो नहीं, अपने ही विधान सभा का प्रश्न पूछ लिया था। मैंने सैम्पल के लिए पूछा था कि आपने ग्राम पंचायतों का विकास करने के लिए किन-किन योजनाओं से, कब-कब, कितना-कितना पैसा दिया ? आपने इसी विधान सभा में उस प्रश्न का उत्तर भी दिया। उस उत्तर में यह है कि अगर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ग्राम पंचायत चल रही है तो 15 वित्त के पैसे से ग्राम पंचायत की व्यवस्था बन रही है, रोजगार गारण्टी से पैसा बन रहा है, उसकी व्यवस्था बन रही है, डी.एम.एफ. फण्ड से उसकी व्यवस्था बन रही है और अन्य योजनाओं के जो पैसे हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के development के लिए खत्म ही कर दिया। उससे इतने विकास के कार्य संभव हैं। हम छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं कि हम 21 वीं सदी में जिस छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन आपने ग्राम पंचायतों के development को नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की नीतियों से कर दिया। अब वह जो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी नीति है, माननीय मंत्री जी का विषय अलग है। इसका

परिणाम यह हुआ कि जितने पैसे, रोजगार गारंटी के भी पैसे से ग्राम पंचायतों में पहले डॉ. रमन सिंह जी के जमाने में development होता था, जो development के कार्यों में लगता था, अब वह नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में लग रहा है। जो 15 वें वित्त का पैसा आता है, जो गांव के development में लगना चाहिए, वह नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में लग रहा है। 15 वें वित्त का जो पैसा आना चाहिए, वह नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में लग रहा है इस तरीके से हमारा जो गांव के development में पैसा लगना था, एक छोटी सी योजना के कारण हमारे गांव का development नहीं हो रहा है। ग्राम विकास, समग्र विकास योजना का तो भगवान मालिक है कि हमने उस योजना में कितने पैसे पाये ? हमने कितनी बार लिखकर दिया, उसका कोई अता-पता नहीं है। आप जाने ? यह आपको करना है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज है कि हमने किसी तरीके से convergence करते हैं। आप convergence की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आपका convergence का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट development है और आप convergence में कौन से प्वाईंट पर convergence करते हैं हम विकास के लिए convergence की बात करेंगे कि भाई मेरे यहां सी.सी. रोड बनाना है। मैं उस सी.सी. रोड में विधायक मद की राशि दे देता हूँ, कुछ 15 वें वित्त की राशि दे देते हैं। कुछ मजदूरों का भुगतान करने के लिए रोजगार गारंटी से राशि दे देते हैं। हम ऐसे तीन विभागों का convergence करके, development की बात करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपका अधिकारी, जिले का अधिकारी हां कहते हैं और नहीं देते हैं। हमने उसमें तीनों मदों के पैसे लगाए, जो convergence से गांवों का development करने की बात है आपके अधिकारियों ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया। वहां से भी काम नहीं हो रहा है। हमने यह कहा कि भई आपके सरकार की कुछ योजनाएं हैं महिला समिति के माध्यम से हो। आप उस महिला समिति के लिए बहुत सक्रिय हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं की भागीदारी हो रही है तो महिला कक्ष का निर्माण हो, वहां हमने भी प्रस्ताव दिया। हमने कलेक्टर को convergence करने के लिए प्रस्ताव दिया तो वहां भी convergence का महत्व और Development का महत्व कोई मायने नहीं रखा। सभापति महोदय जी, परिणाम यह हुआ कि पंचायत में विधायक मद की राशि, रोजगार गारंटी का पैसा और 15 वें वित्त का पैसा, उस 15 वें वित्त को टाइट अनटाईड में, अगर रोजगार गांरटी का सही मायने में काम दिखने वाला है तो उसमें निश्चित तौर पर अनटाईट को करना चाहिए लेकिन माननीय मंत्री जी, आपका इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। यह कुल मिलाकर Development है। करारोपण अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ में जितने करारोपण अधिकारी हैं, भगवान जाने, आपके विधायक लोग करारोपण का कैसे उपयोग करते हैं। सचिव के ऊपर रहता है कि कैसे रहता है। जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिन-जिन चीजों पर भ्रष्टाचार हुए हैं, अधूरे काम हैं, रिकवरी निकला हुआ है तो यह करारोपण अधिकारियों को अपने अधिकारियों को सूचना देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि मेरे ग्राम के पंचायत का है, यह सरपंच सचिव हैं, इस तरीके से पैसे का दुरूपयोग कर रहे हैं तो उसकी सूचनार्थ करारोपण

अधिकारी को अपने अधिकारी को देने का एक सूत्र है। लेकिन मौन बैठे हैं। उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर कोई बातचीत नहीं है और परिणाम यह हुआ है कि करोड़ों रूपए का भ्रष्टाचार आडिट में पकड़े गए हैं और आडिट में भी कुछ नहीं हो रहे हैं। किसी आडिट में कुछ नहीं हुआ है। एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से है। सभापति महोदय, दूसरी चीज, पंचायती राज है, पंचायत की व्यवस्था है। पंचायत में जिस कर्मचारी पर आरोप सिद्ध हो गया कि किसने पेंशन में घपला किया और उन कर्मचारियों को आपने अभी तक सस्पेंड करने का काम नहीं किया है। आप उसको हटाने का काम नहीं करते हैं, अर्थात पूरे पंचायत विभाग में जो कर्मचारियों को थोड़ी दहशत और व्यवस्था आती है, वह पंचायत में पता नहीं क्या करने के लिए हो जाता है। माननीय मंत्री जी, जो पंचायत है, उसमें ट्रांसफर की व्यवस्था अवश्य लागू करिए। उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हमको कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जो कुछ करना है, कैसे करें, सरपंच सचिव परेशान बैठे हुए हैं। उनसे इस तरीके से बातचीत करते हैं कि बिना कुछ किए वे लोग बातचीत ही नहीं करते। उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। क्योंकि वह लंबे समय से 20 साल, 25 साल से पड़े हुए हैं, कोई 10 साल 15 साल से हैं, ऐसे लोगों को कहीं-कहीं एक्सचेंज करिए। ट्रांसफर करने की कोई योजना बनाएं तभी तो मजबूत होगा। जनपद पंचायत में भी नहीं है। जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर भी जिले में भेजते हैं। उस प्रस्ताव का भगवान ही मालिक है, आपका इसके यहां से कोई सिस्टम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा विषय आबकारी पर बोलना चाहता हूं। आबकारी आपका विषय नहीं है लेकिन जीएसटी में अभी ऐसा कुछ बातचीत किए हैं। मेरा उस पर कोई प्रश्न नहीं है और कोई विषय नहीं है लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं। आबकारी पर आपकी एक समिति बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बचाना है। दारू की प्रवृत्ति से बचाना है। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए दारू खतरनाक नहीं है लेकिन दारू की प्रवृत्तियां सबसे खतरनाक है। इन प्रवृत्तियों के कारण हमारी अपराध की संख्या बढ़ गयी है। बलात्कार, हत्याएं, लूटमार, डकैती, आपस में लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति इनके ही कारण हैं। इनको किसी तरीके से कम करने की बातचीत करते हैं तो आपके द्वारा दारू के लिए घोषणा भी की गयी, सब चीज बातचीत किए हैं, मैं उस बात को भी नहीं कह रहा हूं कि आपका दिल क्या कहता है, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं इसको नहीं जानता।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करें। आपकी बात आ गयी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, मेरी एक बात नहीं हुई है। प्लीज, आपसे थोड़ा सा निवेदन है। एक बात है, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं। आप नहीं बेच सकते, अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है तो आप मेरे विधानसभा को ही प्रयोग करके देख लीजिए। आप गांजा और भांग की दुकानें खुलवा दीजिए। आप प्रवृत्ति को नहीं बेच रहे हैं न तो प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि आप ऐसे प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक समिति बनाकर भेजे हैं। अलग-अलग राज्यों में भेजे हैं, वह तो सक्षम काम नहीं कर

पा रहा है। वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके काम नहीं करने के कारण मेरे क्षेत्र में जो दारू की प्रवृत्तियां हैं, वह खतरनाक है। लेकिन गांजा भांग की प्रवृत्ति में मेरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एक भी हत्या बता दो जो दारू भांग पीने वाले व्यक्ति ने किसी की हत्या की हो तो बता दो। किसी ने हत्या की है तो बतो दो, एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर पूरा डिपार्टमेंट..। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, आपकी बात आ गयी, खत्म करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। यह थोड़ी दिल की बात है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे गंभीर बात बोल रहे हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, आप एक भी हत्या बता देना ?

सभापति महोदय :- बोलने वाले और हैं न ।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं-नहीं, इनके यहां गांजा और भांग की दुकान खुलवाने की घोषणा करवा दीजिये, अहम मुद्दा है । (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, एक भी हत्या की जानकारी हो तो बता देना जिसकी गांजा और भांग की दुकान हो । मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस दारू और भांग की प्रवृत्ति के कारण लूटपाट की संख्या कितनी होती है, हत्या की संख्या कितनी होती है ? कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने बालात्कार हुए हैं ? कितने लूटपाट हुए हैं ? यह कभी नहीं होता । आपके यहां भी डॉक्टर लोग बैठे हैं क्योंकि दारू-भांग की तासीर, उसके कारण होने वाली प्रवृत्ति जो कि खतरनाक है । इसकी रोकथाम करिये । मैं अपने क्षेत्र की दारू की प्रवृत्ति को बचाये रखने के लिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर प्रयोग करना होगा, आपको कोई रिजल्ट देखना होगा कि इसकी प्रवृत्तियॉ और अपराध दोनों कैसे अलग होते हैं ? चूंकि जब पहले भांग था, दारू था तो इन सब अपराधों की संख्या उतनी नहीं थी और अब नहीं है तो ऐसा हो रहा है । चूंकि आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, आप तो दारू को रोक नहीं पा रहे हैं और यदि ये सब भावनात्मक बातें हैं तो आप कम से कम यही काम कर दीजिये । एक-बार बुलाकर देख लीजिये, मेरे ही क्षेत्र में, मंत्री जी मैं आपको संख्या दे दूंगा ।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात ध्यान में आ गयी । हो गया ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको संख्या दे दूंगा अगर आपका दिल करता है तो कृपा करके दे दीजिये । मैं इसका उत्तर चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम तो अभी नहीं है । क्या मुझे बोलना है, मैं बोल देता हूं लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने बड़े विभाग पर चर्चा हो रही है और प्रदेश के बहुत ही कद्दावर मंत्री जी के विभाग की चर्चा हो रही है और उनके अलावा यहां पर एक भी कैबिनेट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मंत्री नहीं है । 80 प्रतिशत एमएलए गायब हैं, यह सब क्या संदेश जा रहा है ? आपको आसंदी से यह देखना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संदेश यही जा रहा है कि राजा साहब का लोग साथ छोड़ चले हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बाबा साहब अकेले काफी हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, काफी हैं यह तो ठीक है लेकिन यह थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि केवल दो ही विभाग की तो चर्चा होनी है । एक माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब की और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी की तो यहां पर सबको रहना चाहिए । हम बोल देते हैं, हमको कोई आपत्ति थोड़ी न है ।

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पांडे जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह निर्णय होना चाहिए कि सरकार ने या सरकार के बाकी मंत्रियों ने क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी का बहिष्कार कर दिया है ? यह निर्णय तो यहां से होना चाहिए न। पूरा सदन उनका सम्मान करता है । वे वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनके बजट के भाषण में एक तो वे कई तकलीफों के बाद सदन में आये हैं तो उनके समर्थन में लोगों को उपस्थित रहना चाहिए । आप जरा देखिये कि एक भी मंत्री उपिस्थत नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि सी.एम. साहब की कुर्सी से लेकर पीछे तक टी.एस.बाबा साहब की कुर्सी से लेकर पीछे तक इधर डॉ. प्रेमसाय सिंह जी की कुर्सी से लेकर पीछे तक और उधर भी न तो विधायक हैं और न कोई मंत्री हैं तो आखिर यह क्या संदेश जा रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- फिर बोलते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह तो आपको भी वहां से दिखाई दे रहा है । आप जरा पूछिए न कि कहां है, उनको बुलवा लीजिये । कई को-रिलेटेड डिपार्टमेंट रहते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वे लंच में गये हैं ।

श्री संतराम नेताम :- वे सभी लंच में गये हैं । धीरे-धीरे, बारी-बारी से आयेंगे। अभी आयेंगे, लंच में गये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कार्यवाही रोक दें, लंच के बाद कर लेना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक काम करो न कि आप लोग भी लंच में चले जाओ, एक घंटे की छुट्टी हो जाये ।

(स्कूल शिक्षा मंत्री, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वे सुनकर आ गये ।

श्री संतराम नेताम :- हमारे मंत्री जी आ गये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी को माना जाता है कि उनके खास हैं लेकिन आजकल वे भी ढुलमुल हो गये हैं, वे भी उपस्थित नहीं थे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यहां आवाज उठी तो वे आ गये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- राजस्व मंत्री जी भी आ गये हैं ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- मैं तो हूं । बृजमोहन भाई देख ही नहीं रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जय सिंह जी का तो पता ही नहीं चलता है कि वे इधर हैं कि उधर हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जयसिंह जी न इधर हैं न उधर हैं, जय सिंह जी इधर हैं।

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूं कि उधर से बोलवाना है । आप बताईये न कि किसको बोलना है ?

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पांडे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं । मैंने सोचा कि आपने मुझे बोला है ।

सभापति महोदय :- नहीं, आप बोलने के लिये खड़े हुए थे न इसीलिये आपको बोला था । चलिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस बात का तो निर्णय होना चाहिए कि बजट महत्वपूर्ण है और यह शासन जल्दी-जल्दी करवाकर उसे पास करवा रहा है । अभी अंतिम विभाग का बजट बचा है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर चर्चा होगी और ऐसे समय पर भी एक तो सत्र को छोटा कर दिया गया है । छोटे सत्र में भी अगर मंत्रीगण उपस्थित नहीं हों, मंत्रियों की विभागीय चर्चा के ऊपर में और महत्वपूर्ण विभागीय चर्चा में जिसमें ग्रामीण पंचायत और स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा है तो यह लज्जाजनक है कि सरकार के लोग ही सरकार के किसी एक मंत्री का साथ नहीं दें तो मुझे लगता है कि यह बहुत लज्जाजनक है इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि जो मंत्री भोजन करके वापस आ जाये और यहां पर बैठ जाये। आप यह निर्देश जारी करें। आपसे इस बात का आग्रह है।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, आप आज ही भेजिए। स्पेशल मैसेंजर भेजिए। आपके पास तो पूरे अधिकार हैं। यहां रहने से चर्चा अच्छी होती है। अकेले में एक आदमी के साथ हम क्या चर्चा करेंगे? एक आदमी अकेले बैठे हैं। उनके ऊपर क्या बोलेंगे? उनके सपोर्ट में आप लोग रहिये। उन्हें तो आपने यहां पर अकेले छोड़ दिया है। यह ठीक नहीं है न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो गांजा-भांग है, यह दारू माफियाओं की सोची-समझी चाल है। उनकी सोची-समझी चाल है, क्योंकि बंद कर दिया गया। उसे प्रमोट नहीं किया गया। नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा समिति बनाकर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उस चाल से बचाइए। छत्तीसगढ़ की प्रवृत्तियां बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। हम अपराध की श्रेणी में बहुत आगे आ गये हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कृपया इसकी दुकानें खुलावाइए और प्रयोग मेरे विधान सभा से करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिए, बधाई। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट) गांजा-भांग की दुकान खुलनी चाहिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बिल्कुल खुलेगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पाण्डे जी, आपका विभाग है। बढिया-बढिया बोलेंगे।

सभापति महोदय :- शैलेश पाण्डे जी।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, आज बहुत ही जनहित का विषय है। लोक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण विषय है, मैं समझता हूं और खासतौर से जब से हमारी सरकार बनी है और कोरोना का काल भी रहा है। आज मैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी के विभाग की मांगों के समर्थन में अपनी बात को रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो सपना कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में लेकर आयी थी, जिस प्रकार से एक आम आदमी एक गरीब आदमी, उसको किस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधा हम दे सकते हैं, अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से, उसको हर संभव स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे वह हमारे सी.एच.सी. या पी.एच.सी. के माध्यम से हो या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता के माध्यम से हो, यह हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी की बुद्धि, कौशल, ईमानदारी, संवेदनशीलता के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ की लगभग ढाई करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। सभापति महोदय, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आपको याद होगा, पिछले दो वर्षों से हमारा प्रदेश किस प्रकार के संक्रमण की महामारी से गुजर रहा था और पूरा प्रदेश ही नहीं, देश भी और विश्व भी वैश्विक महामारी के इस जाल में फंसा हुआ था। माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना का काल आया तब हमारे सामने चुनौतियां थीं कि हम इससे कैसे निपट पायेंगे ? क्योंकि यह एक ऐसी महामारी थी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत जरूरत थी, टेस्टिंग लैब की बहुत जरूरत थी। उसका रोकथाम कैसे किया जाये। उसका वैक्सीनेशन की कोई सुविधा नहीं थी। कौन जीयेगा, कौन नहीं जीयेगा, यह पता नहीं था। 15 वर्ष जिन लोगों ने इस प्रदेश में शासन किया, वे मौन थे । वे सिर्फ विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय बांधी जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। वे खुद भी इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। कमियां गिनाना बहुत आसान है, लेकिन काम करके दिखाना बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कठिन होता है। हम किसी इंसान में, किसी व्यक्ति में, किसी काम में कमियां तो गिना सकते हैं । जितनी चाहे कमियां गिना दी जाएं, आज सदन में बहुत सारे लोग बैठे हैं । मैं अपना ही उदाहरण देता हूं, मुझमें ही बहुत सारी कमियां गिनाई जा सकती हैं । लेकिन अच्छा काम क्या किया गया है और अच्छा काम क्या हो सकता है, हो सकता है कि विपक्ष के हमारे साथी इसका उल्लेख न करें । लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को मानती है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य रहा है, जहां पर पहले दिन से, बल्कि उसके भी पहले से, आपको याद होगा दो साल पहले का विधान सभा सत्र था और जनवरी-फरवरी के आसपास यह बात चर्चा में आ चुकी थी और सबसे पहले हमारी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी इस दिशा में काम करने लगे थे कि कैसे हम सोसल डिसटेंसिंग का पालन करेंगे, कैसे हम चीजों को रोकेंगे, कैसे हम कोरोना को ब्लॉक कर सकते हैं, इस पर हमने शुरू से ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी । आज उन तैयारियों के कारण ही छत्तीसगढ़ प्रदेश बचा हुआ था ।

सभापति महोदय, पिछले 2 वर्षों में कई बार पार्टी के काम से उत्तरप्रदेश जाना हुआ । हर बार मैंने वहां जाकर देखा कि वहां की सरकार, वहां के लोग बिना मास्क के ही घूम रहे है, वहां कोई मास्क नहीं पहनता । वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा है, वैक्सीनेशन तो छोड़िये, उससे पहले टेस्टिंग का पता ही नहीं है । यहां हमारी सरकार एक लाख लोगों की टेस्टिंग प्रतिदिन कर रही थी । अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं, वे इस बात को जानते हैं । ढाई करोड़ की जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग होती थी और लगभग 26-27 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तरप्रदेश में भी 1 लाख टेस्टिंग होती थी, कितना अंतर था ? यह सरकार की गंभीरता थी । कोरोना के समय मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आसपास के राज्यों से लोग यहां पर भर्ती होकर अपना इलाज कराने आते थे । उन राज्यों की यह स्थिति थी, यह गंभीरता थी उन राज्य सरकारों की । हमारी सरकार ने चौबीसों घंटे काम किया है, हमारे विधायकों ने, हमारे सभी अधिकारियों ने चौबीस घंटे काम किया है । इसी का नतीजा है कि आज हम कोरोना को रोक पाए हैं और अपना काम भी कर रहे हैं । वायदे बहुत सारे किये जाते हैं । डॉ. रमन सिंह जी का नाम खराब करने के लिए बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इनके 15 साल के कार्यकाल में बहुत से स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं । आदरणीय बांधी जी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे । इनके कार्यकाल में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया जा था, खरीदी क्या करनी है, खरीदी कैसे करनी है और हम यह खरीदी कैसे कर पाएंगे ? जब बांधी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो इनके चक्कर में बड़े-बड़े उच्च अधिकारी बर्खास्त हो गए । उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री आए, उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो लापरवाहियां हुईं, नागरिकों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ उसे पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि कब नसबंदी कांड हुआ, उसमें कितनी महिलाओं ने अपना जीवन त्यागा । सरकारी नसबंदी योजना थी, नसबंदी क्यों कराई जाती है, आप जानते हैं, निर्दोष महिलाएं काल के गाल में समा गईं । अंखफोड़वा कांड हुआ, लोगों की आंखे चली गईं । गर्भाशय कांड हुआ, सिम्स भर्ती घोटाला हुआ । आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा

कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिम्स में क्या स्थिति थी ? चूंकि सिम्स मेरे बिलासपुर का है, उसमें भर्ती इनके कार्यकाल में हुई । सिम्स बिलासपुर में धोबी के लिए नियुक्त किया गया, जो ड्राइवर के लिए नियुक्त किया गया, जो चपरासी के लिए नियुक्त किया गया, ऐसे सभी लोगों को वार्ड ब्वाय या वार्ड आया का काम दे दिया गया, अब बताइए आप ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, एक नेत्र शिविर हुआ, कांड हुआ। इसको गलत ढंग से परिभाषित किया गया है। परिणाम इसका गलत ढंग से परिभाषित करने क कारण पूरे छत्तीसगढ़ में जो कैंप लगा-लगा करके जो नेत्र शिविर लगाते थे, आम लोगों को उसका लाभ मिलता था, उसका फायदा मिलता था, उससे वंचित कर दिया गया है। आज कहीं पर भी कोई शिविर नहीं लगता। उस पर पुनर्विचार जरूर करें, क्योंकि उसके गलत परिभाषा के कारण उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। बहुत गलत परिभाषित किया गया है।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय बांधी जी इस सदन के बहुत सम्मानित आदमी हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। वे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और कुछ समय के लिए वे उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो उदाहरण कहा है, छत्तीगढ़ में यह धंधा बन गया था कि कैसे नेत्र शिविर लगाये जाये, कितने लोग पकड़े जाये, गांव-गांव से लोगों को लाया जाए, उससे सरकारी योजना में डाला जाए, उनका मोतियाबिंद ठीक किया जाय या ना ठीक किया जाय, लेकिन वह पैसा निकाल लिया जाय। यह उसकी सच्चाई थी। उस पर थोड़ी रोक लगी है। सरकार आती है माननीय बांधी जी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी बात गलत है। मैं यह नहीं कहता हूं कि अजय जी की बात गलत है या बाकी लोगों की बात गलत है। लेकिन उन चीजों में सुधार करना यह सरकार का काम होता है, जो शिकायतें आती हैं। आप आज भी शिकायत करते हैं तो सरकार उन पर सुधार करती है। आज भी सुधार करने का एक उदाहरण दिया है। हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, उसको हमें सुनना चाहिये, उसको हमें मानना चाहिये। अजय चंद्राकर जी उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने अच्छा काम किया। वे कोशिश करते थे कि अच्छा काम हो सके, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे के स्तर पर योजनाएं आम आदमी तक, गरीब आदमी तक वह इन्फ्रास्ट्रक्चर के बेटलमेंट में काम करते रहे। लेकिन उनके कार्यकाल में कम से कम कोई बड़ा कांड नहीं हुआ।

आदरणीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि मैं कोरोना की बात कर रहा था। कोरोना काल में प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की स्थिति क्या थी, हमारे पास कितने वेंटिलेटर थे, हमारे पास कितनी टेस्टिंग कीट थी, यह सारी चीजें आप बताईये कि आज इन्होंने 15 वर्ष में जो काम किया, उस 15 वर्षों में क्या सुविधा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ के गांवों तक, शहरों तक कहां पर यह चीजें की, जिससे कि हम एक आपातकालीन चिकित्सा कर पाते।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कोरोना के नाम से 600 करोड़ का सेस बनी है, उसका क्या उपयोग कोरोना के हित में वेंटिलेटर में, हॉस्टिपल बनाने में हाथ जोड़-जोड़कर लोगों ने अपना कोरोना केयर सेंटर बनवाया। इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई भूमिका नहीं थी।

सभापति महोदय :- बांधी जी, आपकी बात आ गई है। चलिये बैठिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- आदणीय बांधी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे देश में पेट्रोल-डीजल के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सेस लेती है। उस सेस का उपयोग केन्द्र सरकार किस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च करती है। यह आप बताईये। दारू पीने वालों से केन्द्र सरकार ने सेस लिया। आप बताईये कि क्या केन्द्र सरकार क्या सेस का काम करती है। उस सेस से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्या भला हुआ। आपने केन्द्र सरकार से कभी पूछा।

आदरणीय सभापति महोदय, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कितना महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जो कि अस्पतालों में लगाया जाता है। आपको याद होगा कि सिलेण्डर में भर-भरकर अस्पतालों में लेकर जाते थे और उसके बाद उनको जो पाईप लाईन का सिस्टम है, उसको फिट करते थे और फिर वहां से पूरा ऑक्सीजन जाती थी। उससे कितना लाभ होता था। आज जरूरत थी छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। हमारी सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाये और साथ ही साथ क्रायोजनिक प्लांट के लिए भी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। वह स्वीकृति होगा तो हमारे जिलों में क्रायोजनिक का लिक्विड ऑक्सीजन का भी प्लांट लगेगा। आज उसके कारण जो हमारा स्वास्थ्य का सुविधा है, आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो ऑक्सीजन का बेड हम देख पा रहे हैं, आज हम जो छत्तीसगढ़ को जिस स्थिति में ला पाये हैं, उस छत्तीसगढ़ को जहां पर हमारे पास नाम मात्र के वेंटिलेटर हुआ करते थे, बहुत कम हमारे पास ऑक्सीजन बेड हुआ करता था। माननीय सभापति महोदय, हम यह नहीं कहते हैं कि आपने काम नहीं किया, पर हम यह जरूर कहेंगे कि आपने जो काम किया, उस काम में निजी क्षेत्रों को ज्यादा बढ़ावा मिला, सरकारी क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं मिला। सरकार के हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कम था प्राईवेट सेक्टरों में ज्यादा हुआ करता था। उसका कारण यह था कि जो आम जनता थी, वह परेशान होती थी। उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता था। उसको ईलाज के लिए दिक्कत होती थी। यह बात सही है लेकिन आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो कुछ हो सका, जो किया गया और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे सफलतम मंत्रियों में से एक मंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जिन्होंने अपने विभाग को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आत्मीयता से और बहुत ही ममता से उन्होंने इस...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस विभाग में बोलना ही नहीं चाहिये। महाराज, समर्पित है आपके चरणों में बोल देना। समझे।

श्री शैलेष पाण्डेय :- केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने कोरोना के काल में अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया। यह सवाल है कि उन्होंने क्यों बदला? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं बदला। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार कोरोना के काल में पूरे देश में कोराना की रोकथाम करने मे विफल रही, इसलिए मंत्री बदले गये। ठीक है अच्छी बात है सुधार करने के लिए बदलाव किया गया होगा, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या चाहे उनकी रही हो, चाहे हमारी है कि जो मेडिकल सेक्टर में मानव संसाधन है उस मानव संसाधन की पूर्ति किस प्रकार से की जाए? हम कितने भी पैसे देकर डॉक्टरों को तन्ख्वाह देते हैं लेकिन वह डॉक्टर कितने दिन काम करता है? हर डॉक्टर सरकारी क्षेत्र में इंट्रेस्ट नहीं रखता था क्योंकि वहां की तन्ख्वाहें, वहां के वेतन जो थे, वह उतने नहीं थे इसलिए लोग प्राईवेट सेक्टर में जाते थे। छत्तीसगढ़ में अगर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं तो जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसके लिए भी हमने बढ़ावा दिया। आज प्रदेश में कम से कम 12 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें कि 10 गवर्नमेंट के हैं और 2 प्राईवेट कॉलेज हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ जैसा इतना बड़ा राज्य जिसमें कि अगर सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं तो वह गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और प्राईवेट सेक्टर के नहीं हैं यानी कि वहां की सरकार कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है कि उसके प्रदेश में यहां की प्रतिभाओं को मौका मिले और यहां की प्रतिभाएं जो हैं, वह डॉक्टर बने और गांव-गांव दूर-दूर तक काम कर पाये। माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, आप भी एक विधायक हैं, आप वरिष्ठ विधायक हैं कि गांव में डॉक्टर नौकरी नहीं करता है। अगर उसको पी.एस.सी. में नाकरी देते हैं, पोस्टिंग देते हैं तो वह बोलता है कि देख लो भाई शहर के आस-पास कहीं पोस्टिंग करवा दो तो बहुत अच्छा होगा। यह सब आज भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा, जब हम अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। यहां के कॉलेजेस को बढ़ाएं। यहां के रिसोर्सेस को बढ़ाएं और उन रिसोर्सेस को हमने बढ़ाएं और हमारी सरकार ने बढ़ाए। हमने मेडिकल कॉलेज बढ़ाएं और हमने छत्तीसगढ़ से यह कमिटमेंट किया कि हम अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज 12 मेडिकल कॉलेज में 1 हजार 370 सीटें हैं जिसमें कि 920 गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 450 प्राईवेट सेक्टर में हैं। अगर पी.जी. की बात करते हैं आज बच्चे पी.जी. करने बहुत जाते हैं। आज पी.जी. की बहुत डिमाण्ड है। हमारे पास पी.जी. की 305 सीटें हैं जो 300 बच्चे हैं वह एम.बी.बी.एस. के बाद एम.डी. कर सकते हैं। ये सुविधाएं पहले नहीं थीं। हमारे यहां के बहुत कम बच्चे हैं जो एम.बी.बी.एस., पी.जी. में सेलेक्ट होते हैं। या तो वह महाराष्ट्र या कहीं और जाते थे। इसी प्रकार से बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में 6 डेण्टल कॉलेज हैं जिसमें कि 5 प्राईवेट सेक्टर में हैं, 1 गवर्नमेंट सेक्टर में है। डेंटिस्ट के लिए 600 सीटें हैं। आज हम नरसिंग की बात करते हैं, बी.एस.सी. नरसिंग की तो 108 कॉलेज हैं जिसमें हम वह जो सेवा करने वाली नर्सेस हैं उनको भी जो मेडिकल के सेक्टर में हम ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहे हैं इनकी बहुत

जरूरत है। आज हम अस्पताल खोल देते हैं। अस्पताल खोलने के बाद वहां पर जरूरत पड़ती है कि वहां पर नर्सेस हैं कि नहीं हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि यदि अस्पताले में 1 किलों का बच्चा पैदा होता है और न जाने छत्तीसगढ़ में कितने बच्चे 1 किलो के पैदा होते हैं उस 1 किलों के बच्चे का नस ढूंढ के दिखा दे, आपको ऐसी नर्सें बहुत कम मिलेंगी। बहुत कम मिलेंगी। एक्सपर्ट। 3 किलो के बच्चे की नस ढूंढना आसान है, 1 किलों के बच्चे की नस ढूंढना बहुत कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी वह क्रिटिकल है और उसकी जिंदगी बचानी है । बांधी जी, आप तो डॉक्टर हैं, यह कितना कठिन काम है, आप जानते हैं । आज हम लोग जितनी नर्सेस को छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, ये लोग छत्तीसगढ़ में ही सेवा करेंगे, हमको इनकी जरूररत है । सभापति जी, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं । बिलासपुर में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राज्य के कैंसर संस्थान् की स्थापना के लिए 51 करोड़ रूपए दिए गए । रायपुर के बाद अब बिलासपुर में कैंसर का बड़ा अस्पताल बना रहे हैं । कैंसर वह बीमारी है, जिसके ईलाज के लिए पूरे प्रदेश से लोग मुम्बई और दिल्ली जाते हैं । इन दो शहरों में यहां से बहुत ज्यादा लोग ईलाज करवाने जाते हैं । इनके ईलाज के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जितने भी लोगों को कैंसर के ईलाज के लिए बिलासपुर से भेजता हूं, उन सबका ईलाज होता है । रायपुर के मेकाहारा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और लोग संतुष्ट रहते हैं और वे कभी शिकायत नहीं करते हैं । मेकाहारा में हमने यह उपलब्धि बढ़ाई है, यही उपलब्धि हम बिलासपुर के लिए करने जा रहे हैं । सरगुजा, बस्तर सभी जगहों पर कैंसर के बीमारी की ईलाज की जरूरत है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांडे जी, जहां बोलना है, वहां तो जाते-आते नहीं हो, वहां बोलते नहीं हो । यहां जो हो रहा है, उसको गिना रहे हो । बोलो न कि राजा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाये ।

श्री शैलेश पांडे :- सभापति जी, जगदलपुर और बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है । सभापति जी, जगदलपुर आपका जिला है। आज बिलासपुर और जगदलपुर में 200-300 करोड़ रूपए का अस्पताल बन रहा है, जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का सहयोग है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार का सहयोग है । वहां 200-300 बिस्तर का अस्पताल रहेगा । बिलासपुर का अस्पताल तो लगभग बन भी गया है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर भी दिया है कि दो महीने बाद वे बिलासपुर के अस्पताल का फीता काटेंगे । यह कितनी बड़ी उपलब्धि है । मुझे याद है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बिलासपुर में पहला मेडिकल कॉलेज बना था-सिम्स । उस समय सिम्स की बहुत जरूरत थी, एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था ।

आदरणीय सभापति जी, मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से हम हर आदमी को स्वास्थ्य की सेवा दे पाये । आज एक बड़ी चीज है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गरीब

लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, वह हर क्षेत्र में रहते हैं और हर व्यक्ति ईलाज कराना चाहता है, लेकिन हर ईलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाता है, उसके लिए प्राईवेट अस्पताल भी जाना पड़ता है चाहे वह अस्पताल प्रदेश में हो या प्रदेश के बाहर हो । आज खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में खूबचंद बघेल जी के नाम से स्वास्थ्य योजना चलायी जाती है, उस स्वास्थ्य योजना में प्रदेश के हर गरीब आदमी का ईलाज नि:शुल्क किया जाता है । हमारी सरकार ने तो राशन कार्ड को भी लागू कर दिया है कि अगर कोई भी गरीब आदमी राशन कार्ड ले जाकर अपना ईलाज कराता है तो अस्पताल में वह भी मान्य किया जाएगा चाहे उसके पास कार्ड हो या न हो । प्रदेश में राशन कार्ड तो सबके पास है, लगभग 67 लाख परिवार हैं, जिनके पास राशन कार्ड है चाहे वह ए.पी.एल. हो, बी.पी.एल. कार्ड हो, अन्त्योदय कार्ड हो, जितने भी प्राथमिक राशन कार्ड हैं, वह लोगों के पास है। राशन कार्ड के माध्यम से गरीब आदमी का ईलाज हो जाता है । कोरोना के समय भी हमारी सरकार ने कम से कम 20 सीटें रिजर्व कीं कि ऐसे गरीब तबके के लोगों का ईलाज नि:शुल्क किया जाये, उसके लिए अस्पतालों को भी चिह्नांकित किया गया । 50 हजार रूपए तक के ईलाज है, उसके अलावा 5 लाख रूपए तक के भी किये जाते हैं । दूसरी बड़ी योजना मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत सारे आवेदन भेजता हूं, पर हर व्यक्ति का ईलाज किया जाता है । सरकार को बने तीन साल हो गए हैं, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, इसलिए इस बात को नहीं कहूंगा। बल्कि सत्य बात कह रहा हूं कि आज तक किसी भी व्यक्ति का नाम वापस नहीं आया है। हर व्यक्ति का ईलाज किया गया, चाहे वह मुख्यमंत्री जी के यहां से अग्रेषित किया गया हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी के यहां से अग्रेषित किया गया हो। मैं ना जाने कितने व्यक्तियों के ईलाज के लिए खुद अपने हाथों से वहां जाकर आवेदन जमा किया हूं। हर व्यक्ति को वह सुविधा मिला है। चाहे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में ईलाज हो, चाहे कोई सा भी अस्पताल हो।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बड़ी योजना मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हमारी पूरी कैबिनेट, जो यहां बैठी हुई है, हमारे सभी केबिनेट मंत्रियों ने जो काम किया है, वह मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है। माननीय सभापति महोदय, इसमें गरीब आदमी को 20 लाख रूपये तक का ईलाज मुहैय्या कराया जाता है। आज पूरे प्रदेश में 20 लाख रूपये तक का ईलाज कितने लोग करा सकते हैं ? मैं आपको बताता हूं कि वह चाहे अच्छे से अच्छा परिवार हो, बसा हुआ परिवार हो, जब कैंसर या किसी बीमारी में 3-4 लाख रूपये तक का खर्च होता है, तो वह परिवार टूट जाता है। बोलते हैं कि 3 लाख खर्च हो गया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पांडे जी, एकाध नाम बता दो, जिनका ईलाज हुआ हो ? 20 लाख रूपये में ईलाज होने वाले का एकाध नाम बता दो।

श्री शैलेष पांडे :- मेरे पास तो आकड़ा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- एकाध नाम बता दो ?

श्री शैलेष पांडे :- मेरे पास आकड़ा है। 31 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- दो-चार जनों का नाम बता दो, जिनका 20 लाख रूपये में ईलाज हुआ हो।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्लीज।

श्री शैलेष पांडे :- आदरणीय सभापति महोदय, यह हर व्यक्ति के लिए बनाया गया है। माननीय बाबा साहब का सपना था कि हर व्यक्ति का ईलाज हो सके। सरकार हर व्यक्ति का संरक्षण करे, उसको स्वास्थ्य की सुविधा दें, यह हमारी सरकार की सोच थी। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत 20 लाख रूपये तक का ईलाज किया जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी मितानिनों की बातें करते हैं। मितानिनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन वह कभी भी इस बात को नहीं बोलते हैं कि ...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कौन घड़ियाली आंसू बहाया, कौन घोषणा किया, उसको भी बता दो भैय्या ?

श्री शैलेष पांडे :- बैठो न मालिक, आप ही के जिले की बात बता रहा हूं।

सभापति महोदय :- पांडे जी, जरा जल्दी कीजिये।

श्री शैलेष पांडे :- मैं तो अभी शुरू किया हूं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नाम जरूर बताईयेगा। अभी नहीं तो बाहर बताईयेगा, लेकिन नाम बताईयेगा ? मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 20 लाख रूपया किस-किस को दिया गया है ?

श्री शैलेष पांडे :- माननीय सभापति महोदय, प्रमोद जी को आधे घंटे का समय दीजियेगा ताकि वह अपनी पूरी बात रखेंगे। आधे घंटे का समय दीजियेगा, ये बीच-बीच में बहुत बोलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मितानिनों का उपयोग किस काम के लिए किया जाता था, मैं बताता हूं। एक नेता जी, भागवत कथा कराते हैं। भागवत कथा कराते हैं तो मितानिनों को बुलाते हैं और मितानिन सड़क पर घूमकर मटकी लेकर जाती हैं। मैं देखा हूं, आपको फोटो भेजूंगा। ठीक है ? मितानिनों का उपयोग क्या होता है ? वह एक राजीनतिक अस्त्र बन गई थीं। ये काम करती थीं। आज मितानिनों को आनलाईन भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, उनका वेतन कम है। लेकिन उनको वेतन समय पर मिल जाये, इसके लिए मैकेनिजम बनाया गया। इस मैकेनिजम से मितानिनों की रिपोर्टिंग आनलाईन हो रही है। उनका जो इन्सेंटिव है, उसका भुगतान आनलाईन किया जा रहा है, समय पर मिल रहा है। मेरी मितानिनों से बात होती है। उनके प्रेरकों से बात होती है, मैं उनकी मीटिंग लेता हूं, मै सी.एम.एच.ओ. में जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आपको कोई दिक्कत है क्या ? हां, उनकी मांग है

कि उनका वेतन बढ़ाया जाये। मैं अपनी सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आपके साथ मांग करूंगा कि मितानिनों का वेतन जरूर बढ़ाया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, संक्षिप्त में और भी विभागों की बात रखें।

श्री शैलेष पांडे :- बांधी जी बोले थे। आज मितानिनों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास मोबाइल है, वह हर व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, हर गरीब से जुड़ी हुई हैं, वह हर एक के घर जाती हैं। आज हमारी सरकार उनको आनलाईन भुगतान कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमर लैब, हमर लैब जो योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे जगदलपुर, बालोद, बलौदा बाजार में यह लैब चालू किया गया है। इसमें सी.एस.सी. स्तर पर मानपुर जिला-राजनांदगांव, पलारी, बलौदा बाजार ये लैब बनाये गये हैं। छत्तीसगढ़ में जो परम्परा थी, वह क्या परम्परा थी कि किसी भी बड़े शहर के ...।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। संक्षिप्त में और भी विभाग की बात रखें।

श्री शैलेष पांडे :- 5 मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। किसी भी शहर का जनरल ट्रेंड यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिजन का ब्लड टेस्ट करवाने जाता है या कोई भी टेस्ट करवाने जाता है, तो वह हमेशा प्रायवेट लैब में जाता है।

सभापति महोदय :- पाण्डेय जी, संक्षिप्त में बातें रखें और समाप्त करें ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सर, मैं पहला वक्ता हूँ, अभी तो आधा ही हुआ है ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- दो मिनट सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, हमर लैब के माध्यम से, हमर अस्पताल के माध्यम से, जिन जिलों पर हमारी सेवायें दी जा रही है, इससे हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत लाभ मिल रहा है । आदरणीय सभापति महोदय, ऐसे दीर्घायू योजना, मातृत्व स्वास्थ्य योजना, इसके साथ ही साथ हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, जीवनधारा डायलिसिस, यह सभी जो योजनायें हैं, इससे जनहित के काम किये जा रहे हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो योगदान है, उनके विभाग में जो अधिकारियों का सहयोग है, एक आम कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा है..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शैलेश जी, स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोल रहे हो कि मंत्री जी के बारे में बोल रहे हो कि सरकार के बारे में बोल रहे हो ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए अंतिम व्यक्ति तक आभार प्रकट करता हूँ । वास्तव में हम सब उनके ऋणी हैं । हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं और उनका किस प्रकार से अच्छा किया जा सके...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी के पास और भी विभाग है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, चाहे मितानिने हों, स्वास्थ्य विभाग के अंतिम व्यक्ति का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसका इंसेटिव जरूर बढ़ाया जाये । उसका भला किया जाये ।

श्री कवासी लखमा :- नया-नया है, उसको क्यों टोक रहे हो ?

सभापति महोदय :- चलिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोले हैं, ग्रामीण विकास के बारे में बोले ही नहीं है ।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी ने जितना सिखाया है, उतना बोले हैं । जितनी भरी चाबी...।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आदरणीय सभापति महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बारे में बोला जा सकता है । हम लोग बहुत सारी बातें कृषि विभाग के बजट में बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री के बजट में बोल चुके हैं । सदन का समय ज्यादा न लगाते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय अजय चन्द्राकर जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शैलेश जी, अब अजय जी से ग्रामीण विकास विभाग के बारे में सुनो ।

एक माननीय सदस्य :- बीस-बीस लाख ईलाज के लिए कितने लोगों को मिला है, नाम जरूर बताईयेगा ।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की जितनी मांगें हैं, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हूँ । मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब के अवसाद से छत्तीसगढ़ का विकास बहुत प्रभावित हो रहा है । एक उदाहरण हैं, वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक कांग्रेस ने ग्रामीण विकास के लिए एक भी योजनायें लागू नहीं की है, आप मंत्री थे साहब, आपने लागू की थी । हमारा सरोवर, हमारा धरोहर । इस तरह की तीन-चार योजना लागू की थी, 15 साल में हाइयेस्ट जो मूलभूत या 13 वें, 14 वें, 15 वें आयोग के पैसे के अतिरिक्त अधिकतम 560 करोड़ रूपया पंचायतों के विभिन्न योजनाओं के लिए हम लोगों ने दिया। एक साल ठीक-ठाक चला, लोगों को पैसा दे दिया, दूसरे साल से इनके खजाने में अंकुश लग गया । मैं डॉ.रमन सिंह जी की उपस्थिति में बोल रहा हूँ । राजा साहब, मेरा इतना पैसा स्वीकृत कर दें, आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सचिव को चिट्ठी लिखेंगे, यह जो राजनीतिक अवसाद दिखने लगा है, छत्तीसगढ़ के विकास में परिलक्षित होने लगा, मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ, मुझे सचिव को बोलना होता तो इस्तीफा देना ज्यादा पसंद करता। यह बैठे हैं, इनका प्राधिकरण का पैसा, जो पीछे बैठे हैं, उनका प्राधिकरण का पैसा । मैं अभी बोल रहा था, विधायिका की जो सर्वोच्चता है, यदि सब का ठेठ है, आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं । एक छोटी सी बात यह है कि आपके सरकार का एक पत्र दिखा देता हूँ, मैं कागज से नहीं बोलूंगा । यह एक पेपर पढ़ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राजा साहब के अवसाद के कारण ओकर बोले के इच्छा नई होत हे। अवसाद के कारण राजा साहब जवाब देही या नई देही।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 37 लाख परिवारों में 30 लाख परिवार SGSY से जुड़ सकते हैं। आपने अभी तक 22 लाख परिवार को जोड़ा है। आपके मुख्यमंत्री जी जो विज्ञापन करते हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। यह जो 1 लाख से ऊपर समूह हैं, वह कई तरह के नवाचार, कई तरह की नई गतिविधियां 1998 से कर रहे हैं, जब से गठित हुई हैं, तब से कर रहे हैं। आपके राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको यह बता देता हूं कि आप ए.डी.ओ. के बलबूते में गरीबी उन्मूलन का या उस तरह के काम को कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी सोच नरवा, गरवा, घुरूआ, बाड़ी जो बिना बजट के है, उससे ऊपर नहीं है। आप इतना प्रचारित कर रहे हो, जैसे कुछ अर्थव्यवस्था में या और किसी चीज में बहुत परिवर्तन आ गया है। जब हम मूल प्रश्न करते हैं, आपके प्रतिवेदन में मैं एक जगह मनरेगा के काम को ऐसे मोड़ा हूं, आपने बिना देखे रख दिया है। मनरेगा के जितने काम आपके हैं, उसमें कहीं पर मुझे गोठान दिखा दीजिए। बकरी आश्रय स्थल, सुअर आश्रय स्थल, इसके आश्रय स्थल, उसके आश्रय स्थल का मतलब गोठान होता है ? उस दिन मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि कुछ लोग यहां धमकी दे रहे थे। मैं तो कल के भाषण में बोलूंगा कि धमकी का मतलब क्या है। लेकिन आपको बता देता हूं कि जिन्होंने गोठान में नार्म्स के बाहर जाकर जबरदस्ती काम किया है, मैं फिर से कह रहा हूं कि वह जेल जायेंगे, बस डेढ़ साल रूकिये। अब आप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसको डेढ़ साल बाद देखियेगा। अब मनरेगा में एक लाईन बोल देता हूं। मैं गरीबी उन्मूलन में तो बोल दिया। आप जो गतिविधि छोटे-छोटे आर्डर को बड़े-बड़े पोस्टर में दिखाते हो, वह 20 साल पहले से हो रहा है, जिस दिन से अटल बिहारी बाजपेयी जी ने स्वसहायता समूह की घोषणा की, उस दिन से हो रहा है। मनरेगा में अभी आपने 8-10 लोगों को निलंबित किया है। मनरेगा में मजदूरी शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है। जो मटेरियल का पैसा है वह 60-40 प्रतिशत होता है। मटेरियल के पैसे में आप 7 करोड़ रुपये में 6 करोड़ रुपये मटेरियल में बुक कर रहे हैं, आप ही ने कहा कि 80 प्रतिशत बुक कर रहे हैं। आपके तथाकथित संसार में 400 करोड़ रुपये मटेरियल का बकाया है। कुछ लोग आत्महत्या कर लिये जिनको पैसा नहीं मिला। रविन्द्र चौबे जी आपके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाजू में हैं, वह सोच रहे हैं..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 60-40 प्रतिशत का है न। हमारा पैसा मिल गया है, उधर केन्द्र का पैसा नहीं आया है। आप उसके लिए 9 सांसद लोगों को बोलिये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- केन्द्र के बारे में भी बहस कर लेंगे न। मैं तो हर विषय में बहस के लिए तैयार हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छेड़ीखेड़ी में अनुसूचित जाति के लोगों को उजाड़ा गया, जब तो आप बैठे रहे, उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसी को नहीं उजाड़ा गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- उजाड़ा गया है, आपको वह लेटर की कापी दिला देते हैं।

श्रीमती अनीत योगेन्द्र शर्मा :- माननीय सभापति जी, यह इनके कार्यकाल का है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप लोग बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नार्म्स से बाहर जाकर जो भी गोठान स्वीकृत किया है, वह सब जेल जायेंगे और पैसा वसूल होगा। अब दूसरी बात मैं आपको एक पेपर दिखा रहा था। माननीय मंत्री जी मैं अवलोकन के लिए भेज रहा हूं, सब ऋण माफ। आपके यहां लगभग 1 लाख 75 हजार के आसपास समूह हैं, कितने का ऋण माफ हुआ है, इस पेपर में आपने लिखा है। (माननीय मंत्री जी को अवलोकन करने के लिए पेपर की कापी दी गई।) ऋण माफी का विज्ञापन बड़े-बड़े पोस्टर में लगवाये थे। कौन लगवाया था, आप लेना, मैंने मार्क किया है। आप गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। इसको आपको अधिकार नहीं है। मनरेगा में, उसके बाद आपने जो तीसरा पाप किया है, वह पाप है, प्रधानमंत्री आवास योजना का। मैं इसीलिये बोलता हूं कि आपके अवसाद के कारण गरीबी, आप ही देखे हो, मैं तो पूछ नहीं रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पाप नहीं महा पाप।

श्री अजय चंद्राकर :- महा पाप। चाहे जिस कारण से जिसके कारण से भी हो, चाहे वह राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो। साहब आपको 51 हजार करोड़ रूपये कर्जा मिल सकता है। यह सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के लिये और कर्जा लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। जिसका मकान बनेगा, आप उसका सर्टिफिकेट दे दीजिये कि यह किसान नहीं है, इसलिये कर्जा नहीं लेंगे। 792 करोड़ रूपये जो 1998-99 का है, वह अभी टेण्डर में है, यह सत्र निकल जायेगा दिसंबर तक । जिनको चौथी किस्त मिलनी है, ऐसे कितने लोग हैं आपको मालूम है ? आप समीक्षा कीजियेगा, उसमें भी लोगों ने आत्महत्या की। कितने दिन से दो साल से, तीन साल से, आप चौथी किस्त नहीं दे रहे हो।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय चंद्राकर जी, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं न कि किसान के लिये कर्जा लूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने शायद स्लोगन दे दिया है '' यह टी.एस. बाबा का विभाग है इसलिये कुछ नहीं होने दूंगा''। ऐसा कुछ स्लोगन दिया है।

सभापति महोदय :- चलिये शर्मा जी प्लीज बैठिये, आपका भी नाम है, आप अपनी बात उस समय रखियेगा।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- आप बात करबो भरपूर, लेकिन कुछ नहीं दै।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने 4 लाख मकान वापस किये। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिखा दूंगा कि कोरोना के कारण 1 लाख 51 हजार मकान बना रहे हैं, बाकी को वापस किया। आपके अंश नहीं देने के कारण 7 लाख 81 हजार रूपये दिल्ली वापस चले गया। अब आपने इस साल 800 करोड़ रूपये रखा है, कोई हिसाब-किताब नहीं है कि 300 करोड़ से ऊपर तो आप ऋण चुकाओगे, 400 करोड़, 300 करोड़ जो भी होगा। बाकी कितने मकान मिलेंगे, आपको उसके लिये कितना बजट चाहिये, इस सरकार की गरीबों भर के लिये असंवेदनशीलता है। इसके बाद गरीबों के बारे में बात मत कीजियेगा, कांग्रेस को कोई हक नहीं है, कि वह गरीबों के बारे में बात करें। अधिकांश क्षेत्र वह क्षेत्र है, आप जिधर के राजा है, और अधिकांश क्षेत्र बस्तर के हैं। बस्तर के एम.एल.ए. साहब अभी बोलेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अजय चंद्राकर जी, पहले यह तो क्लीयर हो जाये कि वह राजा है कि नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- वह राजा है, अवसाद में है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, वह मंत्री है और अजय जी उनको बार-बार राजा बोल रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, राजा महाराजा, तो 1 जनवरी 1948 से समाप्त है और उस समय 1971 तक privilege (व्यवधान) थे और title भी था। उसके बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस के शासन काल में उसको भी समाप्त कर दिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, पर आप राजा है कि नहीं है यह बता दीजिये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मानिये तो भगवान, न मानिये तो पत्थर।

श्री कवासी लखमा :- वह तो राजा ही है लेकिन इस सदन में वह मंत्री है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तै तो मोर गांजा के अऊ भांग के जवाब दे।

सभापति महोदय :- चलिये बांधी जी बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- यह रविन्द्र चौबे जी को दे देना। (एक पत्र दिया गया।)

आपने महिला बाल विकास की भी ऋण माफी नहीं की है न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप यह पेपर बांटने वाला काम कब से चालू किये ? माननीय सभापति महोदय, यह सदन में बांटने वाला काम कर रहे हैं, इसको विलोपित करे। यह बांटने वाला काम कबसे चालू हुआ है। हम भी 20 साल से विधान सभा में बैठ रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, मैं आपसे बहुत खुश हूं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, आप तो गांजा और भांग के बारे में जवाब दो।

श्री कवासी लखमा :- यह नया-नया काम चालू किया है बांटने वाला, पेपर बांटने जाते हो क्या ?

सभापति महोदय :- चलिये बांधी जी, बैठिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तै गांजे और भांग के बारे में बात कर और मुद्दे की बात कर।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय चौबे जी, कल के प्रश्नोत्तरी में है कि वितरित हो गया। अनिला भेंडिया जी ने, आपकी यह सरकार ने महिला समूहों की ऋण माफी भी की है कि नहीं की है ? उसमें लिखा है, वैसे ही मैं उनका उत्तर भी उनको दे दूंगा, आपके बजट तो टोटल में कम हुआ है, इसलिये मैं ज्यादा बजट में नहीं बोलता। अब मैं आता हूं, थोड़ा-सा स्वच्छ भारत में, मैं सिर्फ मेरी चार योजनाओं के बारे में ही बोलूंगा। तीन साल से 750 करोड़ रूपये, अभी वह 200-250 करोड़ रूपये और बाकी होगा। काम ही नहीं कर रहे हैं, कार्ययोजना नहीं बन रही है, प्रशिक्षण नहीं हो रहे हैं। द्वितीय चरण के काम का कोई अता-पता नहीं है कि आप कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और द्वितीय चरण का काम होगा तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि दुर्ग (ग्रामीण) और पाटन को जरूर ले लीजियेगा, छत्तीसगढ़ को ले चाहे न ले। पहले प्रशिक्षण वहीं से शुरू होना चाहिये क्योंकि आपके माननीय मंत्रीगणों को अभी छत्तीसगढ़ की मानसिकता में आने में बहुत समय लगेगा। इसलिये आप उन दोनों का ध्यान रखियेगा। जब आप उत्तर दे रहे थे कि मैं इनसे पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा। मैं आपको अवसादग्रस्त क्यों बोलता हूँ? आपके यहां मेडिकल कॉलेज खुला तो आप मेरे साथ गये थे। वहां किस भाषा में कैसे और किस तरह के समय देने से, किस तरह काम होता है, आपने उसको देखा है। मैं स्वच्छता के बारे में कहना चाहूंगा कि तीन सालों से पैसा रखा है, आप पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उसका कौन प्रेरक है, कौन ट्रेनिंग देगा, कब देगा? अब मैंने 4 बात बोली। मैं पांचवी बात बोलकर, rural development को खत्म करूंगा। मेरा क्षेत्र सोशल सेक्टर है, मैं निर्माण सेक्टर में नहीं कहना चाहता कि यह सड़क गलत बनी है, यह नहर टेढ़ा हो गया तो इसमें मेरे सामने जांच करायेंगे क्या ? इसमें कभी कोई मेरी रूचि नहीं रहती। जहां तक ट्रेनिंग की बात है। लगभग पौने दो लाख चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं। यह विभिन्न तरह के लोग हैं। आपकी डी.आर.सी., आपकी बी.आर.सी. उसको फोटो खिंच लेते हैं। आप कहीं पर बता दीजिए कि यह हमने करवाया है। इतने लोगों को इतने पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस की नीति, कार्यक्रमों से हमने प्रशिक्षित किया। मैंने तो 2 मंत्रियों से कहा कि आप मुझे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बुला लीजिएगा, मैं कांग्रेस के बारे में भाषण दे दूंगा। कम से कम आप स्वसहायता समूह को लाकर, उसी को सीखा देते।

माननीय सभापति महोदय, अब एक छठवी बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा विषय है। पेसा। आप मत लेते रहिए। आप इन डेढ सालों में लागू नहीं कर सकते। आप बिल्कुल नहीं कर सकते। माननीय चौबे जी आप गवाही हैं, आप उधर के सबसे सीनियर आदमी हैं। डेढ़ साल, माने चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले पेसा लागू करके बताएं कि यहां पेसा लागू हो गई। मैं मान जाऊंगा। आपकी डी.आर.सी., बी.आर.सी. को मस्त शाम को पीने का अड्डा बनवा दीजिए। जहां-जहां भवन बने हैं वहां पानी ग्लास और फ्री में वॉटर ए.टी.एम. हो, यह जोरदार हो रहा है।

साहब, अब मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग में बोलता हूँ। पहले साल आपने बजट पढ़वाया। हम स्वास्थ्य विभाग में इतने लोगों की भर्ती होगी। परसों आपके अधिकारियों ने उत्तर दिया, शायद माननीय अकबर जी उत्तर दे रहे थे कि हमने आई.पी.एच.एस. नार्म्स स्वीकार किया। मैं पश्चिम दिशा में देखकर बोलता हूँ। उधर देखकर, पुराण पढ़ते हैं। क्या है, मैंने आपकी लोकप्रियता गाजीनगर में देखी थी। हां, आप बहुत लोकप्रिय हैं। हमने आई.पी.एच.एस. नार्म्स को स्वीकृत किया। आपने पहले साल भाषण में कहा कि हम अपने ढंग से भर्ती करेंगे तो जब बहस हुई तो मैंने कहा कि आप अपने नार्म्स बना लीजिए। अब आपने आज तक अपने नार्म्स नहीं बनाये कि भई एक 100 बिस्तर, एक 500 बिस्तर के अस्पताल में, जिला अस्पतालों में संख्या अलग-अलग है। उसके मापदण्ड के हिसाब से भई स्कूल, हाईस्कूल में एक सबजेक्ट में इतना चाहिए, कॉलेज में इतना सेटअप चाहिए। उसके स्टैण्डर्ड बने हैं, आपने उसको छोड़कर भर्ती की। आपने अपना मापदण्ड लागू नहीं किया। माने आपने बर्बाद कर दिया। दूसरा आपने कहा था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ लागू करेंगे। इस सरकार के साथ दुर्भाग्य है वह आपके बाजू में बैठे हैं, वह मुस्कुरा रहे हैं। मुझे उस दिन विक्षिप्त या क्या बोल दिये, मैंने ठीक से सुना नहीं। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, इंडस्ट्रीयल पार्क और क्या-क्या बोले? इसकी सुराजी गांव की परिभाषा तो मुझे बता दीजिए कि क्या है? मैं यह समझूं कि इसका बजट क्या है? आखिर आप पटल में यूनिवर्सल हेल्थ में एक दस्तावेज रख दें, हमारे कबूतर खाने में डलवा दें, हम लोग भी पढ़ें कि आपका यूनिवर्सल हेल्थ क्या है? इसमें कितना बजट है? डॉ. खूबचंद बघेल योजना के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। मैंने हिन्दुस्तान में पहला मुख्यमंत्री देखा है कि उनको प्रधानमंत्री जी के नाम से आपत्ति है। माननीय चौबे जी को अध्ययन करना चाहिए। वह अध्ययनशील आदमी हैं कि यहां प्रधानमंत्री जी के नाम से कितनी योजनाएं चल रही हैं? हम ग्रामीण आवास योजना इसलिए नहीं चलायेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है। आपको एन.आर.एच.एम. से जितने पैसे मिलते हैं मैं केन्द्र और राज्य के पैसे की तुलना नहीं करता। वह सब हमारा है, देश हमारा है। लेकिन जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री स्तर के आदमी से बोली जाती है, मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप वैसी भाषा बोलेंगे। आपने खूबचंद बघेल योजना में कितना अलग से बजट दिया है। आप बजट किताब देख लीजिएगा। आयुष्मान भारत 50 हजार रूपए, डॉ. रमन सिंह जी ने योजना बनाई थी, बाल श्रवण को मिला दिया और खूबचंद बघेल योजना कहा। आपने कुशाभाऊ ठाकरे संस्थाओं का नाम बदल

दिया है। अब योजना का नाम बदलना है। असल बात, पूरा अक्कल बाजू वाला देते हैं। सिकल सेल इंस्टीट्यूट, छत्तीसगढ़ में सिकल सेल इंस्टीट्यूट बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद आप इसमें भी पाप कर रहे हैं। सिकल सेल इंस्टीट्यूट के लिए पूरे वन विभाग की कॉलोनी बंगले लिए गए। संतराम जी देखकर मत पढ़ना। आपको बता देता हूं आदिवासी समाज....।

श्री संतराम नेताम :- आप भी पंचायत मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कितना घटनाचक्र हुआ हैं, बताएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- बताया हूं, उसमें भी आ जाऊंगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपके पंचायत को उस समय काम मिलता था न।

श्री संतराम नेताम :- आपने 500 करोड़ रूपए समग्र विकास का पैसा टावर में लगाया।

सभापति महोदय :- चलिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, वे टोक रहे हैं न।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं टोक नहीं रहा हूं, आपको अच्छी बात बता रहा हूं। क्योंकि अच्छी बात आप ही समझोगे। कांग्रेस में अक्लमंद कम है।

श्री संतराम नेताम :- सरकार की जो अच्छी काम है, उसको भी थोड़ा बताया करो। केवल आरोप लगाना ही नहीं है। सरकार ने बड़ी-बड़ी काम की है, बजट दिए हैं, उसको भी बता दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- ते अच्छा काम करना, मे तोर प्रशंसा करहूं।

श्री संतराम नेताम :- सरकार की भी थोड़ी तारीफ करिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, अच्छी बात यह है कि आदिवासियों में सिकल सेल, कुर्मी में, साहू में, सिकल सेल सबसे ज्यादा संस्थान बनाई थी कि उसमें अध्ययन हो। आप जाकर देखिएगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसीलिए कहा कि लिखे को मत पढ़ना, समाज, प्रदेश के प्रति भी हमारा दायित्व है। इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर दे। वहां गोबर बीनने का सेंटर बनाना है, उसमें कोई शोध करना है तो सरकार को बताओ, उसमें करेगी। कोरोना तो आपके लिए पर्व रहा। 5 लोगों की समिति बना दी, मैं भंडार क्रय नियम को शिथिल करता हूं और ये-ये खरीदेंगे। आपने जो खरीदा हुआ है उसमें रूचि नहीं है। अभी वर्तमान में सी.जी.एम.एस.सी. का काम यह है कि 4 बार टेंडर निरस्त करना, 5 वें बार में उसको स्वीकृत करना और दवाब में कौन आता है, जो भी एल 1, एल 2, एल 3, एल 4 रहे हैं, उस संस्था में शिकायत होगी । वह आपके ऊपर है कि आप उससे कितने प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन उसके कारण से इस कार्य प्रणाली के कारण से बहुत सारी क्षति हो रही है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने कोरोना में कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी बाजू में बैठे हैं। किसी भी विषय में इस सरकार ने कभी भी वक्तव्य नहीं दिया, विधानसभा में बड़े-बड़े विषयों में हमेशा वक्तव्य आता रहा, कोरोना में एक वक्तव्य नहीं आया और आपने क्या किया, फिर छत्तीसगढ़ के साथ

पाप किया। टीकाकरण शुरू हुआ, इस तारीख से हिन्दुस्तान में टीकाकरण शुरू हो गया, हमारे यहां तीन माह लेट से शुरू हुआ। हम यह कांग्रेसी वैक्सीन है, यह भाजपाई वैक्सीन है, यह बसपाई वैक्सीन है, यह तेलंगाना की वैक्सीन है, मुख्यमंत्रियों की बैठक में डी-सेंट्रलाईज किया जाए, यह मांग करने वाले श्री भूपेश बघेल भी थे, हम सीधे खरीदेंगे। चौबे जी, मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता क्या होती है ? हम छत्तीसगढ़ के लोगों को फ्री में टीका लगायेंगे। राजा साहब, सबको फ्री में टीका लगा और आपके पास ऐसा जादू है कि किसी भी टीका का पैसा पटाना नहीं पड़ा। आप लोगों ने फ्री की घोषणा की। आपने दूसरा पाप कोरोना में किया। आपने वैक्सीन को लेट से मान्यता दी। आपने तीसरा पाप किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं। यदि छत्तीसगढ़ में कोरोना फैलाने का श्रेय किसी को जाता है तो मुख्यमंत्री जी को जाता है। जिन पांच राज्यों में रोड सेफ्टी क्रिकेट नहीं कराएंगे कहा, उसको आपने पकड़कर लाया। मैं उस दिन बोल चुका हूं, इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। जितने सुपर स्टार खिलाड़ी हैं, वेंटलेंस खिलाड़ी हैं, वह सब के सब आपको श्राप दे रहे हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- चंद्राकर जी, कोरोना के लिए मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कौन लाया था ? कोरोना उधर से आया है कि इधर से बताओ।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, मैं अभी तोर से बहुत खुश हों। आप राजा हैं, आपने अपने तलवार को किसी तुलसी चौरा में चढ़ा दिया है या शस्त्रागार में जमा कर दिया है। अब आप शस्त्र पूजा भूल गये हैं । सेस आपके नाम से लगा । मुख्यमंत्री जी का बयान है । माननीय अकबर साहब आप आलम आदमी हैं । पिछले साल बात कर रहे थे, मैंने जब सेस में पूछा तो बोले कि सियान ओला कथे रे जेन पैसा ला बचाके रखथे, सियान ओला नइ कहय जेन 51 हजार करोड़ के कर्जा लेथे तेला । ओला का सियान कथे ? वो कौन से प्रकार का सियान है ? चलो यह मान लिया कि पैसा बचाने वाला सियान है लेकिन 51 हजार करोड़ का कर्जा वाला कौन सा सियान है भई ? हमने तो ऐसा सियान नहीं देखा है कि घर जलाकर आग की भट्टी चूंकि इस तरह का सियान यहीं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है । अब सेस में न तो आपको पैसा मिला है और न मिलेगा । मैं सेस में ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसका परिणाम आपको हफ्ते-दस दिन में दिख जायेगा कि क्या हो रहा है ? अब मैं आपको बता दूं कि सुपेबेड़ा में अभी तक नल टंकी नहीं बनी है । आपके फोन नंबर को लोग भूल गये हैं और कुछ नहीं हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि आपके दो कॉलेज महासमुंद और कोरबा को अगले साल भी मान्यता नहीं मिलेगी, आप इसको फिर से नोट कर लीजिये इसलिए कि जिसमें 3 मेडिकल कॉलेज खुल सकते थे या चौथा और खुलता वह राज्यांश जितना लगता वह तो आपने एक कॉलेज में खोल दिया जहां मेडिकल कॉलेज है, वह दुर्ग में पहले से है, आपने तो एक कॉलेज में इतना पैसा लगा दिया क्यों ? जनता के खजाने का पैसा मेरा है । मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं 50 लाख उत्तरप्रदेश भेज सकता हूं । आप नोट कर लीजिये तो आपको यह कहा कि आप यह सारी चीजें जो

फेकल्टी का अभाव है, जो संसाधनों का अभाव है, जो इस तरह की चीजें हैं । अब शैलेश जी भाषण देकर चले गये, उसको दूर कर पाने में आप सफल नहीं हुए । वे तथाकथित दुर्घटना की जो बात कर रहे थे उसके बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में कोई गर्भाशय कांड और उसमें आपका श्रेय नहीं है या उसमें आपका कोई काम नहीं है । उस समय उसके कोई दिशा-निर्देश नहीं थे । मेहनत करके दिशा-निर्देश बनाये गये कि कैम्प कैसे होंगे और उसके आधार पर निर्णय दिया जायेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसके आधार पर उसको अनुमति दी जायेगी । जब आप सही निर्णय लेते हैं तो उसके प्रभाव दिखते हैं । दुर्भाग्य है कि आप छाप छोड़ने में असफल रहे । मैं आपको एक सलाह देते हुए अपनी बात समाप्त कर देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपकी 2-3 घंटी बज गयी है । आपकी जो शस्त्र पूजा है न आप उसको फिर से शुरू करिये । यह सदन आपके विषाद के लिये नहीं है, यह सदन आपके मुख्यमंत्री जी के हर्षोल्लास के लिये नहीं है । माननीय सभापति महोदय, मैं एक छत्तीसगढी कहावत के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक बईठका में महूं गे हंओं, चौबे जी- देखा दिस दूसरा ला अउ बिहा दिस दूसरा ला । होथे धन नइ गांव में एको ठन अइसने घटना जानथस नइ तेंहा ? हम कई बार अईसन बैइठका में गे हेन, इधर के अधिकारी लोग या जो छत्तीसगढ़ी नहीं समझते वे लोग भी समझ जायेंगे कि लड़की की शादी में लड़की दूसरी दिखाये और शादी दूसरी लड़की से हो गयी । यह घटना यहां कांग्रेस के साथ घट गयी जिसको प्रदेश भुगत रहा है । देखइस महाराजा ला, टी.एस. सिंहदेव जी ला अऊ बिहा दिस भूपेश बघेल जी संग । (हंसी) अब ए का करए ? अऊ खोजे ला जाये कि लड़ाई लड़े बर जाये, का करय ? इस अवसाद के कारण प्रदेश प्रभावित हो रहा है अब आप दूसरा खोजो । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद । धन्यवाद, जयहिंद ।

सभापति महोदय :- संतराम नेताम जी ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, ओ स्वास्थ्य कैम्प लगे रिहिस हे ओला दू दिन अऊ बढ़वा दिस जब तक चलही तब तक ओला रोज चेक करवाना जरूरी है ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या ।

श्री अजय चंद्राकर :- तें हा देखकर मत पढ़, तें हा अच्छा वक्ता हस ।

श्री संतराम नेताम :- मैं बहुत बढ़िया बताहूं । आप चिंता मत करओ । माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या- 30, 80, 19, 79, 7 और 50 के संबंध में समर्थन करते हुए अपनी बात यहां पर रखना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कुशल नेतृत्व से इस प्रदेश के गरीब-किसान, आमजन को बड़े ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि यहां के जन-जन लोग खुश हैं। मैं देखकर नहीं बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इनकी 15 साल की सरकार रही है और 15 साल में हमारे बस्तर के जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद के सारे लोग चुनकर आते थे। मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गांव के अंतिम पंचायत के पंच जब गांव में जब बैठक होती थी, एक रूपया भी उन्हें मानदेय या भत्ता नहीं मिलता है। आज हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने हमारे टी.एस.बाबा ने सरपंचों का मानदेय भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब हम विधायक बनकर आते हैं, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बनकर आता है, कोई उपाध्यक्ष बनकर आता है, जब गांव में सभा करने जाता है और जब गांव वाले बुलाते हैं..।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- संतराम कवासी जी से पूछ चखना के पूरता नहीं हे ओहा।

सभापति महोदय :- चलिए, बांधी जी बैठिए।

श्री संतराम नेताम :- जनप्रतिधि का सम्मान होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष आधा विधान सभा के बराबर का प्रतिनिधि होता है। गांव वाले गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए इच्छा रखते हैं। चबूतरा तक बनाने के लिए आपने उन्हें पावर नहीं दिया। आपने 15 साल क्यों नहीं दिया ? मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके लिए एक निधि की व्यवस्था की। अब 15 लाख रूपये गांव में जायेगा, पंचायत में जायेगा। उनकी मांग के अनुसार कम से कम चबूतरा बनाने के लिए 1 लाख रूपये देगा। उपाध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं। आपको किसने मना किया था ? आप जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों के पास जो पावर होता है, आप उसे कम कर रहे थे। आज उपाध्यक्ष को 10 लाख रूपये देगा और तो और वहां के जो पंचायत के जिला पंचायत के सदस्य हैं, उसका भी एक बड़ा दायरा होता है। उसे भी 4 लाख रूपये देने के पावर से खुशी होती है कि हम किस पद में हैं। हम जब दौरा करने जाते हैं, सफर करने जाते हैं तो साइकिल में नहीं जाते। कम से कम मोटर साइकिल से जाते हैं। उसके लिए कम से कम हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 15 हजार रूपये अध्यक्ष को मिलता था, उसे सीधा 25 हजार रूपया कर दिया। यह हमारे अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी राहत है। उपाध्यक्ष के लिए सीधे-सीधे 10 हजार रूपये से 15 हजार कर दिया और सदस्य के लिए 4 हजार से 6 हजार कर दिया। जनपद के लिए 5 लाख रूपये निधि, उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख रूपये और सदस्य के लिए 2 लाख रूपये। हमें खुशी होती है। मेरा बताने का मतलब यह है कि अगर आप जनप्रतिनिधि चुने हैं, गांव की आम जनता ने अगर आपको चुना है तो वह आपसे आशा रखते हैं कि गांव में आये तो हमें कुछ तो दे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आज जनपद अध्यक्ष का 10 हजार रूपये मानदेय, उपाध्यक्ष का 6 हजार और यहां तक कह रहा हूं कि जो सदस्य हैं, उनको सरकार 1500 रूपये दे रही थी, आज सीधे-सीधे बढ़ाकर 5 हजार कर दिया है। हमारे जिला पंचायत के लिए 64 करोड़ का प्रावधान है, जनपद के लिए 184 करोड़ का प्रावधान है। आपकी सरकार में हम लोग भी विधायक हुआ करते थे। वर्ष 2018 में चुनकर आये। हमें मात्र 75 हजार रूपये ही निधि मिलता था। मेरे विधान सभा में 400 गांव हैं और डेढ़ सौ पंचायत हैं। हम जिस गांव में जाते थे, एक गांव में अगर 1 लाख भी देंगे तो उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार आयी और माननीय भूपेश बघेल जी की सोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना मांगे मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था। हमने पिछली बार भी मांगा तब बढ़ा है। सभापति महोदय, बिना मांगे उन्होंने 2 करोड़ कर दिया। और इस साल जब बजट आया तो उसे सीधे-सीधे 4 करोड़ कर दिया। विपक्ष के लोग केवल आरोप लगाना जानते हैं। माननीय बांधी साहब, माननीय चन्द्राकर जी केवल सरकार के ऊपर ऐसा मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी सरकार की सोच, हमारे मुख्यमंत्री की सोच, हमारे मंत्रिमंडल की सोच है कि विधायक निधि को सीधे-सीधे अब 2 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
3.00 बजे

इससे यह फायदा होगा कि जो स्थानीय विकास होगा, यह पैसा पुलिया, सी.सी.रोड, रंगमंच, सामुदायिक भवन के काम आएगा । इसके लिए 364 करोड़ का प्रावधान है। मैं इस सरकार को धन्यवाद् देना चाहूंगा । जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से पावर देंगे, पहले कोई सी.ई.ओ. नहीं सुनता था । आज सी.ई.ओ. और जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष का काउंटर साइन होगा, यह पावर दिया है । सरपंचों का मानदेय 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार किया है । इस प्रकार हमारी सरकार की सोच जनता के हित के लिए है । छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, हमारे ग्राम पंचायतों का विकास होगा । सभापति महोदय, मैं एक बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं । हमारी सरकार ने इसी सदन में बजट में प्रावधान रखा है । हम बस्तर से आते हैं और आप भी बस्तर से आते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी जब बस्तर गए थे । मैंने जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा । मैं बीजापुर में भी उनके साथ में था, घोर नक्सली क्षेत्र में, अति संवेदनशील क्षेत्र में, जहां मंत्री नहीं जा पाते, वहां जाकर उन्होंने रात बिताई । मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुख्यमंत्री बस्तर जाकर वहां के गरीब, वहां के आदिवासी, वहां के पिछड़े वर्ग की दिनचर्या, वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कैसे चलते हैं, वहां की सड़क कैसी है, यह देखने के लिए वहां गए थे और मैं धन्यवाद् देना चाहता हूं उन्होंने केवल दिन में ही काम नहीं किया बल्कि रात में सभी समाज के, चाहे गोंड समाज हो, चाहे साहू समाज के हों, चाहे कलार समाज के हो, भतरा, मूरिया सभी समाज के लोगों को बुलाया और पूछा कि आपको क्या समस्या है । मैं धन्यवाद् देना

चाहता हूं कि उन्होंने एक-एक समाज को जमीन भी दी और 20 लाख नहीं, हमारे गोंडवाना समाज को 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है । यहां पर हमारे चित्रकूट विधायक बैठे हैं, मुरिया समाज के लिए उनको पांच करोड़ दिया है । यह हमारी कांग्रेस की सरकार की सोंच है ।

श्री कवासी लखमा :- 6 करोड़, 5 लाख दिया है ।

श्री संतराम नेताम :- ये हमारे मंत्री जी बता रहे हैं कि और बढ़ाकर दिया है। ये हमारी सरकार की सोंच है । मुझे इस बात की खुशी है कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परम्परा, वहां हम कैसे रहते हैं । भले ही लोग न मानें लेकिन हम देवी देवताओं को मानते हैं । हमारी आस्था है, हमारी उस संस्कृति पर पावन आस्था है । हमारे यहां पहले घोटुल चलता था, वहां हम लड़की को दिन में रखते हैं, रात में रखते हैं, उनमें एक अच्छा विचार आता है, समाज को कैसे आगे ले जाएं, समाज की संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं । उसके लिए प्रयुक्त घोटुल जर्जर स्थिति में रहता था। आदिवासी लोगों की मांग थी, आपने 15 सालों में क्यों नहीं दिया ? मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो पैसे ले रही है, जो अनुदान मांगें आ रही है, इन्हें देना चाहिए क्योंकि घोटुल के लिए प्रत्येक पंचायत में घोटुल के लिए 10 लाख रूपए, उससे भी ज्यादा वहां जो गायता, पुजारी रहते हैं उनके लिए देवगुड़ी, आप भी जानते हैं कि देवगुड़ी से हमारी आस्था जुड़ी है, हमारा मंदिर है, हमारा घर है । वहां हम जाकर पूजा करते हैं, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे बस्तर संभाग में हर पंचायत में 5 लाख की घोषणा गुड़ी के लिए की है । बहुत सा बन रहा है जैसा आदिवासी संस्कृति में लोग चाहते थे, वैसा नक्शा बनाया गया है । यह हमारी सरकार की सोच है । इस बार गायता और पुजारी के लिए प्रदेश में एक बड़ा काम हुआ है । आपने क्यों नहीं सोचा ? आपने बस्तर के आदिवासियों को क्यों नहीं पहचाना ? आज गायता के लिए, पुजारी के लिए आठपहरिया के लिए, जिस प्रकार से राजीव गांधी भूमिहीन किसान के लिए जो 6 हजार से 7 हजार रूपए दे रहे हैं, उसी प्रकार गायता, पुजारी, गुनिया, चालकी को दिया जा रहा है । सभापति महोदय, बस्तर में खुशियों की लहर है । ये कहते हैं कि यह छत्तीसगढ़िया सरकार, यह बस्तर की सरकार कहा जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है । आज पूरे गांव में रहने वाले लोग कहते हैं कि यह हमारी असली सरकार है । सभापित महोदय, मैं जानता हूं, मैं भी गरीब परिवार का ही हूं। गांवों में कैसे रहते हैं, पंचातय में कैसे गरीब लोग रहते हैं, जिसके पास भूमि नहीं रहता है। आज ऐसे परिवारों के लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इनकी सरकार ने टिफिन बांटने का काम 500 करोड़, जो समग्र का पैसा था, जो सड़क, पुल-पुलिया बनाने के लिए था, वह बस्तर के लिये, सरगुजा के लिये था, उस पैसा का टॉवर लगा दिये, मोबाईल बांट दिये। जो मोबाईल पकड़ते थे, वह फूट और टूट जाता था। हमारी सरकार की सोच यह टिफिन, जूता, चप्पल और मोबाईल नहीं है। पैसा सीधा और सीधा उसके खाते में जा रहा है। यह हमारी सरकार की सोच कि कमीशन का चक्कर नहीं है। यह जितने भी मैंने पाच साल में देखा, 15 साल जनता ने आप लोगों को मौका दिया, जनता ने आपको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विश्वास किया, आपने उनके साथ विश्वासघात किया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यह 14 सीट आने का यही वजह है और आज हमारी जो 70 सीट हैं, आज जनता, प्रदेश के 80 प्रतिशत किसान खुश हैं। यहां दो-ढाई करोड़ जनता हमारी सरकार की काम करने का तरीका आज हमारी सरकार की सोच माननीय भूपेश बघेल की सोच का एक ही एक उद्देश्य है। हमारे मंत्रिमण्डल का जो उद्देश्य है, वह इस प्रदेश के लिए है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, अभी तो मुझे थोड़ा स्वास्थ्य विभाग पर भी बोलना है, उसके बाद ही मैं समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये, संक्षिप्त में रखे।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, गोधन न्याय योजना की जो बात करते हैं। आज आप गोठान में जाईये। मैं अपने विधान सभा की बात करता हूं। एक पोंगरा में गोठान बना है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे। उस गोठान में जो महिला है, वहां कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, वहां मशरूम का उत्पान कर रहे हैं, वहां साग-सब्जी कमा रहे हैं। यह पंचायत में हो रहा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुपोषण माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले दंतेवाड़ा में शुरूआत किया था। वास्तव में आज सरगुजा और बस्तर संभाग मं सभी प्रदेश में मैं कहूंगा कि जो कुपोषण की दर है, उसमें कमी आई है। गरम भोजन मिल रहा है, लोग खा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो मितानिन काम कर रहे हैं, सबसे पहले घर-घर जाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, इतना कुछ हो रहा है तो स्वयं मंत्री जी साथ में क्यों जा रहे हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठिये। आपकी बारी आयेगी तो बोलियेगा। आपका भी बोलने वाले में नाम है।

श्री शिवरतन मर्श :- मंत्री साथ में क्यों जा रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है तो। इसका कारण बताओ।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री संतराम नेताम :- सरकार की सोच होनी चाहिये कि इस प्रदेश के लोगों को कुपोषण से कैसे मुक्ति दिलाये। इस तर्ज पर पूरे संभाग में और पूरे प्रदेश में हमारा अच्छा काम हो रहा है। दाई-दीदी क्लिनिक, यह जो हाट बाजार में जो स्वास्थ्य सुविधा जा रही है, हमारे मंत्री जी को इसलिए पैसा देना चाहिये वह गरीबों के लिए है। हाट-बाजार में सुविधा मिल रहा है। एक फोन मारोगे तो वह तुरंत आ रहा है। इसके लिए पैसा देना चाहिये। मैं कहता हूं कि हमारे माननीय टी.एस.बाबा जी ने जो मांग किया है, उसको देना चाहिये और मैं यह कहना चाहता हूं। आज हम लोग भी जीवन दीप समिति का अध्यक्ष हैं। पैसा आता है। हम छोटे-छोटे जो सामुदायिक विद्यालय होता है, वहां जो अस्पताल होता है, उसमें हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम करते हैं। हमारी सरकार स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क पर बहुत अच्छा काम कर रही है। निश्चित तौर पर यह पैसा देना चाहिये। मैं कहता हूं कि आपकी सोच अच्छा होना चाहिये। आरोप ही नहीं लगाना चाहिये। सरकार के कुछ अच्छे काम हैं, उसको स्वीकार करना है। हम जानते हैं कि विपक्ष का काम रहता है कि सरकार को दर्पण दिखाना, आइना दिखाना, पर अच्छा काम है उसको भी बताना चाहिये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो सरकार बनी है, इसके प्रमुख सूत्रधार श्री टी.एस. सिंहदेव साहब ही है। इन्होंने घूम-घूम कर जनघोषणा-पत्र बनाया। उन्होंने बहुत लोकलुभावन जनघोषणा-पत्र बनाया, जनता ने उस पर विश्वास किया और प्रचण्ड वोट से या प्रचण्ड बहुमत से इनकी सरकार बनी। यह अलग बात है कि आज वे अपनी ही सरकार में हाशिये पर हैं, उपेक्षित हैं। उनकी अनुदान मांगों के समय में 12-12, 11-11 मंत्री गायब रहते हैं । उनको यहां पर अकेले छोड़ दिये हैं।

श्री कवासी लखमा :- पूरे लाइन से खड़े हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, अब तो आये हैं पहले कोई नहीं था। मैंने जब बोला उस समय एक मंत्री नहीं था, वह सिर्फ अकेले थे। खुद ही गोल कीपर थे, खुद ही सेंटर फारवर्ड थे। सब वही कर रहे थे।

श्री कवासी लखमा :- वह जब बोलेंगे तब हम...।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो खैर चलिये, उनका तो जो हश्र आपको करना है उसको मैं रोक नहीं सकता और मैं न उसको कुछ करवा सकता हूं न बचा सकता हूं। इस विधानसभा में आपने जन घोषणा पत्र में स्वास्थ्य विभाग से जो घोषणाएं की थीं, वह सारी की सारी घोषणाएं अधूरी हैं। आपने मितानीन को 5 हजार रूपये प्रतिमाह उनको कमीशन के अतिरिक्त देने का वायदा किया था, आपने नहीं दिया। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, यह भी अधूरा है। आपने वायदा किया था कि बस्तर, सरगुजा और सुपेबाड़ा क्षेत्र में जैसे दूरस्थ अंचलों में हवाई एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी, वह भी नहीं हुआ। आपने वायदा किया था कि पहले ही वर्ष 1000 चिकित्सकों को अधिकतम वेतनमान में रखा जाएगा और 200 विशेषज्ञों को रखा जाएगा, आपने वह नहीं किया। अस्पताल के नजदीक कर्मचारियों के रहने के लिए आप व्यवस्था करेंगे, आपने वह भी नहीं किया। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के बारे में भी अता-पता नहीं है। घोषणा पत्र में आपने आऊट सोर्सिंग की व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी लेकिन अभी भी पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में और सभी मेडिकल और जिला राज्य स्तरीय चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को आऊट सोर्सिंग के माध्यम से काम दिया जा रहा है। आपने छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा की है। आपने कई बार अनेक अवसरों पर विधानसभा में कई गलत जानकारियां दी है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जैसे मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं केवल एक का जिक्र करूंगा कि कोरोना से मृत्यु की गलत जानकारी, इसी विधानसभा सत्र में आपने उत्तर दिया कि कोरोना से 13,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और आपने 19,000 से अधिक लोगों को मुआवजा दिया है। यह कैसे संभव है कि 6000 लोगों को आपने बिना मृत्यु के मुआवजा दे दिया है? इसमें लगभग 30 करोड़ रूपया भुगतान हुआ है। अगर यह जानकारी गलत है तो वह स्पष्ट होना चाहिए और अगर यह सही है तो फिर इतने पैसे का भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। और भी कई मामले हैं मैं अभी उनका जिक्र नहीं करूंगा। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के बारे में आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है और इसीलिए 26,000 से अधिक बच्चों और 1000 से अधिक गर्भवती माताओं की अकाल मृत्यु, राज्यसभा में जब यह आंकड़ें वहां मंत्री ने पेश किये तो हमारे मरकाम साहब, पी.सी.सी. के अध्यक्ष और माननीय चौबे जी, दोनों ने यह बयान दिया कि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं है सब बेकार है। ऐसा हे, वैसा है तब स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि नहीं, यह बिल्कुल सही है और यह आंकड़े हमारे ही विभाग ने भेजा है तो इतना अंतर्द्वंद और आपस में सामंजस्य को अभाव जो है उसके कारण भी विभाग की कार्य क्षमता पर असर पड़ रहा है। कई मेडिकल कॉलेज जो शुरू होने थे, शुरू नहीं हुए। भाई अजय चन्द्राकर जी ने कह दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाव कह दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला न कि।

श्री अजय चन्द्राकर :- खोल ही नइ सके हे 1 ठन ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, तो उसमें बोलना उचित भी नहीं है। जिला कोरिया के ग्राम पंचायत नेरूआ के सचिव छत्रपाल सिंह के द्वारा फरवरी, 2022 में आत्महत्या कर ली गई है। आत्महत्या के समय में उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने वहां के जनपद के सी.ई.ओ., पंचायत इंसपेक्टर और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य अन्य पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने एक अन्य सचिव से 50,000 रूपया लेकर उनका प्रभार छीन लिया और दूसरे सचिव को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। तो इस तरीके से जो पंचायत के नीचे स्तर पर बहुत ज्यादा हर जगह की शिकायत है कोई आत्महत्या कर लिया तो मामला आ गया, कहीं नहीं हुआ तब भी हम लोग देखते रहते हैं। जो प्री-पात्र सचिव है उनको दो-दो जगह, 3-3 जगह रख दिये। अगर कोई भ्रष्ट सचिव है कोई जनप्रतिनिधि अगर बोल-बोल कर थक गया तो उसका ट्रांसफर नहीं करना और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है अगर उसका ऊपर का सेटिंग ठीक है तो वह जो चाहे वह कर ले। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है। एक एस.डी.एम. कितने के ऊपर क्या-क्या कार्रर्वा करेगा? और वह मंत्री के आगे-पीछे घूमे कि आपकी सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय विधायक लोगों के कार्यक्रम में जाए या और क्या करें? तो कुल मिलाकर सचिव लोगों को स्वछंद छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 51

हजार रूपए कर्ज लेने के बाद भी आप अंशदान देने में सक्षम नहीं हैं । हर साल के आंकड़े अलग-अलग है, मैं पढ़ सकता हूं । इसी कारण 2021-22 हेतु 7.82 लाख प्रधानमंत्री आवास का जो लक्ष्य दिया गया था, वह लक्ष्य राज्य सरकार से वापस ले लिया गया है । यह आपके गुस्से के कारण, प्रधानमंत्री जी की फोटो के कारण या नाम के कारण आप किसी पात्र को, किसी हितग्राही की उसकी सुविधा से वंचित करने का जो पाप कर रहे हैं, वह बहुत ही गलत है क्योंकि यह संघीय व्यवस्था है । कई अवसरों पर दिल्ली की सरकार पैसा देती है, उसमें उनका नाम रहता है, उनकी फोटो रहती है । आप देते हैं, आपका नाम रहता है । आपको प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए । जब हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमारा किस्त नहीं मिला है । अब हम क्या बताएंगे कि किस्त क्यों नहीं मिला है और क्यों नहीं मिलना चाहिए ? लेकिन कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है तो बहुत सी चीजें होती हैं ।

समय :

3:16 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, आपने वर्ष 2021-22 में समग्र विकास में सिर्फ 200 करोड़ रूपए का बजट रखा था । बजट तो कम था, पर आज उसमें भी ज्यादा कमजोर साबित हुए, आप सिर्फ 200 करोड़ रूपए में से सिर्फ 80 करोड़ रूपए ही खर्च कर पाए, बाकी आपने खर्च नहीं किया। ये ग्रामीण विकास की हकीकत तस्वीर है । आपने 2022-23 में फिर उस योजना में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है । अब आप इस योजना का नाम बदलकर कांग्रेस समग्र विकास योजना कर दीजिए । क्योंकि उसमें हमारे तरफ के लोगों को आप लोग कोई काम नहीं देते हो । आप सिर्फ अपने विधायकों का चेहरा देखकर, जो आपके मुफीद हैं, जो आपके मनमाफिक पसंद हैं, उनको आप काम देते हैं । आप ऐसी संकीर्णता से सोचते हैं कि आप छत्तीसगढ़ का विकास कर लेंगे तो यह बहुत बेईमानी होगी । मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये जो सोच है कि सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को इस मद से काम दिया जाएगा, इसको बदलने की कृपा करें ।

सभापति महोदय, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों के लिए, जो पात्र सूची वेटिंग आवास लिस्ट आवासहीन लोगों की सूची है, उन्हीं के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो बाकी नये काम को आप कर ही नहीं पाएंगे । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) में आकस्मिक निधि की राशि ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करने की बजाय आप संसदीय सचिवों के वेतन, भत्ता और 26 जनवरी और 15 अगस्त में आप खर्च करते हैं तो इन खर्चों पर जो क्रिमिनल वेस्टेज आप कर रहे हैं, यह बहुत गलत है, इसको गांव में लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए । आपके विभाग के पंचायतों के बिल के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है । प्रदेश के गांव-गांव में बिजली विभाग के लोग जाकर पंचायतों का लाईन काट रहे हैं, गांव का लाईट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काट रहे हैं, स्ट्रीट लाईट काट रहे हैं। वहां जो पंप चलता है, उसका कनेक्शन भी काट रहे हैं और वहां के गांव वाले अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं । इसकी भी व्यवस्था आपको देखनी चाहिए ।

सभापति महोदय, प्रदेश भर के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक हड़ताल में हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के लोगों ने मेरे घर में आकर मुझे आवेदन दिया है। आपने उनको 5 महीने में पैसा नहीं दिया है । क्यों नहीं दिया ? जब वे वहां काम कर रहे हैं, उनके भी बाल-बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, आप पांच महीने से उनका पैसा नहीं देकर जघन्य अपराध कर रहे हैं । चूंकि आप सक्षम लोग हैं, पावर में हैं, कुर्सी में बैठे हैं इसलिए आपके ऊपर कोई कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन यही कोई ऐसे देश में होता, जहां पर इसको संज्ञान में लेकर कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान होता तो आप सभी के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही की जाती कि आपने 5 महीने तक उनसे काम कराया और उनका पैसा भी आपने नहीं दिया । आपने पैसा क्यों नहीं दिया ? आपको तत्काल उनको पैसा देना चाहिए । रोजगार सहायकों ने आपकी घोषणा-पत्र पढ़कर आपको मदद की थी । ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित कर ग्रेड पे निर्धारित किया जाये, ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत सचिव पर वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाये, इन लोगों ने भी मांग की है । आपको इनके बारे में भी जरूर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मनरेगा में आपने 100 दिवस के कार्य को बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया है । आपने यह भी कहा है कि 50 दिवस का भुगतान भी राज्य सरकार करेगा, लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते मैं यह कह सकता हूं कि 100 दिन का भी काम इस सरकार ने मजदूरों को नहीं दिया है । कागज में आप 150 या 200 दिन जितना लिखना है, लिख लीजिए, पर जो पहले प्रावधान था, उसको भी आपने 100 दिन का काम नहीं दिया है तो मनरेगा के बारे में बताते हैं कि इस विधायक के कहने से ये हो गया, उस विधायक के कहने से वो हो गया। मैं आज तक बहुत परेशान हूं, हैरान हूं, त्रस्त हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मनरेगा का काम कैसे मंजूर होगा। मैं भी तो सूची देकर आया हूं, जिला पंचायत में ही सूची दिया हूं। मैं उस भवन को भी देखा हूं, मैं उस भवन के उद्घाटन में भी गया हूं, मैं वहां के अधिकारियों को भी पहचानता हूं, मैं लेटरपेड में दिया हूं। मंत्री जी, एक तो काम करवा दो। मंत्री जी, कृपा करके एक काम तो करवाईये। हमको भी तो लगे कि हम भी आपके विभाग में कुछ काम लेकर जाये। जनता का काम है, मैं अपने घर का कोई फर्श या डामरीकरण कराने के लिए नहीं दिया हूं। अगर आप इस तरह से सोचकर काम करेंगे तो यह विनाशकाल वाली बुद्धि आप लोगों का आने वाला है, आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कृपा करके जरा नजर बड़ा रखिये, दिल बड़ा रखिये, हम लोग जो काम देंगे, वह जनता का ही काम देंगे। परन्तु मैंने बताया न कि वन ग्राम बिंदावल, अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाकी काम तो हो नहीं सकता। उन लोगों के लिए साढ़े तीन लाख रूपये में कम से कम नट-बोल्ट वाला एक मुक्तिधाम बन जायेगा। मैं छः महीने, एक साल पहले लिखकर दिया हूं, मनरेगा में क्यों मंजूर

नहीं किया गया ? मुझे बताईये कि क्या दोष है ? उन वन ग्राम वालों का क्या दोष है और धर्मजीत सिंह का क्या दोष है ? मैं मुक्ति धाम क्या अपने घर वालों के लिए बनवाने वाला हूं या अपने लिए बनवा रहा हूं ? जनता के लिए दिया हूं। यदि आप उसको भी नहीं करेंगे तो कोई क्या कर सकता है। क्या कर सकते हैं ? क्या कर लेंगे ? सिवाय बोलने के क्या कर सकते हैं। जनता के बीच जायेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि काम के बंटवारे में बहुत ज्यादा छोटे दिल से काम मत करिये।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, एक तो इस विभाग में कितने प्रकार की योजना है ? मेरे ख्याल से डेढ़-दो सौ प्रकार की योजना होगी। किसी योजना के बारे में किसी को मालूम नहीं है। कोई कुछ नहीं जानता है। आपको जिसका काम करना है या अधिकारी को करना है, वह कर देगा, नहीं तो मैं यह पहली बार देखा हूं। जब तैयारी हो रही थी तो मैं देखा कि मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना में पिछली बार पूरे प्रदेश के लिए 5 करोड़ रूपया दिया गया था। उसमें भी आप एक साल में खर्च नहीं कर पाये। मैं अकेले लोरमी में 5 करोड़ रूपया खर्च करा दूंगा। आप मुझे पावर दो, मैं आपको दूं, मैं अकेले ग्रामीण यांत्रिकी बिजली विभाग का प्रस्ताव दूंगा। ऐसे ही एक बार अजीत जोगी जी और हम हेलीकाप्टर में जा रहे थे। मैं ऐसे ही कुछ काम की सूची दिया तो बोले यार, बजट-वजट ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम करो। वह बोले कि तू काम दे देगा, बोले कितने करोड़ के काम की सूची दे सकता है ? मैं बोला कि आप कितने करोड़ का ले सकते हो, यह बताओ। हेलीकाप्टर उतरने के पहले ही लिस्ट दे दूंगा। सौ करोड़, डेढ़ सौ करोड़, पचास करोड़, तीस करोड़ जितने का काम बोलो। वैसे ही आपको भी बोल रहा हूं मैं 5 करोड़ का काम तो अकेले लोरमी में ही करा दूंगा। आप बोलो तो, क्या योजना है, कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, करेगा या नहीं करेगा ? आप यह सब बताईये, हम लगवाईयें, हम करवायेगे। आपने इस साल 10 करोड़ कर दिया है। इस योजना में सूची दे देंगे, करा दीजियेगा। आप हर बार सभी विधायक से पूछते हैं कि विधायक आदर्श ग्राम के लिए नाम दो, विधायक आदर्श ग्राम के लिए कागज दो। चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो आप बत्ती दिए पड़े रहते हो। चिट्ठी का जवाब दो, जवाब दिए तो हैं। आप उसमें क्या काम किए हो, जरा बताईये ? विधायक आदर्श ग्राम में 3 साल में कौन सा काम विधायक आदर्श ग्राम के नाम से किया है, जरा बता दीजिये ,बताईये न ?

माननीय सभापति महोदय, अभी आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को पावर देने की बात की थी। अभी आपकी और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग भी हुई थी। उनको भी पावर दे दो, दो-ढाई साल तो निकल ही गये हैं, जाने के समय कम से कम उन लोगों का भी इंतजाम कर दो, बत्ती वगैरह दे दो, वह भी चाउ-चीउ कर लें, पूरे प्रदेश में इतना हल्ला तो हो ही रहा है, रात को दो बजे भी सायरन बजाते हुए घर के सामने से गाड़ियां निकलती है, हम कान को दबाकर सो रहे हैं, और दो-चार-दस बजा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बजवा दीजिये। मनरेगा में छोटे-छोटे काम करवा दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे एम.बी.बी.एस. लोगों के बारे में प्रश्न किया था कि एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को गांव में जाने का कम्पलसन है। आपने बताया था कि उनको फाइन लगता है और वे लोग फाईन देकर चले जाते हैं। मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि कुछ लड़के 25-50 लाख रूपया फाईन देकर चले गये, लेकिन गांव नहीं गये। इस प्रदेश की जनता का पैसा उन बच्चों को पढ़ाने में इसलिए लगता है कि वह उनकी सेवा करने जायें। साहब, आप फाईन बढ़ा दीजिये। 10-20 लाख रूपये फाईन को 1 करोड़ कीजिये। उन लोग कहां से एक करोड़ रूपया लाकर देंगे ? आप फाईन बढ़ाईये, नहीं तो गांव में जाये। नहीं तो प्रायवेट कालेज में जाये, मनीपाल या वर्धा में जाकर पढ़े। यहां गरीब बच्चों को पढ़ने दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, प्रायवेट अस्पतालों का फायर आडिट नहीं करवाया। यदि करवाया होगा तो मुझे मालूम नहीं है ? यहां कोरोना के समय आग लग गई थी। कुछ लोग मर गये थे। यहां तो कुकुरमुत्ते के समान अस्पताल खुल गया है, उस अस्पताल का जरा फायर आडिट करा लीजिए, यह चेक करा लीजिए कि लायसेंस है कि नहीं है ? यह चेक करा लीजिए कि टर्म एण्ड कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं ? यह आपको जरूर दिखवा लेना चाहिये । आप सिम्स में बहुत कोशिश किये हैं, मालूम है कि आप सिम्स में कैश में भी ए.सी. वगैरह भिजवाये हैं, आपकी मंशा सिम्स के लिए अच्छी है, यह भी मालूम है । पता नहीं कि सिम्स में क्या अभिशाप है, रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि कभी खाने में कीड़ा निकल गया, कभी मशीन बंद है, कभी मशीन नहीं चलेगा, कभी लिफ्ट बंद है, उसका एक ही ईलाज है । बस्तर में मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग बनी है, वैसा ही एक बिल्डिंग बनवाईये, दरअसल जिला अस्पताल की बैठक है, वहां बनारस के कचौड़ी गली के समान वहां का मेडिकल कॉलेज है, उसमें इतनी गलियां है साहब, मैं एक बार किसी से मिलने गया था, मेरे को एक मंजिल में ले गये, इधर उधर ले गये, मरीज का पता नहीं चल पा रहा था, मैंने कहा मरीज है कहां ? मैं ऊपर नीचे चढ़ते-चढ़ते थक गया हूँ । मैं बैठा । ले-देकर मरीज का पता चला तो मैं उससे मिलने गया । यह कचौड़ी गली वाले अस्पताल में बहुत ज्यादा व्यवस्था सुधारने की उम्मीद भी मत करिये । आप नई बिल्डिंग बनवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, लोरमी में कोतरी प्रमुख केन्द्र है, वह उप स्वास्थ्य केन्द्र है, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए मैंने मांग किया था । अगर आप विचार में ले लेंगे और कर देंगे तो अच्छा रहेगा । माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8-10 सड़कों को मरम्मत कराया है । इस सड़क में सिर्फ मरम्मत ही नहीं हो रही है । यह सड़क पिछले कई वर्षो से जो वहां लोग तकलीफ भोग रहे हैं, आप उसका निराकरण कर रहे हैं । मैं उस गांव में जब भी दौरे में गया, लोगों ने तारीफ की है । प्रधानमंत्री सड़क के मरम्मत के साथ 8-9 सड़कों का कहीं 50 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

डेढ़ करोड़, कहीं 3 करोड़ या जैसा लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से वह काम होने से, बहुत लोगों को राहत मिल रही है । अभी बताते हैं कि नया सड़क वगैरह बनने में दिक्कत हो रही है, मैं तीन सड़क की मांग कर लेता हूँ । अगर हो सके तो कर दीजिएगा, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है । नवागांव ठेलका से सिंघनपुरी तक 3 किलोमीटर की एक सड़क की मैं मांग करता हूँ । डुमरहा से मेघाबारा तक 6 किलोमीटर की एक सड़क, जो मेन रोड की है, मेरे घर में आकर परसों-नरसों फिर बैठे थे, दोनों बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, पठारी कांपा से नेहर तक 2 किलोमीटर की सड़क है । इसको आप कर दीजिए । अभी आपकी एक योजना का फायदा मेरे विधान सभा में मिला है । मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना द्वारा निर्धारित यह एक सड़क 78 लाख रूपये की मिली है, यह आजादी के बाद इस मोहल्ले में पहली बार सड़क बनेगी । मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूँ । व्यक्तिगत रूप से हम आपका बहुत आदर करते हैं । जब आप नहीं रहते हैं तो कई किस्म की बातें उठ जाती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति के जो भी दांव-पेंच है, उपर में आप चलते रहिये, आपके चाहने वाले चलेंगे, नहीं चाहने वाले चलेंगे, उसमें हम लोगों का बहुत इन्ट्रेस्ट नहीं है, लेकिन आप यहां रहिये, यहां रहने की कोशिश करियेगा । आपके रहने से आपके विभाग की भी बात कर सकते हैं, आपके रहने से आपके विभाग का काम भी हो सकता है, अनावश्यक कई किस्म की भ्रांतियां और दुनिया भर की चर्चायें होती है, उन चर्चाओं पर विराम भी लगेगा । इन चर्चाओं से कोई फायदा भी नहीं होना है । मैंने आपके विभाग के बारे में बताया है, जो पैसे का प्रावधान हुआ है, खर्च नहीं हो पा रहा है । जो खर्च होना चाहिये, वह व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है, जो खर्च सामंजस्य से करना चाहिये, वह क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है । विपक्ष के लोगों को जिस प्रकार से आप प्राथमिकताओं में नजरअंदाज कर रहे हैं, वह प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप विपक्ष के लोगों का सम्मान करते हैं तो आपके जो भी इस साल के बजट होंगे, उसमें भी आप वितरण में हम लोगों की भावना का ख्याल रखियेगा और आप अपनी व्यवस्था को भी सुधारियेगा । अस्पताल में फायर आडिट जरूर कराईयेगा । प्रायवेट अस्पतालों में जो मूलभूत सुविधा होती है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, यह देखियेगा कि कोई कमी तो नहीं है। मरीजों के साथ जो लूट-खसोट प्राइवेट अस्पतालों में होती है, उसके नियंत्रण के कोई नियम कायदा या कमेटी बनाकर जरूर ख्याल रखियेगा। क्योंकि हम लोगों का रोज का अनुभव है कि जब गांव के लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद वह बिल के लिए हम लोगों से सिफारिश करते हैं और हम लोग कुछ करने या बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो कुछ ऐसा कोई प्रावधान करिये जिसमें हमको अगर हमारी कोई फरियाद करना हो तो उस अधिकारी तक कर सकें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धर्मजीत भैया ने जो बात रखी है, मैं भी उससे सहमत हूं। मैं मांग भी करूंगा कि कोरोना काल में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने इलाज किया है, एक बार उनका ऑडिट जरूर करवाया जाये। क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें और भी साफ होंगी और आने

वाले समय के लिए भी एक अच्छा वातावरण बनेगा। पब्लिक की काफी डिमांड रहती है, इसलिए इस बात को रखा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में स्वास्थ्य में, पंचायत में लगातार 03 साल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 39,405 किलोमीटर सड़कों में प्रथम पांच वर्ष में रखरखाव एवं संधारण का दायित्व निर्माण के अनुबंधकर्ता ठेकेदार का है। पांच वर्ष संधारण अवधि में 1350 सड़कें, लंबाई 7074 किलोमीटर है जिसमें ठेकेदार के द्वारा संधारण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सुविधा में भी बेहतर काम हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 03 नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। 50 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 जिला चिकित्सालय और 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक योजना के माध्यम से भी जनता को बहुत बेहतर लाभ मिल रहा है। बस्तर के जिला सुकमा के जगरगुंडा में 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला दुर्ग के अहिवारा में 10 बिस्तर एन.आर.सी. की स्थापना हेतु 45 नवीन पदों के सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अंबिकापुर एवं कांकेर के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लीनिक योजना का क्रियान्वयन 02 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसका मूल उद्देश्य बाजार में आने वाले समस्त मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना था। यह योजना बढ़िया काम कर रही है। इसमें लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। विगत दो वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में 2409 पदों पर भर्ती की गई है जिसमें 1329 चिकित्सा अधिकारी, 282 बहुउद्देशीय पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 328 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 278 लैब टेक्नीशियन, 192 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सम्मिलित हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान भी बहुत अच्छे से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में यह अभियान चलाया जा रहा है। गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह एवं हृदयवाहिका रोग एव आघात रोग के निदान और प्रबंधन के लिए 28 जिला अस्पताल, 132 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वस्थ जीवन शैली केन्द्र को प्रारंभ 2021-22 में 3 लाख 73 हजार 488 व्यक्तियों को स्क्रीनिंग किया गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा

काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामीण पंचायतों में 3082 ग्रामों में ठोस एवं तरह अपशिष्ट प्रबंधन कार्य तथा 275 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना हेतु 500 करोड़ का प्रावधान है। पंचायत संचालनालय में छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों में त्वरित एवं सर्वांगीण विकास के लिए स्थानीय महत्व एवं तत्कालिक आवश्यकता के लिए छोटे-छोटे विकास कार्य की स्वीकृति के लिए वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है, 02 दिसंबर 2020 को इसका पुनर्गठन किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनांतर्गत राशि रुपये 80.06 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शाला भवनों का रख-रखाव, फर्नीचर एवं अन्य उपकरणों का क्रय/रख-रखाव/लैब उपकरणों के क्रय की व्यवस्था की गयी है, स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की गयी है। जल संरक्षण के लिये जो उपाय पंचायत विभाग ने किया है, पशु सेवाओं में चारा उत्पादन, पशुओं का टीकाकरण, गोबर से खाद निर्माण, नस्ल सुधार कार्यक्रम, कांजी हाउस निर्माण, रख-रखाव आदि का काम किया जा रहा है। जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ मांग रखना चाहूंगा कि पुतोर ब्लॉक के छिछोर उमरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिये मैं मांग रखता हूं और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को शीघ्र पूरा करने के लिये निवेदन करता हूं और मैं एक मांग और करता हूं कि जो 50 बिस्तर से कम के नर्सिंग होम है, उनके लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये और मल्दा से सोड़ेकला, कसाई-पाली, मुख्य मार्ग को स्वीकृति दी जाये। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30, 80, 19, 79, 7 और 50 का विरोध करता हूं। विरोध इसलिये है कि जो जन घोषणा पत्र में वायदे किये गये थे, उन वायदों को यह सरकार जमीन पर नहीं उतार पा रही है। बहुत-सी बातें हुई, मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी-बहुत बात कर देता हूं। माननीय मंत्री जी, आप उस दिन नहीं थे, परसों इस सदन में जब प्रश्नकाल में चर्चा हो रही थी, जांजगीर चांपा जिले में DMF फण्ड से कोरोना काल में जो वेंटीलेटर की खरीदी हुई और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अन्य उपकरण खरीदे गये, उसमें से अधिकांश वेंटीलेटर पुराने थे, स्तरहीन थे, मानक कंपनी के नहीं थे और उसमें से कुछ वेंटीलेटर गायब है तो आप उसको दिखवा लीजिये। जो वहां पिछले जिलाधीश थे, उन्होंने आपदा को अवसर के रूप में परिवर्तित किया, समाजसेवी संगठनों से भी सहयोग लिया, DMF की राशि का भी उपयोग किया, लेकिन आज भी उसमें कितने वेंटीलेटर चालू है और कितने बंद है, वह जब उस समय हम लोगों ने पूछा तो आपके जो भार-साधक मंत्री जी थे वह बता नहीं पा रहे थे। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस प्रकार से शासन की राशि का दुरूपयोग नहीं

होना चाहिये। माननीय मंत्री जी हमारा आपसे आग्रह है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बढ़े ? अभी जब आपदा आयी, विपदा आयी ,कोरोना काल हुआ तो एम्स ने बचा लिया, आप एम्स के भरोसे छत्तीसगढ़ को कितने दिनों तक खीचेंगे, इसने छत्तीसगढ़ के हर जिला केंद्रों पर, हर ब्लॉक मुख्यालय में और राजधानी में हम शासन के द्वारा चिकित्सा की सुविधा को आधुनिक रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छे और आधुनिक चिकित्सालय का हम निर्माण कर सकते हैं ? अभी निजी चिकित्सालयों की बात आयी, उस समय किस बेतरबी के साथ में लूट-खसाट हुई। पहली और दूसरी लहर में, जो गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हुआ, उसके 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख के बिल बन गये। किसी को घर बेचना पड़ गया, किसी को जमीन बेचनी पड़ गयी, वह स्थिति भविष्य में न आये, इस व्यवस्था को आपको समय रहते सुनिश्चित करना चाहिये, हमारा आपसे आग्रह और निवेदन है। आपके अभी जो भी 108 चल रहे हैं वह सब खटारा हो गये हैं, 108 अभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती तो हम उसको कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, हम कैसे नये एंबुलेंस, 108 की व्यवस्था कर सकते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस हर जिला चिकित्सालय में रहे, एक रहे, दो रहे, चार रहे, यह हमको व्यवस्था करने की आवश्यकता है, वेंटीलेटर से युक्त एंबुलेंस। माननीय मंत्री जी, पिछले 5 जनवरी 2022 को, माननीय मुख्मंत्री जी जांजगीर गये थे। वहां पर हाईस्कूल मैदान में पब्लिक मिटिंग में उन्होंने जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, वहां जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, यह कहकर आये थे। करीब सवा साल हो गये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एलान किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हमारा जो लोकसभा है वह एक मात्र लोकसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि आज भी वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने की किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, वह खोलना तो दूर की बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके, जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खुल जाये। केन्द्र से आपको जो भी पत्राचार करना है, जो भी नियमों के तहत प्रावधान होते हैं, उस पर शीघ्र अमल करते तो ठीक होता। अभी जनप्रतिनिधियों की बातचीत हो रही थी, जिला की जो जिला स्तरीय कमेटी होती है, उस रोगी कल्याण समिति, जीवनदीप समिति में भी विधायक सदस्य नहीं हैं, आप उसको नोट करवाईये। कभी जीवनदीप समिति की बैठक में स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किया जाता है। आप उसको दिखवा लीजिए। सारे विपक्ष के विधायकों की शिकायत है। अभी यहां पर चन्द्रा जी हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जीवनदीप की जिला की कमेटी में विधायक सदस्य नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- जीवनदीप की जिला की कमेटी में विधायक सदस्य नहीं है, उसमें कम से कम जिले के विधायक मेम्बर रहें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप लोग सभी सी.एच.सी. में हैं ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जी। हम सी.एच.सी. में विधायक लोग पदेन अध्यक्ष हैं, लेकिन जिले की कमेटी में नहीं हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, आप उसको दिखवा लीजिए। क्योंकि जीवनदीप समिति की जिला कमेटी से ही सारी खरीदी होती है। सारे विकासखण्ड स्तर के जो अस्पताल हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है और जिला अस्पताल कैसे दुरूस्त किया जाए, जिला अस्पताल का कैसे आधुनिकीकरण किया जाये, जिला अस्पताल में जितनी आवश्यक सुविधायें हैं उसको हम कैसे बहाल कर सकें ? वहां पर विधायकों की राय आ जाये। हम भी चाहते हैं कि वहां पर हम विधायक निधि से कुछ करें, कुछ सहयोग दें, लेकिन कुछ जानकारी रहेगी तब तो हम सहयोग दे पायेंगे। इसलिए आप उस व्यवस्था को सुनिश्चित करवा देते।

माननीय सभापति महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन अस्पतालों में postmortem होता है पी.एम. होता है वहां पर postmortem के लिए भी पैसे की मांग की जाती है। यह अमूमन शिकायतें आती हैं। एक तो उस बेचारे के यहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। वह पहले पुलिस के चक्कर काटता है, पंचनामा होता है, बाकी सब चीजें होती हैं, लेकिन जब वहां पर postmortem के लिए जाता है अगर वहां पर भी राशि की मांग की जाये तो यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इस व्यवस्था को भी दिखवाना चाहिए और postmortem जल्दी हो जाये, समय पर हो जाए और जिस घर, जिस परिवार में यह हादसा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी dead body मिल जाये, यह आपको सुनिश्चित करना चाहिए और अगर इस तरह की वारदात है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की शिकायतें न आये।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज की कल्पना की थी कि हम कैसे पंचायत को सशक्त बना सकते हैं। हम उसको कैसे अधिकार संपन्न बना सकते हैं ? माननीय मंत्री, अभी जो आपकी गौठानों की समिति बनी। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी । आपने गांव-गांव में गौठान बनाये हैं। जितने गौठान ग्राम हैं उन गौठान गांवों की ग्राम सभा बुलाकर, प्रस्ताव पारित करके, गौठान समिति के लिए जो नाम दिये हैं, उसमें से एक भी नाम नहीं आये हैं। वहां की राजनीति के आधार पर जो राजनीतिक दल ने जो नाम दिये हैं, उसमें वह नाम आये हैं। वहां के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं पंच, सरपंच हैं, उन लोगों ने आकर शिकायत की है आप अब एक तरफ कहते हैं कि हम पंचायती राज को सशक्त बनायेंगे। हम बापू के सपनों को साकार करेंगे और दूसरी तरफ ग्राम सभा जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगर उस ग्राम सभा ने कोई निर्णय लिया है तो उसको दरकिनार करके, उस गौठान का राजनीतिकरण कर रहे हैं तो गौठान को राजनीतिकरण करने से बचाईए। गौमाता का क्या दोष है ? माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में ग्राम खोखरा में, मस्तुरी में, किरारी में, बड़ी संख्या में गौमाताएं काल के गाल में समा गयी। समाचार पत्रों में भी आया, मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया में

आया लेकिन आज तक वह गौमाताएं क्यों मरी, उसकी न जांच हुई, न किसी के ऊपर कार्रवाई हुई। आप यह सुनिश्चित करिए कि प्रदेश के किसी भी गौठान में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। आपने गौठान बनाया है लेकिन पूरी गौमाताएं सड़क पर रहती हैं। हम जब रायपुर से अपने क्षेत्र में जाते हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हमारे जांजगीर चांपा जाते तक हजारों गौमाताएं सड़क पर रहती हैं। उसके कारण निरंतर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और बहुत से लोगों की जान भी चली गयी हैं। आपने गौठान बनाया है तो गौमाता के लिए बनाया है। आप यह व्यवस्था सुनिश्चित करिए कि गौठानों में गौमाताओं की व्यवस्था हो और उनको वहां पर रखा जाए। वहां पर न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है तो गौमाता को कौन रखेगा ? माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी पंचायत हैं, आप क्रमबद्ध तरीके से करिए, जो 5 हजार से ऊपर आबादी वाली पंचायत हैं, 3 हजार के ऊपर आबादी वाले पंचायत हैं, 1 सामुदायिक भवन बनवाईए, एक मंगल भवन बनवाईए लेकिन बड़ा भवन बनवाईए। करीब 25 लाख की लागत का एक बड़ा भवन बनवाईए। डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में वह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और अजय चंद्राकर जी को मालूम है।

समय :

3:47 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, जिसमें पूरे गांव के जितने सुख-दुख के काम हैं, वह सारी चीजें निपट जाए। हम छोटे-छोटे 5 लाख, 7 लाख के सामुदायिक भवन बनवाते हैं और 10, 15 भवन बने हुए हैं लेकिन उसका कोई काम गांव के लिए नहीं होता है। हमारा यह आग्रह है कि एक सामुदायिक भवन बनवाईए लेकिन बड़ा बनवाईए। पिछले तीन सालों से जब से आप पंचायत मंत्री बने हैं, समग्र की राशि किसी विधायक को प्राप्त नहीं हो रहा है या आप अपने उत्तर में बनाएंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भैया, छाप वाला मन ला मिले हे।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, राशि के वितरण का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। काम की प्राथमिकता के आधार पर राशि का वितरण होना चाहिए। हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है, सारे लोग इस सदन में जनता के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं लेकिन हम चिन्ह-चिन्ह के दें, यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। हमारा आग्रह है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सबको मिले, आप यह व्यवस्था सुनिश्चित करें, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है। 15 वें वित्त की राशि का दुरूपयोग हो रहा है। 15 वें वित्त की राशि का विशेषकर हमारे नवागढ़ ब्लाक में, जैजेपुर, मालखरौदा, पूरे जांजगीर चांपा जिले में बंदरबांट हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 35 प्रतिशत ?

श्री नारायण चंदेल :- मैं प्रतिशत ला तो नई बता सकत हंव।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, संक्षिप्त में करिए। काफी समय हो रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- मैं सकेल रहा हूं। मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है इन सारी बातों को जरा संज्ञान में लीजिए..।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी मंत्री जी की स्कीम दूसरी है, अभी उनको कोई संज्ञान में लेना नहीं है। यहां से उत्तर देकर उनको सीधे दिल्ली जाना है। ढाई साल से करीब 1 साल उपर हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, पी.एम. आवास का जो राज्यांश नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण पी.एस. आवास वापस चला जा रहा है, उसके बारे में चिंता करिए। बहुत गंभीर विषय है, हर गरीब का सपना होता है कि मेरे ऊपर छत हो और यह बहुत बड़ी बात है लेकिन दुर्भाग्य है, बाकी राज्यों में बन रहे हैं, उड़ीसा, और झारखंड जैसे राज्यों में बन रहे हैं, वहां वापस नहीं जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिसको हम कहते हैं कि संपन्न राज्य है, हमारे पास सारे संसाधन हैं। माननीय मंत्री जी, यहां का जो गरीब है और वह मकान किसका बन रहा है, गांव में रहने वाला दुकालू, सुकालू, बैसाखू, समारू, पहाड़ू, डहाड़ू का बन रहा है। उस पी.एम. आवास से वह बेचारा वंचित है। उसको संज्ञान में लेकर करिए।

सभापति महोदय :- चंदेल साहब, काफी समय हो गया । समाप्त करें ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आपकी जो पी.एम. सड़क है। आप बहुत सी जगह जांच करा लीजिये कि उसमें गुणवत्ताविहीन निर्माण हुए हैं और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है जो एनुअल मेंटेनेंस होता है, रखरखाव होता है उस पर भी केवल खानापूर्ति हो रही है, उसमें भी केवल डामर का लेप चढ़ाया जा रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत में वहां की आबादी के अनुपात में आप मुक्तिधाम को अनिवार्य कर दीजिये । हर गांव में सुसज्जित मुक्तिधाम हो, आवश्यकता के अनुरूप मुक्तिधाम हो । आपको यह कार्य अनिवार्य रूप से करना चाहिए । सी.सी. रोड बहुत बन गये लेकिन आपको किसी न किसी स्कीम में इसको शामिल करना चाहिए क्योंकि सारे लोगों को वहीं जाना है इसलिये हर गांव में वह व्यवस्थित बने और नहीं तो आप दूसरे प्रांतों का मॉडल मंगवा लीजिये जो कि गुजरात वगैरह में बने हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं समापन की तरफ बढ़ रहा हूं । पंचायत सचिव बेचारे जो कि आपके कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक हैं उनको 6-6, 8-8 महीने से वेतन नहीं मिलता । वे तो गरीब आदमी हैं, सामान्य आदमी हैं । उनको चौक में जाकर टेंट लगाना पड़ता है, मुख्यमंत्री निवास में आना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ता है । आपके पास आते हैं तो यह सारी परिस्थिति न बने, उनको समय पर भुगतान हो जाये । मनरेगा के भुगतान की भी शिकायत आती है और मनरेगा में कौन काम करता है ? वह पसीना बहाने वाला व्यक्ति काम करता है अगर उसका भुगतान नहीं होगा तो कैसे होगा ? ओ.डी.एफ. में जो शौचालय बने हैं । बहुत से पंचायतों में उसका भुगतान नहीं हुआ है और ओ.डी.एफ. के

शौचालय में भी घपला । हम लोग पहली बार किसी प्रदेश में देख रहे हैं कि शौचालय में भी भ्रष्टाचार हो रहा है । आप विधायक आदर्श ग्राम के लिये कोई मापदंड तय कर दीजिये कि आप उसको अलग से कितनी राशि दे सकते हैं ताकि हम अपने क्षेत्र में यह बता सकें कि हमारा यह विधायक आदर्श ग्राम है । उसके लिये कोई न कोई कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है । हमें पूरे क्षेत्र में एक गांव को गोद लेना है । प्रधानमंत्री आदर्श गांव के लिये जो प्रस्ताव जाता है, जिला पंचायतों में उसमें भी गड़बड़ी होती है । प्रधानमंत्री आदर्श गांव के जो नार्म्स हैं उसके मुताबिक बल्कि गांव का प्रस्ताव नहीं भेजा जाता, वे अपने हिसाब से, अपनी रूचि के हिसाब से करते हैं तो हमारा यह आग्रह है ।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री नारायण चंदेल :- जी । माननीय सभापति महोदय, हमारा यह आग्रह है कि इन सारी बातों पर गौर करते हुए आप अपने विभाग को और सशक्त बनायेंगे और हमारा निवेदन है कि आप सदन में आकर के बैठें और सारी चर्चा में भाग लें । पंचायत विभाग बहुत बड़ा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । इसी आशा के साथ मैं आपकी मांगों का विरोध करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, पता नहीं मैं अपनी बात की शुरूआत कहां से करूं क्योंकि पूरा पंचायत विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं विरोध कर रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं । माननीय मंत्री जी के अंदर में जो अधिकारी हैं वे पंचायत विभाग में केवल ठेकेदारी करने को छोड़कर बाकी किसी योजना में किसी भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तेंहा शिवरतन भैया के चक्कर में मत आबे, ऐ हा बिगाड़े के काम ज्यादा करथे न ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जेन हा हावय तेन ला मैं सही-सही बोलत हंओं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ओकर चक्कर में नइ आवये तभो तो 10 लाख रूपया के ओकर क्षेत्र में स्वीकृति नइ होवय न । ते हा बड़ा गड़बड़ हावय ।

श्री अजय चंद्राकर :- राजा साहब, आप अपने स्त्रोतों से यह पता करिये कि पंचायतों के बिजली बिल कितने बकाया हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सबसे छोटा सा उदाहरण मैं अपने जिला पंचायत से चालू करूंगा । उस दिन प्रश्न-उत्तर के जवाब में केशव प्रसाद चंद्रा जी ने एक बात बोली जो आज तक समझ में आयी कि 17-17 करोड़ रूपये की ट्रेनिंग कराकर आता है जिला पंचायत से पता नहीं वह कैसी ट्रेनिंग होती होगी ? अगरबत्ती बनाने के लिये 17 करोड़ रूपये । 17 करोड़ में तो पूरे जिला भर में घर-घर में 2-2 बंडल अगरबत्ती पहुंच जायेगा और 17 करोड़ रूपये जिला पंचायत से ट्रेनिंग के लिए देते हैं। वैसे ही बलौदाबाजार क्षेत्र में सिमगा ब्लॉक में 2 हजार रूपये के साइकिल को पंचायत द्वारा 45-45 हजार रूपये में बेच रहे हैं और कौन बेच रहे हैं, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. अपने निजी व्यक्तियों को बुलाकर डायरेक्ट ठेका देकर बिना टेंडर के ये बेचा जा रहा है। कहां है विभाग ? कहां है अधिकारी ? मैं नहीं समझता अगर किसी का संरक्षण न मिले तो इतना बड़ा कदम जिला पंचायत के अधिकारी उठायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। माननीय मंत्री जी तो ऐसे मामले में तो पाक साफ और पवित्र हैं। इनके ऊपर आज तक छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति नहीं बोला होगा, लेकिन इनके ऊपर वाले जो भी अधिकारी हैं जो भी ये काम करवा रहे हैं, मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं कि उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? माननीय सभापति महोदय, 5-5 लाख के ठेके के लिए जो फिनाइल गोली, जो डामर गोली जो 100 रूपये में 1-1 पैकेट मिलता है, इसके लिए भी बंगला से ठेकेदार आते हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं कि यह बंगला कहां है? यह संचालन कौन कर रहे हैं? पिछली बार भी पूछा था, कोई जवाब नहीं मिला। अभी भी पूछ रहा हूं। ये ठेके का संचालन कौन कर रहा है? अभी संतराम नेताम जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि पंचायतों को अधिकार दिया गया। हम उनका सम्मान करते हैं। पंचायत मंत्री जी का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। उन्हें अधिकार दिया गया। लेकिन यह अधिकार तो छिना गया है। एक पंचायत का सरपंच अपने मन से किसी सप्लाई में कोई काम नहीं ले सकता। मजाल है कि कोई सरपंच सप्लाई का काम अपनी मर्जी से ले ले तो जिला पंचायत के सी.ई.ओ. उस बिल को रोक देते हैं। उनके ऊपर थोपा जाता है। उनके ऊपर दादागिरी की जाती है। पंचायत में यह चल रहा है। ये पंचायती राज में, आज की सरकार में यह चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है। अगर भ्रष्टाचार की गणना करें तो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि रात हो जायेगी। अभी जिला पंचायत में जिला विकास निधि से सैनेटाइजर, ऑक्सीजन, मास्क, ये जो सामग्री बिक्री की गयी है, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी एक बार जांच करायें और जांच करवायेंगे तो भी क्या फायदा, जांच करने वाले वही लोग तो बेच रहे हैं, इसलिए जांच करवाने से भी कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, अभी तो चालू नहीं किया हूं। एक पत्ता हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के बारे में माननीय चंदेल जी जो बोल रहे थे, वह हर जिले की समस्या है। पोस्टमार्टम

की तकलीफ होती है, लेकिन डॉक्टरों से तकलीफ नहीं है। चीर-फाड़ करने वाले जो स्वीपर हैं, उनकी भर्ती बिल्कुल कम है। हमारे बलौदाबाजार जिले में अगर पोस्टमार्टम करना होता है तो डॉक्टर पहले से आकर बैठे रहते हैं। चार झने स्वीपर को ढूंढते हैं और उसे पकड़कर घरवाले ले जाकर पहले फुल शराब पिलाया जाता है फिर वे चीर-फाड़ करने के लिए आते हैं, क्योंकि कोई स्टाफ ही नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक स्वीपर की भर्ती बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय में कर लें ताकि पोस्टमार्टम के लिए लोग बिल्कुल न भटकें और कोरोनाकाल में माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि डी.एम.एफ. से जिसमें मैं भी सदस्य हूं। मेरे जिले के सभी आदरणीय माननीय शिवरतन शर्मा जी भी हैं। शकुंतला साहू जी भी हैं। चंद्रराय जी भी हैं। दो-दो सांसद हैं। सबने प्रस्ताव पारित किया था एक स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 50 से 60 लोग थे और वहां से यह तय किया गया था कि 1 साल तक इन्हें रखा जायेगा ताकि इन्हें जब भर्ती हो तो बोनस अंक मिले। सभापति महोदय, बलौदाबाजार में तो जिले को कलेक्टर साहब नहीं चलाते, यह तो तय है। एक अदृश्य शक्ति जो ऊपर से बंगले से जाती है, वह कहां से आदेश आ गया कि इन्हें निकाल दे। तो उस अदृश्य शक्ति को मंत्री जी नियंत्रित करें और उसे 1 साल तक कम से कम रहने दे। मात्र 2 महीने बचे हुए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- बंगले का एड्रेस भी बता दे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पता नहीं बंगले का क्या एड्रेस हे?

श्री शिवरतन शर्मा :- अदृश्य शक्ति का नाम बता दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अदृश्य शक्ति से चमत्कारिक ढंग से छत्तीसगढ़ चल रहा है। तो उनसे निवेदन कर लें या आप आदेश कर दें कि जो नर्स हैं और जो ब्वॉयस हैं, उन्हें कम से कम 2 महीने और रहने दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- शर्मा जी के अलावा सब जानते हैं उस अदृश्य बंगला को। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी ये है सरकार के चार चिन्हारी। अब चार झन के नाम ला लूहूं तो बवाल हो जाही, बेकार हे बोलना।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा नाम लेना हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं, रहन दे। माननीय सभापति महोदय, रामायण का कार्यक्रम। ले बताओ गांव-गांव में रामायण कराये हे। आज तक नहीं देखे कभी कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लोग जाकर रामायण करवा रहे हैं। यह कौन सी योजना है ? किसी का मन भी नहीं है। कोई मुहूर्त भी नहीं है। धर्म के नाम से मात्र राजनीति करना और सिर्फ पैसा खाना और कोई मतलब नहीं है। हर गांव में रामायण के कार्यक्रम हो रहा है।

समय :

4.00 बजे

थोड़ा विधि-विधान से करें, मुहुर्त से करें । जो राम नाम की बात करते हैं, वे राम नाम का पालन कर लें । राम भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं, माता जी का मंदिर बनवा रहे हैं तो उनके लिए मैं एक दोहा पढ़ना चाहूंगा - "रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई ।" यह राम चंद्र जी ने कहा था । यहां तो सत्ता के लिए वचन से मुकर जाते हैं । इसलिए वचन का पालन होना चाहिए, यह राम के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य है ।

सभापति महोदय :- प्रमोद जी थोड़ा संक्षिप्त करें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमर सरकार वचन निभाए वाला सरकार हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नइ निभाये हे वचन ला । मैं आने वचन के बात करत हौं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शुरू से लेकर अभी तक निभाए हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ये आने वचन के बात होवत हे, दोस्ती यारी के बात। सभापति महोदय, यह जय और वीरू की जोड़ी नहीं थी । वह गब्बर और ठाकुर थे (हंसी) और जो छत्तीसगढ़ को जय और वीरू की जोड़ी दिखायी जा रही थी, वह गब्बर और ठाकुर थे । लेकिन लास्ट में ठाकुर, गब्बर सिंह से बदला लेता है और समय आएगा । सभापति जी, भ्रष्टाचार की तो सीमा लांघ गए हैं । जिला पंचायत बलौदाबाजार में 15वें वित्त आयोग से 20 प्रतिशत कमीशन से लेकर 80 प्रतिशत काम सिर्फ मुरमी समतलीकरण के नाम से दिया गया है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 15 सालों के काम की भी छान-बीन कर लेना ।

सभापति महोदय :- प्रमोद जी समाप्त करें, बहुत समय हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं भ्रष्टाचार को उजागर के थोड़ा-बहुत संतुष्ट हो जाउंगा सभापति महोदय । इतना तो तय है कि अधिकारी लोग करने वाले तो कुछ नहीं हैं क्योंकि हिस्सा तो उनके पास भी जाता होगा । किसी भी जिला पंचायत अधिकारी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती कि खुले आम भ्रष्टाचार करे । ऊपर में अदृश्य शक्ति के पास पैसा जाता होगा और ये अधिकारी निश्चित ही मिले होंगे । मैं खुलेआम इन पर आरोप लगा रहा हूं लेकिन मैं बता तो दूं, उजागर तो कर दूं । अपने क्षेत्र की बात को सदन में रखना मेरा काम है । जिला पंचायत का 15वें वित्त का पैसा पूरे सदस्यों को सिर्फ मुरमी का समतलीकरण ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की बात रख लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अपने क्षेत्र के बारे में ही बता रहा हूं ।

सभापति महोदय :- क्षेत्र में कोई काम की बात हो तो करिये ना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं होता सभापति महोदय, कोई मतलब नहीं है । चार साल हो गए ये समग्र योजना क्या होती है, हम नहीं जानते, चवन्नी नहीं मिली है क्योंकि बाबा साहब के हाथ में है ही नहीं । इनकी कृपा रहती तो मिल जाता अब तो बिल्कुल नहीं मिलता और मत दें, मुझे क्या है, समग्र की राशि से मैं कौन सा अपना घर बनवाउंगा ।

सभापति महोदय :- चलिए, पर्याप्त हो गया । बहुत ज्यादा हो गया । आपकी पार्टी का उतना ज्यादा समय भी नहीं है । श्रीमती ममता चन्द्राकर ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एक निवेदन । माननीय मंत्री जी से छोटा सा निवेदन करूंगा, श्रम मंत्री जी भी बैठे हैं । मेरे क्षेत्र में मजदूर ज्यादा है, मेरे क्षेत्र में ई.एस.आई.सी. हॉस्पीटल खोलने का निवेदन करता हूं, इसके लिए कुछ प्रावधान बनाएं। माननीय श्रम मंत्री जी से भी निवेदन किया था एक ई.एस.आई.सी. हॉस्पीटल की स्थापना करें ।

सभापति महोदय :- विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन हेतु 4.00 बजे का समय निर्धारित है । चूंकि अभी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी है । अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाएगा । मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बिल्कुल सहमत है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, अभी तो माननीय पंचायत मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की मांगों पर चर्चा होगी फिर मुख्यमंत्री जी की मांगों परचर्चा होगी, उसके बाद विनियोग विधेयक आएगा । जब तक पूरी चर्चा नहीं होती, तब तक नहीं आ सकता ।

सभापति महोदय :- इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शॉर्ट करें । प्रमोद जी अपनी बात कहिए, आप जो बोल रहे थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 4 बज गया है ना ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बोल रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह नियम है कि 4 बजे के पूर्व विनियोग विधेयक पुर:स्थापित हो जाना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप विनियोग विधेयक को कल 4 बजे प्रस्तुत करवाइए । आज कितना लम्बा खींचेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- थोड़ा सा नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के बारे में बोलना चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र की बात करिये ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- क्षेत्र की मांग है । नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना पूरी तरह से फेल है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- ममता चंद्राकर जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने स्वयं नियम बताया है कि 4 बजे प्रस्तुत होनाचाहिए तो कल 4 बजे प्रस्तुत कर लें, हम नियम का पालन करेंगे ।

सभापति महोदय :- मैंने कह दिया, चर्चा पूर्ण होने के उपरांत । माननीय प्रमोद जी जल्दी से खत्म करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 4 बजे प्रस्तुत करने का नियम है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- लो मैं समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय :- मैंने इसीलिए कहा कि चर्चा पूर्ण होने के उपरांत । चलिए बैठिये । प्रमोद जी बस हो गया आपका ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- धन्यवाद् सभापति महोदय । मेरे मन में बहुत सारी भड़ास थी, बाद में किसी दिन निकाल लूंगा ।

उपाध्यक्ष महादेय :- श्रीमती ममता चंद्राकर जी।

श्रीमती ममता चंद्राकर (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के विभागों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस सदन से आपके माध्यम से बहुत-बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही बेहतर है। मैं अपने ही जिले की बात करूंगी। स्वास्थ्य की सुविधा हर अंतिम छोर तक बसे व्यक्ति तक पहुंच रही है। हमारी सरकार की स्वास्थ्य को लेकर जो सोच है, जो चिंतन है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने जिले के बारे में एक बात कहूंगी, जो हमारी डी.एम.एफ. के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था किया गया है, वहां हमारे जिले में एन.एम., सेकेण्ड एन.एम. की जो नियुक्ति हुई है, वह बेहतर स्थिति में है। अभी हमारे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि हमारी सरकार वचन देती है, निभाती नहीं है। मैं कहना चाहूंगी हर वह बात जो पूरे तीन साल में हमारी सरकार ने जो कहा है, उसको कर रही है। कोई भी रूप में, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, शहरी क्षेत्र की बात हो और स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत सारा, चाहे हम ग्रामीण अंचल में जायेंगे हाट-बाजार क्लिनिक को लेकर, शहरी क्षेत्र में जायेंगे, वहां भी एक व्यवस्था दुरूस्त है। हर चीज में, हर वह बात जो सरकार कह रही है, उसको कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामना दूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए जो स्वास्थ्य, जो सुपोषण की बात करते थे, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात करते थे, वह भी हमारे पूरे छत्त्ीसगढ़ में सफल हो रही है। हम एक महिला हैं, नारी हैं और ग्रामीण अंचल में नारियों का जीवन, जो ग्रामीण परिवेश में बसर करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी के साथ अपने मुख्यमंत्री जी

को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। साथ-साथ सड़कों की बात करें। अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि यह सब भ्रष्टाचार की बात है। अभी कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री सड़क की जो व्यवस्था है, पूरे जिले में लगभग 125 रोडों का संधारण, एक नवीनीकरण, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के बाद रहने की, गुजर करने की, आवागमन की सुविधा को लेकर रहती है, जो बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है। हमारा पूरा प्रदेश, हमारा कबीरधाम जिला, तीन साल में जितनी भी सड़कों की हालात जर्जर थी, वह बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रही है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- ममता दीदी, आप जो सरकार के पक्ष में बोल रही हैं, उसको मंत्री जी सुन ही नहीं रहे हैं। थोड़ा बुलवा लो।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- हमारे मंत्री जी तो बैठे हैं। पूरे सरकार सदन में बैठी है। (व्यवधान) वे हमारे मंत्री हैं, यहां सुने, वहां सुने, उनकी जो संज्ञान में आया, हम उसी बात को बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- ममता दीदी, उसी को बोल रहे हैं क्या?

श्रीमती ममता चंद्राकर :- जी नहीं, हमारे जिले में जो विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जो विकास हो रहा है, उसको बोल रही हूं। प्रत्यक्ष है। शायद हमारी सरकार की योजनाओं का उपयोग आप सब को भी मिल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं भी पंडरिया गया था।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, उचित नहीं है। बहेन बोल रही हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पंडरिया गया था, तो लोग बोले कि कवर्धा में जो हो रहा है, पंडरिया में कुछ हो ही नहीं रहा है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- नहीं, ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्या बोल रही हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह अभी धमतरी विधायक महोदया ने कहा अभी मंत्री नहीं है। सबकी सुनने के लिए तो शुरू से मोहम्मद अकबर जी हैं। जो बोलों, उसको वह सुनेंगे।

सभापति महोदय :- मंत्री आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिये ममता जी।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- पूरे सरकार आप सबकी बात सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तभी संचालित हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी और हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्वरूप है, आप तीन साल में देख सकते हैं कितना बदला है। हमने आपके 15 साल के कार्यकाल को भी देखा है। हम वहीं रहते थे और आज भी वहीं हैं। हम उस स्थिति में बहुत ही सुधार हुई है। मैं अपनी सरकार प्रति बहुत ही शुभाकमना दूंगी, क्येांकि ऐसी व्यवस्था न पहले थी, जो आज छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां हर क्षेत्र में हमारी सरकार की तरीफ, हमारी सरकार को सम्मान हर जगह मिल रहा है। तो मैं सरकार के साथ और विपक्ष के साथियों के बीच भी कहना चाहूंगी...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- ममता जी, मुख्यमंत्री समग्र विकास से आपको पिछले साल कितना पैसा मिला है? थोड़ा बताईये।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- देखिये, यह सदन की बात नहीं है। वह आपको पता होगा। पूरे छत्तीसगढ़ की बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे को क्यों पता रहेगा। आप बताओ।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, बैठिये। ममता चंद्राकर जी, जल्दी खत्म कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे क्यों पता रहेगा। आप बताइये। कितना पैसा दिये हैं, बताओ। सदन भी जानना चाहता है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- बिल्कुल। विकास हो रहा है। समग्र की राशि से भी विकास हो रहा है और निधि से लेकर सभी चीज से विकास हो रहा है। ऐसा कोई भी मद, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां छत्तीसगढ़ का विकास न हो रहा हो। मैं अपनी सरकार के समर्थन में, जो तीन साल का सराहनीय कार्य है आगे भी जनता-जनार्दन का आशीर्वाद है। निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय टी.एस. बाबा साहब को और हमारी सरकार के मंत्रिमण्डल के सभी जनप्रतिनिधियों को जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत शुभकामना दूंगी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जन घोषणा पत्र वर्ष 2018 के सृजनकर्ता और उसका सृजन कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को धोखा देने वाले माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी के पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं और दोनों महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री जी की कितनी चल रही है? इनके अधिकारी इनकी कितनी सुन रहे हैं? इस बात का अहसास प्रदेश के सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विभाग में उनके हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो रही है। विभाग में उनके हिसाब से फंड का आबंटन नहीं हो रहा है। भगवान की दया से राज परिवार से हैं कुछ चीज की कमी भी नहीं है और उस मामले में कोई अपेक्षा भी नहीं है। उसके बाद भी इतना सब होने के बाद इस पद पर क्यों बने हुए हैं? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। आज स्थिति यह है, मैं जानता हूं कि माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब क्षमतावान व्यक्ति हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं पर क्षमता और इच्छा होने के पश्चात भी कोई काम करने दे तो काम करे और जब काम नहीं करने दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप तो काम की बात करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब काम करने नहीं दे रहे हैं तो आप पैसा क्यों मांग रहे हों? पिछले बजट में तो आपने समग्र विकास के लिए 200 करोड़ रूपये लिया था न? पिछले बजट में आपने मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए पैसा लिया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के रिनेवल के लिए। आप सदन को बता दीजिए कि आप उसमें कितना खर्च कर पाये? आप क्यों खर्च नहीं कर पाये? स्थिति यह बनी है कि समग्र विकास, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा अपेक्षा रहती है, मांग रहती है। 200 करोड़ रूपये में सिर्फ 80 करोड़ रूपये खर्च हुआ है। वह 80 करोड़ रूपये कुछ चुने हुए क्षेत्रों में खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में खर्च हुआ है। मंत्री जी उसको अपने हिसाब से आबंटित नहीं कर पाये। आप मुख्यमंत्री सड़क योजना का 2 साल का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। गौरव पथ का 2 साल का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। इन दोनों योजनाओं में लगभग यही स्थिति है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्थिति तो यह बन गई है कि मेरे बलौदा-बाजार जिले में रिनेवल के टेण्डर 7 बार लगे हैं। 7 बार और आठवीं बार कॉल हुआ है और खाली शर्त जोड़ दी जाती है कि इतने से बीलो आएगा तो स्वीकृत होगा, नहीं तो री-टेण्डर होगा। जब 7 बार में टेण्डर करने के बाद आप वर्क ऑर्डर नहीं कर कर पा रहे हो तो बार-बार टेण्डर बुलाने का औचित्य क्या रह गया है? स्थिति तो इतनी भयावह है कि भाई प्रमोद शर्मा जी बहुत से विषयों को रख रहे थे। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है वास्तव में यह काम कहीं सीखना हो तो जिला पंचायतों से सीखना चाहिए। पंद्रहवें वित्त की राशि, अन्य मदों से आई राशि, कोरोना काल में उसका जो खर्च हुआ है आप खाली उसका एक बार ऑडिट करा लीजिए। बाजार में जो चीज 600 रूपये में मिल रही है वही चीज 5000 से 6000 रूपये में आपदा को अवसर में बदल कर के ली गई है। चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे सेनीटाइजर बांटने की बात हो, मार्केट रेट से 10 गुना ज्यादा में, मैं सिर्फ बलौदा की बात नहीं कर रहा हूं। यह स्थिति लगभग पूरे प्रदेश की बनी हुई है।

माननीय सभापति जी, गौठान के बारे में चर्चा होती है कि गौठान आपकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में दो बार निवेदन कर चुका हूं । छत्तीसगढ़ में 8 हजार गौठान बन चुकी है । मैंने निवेदन किया कि लाट निकालो और लाट निकालकर हमको 5 गौठान घूमा दो कि गौठान कितने सफल हैं, लोग देख लें । मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अन्य प्रदेशों से लोग गौठान देखने आ रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेशों से लोग गौठान देखने आ रहे हैं । आपने 5-10 गौठान बना लिए, उनको दिखाने के लिए लेकर जाते हो । आप 8 हजार गौठान का लाट निकालिए और लाट निकालकर दिखाने ले चलिए, कितने सफल हैं, वह दिखा देंगे। गौठान के नाम पर अरबों रूपए की बरबादी यह सरकार कर रही है ।

माननीय सभापति जी, मनरेगा के काम का उल्लेख होता है और सबसे ज्यादा काम मनरेगा में हुआ है । अजय चन्द्राकर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से पूछा था कि आपने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है कि मनरेगा में कौन से काम कराये जा सकते हैं, पर आपने गौठान का उल्लेख क्यों नहीं किया ? अगर गौठान का काम होना था तो मनरेगा में उसका उल्लेख होना चाहिए था और मनरेगा में सबसे बड़ी बात जो उल्लेखित है-परिसम्पत्ति का निर्माण करना । तीन साल में मनरेगा में ऐसे कितने काम स्वीकृत हुए हैं, जिससे पंचायतों में परिसम्पत्ति खड़ी हो, जरा आप बता दीजिए । मनरेगा में वही काम स्वीकृत किये जा रहे हैं, जो सिर्फ पैसे को बरबाद कर रहे हैं । खुदाई, सफाई और खुदाई । खुदाई के नाम पर कोई वर्क नहीं होता । छत्तीसगढ़ में एक शब्द है-खरोड़ना। वह खरोड़ने का काम होता है । उसका कहीं किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता ।

माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, आपने जन घोषणा-पत्र में कहा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन् 70 लाख रूपए देंगे, नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रूपए साल देंगे । आप बताईए कि तीन साल में कितनी पंचायतों को आपने 70 लाख रूपए दिए या नक्सल प्रभावित पंचायतों को आपने 1 करोड़ रूपए देने की व्यवस्था की ? आप ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति कर को समाप्त करने वाले थे । कितनी पंचायतों में आपने सम्पत्ति कर समाप्त कर दिया । आपने ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 4 गैस सिलेण्डर मुफ्त में देने की बात की थी । सवा तीन साल हो गए, आप बता दीजिए कि कितने ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवारों को अपने चार सिलेण्डर मुफ्त में दिया है ?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, संक्षिप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो मैंने शुरू किया है ।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 7 मिनट हो गए हैं । संक्षेप करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं ।

सभापति महोदय :- बैठिए मत, संक्षिप्त करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 10 मिनट में समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय :- आप दो-तीन मिनट में समाप्त करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आप पारा-टोला को जोड़ने की बात कर रहे थे । डॉ. रमन सिंह की सरकार हटने के पश्चात् पारा-टोला को जोड़ने के लिए आपने कितने कार्य स्वीकृत किये हैं ? यह बता दीजिए । खाली जनता को धोखा देने के अलावा माननीय मंत्री जी ने कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया ।

माननीय सभापति जी, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । स्वास्थ्य विभाग बड़ा विभाग है । दो वर्ष में कोरोना कॉल में स्वास्थ्य विभाग से लोगों को ज्यादा काम पड़ा है । स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है ? पदों की रिक्तता की स्थिति यह है कि चिकित्सा विशेषज्ञ के 1586 पद स्वीकृत हैं और 1276 पद रिक्त हैं । दंत चिकित्सक के 114 पद स्वीकृत हैं, रिक्त पद 44 हैं । ग्रामीण चिकित्सा सहायक के स्वीकृत पद 798 हैं, रिक्त पद 165 हैं । तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के 20,064 पद स्वीकृत हैं और 7 हजार पद रिक्त हैं । कोविड कॉल में जो कर्मचारी रखे गए हैं, लोगों ने जान जोखिम में डालकर दैनिक वेतन भोगी में काम किया और आप उनको एक साल का अनुभव प्रमाण-पत्र भी नहीं दे सकते, दो महीना पहले उनको निकाल रहे हैं । अगर उनको एक साल का अनुभव प्रमाण-पत्र मिल जाएगा तो उनको कम से कम सर्विस में काम करने का अवसर मिल जाएगा ।

माननीय सभापति जी, हवाई एम्बुलेंस की बात हो रही थी । सरगुजा, बस्तर, सुपेबेड़ा तो आप स्वयं भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष की हैसियत से गए थे । किडनी से लोग मर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार जिम्मेदार है । अजय चन्द्राकर, स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग सवा तीन साल में क्या किए, जरा बता दीजिये ? सवा तीन में पेयजल को कारण माना गया, लेकिन आज उसकी योजना बनाकर निविदा तक आमंत्रित नहीं कर पाये। आपने सारे जिला अस्पतालों को सुपरस्पेशिलटी में परिवर्तित करने की बात की थी। कौन सा अस्पताल ठीक-ठाक हो गया, सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हो गया, आप जरा बता दें ? आपने मितानिनों को 5 हजार रूपया महीना देने की बात की थी।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, थोड़ा इधर भी देखिये। आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये है, कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- यदि आप बोले तो मैं अभी बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय :- आप बैठे या ना बैठे, लेकिन आपके दल का 20 मिनट का समय दिया गया था। काफी समय हो गया। आखिर और भी तो बिजनेस है। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन महत्वपूर्ण विभागों में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है और उसका दुष्परिणाम प्रदेश की 3 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार में आपकी पूछ-परख नहीं है, आप नहीं चल रही है, तो आप क्यों सरकार से चिपके हुए हो ? रिजाइन करो, सरकार के सामने खड़े हो तो शायद कुछ सुधार हो जाये, माननीय मंत्री जी के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, पूरी सहानुभूति है। मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम कोई मांग नहीं करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय केशव चन्द्रा जी (अनुपस्थित) श्री राजनीश कुमार सिंह।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या- 30, 80, 19, 79, 7 एवं 50 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विषय में में बहुत सारी बातें आई हैं। रोजगार गारन्टी में काम चल रहे हैं। रोजगार गारन्टी में सिर्फ पंचायतों के लिए यह नियम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहता है कि 60:40 का रेशियो मेन्टेन करें और उनको मटेरियल वाला वर्क बहुत कम दिया जाता है। बाकी विभागों को, जैसा कि अभी एक प्रकरण में बात आ रहा था कि 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ की राशि दे दिया जाता है, लेकिन पंचायतों को नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय डॉ. रमन सिंह जी के सरकार के समय धरसा विकास के नाम से मिट्टी-मुरूम से बहुत सारा रोड बना हुआ था, जो इन 8-10 वर्षों में धीरे-धीरे खराब होते जा रहा है। उसमें डब्ल्यू.बी.एम. का काम जोड़ा जाये। निश्चित रूप से काम राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना से डब्ल्यू.बी.एम. का देंगे तो गांवों में विकास के काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से बार-बार आई कि 15वें वित्त की अनुशंसा पर, रोजगार गारन्टी की अनुशंसा पर विधायकों को जिला पंचायत से कार्य नहीं दिया जा रहा है। यह सिर्फ 20 विधायकों का सवाल नहीं है, इधर भी बहुत सारे विधायक हैं, अभी भले ही मत बोले, लेकिन उनको भी कार्य नहीं दिया जाता है। वह भी बोलते हैं कि उनकी अनुशंसा पर उनको भी जिला पंचायत से काम नहीं हो रहा हैं। अभी माननीय मंत्री जी नहीं हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, अब बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि डेढ़ साल बचा है। यदि वह दिशा में कुछ काम कर पायेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय डॉ. रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो रोजगार गारन्टी में जो हमारे श्रमिक भाई बहन थे, उनको टिफीन बांटने की एक योजना चल रही थी। बहुत सारा टिफीन बांटा गया, लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पर, मैं बिल्हा विकासखण्ड की ही बात करूं, यह सबसे बड़ा विकासखण्ड है, दो बड़े-बड़े हाल में लाखों की संख्या में टिफीन रखे हुए हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बांटे, पर डॉक्टर साहब के फोटो लगाय रहिस हे।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आप अपना फोटो लगवा लो न।

सभापति महोदय :- माननीय रजनीश जी, श्रम विभाग पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। कई बड़े-बड़े हाल में रखे टिफीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बिल्हा एक मात्र उदाहरण हैं, जहां पचास हजार की संख्या में टिफीन हैं। माननीय मंत्री जी, पुराना फोटो निकलवाना चाहे, निकलवा लें, उसमें आप अपना फोटो लगवाना चाहे, लगा लें, लेकिन उस टिफीन को बंटवा दें। नहीं तो आप इजाजत दे कि उसको कबाड़ में बिकवा दें ताकि वहां पर बैठने वाला जो कार्य प्रभावित हो रहा है, वह हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बेलतरा में 20-25 गांव वनवासियों से भरा हुआ गांव हैं। उन्हीं लोगों की संख्या बहुतायत में है। वहां एम्ब्युलेंस नहीं है। वहां के लिए एक एम्ब्युलेंस की व्यवस्था करा दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, जो रजिस्ट्री होता है और उससे जो मुद्रांक शुल्क मिलता है, वह जनपद पंचायतों को जाता था। लेकिन अभी उसमें राशि लिमिट कर दिया गया है, 15 लाख, 20 लाख रूपये दे रहे हैं, बड़े-बड़े जो जनपद हैं, वहां 1-1 करोड़ रूपया तक विकास के लिए जनपदों को मिलता था, उसका भी किस आधार पर वितरण किया जा रहा है ? जो छोटे जनपद है, उनको भी 10 लाख, 20 लाख मिल रहा है, बड़े-बड़े जनपद है, उसको भी 20 लाख रूपया मिल रहा है । उसको भी दिखवाकर उनका जो हिस्सा है, उसे दें ताकि वह अपना काम कर सके । सभापति महोदय, रोजगार गारंटी में मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है, बहुत लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, उसका भी भुगतान हो जाये । बेलतरा विधान सभा में मल्टीस्पैश्यिलिटी हॉस्पीटल बनना है, उसे भी शीघ्र पूरा करेंगे, वह बहुत बड़ा हॉस्पीटल है, उसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा । छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेंटल हॉस्पीटल सेंदरी में है, वहां पर छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी आते हैं, मरीज के साथ जो आते हैं उनके लिए रहने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा आग्रह है कि वहां पर सर्वसुविधायुक्त भवन बने, जहां पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था हो जाये, इधर-उधर भटकते हैं, बिलासपुर से वह मेंटल हॉस्पीटल काफी दूर है, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग का जो विषय था, बहुत संक्षेप में रखा हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, आज वाणिज्यकर पर भी चर्चा है । थोड़ा उस विषय पर बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूँ । जैसा कि गिलोटिन बजट हो रहा है, इस बार भी सुपरसोनिक स्पीड से बजट पास कराने को लगे हैं । बहुत लोगों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल रहा है, दो चार मिनट में किसको बोले, किसको छोड़े, ऐसा हो रहा है । माननीय सभापति महोदय, आबकारी का जो विभाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक जिस विभाग से राजस्व की प्राप्ति होती है, उसमें से एक प्रमुख विभाग है । माननीय डॉ.रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, आखिरी के दो वर्षों में जब शासकीयकरण करने की बात हुई, बहुत सारे सत्तादल के साथी है, बड़े-बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत विरोध किये थे कि इसका शासकीयकरण किया जा रहा है, इससे पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत अव्यवस्था फैलेगी, नशाखोर हो जायेंगे...।

सभापति महोदय :- प्लीज, आप विषय पर बोले ना ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इसमें आबकारी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, वाणिज्यकर विभाग की चर्चा आज होगी । आबकारी वाणिज्यकर के अंतर्गत है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इसमें विषय है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह आज का विषय है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ शामिल है । मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत विरोध किया, इसके बाद बहुत बड़ी घोषणा

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

करके, वादा करके, कसम खाकर सरकार में आये कि हम शराबबंदी करेंगे । शराबबंदी नहीं किये हैं, उसी सिस्टम को आज चालू करके चल रहे हैं । जो वहां हो रहा है, उसकी जानकारी आपको दे दूं । पहले 9 बजे 10 बजे दुकान खुलती थी, रात को 9 बजे बंद हो जाती थी । शराब का जो पैसा आता था, शाम तक जमा कर देते थे, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं हुआ था, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों को खोजना पड़े, एफ.आई.आर.तैयार करना पड़े । उसके बाद कोचिया जो थे, सब बंद हो चुके थे । सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है ? आप सुबह 4 बजे घूमने निकलिये, शराब के नशे में लड़खड़ाते लोग मिल जायेंगे । रात को 12 बजे, 1 बजे जहां पर भट्ठी है, वहां पर शराब उपलब्ध हो रही है । इससे भी बड़ी बात, गंभीर अनियमितता है, आपराधिक कृत्य है । माननीय सभापति महोदय, मेरे एक प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि शराब से जो राशि मिलती है, वह तत्काल जमा होना चाहिये । मैंने तत्काल का अर्थ पूछा तो मैं मान लेता हूँ कि वह रात को 10 बजे बंद होता है तो रात 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिये । 2 दिनों तक नहीं पहुंचता है । तीसरे दिन एफ.आई.आर. होता है..।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, एफ.आई.आर. किसके ऊपर होता है, एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्ति के ऊपर होता है । 2 महीने बाद पैसे जमा होता है, चोरी, गबन, लूट इस प्रकार की घटनायें हो रही है । उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है । कई लोगों का पैसा नहीं आ रहा है, छोटी-मोटी राशि नहीं है । सभापति महोदय, जो जानकारी आई है, 66 दुकानें हैं और राशि लगभग 13 करोड़ है । यहां पर खुले आम भ्रष्ट्राचार हो रहा है, मेरा आरोप है कि जो एफ.आई.आर. भी हो रही है, उस एफ.आई.आर. की भी जांच करायें तो पता लगेगा, मैं कई थानों में बात किया हूं, ऐसी कोई एफ.आई.आर. नहीं हुई है। प्लेसमेंट एजेसियों से सरकार आखिरी क्यों इतनी दबी हुई है? सरकार क्यों कार्यवाही नहीं कर पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह दूसरे नंबर पर की पेटी है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। माननीय केशव प्रसाद चन्द्रा जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय :- एक मिनट तो आपका कई बार हो गया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में परिवहन की बात करके समाप्त करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, एक मिनट टोका-टाकी में लग गये हैं, उसके कारण वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट के विषय में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। शराब में जो एक गंभीर विषय आ रहा है। क्या कारण है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के ऊपर हम कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह दूसरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नंबर की पेटी है, उसकी वह डायरी बनाकर रखे हैं इसलिए सरकार उनसे भाग रही है और उनको छोड़ दे रही है कि इस तरह की लूट छत्तीसगढ़ के शासकीय खजाने में करें। माननीय सभापति महोदय, बार-बार विषय आता है कि हम दूसरे राज्य की अवैध शराब को पकड़ रहे हैं। दूसरे प्रांत की अवैध शराब की गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वह गाड़ी वास्तव में कहीं नंबर प्लेट बदलकर तो नहीं रखे हैं। यदि दूसरे प्रांत की गाड़ी है तो उसके मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? अभी माननीय मंत्री जी नहीं हैं, इस विभाग में, उस दिन जब मैं बजट में बोलना शुरू किया तो बोले कि सरकार को बधाई दे दो। निश्चित रूप से मंत्री जी को एक चीज के लिए बधाई दूंगा कि शराब को तो पूर्ण बंद नहीं कर पाये। जितना अवैध काम हो सकता है, वह शराब के माध्यम से हो रहा है। झारखंड में शराब बेचने की इनकी जो विशेषज्ञता है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट का विरोध करता हूं और मांग करता हू कि इन सब चीजों में सरकार गंभीरता से ध्यान दे। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी की अनुदान मांग पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले आप यह स्पष्ट करिये कि समर्थन में या विरोध में हैं ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अब वो आपके मित्र डायरी के बात करिन हे, अब डायरी बनाए के तुही मन शुरू करे हे। अब डायरी ला ओमन सिख गईन। ये डायरी के खेल हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, हाथी छाप, आप समर्थन में हो या विरोध में हो, उसको स्पष्ट करिये, फिर बात आगे बढ़ाओ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पिछले 5 साल रहेन, 5 साल में एक ठेन डायरी में खत्म हो गये। अच्छा काम के समर्थन भी हे। जेकरा खराब काम हे, तेकर विरोध भी हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा यह बताओ, अरूण वोरा जी कौन सा खराब काम किये हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वह तो बहुत आदरणीय, सम्माननीय हैं। मंत्री महोदय भी आदरणीय, सम्माननीय हैं, सब आदरणीय, सम्माननीय हैं। जो खामी है, कोशिश करथन ओला बतई। सुधारे देहीं तभो ठीक हे। अब जैसे समग्र का पैसा हमन ला नई देत हे, छापे वाला मन ला देत हैं। अभी हमार आदरणीय कहिन हे नई भी दिहा तो हमन का कर लेबो। का कर लेबो भाई। कुछ नई करन, गोठियाबो, क्षेत्र के मन ला बताओ। माननीय सभापति महोदय, मोर निवेदन हे कि चन्द्राकर जी के समय मा काट लिहा, ये टोक के समय ला खराब करथे।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- महोदय क्षेत्र के ही बात ज्यादा रखहूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं प्रश्नकाल में पूरा चुप बैठा था।

समय :

4.34 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग से ही शुरू करिहौं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, अन्य कर्मचारी मन के जो स्थिति हे, वो काकरो से छिपी नई हे। हर जगह जो कमी हे, जेकर कारण पूरा स्वास्थ्य विभाग प्रभावित हे। दूसरा ऐसे सरकार की तरफ से कोई न कोई कारण हे कि हम आम जनता मन ला विश्वास नई दिला पात हन कि आप सरकारी अस्पताल में इलाज करावा। माननीय मंत्री जी मैं आप लो उदाहरण दिहां, कोई भी जगह के सी.एस.सी. मा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, क्या आपके पास हाथी के पोस्टमार्टम करने की सुस्पष्ट व्यवस्था हे ? हाथी बहुत मर रहे हैं। यह इनको बता दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, दो-तीन विशेषज्ञ डॉक्टर रहिथे, ओखर बाद भी आदमी सामने बिना कोई डिग्री के डॉक्टर कर इलाज करात हे। तो कहीं न कहीं एक अविश्वास सरकारी अस्पताल की तरफ बने हवै। ओ सबले पहली ओमा विश्वास दिलाये के आवश्यकता हे। बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति हे कहीं मशीन हे तो वहां ऑपरेटर नई हे, जहां ऑपरेटर हे, वहां मशीन नई हे। अऊ विभाग ऐखर समीक्षा करथे या नई करै ? अभी शर्मा जी कहिन हे कि स्वीपर नहीं हे, अऊ बिना स्वीपर के पोस्टमार्टम कैसे होही, बिना स्वीपर के हॉस्पिटल के साफ-सफाई कैसे होही ? अब आप कतको विशेषज्ञ डॉक्टर रख लिहा तो का काम के, अगर वहां स्वीपर नहीं हे ता। तो आप ये चीज मन ला, ये खामी मन ला पूरा करा। माननीय मंत्री महोदय, आज से 5 साल पहली मोर यहां जैजैपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मा, डी.एम.एफ. से 74 लाख रूपया अस्पताल बनाये बर स्वीकृत होये हे । 5 साल पहली सी.जी.एम.एस.ई ओकर एजेंसी हे, आज 5 साल मा नींव खोदाये के काम शुरू नहीं होये हे। 30 बिस्तर के अस्पताल हे, अस्पताल मा मुश्किल से केवल 10 ठन बेड आथे, 4 झन डॉक्टर हे, ओ अस्पताल मा 4 झन डॉक्टर के बैठे के जगह नहीं हे, कलेक्टर ला बोलिहा अब। पता नहीं जसने भगवान के भरोसे ये श्रृष्टि चलथे, तसने यह सरकार भगवान के भरोसे चलथे। कोई माई-बाप नी हे, कोई देखने वाला नी हे, कहीं भी नी हे, कुछ भी नी हे। 74 लाख रूपया, आप तो अपन विभाग बर नई बनवाये सकथा डी.एम.एफ. से हो गे हे तेला कम से कम बनवा देवा, गरीब जनता उहा ओकर कम से कम लाभ लिही। एक तो ये सी.जी.एम.एस.ई एजेंसी ला खत्म करा। काबर कि पूरा संभाग मा एक झन इंजीनियर हे, एक झन सब इंजीनियर, कौन करा, कौन देखही छड़ बांधथे, तेला कौन देखही, कौन करा सीमेंट डालथे, तेला कौन देखही, एक झन इंजीनियर में एक संभाग चल सकथे का ? लेकिन ओकर बाद भी एजेंसी हे, खाली कमीशन खोरी के खेल हे, ठेकेदार हा ये विभाग ला चलात हवै।

माननीय सभापति महोदय, जीवन द्वीप समिति की बात आइस, दुर्भाग्य हे कि हमन जीवन द्वीप समिति के पदेन अध्यक्ष हे। जीवन द्वीप समिति के ढाई साल तक कोई बैठक नहीं होये हे। अउ काबर नहीं होये हे, कारण ला जानिहा तो अउ आश्चर्यचकित हो जाहा। कलेक्टर साहब ले चिट्ठी लिख डालेन, एस.डी.एम. ला चिट्ठी लिख डालेन, मोर यहां एस.डी.एम. हे तेला आई.ए.एस. हे। अतका बड़ ego हे कि मोर अध्यक्षता में ऊहा बैठक कैसे करही। यह प्रशासन और जनप्रतिनिधि मन के कतका ठन अवमूल्यन होथे, तेला देख लेवा या तो फिर ओला हटा देवव, हमन ला अध्यक्ष मत बनावा। चंद्राकर जी कहथव छायावार रहन देव ओला, वह बने काम करही, ओकर संग मिलकर काम करही, तो माननीय महोदय ये व्यवस्था मन ला, कोरोना काल में बढ़िया काम करा हवव, आप ये मन ला करा, ऐ मन ला आश्वासन भी दे रहै हा, मितानिन मन ला कि प्रोत्साहन राशि के अलावा 5 हजार रूपये मासिक मानदेय भी देबो। अउ सब आप ही के चिट्ठी में हे। अतका दिन ला खोजथ रहै हव, रोज जब भी आपके विषय आये, एक ठन चिट्ठी एक करा, आपके हस्ताक्षर की चिट्ठी आ जाये।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, संक्षिप्त कर लें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- महोदय, एक मिनट बोला हूं। एक ठन अस्पताल बर बोला हूं, दू चार मिनट अउ दे दौ ज्यादा नहीं बोलव।

सभापति महोदय :- 6 मिनट हो गे हे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक मन के भी वेतनमान के, ओ मन के परिवर्तित ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी के मांग हे, अेला भी ध्यान दे देवा। मनरेगा के तो बात ही नई करन, काबर मनरेगा के माध्यम से काम तो मिलथ नहीं, केवल पलायन करथे, वो भी जैसने मनरेगा के बात आईसे, तो केवल एक जगह नहीं पूरे प्रदेश में वही हाल है। मनरेगा मा केवल तालाब ही खोदाथ रईहा, सड़कें बनात रईहा, तो कहा ले जमीन पुरही, कतका मन जमीन हे, सरकारी जमीन, जे मा नया तालाब अउ सड़का बनाथ रहै ?

श्री अजय चंद्राकर :- 3 साल नहीं होथे, तब भी अउ नवा खोद देथे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अगर मनरेगा ला काम बनाये के उद्देश्य से चलाना हे, मजदूर मन ला काम मिलै तो योजना मा विस्तार लाये बर लागही। सेंट्रल गर्वन्मेंट के तो सेंट्रल गर्वनमेंट करा ये चीज के लिये अनुरोध करा। मनरेगा मा कनवर्जेस के माध्यम से जोड़ा था, मनरेगा मन ला खेती के तरफ ले करके जावा अउ मनरेगा मा कन्वर्जेस मा अगर संभव होही तो विधायक निधि ला भी जोड़ देवा तो हमन के ज्यादा काम हो जाही, 4 करोड़ करै हवव विधायक निधि जुड़ जाही, तो हमन 40 प्रतिशत जो राशि हे, वह मजदूरी के पैसा अउ बच जाही, मजदूर मन ला काम भी मिल जाही अउ पैसा के सदुपयोग भी हो जाही, तो ये बात के भी मैं अनुरोध करथव कि मनरेगा मा संभव होही, आप डी.एम.एफ. ला कन्वर्जेस करै, ये तमाम चीज ला अगर कन्वर्जेस कर दीहा तो मनरेगा मा काम भी मिल जाही। माननीय मंत्री जी,

विगत 2 साल में मोर यहां पहुंच विहिन गांव मा कोई मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मा सड़क स्वीकृत नहीं होये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मा तो अब नया सड़क बनै नहीं, पुराना सड़क मन के मरम्मत हो ही, चौड़ीकरण हो ही, मजबूतीकरण हो ही, लेकिन जे गांव हा वो योजना में नइ आय हे, कोन योजना में ओ गांव हा जुड़ही? लोक निर्माण विभाग करा कथन ता ए मुख्यमंत्री के कोर नेटवर्क में हे कथे, आप कर आथन तो एक ठन भी सड़क स्वीकृत नइ होय। अगर एक साल में दू ठन भी सड़क बना देतेव तो कम से कम दू ठन गांव के मन अपन गांव के चले बर रास्ता पा जतिन। मैं गुचकुलिया से करमनडीह के मांग करे रहेव, पाड़ाहरदी से सेमराडीह होते हुए कलमीडीह, मुख्य मार्ग (घिवरा) से डोमाडीह, मुख्य मार्ग से बरभाठा, झालरौंदा से आमापाली, आमगांव से कारीभांवर मोहल्ला, बहरेडीह से हरदीडीह, रनपोटा से झरियाडीपा मरघट्टी, चोरहादेवरी से बरकुट, मुख्य मार्ग से लिमतरा, मुख्य मार्ग से बाजारपारा पिरदा, झर्रा मोड़ से ठुठी, बड़े मुड़पार से सुखदा। ये मांग रखे रहेव, लेकिन एक ठन भी स्वीकृत नइ होए हे। भविष्य में कभु अगले साल, अउ साल, अउ साल अगर मौका लग जही तो देख लिहा। अगर सड़क बन जही तो बढ़िया बात हे, गांव के मन ला चले बर रास्ता मिल जही। जब तक गांव के विकास नइ हो ही, हमन छत्तीसगढ़ के विकास के कल्पना नइ कर सकन। गांव के विकास प्रमुख हे। पिछले समय मा मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र विकास योजना चलत रिहिस हे, तेमा हमर छोटे-छोटे काम होवत रिहिस हे। चाहे निर्मला घाट के बात रहाय, चाहे मुक्ति धाम के बात रहाय, चाहे ग्राम गौरव पथ के बात रहाय, चाहे सी.सी. सड़क, नाली के बात रहाय, लेकिन विगत 3 साल से एमा हमन ला कोई राशि नइ मिले हे। अगर राशि मिले हो ही ता कांग्रेस वाला मन ला मिल हो ही अउ उहू मन ला मिले हे तेखर पैसा नइ मिले हावय। काबर ? पहली बार ए व्यवस्था बन गे हे कि मंत्री के ऊपर में अभी कमेटी हे। अब अधिकारी मन काबर अपन अत्याचार ला नइ करही, कमेटी बने हे, मंत्री हर अपन प्रस्ताव भेजही चाहे ओ ग्रामीण विकास विभाग राहय, चाहे ओ शहरी विकास विभाग राहय, चाहे ओ प्राधिकरण के अध्यक्ष राहय, ए मन प्रस्ताव बनाकर के सी.एस. के अध्यक्षता के कमेटी में भेजही। अगर ओ हा अनुमोदन करही ता काम हो ही। नइ तो कोई भी राशि जारी नइ हो सकय। नइ तो वृन्दावन बिहारी लाल की जय। हमन जय मा भुलाए हावन।

माननीय सभापति महोदय, ए छोटे-छोटे आवश्यकता के पूर्ति कहां ले होवए। आप भी विधायक हो, हमन भी विधायक हन। ए निरंतर आवश्यकता के चीज हे। एक बार कोई सी.सी. रोड बन गे तो अइसे तो नइ हे कि ओ गांव में अगला मांग नइ आही। एक कोई सामुदायिक भवन बन गे तो अइसे बात नइ हे कि ओ गांव में दूसरा सामुदायिक भवन के मांग नइ आही। ऐ निरंतर आवश्यकता के चीज हे। जसने गांव के विसतार हो ही, जसने गांव बढ़त जही। तसने ए मांग मन आवत जही तो एखर लिए भी बजट के प्रावधान होना चाही। माननीय चंदेल भईया एक ठन बढ़िया चीज कहिन कि आप बड़े सामुदायिक भवन बनावव। पिछले शासनकाल में अटल समरसता भवन 20 लाख रूपया के बनत रिहिस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हे। मोरो क्षेत्र में एक जगह बने हावए। अगर अइसे कोई 20 लाख रूपया नहीं, तो 10 लाख रूपया, 15 लाख रूपया, ए 4 लाख, 5 लाख में तो आजकल गरूवा बइठे बर तैयार नइ हे। काबर की महंगाई हर ज्यादा हो गे हे तो आदमी कहां ले हो ही ? ओ में छोटे-मोटे गरीब आदमी के शादी हो जाए। गरीब आदमी घर के छट्ठी हा हो जाए। काकरो घर के दसकर्म में 100, 50 झन बइठकर खाना खा लेवए। तो कम से कम ओ अइसे बन जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपन बात ला समाप्त करहूं। माननीय मंत्री महोदय ए सचिव आप ही के विभाग के कर्मचारी हे। बिचारा मन पूछत रहिथे कि हम मन कोन विभाग के कर्मचारी हन ? हम मन नियमित अन, अनियमित अन ? कोई विभाग के हन या नइ हन ? तो ए मन के नियमितिकरण कर देव, ए मन के वेतनमान के मांग हे तेला पूरा कर देवव। पूरा विभाग में अनुग्रह राशि 25 हजार रूपए ले बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दिये गे हे, लेकिन एक मात्र ग्राम पंचायत के सचिव हे, ते मन के मृत्यु होए के बाद, अनुग्रह राशि हा केवल 25 हजार रूपया मिलत हे। तेखर लिए भी मोर निवेदन हावए। जनभागीदारी शिक्षक मन ला आपे लिखकर दे रेहेव । वर्ष 2002-03 में जब जनभागीदारी में स्कूल खुलिस, ग्राम पंचायत हा एमन ला नियुक्त करिस। अउ ओखर बाद 10 साल, 12 साल ओमन नि:शुल्क या अल्पमान में पढ़ाए के बाद, ओमन ला निकाल दिन तो पिछले समय आपे हा एमन ला घूम-घूम के लिखकर दे रहेव कि हमर सरकार बनही ता कहीं न कहीं आपके समायोजन करबो। अब आपके सरकार बन गे हे। ए मन के समायोजन कर देवव। मनरेगा में काम करत हे, तेखर मन के भविष्य अंधकारमय हे। चाहे रोजगार सहायक के बात रहाय, चाहे तकनीकी सहायक के बात रहाय।चाहे ओ मन के बात रहाए, जब तक के मनरेगा के कार्यक्रम चलत हे तब तक ओमन काम करही। ओखर बाद ओमन के भविष्य के कहीं कोई संभावना नइ हे। अगर ए मन के संभावना हो ही तो ए मन ला भी नियमित कर देवव। अइसे निवेदन के साथ मा अपना बात ला खतम करत हो। माननीय सभापति महोदय, आप समय देवव, तेखर लिये आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। आज स्थिति यह है कि सरकार जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्यों को आत्मसात करने की बात बार-बार करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की शुरूआत भी इसी बात से होती है कि हमने उनके उद्देश्यों को आत्मसात किया है लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति खत्म हो गयी है कि वह कैसे ग्राम पंचायतों का विकास करें। जब राष्ट्रपिता का सपना यही रहा है, वह बार-बार यह कहते आए हैं कि देश की आत्मा गांव में ही बसती है और सबसे पहले यदि विकास होना चाहिए तो गांव में अंतिम छोर के व्यक्ति बसे हुए हैं, उनका विकास होना चाहिए। शासन की हर महत्वपूर्ण योजना से वह अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ना चाहिए पर वास्तव में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति खत्म हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना ग्राम पंचायत भवन निर्माण योजना है। जिसके लिए सरकार ने 2 लाख रूपए का बजट रखा है। पूरे प्रदेश भर में हजारों नवीन ग्राम पंचायत होंगी, मेरे अकेले धमतरी विधानसभा में 4 नये ग्राम पंचायत बने हैं। यदि उन्हें नवीन ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है तो कायदे से उन्हें नवीन ग्राम पंचायत भवन मिलना चाहए। लेकिन स्थिति यह है कि जैसे ही घोषणा हुई कि नवीन ग्राम पंचायत भवन बने हैं, उनको सामुदायिक भवन में बैठना पड़ा या तो पंचायत प्रतिनिधि कभी अपने घर पर बैठ जाते थे, यह उनकी स्थिति थी लेकिन जैसे ही विभाग से आदेश मिला कि विभाग में पंचायत विभाग में कोई पैसा नहीं है, आप ऐसा करिए कि मनरेगा के पैसे से नवीन पंचायत भवन का निर्माण कर लीजिए तो पंचायत प्रतिनिधियों ने सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी में नवीन ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया, 3 साल में स्थिति यह है कि आज तक मनरेगा से क्योंकि वह 60-40 का रेश्यो है, अब रेश्यो में मजदूरी और मटेरियल के रेश्यों में आज भी वह मामला फंसा हुआ है और अभी तक सरपंच जो 75 लाख की लागत से नवीन ग्राम पंचायत भवन बनाएं हैं, आज तक उनको पैसा नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं, इसके साथ-साथ ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त कक्ष हैं, क्योंकि कई बार जो पुराने ग्राम पंचायत भवन हैं, उनमें अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैठने के लिए भवन छोटा पड़ता है। कई ग्राम पंचायत भवन काफी पुराने हो चुके हैं, काफी जर्जर हो चुके हैं, उनके लिए भी विभाग के पास फूटी कौड़ी पैसा नहीं है कि उनको रिपेयरिंग और मरम्मत के लिए एक रूपए पैसा भी दिया जाए, यह विभाग की स्थिति है।

माननीय सभापति जी, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना सुराजी गांव योजना है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में बोलते हैं, मंत्रिमंडल भी बार-बार अपने भाषण में बोलते हैं, माननीय पंचायत मंत्री भी अपने भाषण में सुराजी गांव, सुराजी गांव कहते हैं जिसमें नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना आती है। मैं चारों में नहीं जाऊंगी केवल यह एक योजना नरवा उपचार है जिसके डीपीआर के लिए और इस योजना को चलाने के लिए इन्होंने 30 हजार रूपए का बजट रखा है। अब नरवा में यह क्या काम करेंगे, विभाग ही बहुत अच्छे से बता पाएगा। यह बार-बार कहते हैं कि हमने गोबर खरीदी में 125 करोड़ रूपए पेमेंट किया है। अब वस्तु स्थिति यह है, आप यदि गौठानों में जाकर देखेंगे तो समिति गोबर खरीदते-खरीदते स्वयं थक चुकी है, वह आना कानी कर रहे हैं, वह एक हफ्ते में, कभी 15 दिन में यह कहते हैं कि हम 1 महीने में गोबर खरीदी करेंगे क्योंकि उनको खुद को गोबर खरीदी नहीं पोसा रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। यदि गोबर बेचने वाला गोबर बेचता है तो वह रोज गोबर बेचता लेकिन वह 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में बेच रहा है तो गोबर तो सूख जा रहा है। अब इनको क्या पोसायेगा ? समिति भी यह निर्णय ले रही है कि हम अब गोबर खरीदी बंद करेंगे और गोबर बेचने वाला भी यह निर्णय ले रहा है कि मैं तो अपने घर में घुरूवा बना लूंगा, मुझे वहां बेचने की आवश्यकता

नहीं है, इतनी मेहनत करता है, गौठान जाता है, गोबर बेचता है तो अब सब तंग आ गए हैं। इनकी जो योजना है, सरकार नरवा, गरवा, घुरूवा बाड़ी को फ्लैगशिप योजना कहती है। नरवा की स्थिति यह है कि 30 हजार रूपए का बजट रखा है और गोबर खरीदी इनकी फ्लाप योजना है जो पूर्णत: बंद होने की कगार पर है। हमारी युवाओं को सरकार ने बहुत अच्छे से ठगा है। यह देश की नई पीढ़ी है, प्रदेश में कुछ नया करने जा रही है, बेरोजगारी भत्ता के लिए सरकार ने 10 लाख रूपए का बजट रखा है। अब सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि कितने युवा हैं जिन्होंने पंजीयन कराया है, कभी कहते हैं कि एक लाख युवाओं ने पंजीयन करा दिया, कभी यह कहते हैं कि 50 हजार युवाओं ने पंजीयन करा दिया। पंजीयन की स्थिति यह है कि युवा लाईन में लगे हुए हैं लेकिन उनको कहा जाता है आप कल आईए, परसों आईए या कभी भी आ जाईए, अभी पोर्टल बंद है या कुछ बंद है। ऐसे अन्याय प्रकार से युवा साथियों को परेशान किया जा रहा है। 10 लाख रूपए के बजट में इन्होंने जो युवाओं से वादा किया था कि आपको 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देंगे तो क्या 10 लाख रूपए में इस प्रदेश में जितने युवा हैं, जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है, क्या उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाएंगे ?

माननीय सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में सरकार की बहुत अच्छी योजना हमर छत्तीसगढ़ योजना चल रही थी। हमर छत्तीसगढ़ योजना । माननीय अजय चंद्राकर जी उस समय पंचायत मंत्री थे, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही थी । इस योजना में जितने पंचायत प्रतिनिधि थे उनको भ्रमण कराना, उनको अपने छत्तीसगढ़ से जोड़ना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जोड़ना और उनको नये-नये प्रकार की जानकारी देना । चूंकि वे नये-नये पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, कई महिलायें, कई पुरूष ऐसे होते हैं जो नई चीजें नहीं देखे रहते हैं या नहीं सीखे रहते हैं । उनका बौद्धिक विकास करना, उनका स्किल डवलपमेंट करना, उनको नयी चीजों से जोड़ना, उनको भ्रमण कराना चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना थी लेकिन सरकार ने 3 सालों में इस योजना में कहीं भी काम नहीं किया है, यह योजना धरी की धरी रह गयी है और जितने नये पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं उनका भी यही सपना रहता है कि आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं, कहीं बाहर के प्रदेश का पंचायत कैसा है, वहां हम जाकर देखें । वहां की पंचायत क्या काम करती है ? कैसे वहां अपने पंचायतों को डवलप किया जाता है? वहां कैसे काम किया जाता है ? चूंकि लोग एक-दूसरे को ही देखकर सीखते हैं लेकिन इस महत्वपूर्ण योजना को इन्होंने इन 3 सालों में दबाकर रखा है, बंद करके रखा है । अभी तक इस योजना में इन्होंने कोई काम नहीं किया है ।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री गौरवपथ जो 3 वर्षों से यह महत्वपूर्ण योजना बंद है । इसमें भी सरकार ने कहीं पर भी पर्याप्त बजट नहीं रखा है । पूर्व में भाजपा की सरकार थी ।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय विधायक जी, कोरोनाकाल में किस जनप्रतिनिधि को घुमाने के लिये ले जायेंगे ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री समग्र विकास के लिये 500, 600, 700, 800 करोड़ रूपये तक का बजट रखा जाता था । अब परेशानी यह है कि पिछले साल भी 200 करोड़ रूपये का बजट रखा गया उसमें एक काम नहीं हुआ, पैसे वापस हो गये । पैसे वापस नहीं बल्कि बंट नहीं पाये । समस्या फिर आयी, सरकार ने फिर से 200 करोड़ रूपये का बजट रखा है । मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि वास्तव में यदि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है कि पंचायतों का विकास किया जाये तो आप इन योजनाओं पर काम करिये । क्षमता विकास योजना है, जो पंचायतों के लिये है । पंचायत सशिक्तकरण पर आप काम करिये ।

सभापति महोदय :- रंजना जी अब समाप्त करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप अधोसंरचना पर काम करिये । ऐसा काम करने से आप पंचायतों का विकास कर सकते हैं । एक बहुत महत्वपूर्ण योजना स्वस्थ पंचायत योजना जिसके लिये सरकार ने केवल 95 लाख रूपये का बजट रखा है । आप 95 लाख रूपये में कैसे पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे ? इस महत्वपूर्ण योजना में जो पंचायत बहुत अच्छा काम करती है चाहे वह वहां का जनप्रतिनिधि हो, मितानिन हो, शासन से जुड़े हुए लोग हों, जैसे वहां पर कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितने लोगों ने पल्स पोलियो की खुराक पी है ? वहां पर कितना स्वच्छता का काम बना है ? वहां पर कितने ग्राम पंचायत ओडीएफ हो गये हैं ? कितने ठोस अवशिष्ट पर उन्होंने काम किया है, यह कॉम्पीडिशन रहता है और उसमें पंचायत काम करती है और यहां पर पंचायत प्रतिनिधियों को जब पुरस्कृत किया जाता है तो वे खुश होते हैं और काम करने के लिये आगे बढ़ते हैं लेकिन इस योजना को भी सरकार ने धरा का धरा रखा है । अभी तक पंचायतों का विकास नहीं हो पाया है ।

सभापति महोदय :- रंजना जी समाप्त करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट और बोलूंगी । यदि सरकार सबसे ज्यादा किसी का उपयोग कर रही है तो वह मनरेगा का भरपूर उपयोग कर रही है क्योंकि अपने विभाग को चलाने के लिये सरकार के स्वयं के पास तो पैसा है नहीं इसलिये यह सरकार केंद्र सरकार के पैसे का बखूबी उपयोग कर रही है जिसमें यह सरकार आंगनबाड़ी भवन बनवा रहे हैं, पंचायत भवन बनवा रहे हैं, सोसायटियों में चबूतरा बनवा रहे हैं, उचित मूल्य के दुकान बनवा रहे हैं, खाद-गोदाम बनवा रहे हैं । मनरेगा से जितने काम हो सके, सरकार अपने विभाग का पूरा काम मनरेगा से करवा रही है यहां तक कि यदि सरकार की कोई महत्वाकांक्षी योजना होती है उसके लिये शासन का स्वयं का बजट होता है लेकिन रामवनपथगमन सरकार ने इस योजना को अपनी महत्वपूर्ण योजना बताया और इसमें इन्होंने पौधारोपण के काम की शुरूआत की । पौधारोपण पूरा हुआ नहीं हुआ लेकिन इन्होंने जो ट्रिगार्ड भी बनवाये तो वह मनरेगा के पैसों से बनवाये, 3 साल हो गये हैं अभी तक इन्होंने महिला समूहों को

पेमेंट नहीं किया है । महिला समूह आज भी दर-दर भटक रहे हैं । बिजली कट गयी । बिजली बिल पटाने के लिये शासन के पास पैसा नहीं है, विभाग के पास पैसा नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग में केवल दो लाईनें बोलना चाहती हूं । कोविड जैसी महामारी आयी । इस कोविड काल में हर व्यक्ति ने सेवा का काम बहुत दिल से किया है और वास्तव में इस समय जब सरकार को आगे आना था । आपने आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो बाध्यताएं प्राईवेट हॉस्पिटलों में लगवायीं कि आपको केवल 20 परसेंट लेना है यह बहुत गलत हुआ । जितने प्राईवेट हास्पिटल थे वहां पर कोरोना के मरीजों को लेना था लेकिन शासन ने बाध्यता लगा दी कि केवल 20 परसेंट लोगों को जो कोविड से ग्रसित हों, 20 परसेंट लोगों को लेना है । प्राईवेट हास्पिटलों ने यह तय कर लिया कि शासन से आदेश गया या उन्होंने स्वयं तय कर लिया ? ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब हर व्यक्ति आगे आ रहा था इस समय शासन को आगे आकर निर्देशित करना था । यहां पर प्राईवेट हॉस्पिटलों की मनमर्जी चली है और जनप्रतिनिधियों के फोन जाने पर भी वे कोविड पेशेंट को नहीं लेते थे और हमको नियमों का हवाला देते थे कि हमको 20 परसेंट लेने को कहा गया है । माननीय सभापति महोदय, बार-बार ये विषय आते रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं आपको बताना चाहती हूं कि धमतरी में 200 बिस्तर अस्पताल है, लेकिन वहां पर 300 बिस्तर अस्पताल का काम होता है। आसपास के 5 जिलों के लोग वहां पर आते हैं। यहां पर जो महत्वपूर्ण सुविधायें होनी चाहिए, लगभग 300 बिस्तर का अस्पताल यहां होना चाहिए। भवन बहुत पुराने हैं। पूरे जर्जर हो चुके हैं। भगवान न करें यदि वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? यह विभाग उसे स्पष्ट कर ले, क्योंकि वहां पर न तो किसी प्रकार की सुविधाएं हैं, न ही वहां सी.टी. स्केन और डायलिसिस की सुविधा है।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल मोहले।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, यह अति आवश्यक है, क्योंकि अभी डायलिसिस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर जिले में यह सुविधा होनी चाहिए। केवल धमतरी जिले के साथ-साथ हर जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सी.टी. स्केन और डायलिसिस ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें है और ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि वह जाकर डायलिसिस करवा ले या अन्य किसी योजना में वह काम करा ले, यह गरीब आदमी के बस की बात नहीं। इसलिए यह काम होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही छोटा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पोस्ट मार्टम रखना चाहती हूं। जब पोस्टमार्टम होता है, विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाती है और पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो परिजन दिनभर बैठे रहते हैं। बहुत सारे नियमों का हवाला उन्हें दिया जाता है। उसके बाद ले देकर कहीं

पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में आप लेट-लतीफी करते हैं, फिर उधर पुलिस विभाग कहता है कि रिपोर्ट लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हमें पहुंचाकर देगा। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि पुलिस विभाग आकर ले जायेगा।

सभापति महोदय :- समाप्त करिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- तो दोनों विभाग अपनी जिम्मेदारी तय कर लें। आप लोग बैठकर तय कर लें, क्योंकि इससे आम जनता या आम नागरिक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट है, क्योंकि मैं एक महिला हूं। इस विषय पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं। मातृत्व मृत्यु दर अंकेक्षण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक वर्ष में मेरे पास जो रिपोर्ट आयी है, उसमें एक वर्ष 2021-22 में 291 मातृ मृत्यु दर हुए हैं। मातृ मृत्युदर अंकेक्षण, इस योजना में होता यह है कि जो मितानिनें सबसे पहले जानकारी पहुंचाती हैं कि गर्भवती माता की मृत्यु हुई है, उन मितानिनों को पुरस्कृत किया जाता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इन कार्यों को आप पुरस्कृत करने तक सीमित न रखें। आप मितानिनों को यह कहें कि जब महिला पहली बार गर्भवती होती है, बहुत अधिक जानकारी उन्हें नहीं होती। आप विभाग के माध्यम से उन्हें जानकारी दिलवाइए कि उन्हें कैसे रहना है ? कैसे उठना बैठना है ? कैसे खाना-पीना है ? कैसे उनकी जीवन-शैली रहनी चाहिए ? कैसा उनका व्यवहार रहना चाहिए ? ये सारी जानकारी मितानिन एक मां बनकर या बहन बनकर इस काम को करें, क्योंकि महिला जब गर्भवती होती है तो वह समय बहुत सेंसिटिव रहता है।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए। पुन्नूलाल मोहले जी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- केवल मातृत्व मृत्यु दर को पुरस्कृत करने तक आप सीमित न रखें। मेरा आपसे यह आग्रह है। माननीय सभापति महोदय जी, इस बजट को जो सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए रखा है, मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपने शब्दों को यहां विराम देती हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- सभापति महोदय, मैं पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग की मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूं। हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्थानीय स्वशासन मंत्री डहरिया जी, ये सब मुंगेली जिले में ढाई वर्ष पहले गये थे और उन्होंने सभा में घोषणा की। हमने मांग की तो इन्होंने सी.टी. स्केन मशीन की सुविधा जिला अस्पताल में उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, पर अभी लगभग 3 वर्ष हो गये हैं और अभी तक सी.टी. स्केन मशीन नहीं मिला। मंत्री जी इसमें मैं अब आपको क्या कहूं नाम है टी.एस. बाबा जी, सिर्फ आप टी.एस. करते हैं, ए.एस. वाले बाबा दूसरा है। आप टी.एस. देव हैं, महादेव और बड़ा है। अब महादेव काम करेगा या देव काम करेगा, पर विभाग में आपकी चर्चा है, इस कारण हम देव जी से अनुरोध करते हैं कि सी.टी. स्केन मशीन उपलब्ध कब करेंगे, वे कृपया अपने भाषण में बतायेंगे। डॉक्टरों का रिक्त पद है।

रिक्त पद की पूर्ति नहीं हुई है। स्टाफ नर्स की पूर्ति नहीं हुई है। यहां तक कि सोनोग्राफी मशीन के लिए प्रत्येक मंगलवार को दूसरे ब्लॉक से मशीन ऑपरेटर आते हैं तब वहां सोनोग्राफी होती है। तो कृपा करके आप इन्हें भी करें तो अच्छा रहेगा। जिला अस्पताल में व्यवस्था करें। कोरोना के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर मशीन की आवश्यकता के रहते हुए भी पिछले समय भी कार्य नहीं हुए थे। वह भी करायेंगे तो मैं उचित समझता हूं। उप स्वास्थ्य केन्द्र में भी 4-4 गैस सिलेंडर की व्यवस्था के लिए आपने प्रदेश स्तर पर बात कही। वह भी नहीं हो पाये हैं। जीवन दीप समिति के बारे में हमारे अनेक विधायक साथीगण ने कहा कि इससे पूर्व समय में हमारे शासनकाल में प्रभारी मंत्री इसकी अध्यक्षता करते थे और प्रत्येक माह में या 3 महीने के अंदर में मीटिंग होती थी।

समय :

5.00 बजे

इसके पालन की भी व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि वहां स्थानीय स्तर की समस्या दूर हो । 108 और संजीवनी एम्बुलेंस के वाहन पुराने हो चुके हैं । वाहन के पुराना हो जाने से लोगों को परेशानी होती है । एम्बुलेंस के लिए नई गाड़ियों की व्यवस्था कराएंगे, मैं ऐसा अनुरोध करूंगा । मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य के लिए 60:40 का रेश्यो है । उस नियम पर आपके विभाग द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि यह सब विधायकों और जनप्रतिनिधियों के लिए है, अत: इस प्रतिबंध को हटाया जाए। जिस 60:40 के रेश्यो में सी.सी.गली का निर्माण होता है, नाली का, आंगनबाड़ी का, पचरी वगैरह का । लेकिन इस पर प्रतिबंध है । माननीय पंचायत मंत्री जी, मेरी मांगों पर ध्यान देंगे । मनरेगा योजना के अंतर्ग पक्के निर्माण कार्य के लिए दिल्ली की व्यवस्था के अंतर्गत सी.सी.गली निर्माण का प्रावधान है । लेकिन आपने यहां प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि दिल्ली के नियम पर प्रतिबंध न लगाएं । उस प्रतिबंध को हटाएंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं । प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 की जनसंख्या में आवास दिया जाता है, किंतु बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको नहीं दिया जा सकता । आपके प्रतिवेदन में लिखा है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव करके ऐसे गरीब जो मकानविहीन हैं या अत्यंत गरीब हैं, इनके लिए भी देने की पात्रता है । मैं अनुरोध करूंगा कि इनके लिए भी राशि का प्रावधान किया जाए । जिससे कि आप गरीबों का आंसू पोंछ सकें अन्यथा आप तो पुराने किश्त वालों को भी नहीं दे पा रहे हैं, इनको कहां से देंगे । इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ए.एस. आपका अधिकार हो, आप टी.एस. न बनकर, ए.एस. बाबा बनिये। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा । प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 10 वर्षों से पुरानी सड़कों की नवीनीकरण, मजबूतीकरण करने का प्रावधान ऑलरेडी है। केन्द्र सरकार राशि भी देती है और ठेकेदारों के पास भी राशि सुरक्षित रहती है । उनकी मजबूतीकरण और नवीनीकरण कराएंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं । एक और योजना है, प्रधानमंत्री समग्र योजना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समग्र योजना में 1 करोड़, 20 लाख वापस हुए। जब आपके विभाग में ऑलरेडी बजट है, यदि इसे पास नहीं करते तो प्रधानमंत्री समग्र योजना को बंद कर दें, दूसरे विभाग को दे दें । यदि आपको अपने ही विभाग में देने का अधिकार नहीं है तो फिर क्या मतलब । मैं आपकी अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, दो छोटी-छोटी चीजें हैं । पंचायत राज जनप्रतिनिधियों का वेतन आपने बढ़ाया है । उनको कुछ वित्तीय अधिकार भी दिये हैं । मेरी दृष्टि से वह पंचायती राज नहीं है । आप भाषण देंगे तो डिवोलूशन में, एक्टिविटी मैपिंग में, पंचायत में आपने कितना अधिकार दिया है या आपकी पार्टी का दृष्टिकोण क्या है । दूसरा, जो वित्त आयोग है । चंद्रशेखर वित्त आयोग कहें, तीसरा वित्त आयोग कहें । जितनी अनुशंसा पंचायतों के लिए है, क्या वह पूरी राशि पंचायतों को मिल रही है । जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक वह पूरी राशि नहीं मिल रही है, अनुशंसा तो आपने स्वीकृत कर ली है ।

समय :
5.04 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी रायपुर शहर में 100-100 बिस्तर के 3 अस्पताल बनने थे । उसके लिए आपने कहा था कि वह पी.पी.पी. मॉडल पर बनेंगे और हम बजट में व्यवस्था करेंगे । यह जवाब आप मुझे तीन साल से दे रहे हैं । परंतु वे हॉस्पीटल्स् नहीं बन रहे हैं । रायपुर महानगर बन रहा है, यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही हैं । 100-100 बिस्तर के जो तीन अस्पताल बनने हैं उसको आप स्वीकृत कर दें । जिला अस्पताल दो जगह चल रहा है, वहां पर ठीक तरीके से व्यवस्था हो जाए और भवन खाली पड़ा है, जगह है, डॉक्टर्स हैं परंतु उनके पास में उपकरण और सुविधाएं नहीं हैं । अगर आप यह कर देंगे और जो शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू हुई है, उसमें भवन के निर्माण नहीं हो रहे हैं । शहरी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भवनों के निर्माण हो जाएं तो मुझे लगता है कि शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सकती है । ग्रामीण क्षेत्रों से जयादा खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शहरों की स्लम बस्तियों की है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है । इस दिशा में आप काम करेंगे तो राजधानी के लिए निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छा काम होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपके विषय के लिए दो घंटे निर्धारित थे, लेकिन उनकी कृपा से चार घंटे चर्चा हो चुकी है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- संवेदनशील, महत्वपूर्ण विभाग भी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी के लिए आपका क्या निर्देश है?

अध्यक्ष महोदय :- मेरा निर्देश यही है कि यथा शीघ्र, यथा संक्षिप्त में उत्तर दे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में जो प्रस्ताव है, वह हेतु और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में है, उसे असहमति व्यक्त करते हुए अपनी बातों को रख सकूं। पहले तो सभी उन सदस्यों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। काफी सकारात्मक सुझाव भी आए। विभाग में जहां कमियां हैं, उस ओर भी ध्यानाकर्षित किया गया। जो उपलब्धियां हैं, उनकी ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया गया और अन्य चर्चाएं भी हुईं, जो विभागीय बजट से संदर्भित नहीं थी। शस्त्र पूजन की भी बात हुई। शस्त्र पूजन प्रति वर्ष दशहरा के दिन पुरानी परंपराओं के निर्वहन में मैं अभी भी निर्वहन करता हूं और जहां तक मैं उनके बारे में समझ पाया हूं, वह वार के लिए नहीं, क्षेत्र की रक्षा हेतु शस्त्र के पूजन को करके और उसका उपयोग उस दिशा में करने की चर्चा है।

श्री अजय चंद्राकर :- वैसे जन चर्चा तो यह है कि आप हथियार पूजन बंद कर दिये हो और उसको तुलसी चौरा में चढ़ा दिये हो ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- संभव ही नहीं है, क्योंकि जो परंपरा है, उसको तो निभानी है। वह नित भी रही है। अध्यक्ष महोदय, शेष मैं विभागवार चर्चा करूं उसके पहले कई साथियों ने जो बातें रखी थी, उसके बारे में मैं थोड़ी-थोड़ी जानकारी दे दूं। 102, 108 के संदर्भ में बात बाई कि इसमें आउट सोर्सिंग की बात का हवाला किया गया है। National ambulance service code के आधार पर government of india की जो guidelines है, ड्राइवर और एम.टी.ए. यह आउटसोर्स गाड़ी के साथ करने का प्रावधान उसी में है। फाइनेंस रूल्स इमरजेंसी परचेस को यह बात आई थी कि खरीदी किया गया और जो भण्डार क्रय नियम है, उसके अतिरिक्त व्यवस्था बनाई गई। हमने कोरोना काल में इसका उपयोग किया, अनुमति ली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुमति दी, उसके तहत अकेले कोरोना काल में जो सामग्री का क्रय हुआ, दवाइयों का क्रय हुआ, उसमें राष्ट्र में, देश में प्रचलित दरों की तुलना छत्तीसगढ़ में उस व्यवस्था के तहत जो खरीदी हुई, कम से कम उसमें 170 करोड़ से 100 करोड़ रूपये की उसमें बचत हुई। देश में प्रचलित वर्तमान दरों की तुलना में इस व्यवस्था के तहत कोरोना काल में जो खरीदी हुई, यह आंकड़ा उससे ऊपर भी जा सकता है, कम नहीं है। उसके बारे में बता दूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति मिली थी, वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई और उसमें बचत भी हुई वरना भाव आसमान दू रहे थे और Competition की बात अलग थी। जहां कांकेर में एम.आर.आई. मशीन के संबंध में show cause notice की बात आई थी। हालांकि यह डी.एम.एफ. मद का क्रय है। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें क्रय नहीं किया है और डी.एम.एफ. रूल्स के तहत कलेक्टर पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकार रखते हैं। इसमें विभाग का नहीं है। फिर भी विभाग इसमें जो भी पहल कर सकता है, जहां-जहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनियमितता की बात सामने आएगी, हम लोगों ने पहल किया भी है और करेंगे भी। मृत्यु दर के संदर्भ में भी चर्चा आई। Neonatal mortality rate N.F.H.S. (National family health survey) की बात आती है। हालांकि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इनके पोर्टल में जाकर छानबीन करके पता करना चाहा कि यह संस्था जैसे मेरे ख्याल से एन.जी.ओ. है, जो सामाजिक संस्था है, वह काम करती है। इनका आधार क्या है, यह हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर भी उसको मान्य करते हुए 2015-16 के N.F.H.S. में जो आंकड़े हैं और N.F.H.S. (5) जो 2020-21 का है, यह 2 साल पीछे चलता। राज्य सरकार के पोर्टल के आंकड़े हैं, वह तात्कालिक रहते हैं। उनमें न्यू न्यूट्रल मार्टिलिटी रेट 1000 में 42.1 से घटकर 32.4। इन्फंट मार्टिलिटी रेट 54 प्रति हजार से घटकर 44.3 और अंडरफाई मार्टिलिटी रेट जो 64.3 हजार के पीछे था, वह 50.4, यह अंकित हुआ है। ओ.पी.डी. के संदर्भ में भी बात आई कि ओ.पी.डी. बहुत गिर गई। कोरोना काल को छोड़कर स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में उसने जो काम किया है और जो काम करने का प्रयास कर रहा है उसमें फरवरी, वर्ष 2021-22 तक के 2.22 करोड़ लोगों का ओ.पी.डी. में पंजीयन दर्ज किया गया है और यह एवरेज ओ.पी.डी. प्रत्येक month महीने की 20 लाख, 16 हजार आती है और प्रतिदिन की 80 हजार, 658 आती है। कहीं-कहीं हम भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी बात को करते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरी जानकारी नहीं होने पर ऐसी बात से ही हम ऐसे वातावरण को भी उत्पन्न कर देते हैं जिसमें बात आती है कि जिसमें लोग निजी अस्पतालों की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। यह तो कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। सुधार है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहने से कई बार आम जनों को गलत दिशा मिल जाती है। टोटल आई.पी.डी. फरवरी तक के 11 लाख, 81 हजार। सरकारी अस्पतालों में एवरेज आई.पी.डी. प्रत्येक महीना 1 लाख, 4000 और अगस्त महीने में एवरेज आई.पी.डी. per day 3,580। यह आगे-पीछे है तो विभाग का क्रम नहीं बनेगा। गांजा के प्रतिबंध के संबंध में जो बात आई है तो वर्तमान में गांजा क्रय-विक्रय अपराध है तो वर्तमान में क्योंकि गांजा क्रय-विक्रय अपराध है तो जब तक उसको अपराध की श्रेणी से हटाया नहीं जाता है मैं नहीं समझता हूं कि उसमें शासन की ओर से विक्रय या क्रय की व्यवस्था बन पाएगी। जननी स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में भी आप लोगों ने जानकारी आकर्षित की है इसमें प्राईवेट अस्पतालों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। निजी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में जो महिलाओं को सहयोग मिल रहा है उसमें यदि आंकड़े में कोई कमी है तो मैं उसके बारे में जरूर जानकारी ले लूंगा और किसी भी प्रकरण में ऐसा नहीं होगा कि जननी सुरक्षा के तहत राशि प्राप्त करने का उनका अधिकार है। किसी को प्राप्त न हो, ऐसा एक भी प्रकरण न हो, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। सुपेबेड़ा के संदर्भ में भी जो बात आई, एक तेल नदी पर जल शोधन इकाई का काम चल रहा होगा। उसमें प्रकिया हुई, नहीं हुई है, माननीय मंत्री जी इसको बेहतर बता पाएंगे। लेकिन साथ में वहां पर तेल नदी में जो ब्रिज बनने की बात थी, वृहत ब्रिज बनने की बात

थी, उसमें काफी प्रगति है और प्रयास है कि वह बरसात के पहले हो जाए। वरना यह भी पूरा हो जाएगा और जहां तक डायलिसिस का सवाल है, उसमें काफी राहत भी मिली है, काफी व्यवस्था भी की गई है। रायपुर आने...। जी अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- कुछ नहीं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उनके लिए पैरीटोनियल डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। जिसमें प्रत्येक मरीज स्वयं घर पर डायलिसिस की व्यवस्था सुचारू रूप से चाहे तो चला सकते हैं और लोग चला भी रहे हैं और उसमें उनको काफी राहत है। इसके अतिरिक्त ई.एस.के.ई.जी. संजीवनी के माध्यम से डायलिसिस की 3 मशीन जिला अस्पताल, गरियाबंद में अप्रैल महीने में चालू हो जाएगी और देवभोग में 2 डायलिसिस की मशीन सी.एच.सी. में भी यह अप्रैल महीने में चालू हो जाएगी और जो व्यवस्था हुई है, वह अतिरिक्त है। यह एक और मुझे लगता है कि जानकारी के अभाव में भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि डॉ. खूबचंद बघेल योजना को चालू करके इस सरकार ने क्या किया? यह तो कुछ नहीं है। जो पहले चल रहा था, वही चल रहा है। ऐसा नहीं है। पिछले शासनकाल में जो योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी चल रही थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को भी चालू किया गया था और ईलाज में शासन की तरफ से 5 लाख रूपये तक कवरेज मिले। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू था जो ए.सी.सी.सी. में गरीबी रेखा के नीचे पंजीकृत थे। एक आंकड़ा 36 लाख परिवार का है, एक आंकड़ा करीब 39 लाख परिवार का है । अगर हम 39 लाख परिवारों को भी देखें तो पुरानी व्यवस्था 5 लाख तक के ईलाज की है, वह केवल 39 लाख परिवारों की थी और यहां तक एम.एम.एस.बी.वाई. की योजना में 4 लाख अतिरिक्त राशि हमको पहले मिलती थी, केन्द्र सरकार ने उसमें सहमति नहीं दी और मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में निर्णय लिया गया कि एक रूपए किलो वाले राशन कार्ड के आधार पर हम राहत देंगे तो आज 39 लाख परिवारों की तुलना में करीब 57-58 लाख परिवारों को 5 लाख रूपए तक का ईलाज मिल रहा है तो जो पहले चल रहा था, वही नहीं चल रहा है । उसमें कम से कम 16-17 लाख अतिरिक्त परिवार 5 लाख का ईलाज प्राप्त कर रहे हैं । ये रि-बॉटलिंग नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आपने एक रूपए किलो के चांवल के राशन कार्ड की बात की । आपके जन घोषणा-पत्र में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को एक रूपए किलो में राशन कार्ड देने की बात थी । आप ही जन घोषणा-पत्र के निर्माता हैं।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- घोषणा-पत्र के बारे में मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, अभी बोल देता हूं । पार्टी ने घोषणा-पत्र बनाने की जवाबदारी अध्यक्ष के रूप में मुझे दी थी और काबिल साथी थे, जो उसके सदस्य थे । हम लोगों ने घोषणा-पत्र बनाया और एक लक्ष्य रखा । इन सवा तीन सालों में कई मुद्दों पर, कई बातों पर उनको लागू करके में हमने सफलता हासिल की है । मैं स्वीकार करता हूं कि और काम करना बाकी है । यह सरकार कहां कह रही है कि हम काम नहीं करेंगे ? एक साल में सब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम हो जाये, यह असंभव है । सरकार ने प्राथमिकताएं तय कीं और घोषणा-पत्र के अनेक लक्ष्यों को पाया, हासिल किया, लोगों को राहत दी और शेष कामों पर ध्यान है चाहे वह बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, चाहे मितानिनों को कम से कम 5 हजार रूपए देने की बात हो । यह लिखा हुआ है, मुझे ना कहने की बात नहीं है कि यह कोई नई बात है । अगर आपके ध्यान में है तो हमारे ध्यान में आपसे पहले है । क्योंकि हमने कहा और उसको पूरा करना हमारी जवाबदारी है । जब तक वह पूरा नहीं होगा, तब तक हम इस कटघरे में हैं, उन उम्मीदों के कटघरे में भी हैं कि जब तक हम इसे पूरा नहीं करते, हमारा काम अधूरा है । हमने बहुत कुछ काम किया है, और काम करना बाकी है । उसको करने की मंशा इस सरकार की है और मुझे विश्वास है कि उन लक्ष्यों को भी हम प्राप्त करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हितग्राहियों को 20 लाख रूपए के ईलाज की बात है तो जो चल रहा था, वह वैसे ही चल रहा है । 5 लाख रूपए के अतिरिक्त 20 लाख रूपए तक मरीजों की उन बीमारियों के लिए हैं, जिनका कवरेज 5 लाख रूपए के ऊपर भी हो जाता था, उनके लिए 14 ऐसे बीमारियों को संकलित किया गया, चिह्नांकित किया गया और उनके लिए बजट का प्रावधान किया । जब चर्चा में आऊंगा तो मैं डिटेल बता दूंगा कि कितनी राशि थी, कितना खर्च हुआ । उसके अंतर में आप देखेंगे कि कितना खर्च हुआ । एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि नाम भी बता दें कि कितने हितग्राहियों को राहत मिली ? जितने हितग्राहियों को राहत मिली है, उनके नाम भी बता देंगे । फिर मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में केबिनेट ने जब यह निर्णय लिया था कि 20 लाख रूपए की योजना लागू की जाएगी । मुझे यह नहीं मालूम कि देश में और कहीं यह योजना लागू है या नहीं ? मेरे ख्याल से यह योजना कहीं अन्य प्रदेशों में नहीं है । लोग जब मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहां से हमको इसकी स्वीकृति मिली और 17-18 लाख का ईलाज करके आज हम सुरक्षित हैं, स्वास्थ्य हैं और वह जो भाव प्रकट करते हैं, उस भाव से ही मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो मंशा रखी और काम करने का प्रयास किया, उसकी पूर्ति होती है । इसमें काफी संख्या में लोगों का ईलाज हुआ । मैं और बता दूंगा । बजट के प्रावधान के अंतर्गत काम होते हुए देखकर और बीमारियों को, जो गंभीर बीमारियां हैं, जो पहले 14 बीमारियों की सूची में सम्मिलित नहीं थीं, उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है, उसके बारे में भी मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड टेस्ट के बारे में भी बात आई थी । मैंने बताया भी कि उसमें आपको जो अंतर लगता है, उसका कारण यह है कि अगर एक महीने बाद मृत्यु होती है, आप कोविड निगेटिव हैं, फिर भी आपकी मृत्यु हुई । कोविड पॉजिटिव आये, फिर निगेटिव आ गए, फिर घर चले गए । किन्हीं कारणों से आपकी मृत्यु एक महीने के अंदर होती है और मृत्यु के समय कोविड निगेटिव ही हैं तो भी आपको केन्द्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो राशि मिलनी है, वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपको मिलेगी । डेथ आडिट इत्यादि कमेटी है, इसका आडिट होता है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड मैनेजमेंट में भी कुछ बात आई थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से राशि लगाकर, मंजूरी प्राप्त कर 1.74 करोड टेस्ट किया है। हमारे पास 1,082 आई.सी.यू., एस.बी.यू. हैं। यह बात आती है कि विभाग ने इतने दिनों क्या-क्या किया, कुछ किया या नहीं किया। हमारे पास गिने-चुने पी.एस.ए. प्लाण्ट थे, देश में इसकी व्यवस्था चालू होने के पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में निर्णय लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पी.एस.ए. प्लाण्ट स्थापित करने का निर्णय ले लिया। उस समय हमने 25 या 26 पी.एस.ए. प्लाण्ट स्थापित करने का निर्णय लिया होगा। उसके बाद भारत सरकार ने देश में, अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में कुछ पी.एस.ए. प्लाण्ट उपलब्ध करायें। पहले शायद 10 पी.एस.ए. प्लाण्ट भी नहीं रहे हों लेकिप आज 107 पी.एस.ए. प्लाण्ट हैं। इतने समय में सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल उस बाबत पर मैं ये आकडें प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस दरम्यान व्यवस्था करके 16 हजार से ऊपर मानव संसाधन करीब उपलब्ध कराया। जो दो महीने वाली बात आई, हालांकि वह फिर डी.एम.एफ. वाली बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, वहां कलेक्टर साहब लोगों से भी बात करेंगे कि अगर 2 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सके, तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए। पहले भी बैठाने की बात थी, लोगों ने चर्चा की तो कुछ समय के लिए रखा। यह जरूर दिक्कत है कि क्या हमेशा के लिए डी.एम.एफ. में उतने लोगों को रखा जाये। यह एक अलग प्रश्न है। कुल प्रभावित लोगों में से 11 लाख 38 हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो 98.6 प्रतिशत होता है। 1.22 प्रतिशत मृत्यु दर है और जो शेष संख्या है, वह अभी कोविड पॉजिटिव हैं, डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। इस सरकार ने और क्या किया ? तो मैं बताना चाहूंगा कि हर जिला अस्पताल में कम से कम आक्सीजन युक्त सौ बिस्तर स्थापित किया है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। हर सी.एच.सी. में 15 बिस्तर और हर पी.एच.सी. 3 से 5 आक्सीजन सपोर्ट बिस्तर की व्यवस्था शासन ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से राशि के आवंटन के आधार पर विभाग की मांग एवं सभी की सहयोग से यह काम भी किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात आती है कि कितनी भर्तियां हुईं ? कितने पद भरे गये ? इसमें भी कुछ काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। इस दरम्यान एम.बी.बी.एस. के 541 चिकित्सा अधिकारी भरे गये। 273 पी.जी. विशेषज्ञ और भरने की जरूरत है। स्टाफ नर्स 551, एम.बी.बी.एस. बाण्डेड (अनुबंधित) 1070, पोस्ट ग्रेजुएट अनुबंधित ये जो भर्ती हुए हैं, उसके अतिरिक्त 247, आर.एम.ए. 25, मेडिकल लैब टेक्निशियन 276, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) 328 और (पुरूष) 280 ये काम भी इस दरम्यान विभाग के माध्यम से हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले में वेन्टीलेटर खरीदी और उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में...।

श्री धरमलाल कौशिक :- राजा साहब, एक मिनट। बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज में जो लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी निकालकर ठेकेदार के अण्डर कर दिया गया है। उन लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं। जगदलपुर में 6 सौ लोगों को निकाल दिया गया है। उन लोगों के लिए थोड़ा विचार कर लेंगे। क्योंकि प्राथमिकता में आपका काम तो नौकरी देना है, निकालना नहीं है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह सकता कि ये कौन से हैं, आपने जानकारी दी है, मैं इसको दिखवा लेता हूं। अगर ये पहले से किसी दूसरे ठेकेदार के साथ कान्ट्रेक्ट में थे, तो उन लोग कान्ट्रेक्ट कर्मचारी हैं, हम उनको शासकीय नहीं मानते हैं। लेकिन अगर वे शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से रखे गये हैं, प्लस अभी जो भर्ती हो रही है, उस भर्ती में जितने लोग भी संविदा में काम कर रहे थे, चाहे डाक्टर्स या अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको वेटेज देकर अभी पी.एस.सी. के माध्यम से भर्ती हो रही है, विशेषज्ञों की संख्या मेरे ख्याल से 600 कुछ है । मेडिकल आफिसर्स की 443 कुछ है, यह मामले हाई कोर्ट में अटक गये थे, वहां से यह पहल करके जो आपत्तियां थी, उनको हाई कोर्ट ने खारिज किया । जो कमी है, जो कहा गया है, वह सही कहा गया है कि विशेषज्ञों की कमी है । उसकी पूर्ति की दिशा में और जो लोग पहले से भी काम कर रहे थे, संविदा में डॉक्टार्स के रूप में काम कर रहे थे, उनको भी वेटेज देकर इसमें रेगुलर एम्पलाई के रूप में लेने की व्यवस्था चल रही है । 65 वेंटिलेटर की जांजगीर में जो बात आई है, यह 28 की लोकल परचेज है, 31 सी.एस.आर. में पी.एम. केअर के माध्यम से आये हैं, 6 सी.जे.एम.सी. की सप्लाई है, कहीं भी कोई अनियमितता विभाग के संबंध में आयेगी, अवश्य उसकी जांच करेंगे और जहां से भी खरीदी हुई होगी, जवाबदेही तय करके उसमें कार्यवाही भी होगी । 108 की जो एम्बुलेंस हैं, यह बात आई कि पुरानी गाड़ियां हैं, 300 नई गाड़ियां वर्तमान में चल रही है, जो व्यवस्था है, उसमें 270 बेसिक लाईफ सपोर्ट सिस्टम की है, 30 जो बात आई कि हर जिले में कम से कम एक हो जाये । औसतन हर जिले का है, हर जिले में है कि नहीं है, हम लोग दिखवा लेंगे, हर जिले में तैनात करने की आवश्यकता होगी तो अतिरिक्त उस पर भी विचार करेंगे। एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 30 है । यह बात जो हटाने की हो रही थी, प्राथमिकता देने की हो रही थी, जो कोविड वारियर के नाम पर, हालांकि जो रेगुलर स्टॉफ भी काम कर रहा था, उन्होंने वह जोखिम या उससे ज्यादा जोखिम लम्बे समय के लिए लिया । नये लोग भी जो तैनात किये गये, उन्होंने भी कोविड की चुनौती का सामना किया, जोखिम लिया और सेवायें दी । इनको रेगुलर भर्ती में 10 अंक का बोनस नंबर अलग से दिया जा रहा है । यह एक साल के सेवाकाल या कितने समय के सेवाकाल में होगा, इसके अतिरिक्त जो लोग काम कर रहे थे, कोविड वारियर के रूप में उनको 10 अंक बोनस नंबर है । मनरेगा के बारे में आ रहा था कि पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, यह सही है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थी, इसमें जुलाई महीने के बाद केन्द्र सरकार से हमको एक भी पैसा उपलबध नहीं था । जुलाई में भी जो उपलब्ध हुआ था, वह मेरी जानकारी में पिछले वित्तीय वर्ष

का था । अर्थात एक तरीके से वित्तीय वर्ष की हमको राशि उपलब्ध नहीं हुई थी और पत्राचार लगातार चल रहा था । आज ही चर्चा हो रही है, सदन को बताने के लिए संतोष का विषय है कि 290 करोड़ मटेरियल का और 114 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन और सेलरी का, लगभग 405 करोड़ आज ही हमको प्राप्त हुआ है। जिन लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही थी, होली के त्यौहार के समय भी उनको पारिश्रमिक नहीं मिल सकी थी, ऐसी स्थिति बन गई थी, अब यह स्थिति नहीं रहनी चाहिये । उसके पहले मटेरियल का मैंने बताया कि राज्य सरकार का 60 : 40 का है । राज्य सरकार का भी राशि इसमें जुड़ेगा । भुगतान में दिक्कत कहां आती है । अब केन्द्र सरकार ने मनरेगा के पेमेंट को तीन श्रेणी में बांट दिया है, आप लोग भी इसको जान रहे हैं । जनरल श्रेणी के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका पेमेंट अलग से आता है । जो एस.सी.केटेगरी के श्रमिक हैं, उनका पेमेंट अलग हेड से आता है । जो एस.सी. केटेगरी के श्रमिक हैं, उनका पेमेंट अलग से आता है । जो एस.टी. केटेगरी हैं, उनको भी जाति में बांट दिया है । अप्रैल के बाद पहले बड़ी दिक्कत गई, बैंकों के साथ वह सारे खाते अलग करने पड़े । केन्द्र सरकार के अलग-अलग हेड से पैसा आता होगा, जो भी कारण रहा होगा, आज जनरल केटेगरी के जितने मजदूर है, इनके बकाया राशि नहीं है, एस.सी.केटेगरी के जिनके श्रमिक हैं, 11मार्च तक की स्थिति में इनकी बकाया राशि नहीं है और एस.टी. कैटेगरी के जो हमारे श्रमिक हैं, इनकी 21 फरवरी तक की बकाया स्थिति नहीं है । एडिशनल जो 50 दिन अतिरिक्त काम किया गया है, इसका हमें 87 करोड़ रूपया मिलना बाकी है । जो एस.टी. केटेगरी का 26 करोड़, एस.सी. केटेगरी का उसमें 61 करोड़ रुपये आ जायेगा, ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर 87 करोड़ रुपया 100 दनि का जो अतरिक्ति काम हुआ है, उसके लिए हमको लगेगा।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था माननीय वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग के बारे में भी कहा गया कि पंचायत विभाग से ट्रेनिंग नहीं हो रही है। बीपीआरसी के माध्मय से 30 हजार 47 लोगों की, डीपीआरसी, ईटीसी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पीटीसी के माध्मय से जनपद अध्यक्षों और सदस्यों की 2746, सरपंचों की 3109, जीपीडीपी की ट्रेनिंग 7090, कुल 42,992 लोगों की ट्रेनिंग इस दरमियान हुई है जिस पर 2 करोड़ रुपये की राशि का व्यय भी हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में भी बात आई थी कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में और काम करने की जरूरत है, मैं भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं जितना काम होना चाहिए और काम होना चाहिए था। लेकिन एच.एल.एल. का जहां तक प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में 58,477 बने हैं। कुल 34 लाख 49 हजार पहले बन चुके थे, अभी कम बचे हैं। कम्युनिटी टायलेट्स 4637..।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्राइवेट टायलेट के लिए हमने बस्तर संभाग के कुछ गांवों के लिए छूट ली थी, वहां बनने की स्थिति नहीं है, यदि कम्युनिटी टायलेट में बोल रहे हैं तो क्या उसमें कुछ सुधार आया, क्या बनना शुरू हुआ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसमें कुछ तो सुधार है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात की थी लेकिन उसको अभी हमने त्यागा है। दूसरे प्रकार के शौचालयों की बात थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इकाईयां 1562 गावों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसकी व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर 3665 गांव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आ गये हैं। लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट के तहत इस वर्ष जो काम हमने चालू किया उसमें 2677 गांव इस व्यवस्था के तहत लाये गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भी है, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। यह जो द्वितीय चरण में आप गांव सलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी छत्तीसगढ़ का गांव है, उसका मापदंड क्या है, जनसंख्या है, दूरी है, जिला है, गंदगी ज्यादा है, गांव के सलेक्शन के लिए कुछ मापदण्ड तय किये होंगे। या राजनीतिक कारण है, यह भी हो सकता है कि आपको जो पसंद आये, वह गांव रखेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- केवल राजनीतिक नहीं होगा, यह फैलाकर है। जितने जहां कर सकते हैं, उसको लेंगे। क्योकि आखिर करना सबको है। इसमें राजनीति करके जो वोट नहीं मिला वह भी तो हमको लेना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 14 से कम करना है, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा यह सुझाव है कि आप जनसंख्या के आधार पर इसको करिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डहरिया जी, आप थे, सी.टी. स्केन मशीन का 03 साल पहले घोषणा किये थे, उसके बारे में बता दें जो अच्छा रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जनसंख्या में दो बात होती है कि जो बड़े गांव हैं वह तुलनात्मक पहले से ही विकसित होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकतायें स्वच्छ भारत मिशन के इस प्रबंधन के लिए जरूरी होती हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। एक बात और आई थी कि कोई ऐसा आदेश कोरोनाकाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गया था कि कि 20 प्रतिशत बिस्तर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर सिलिंग लग गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में 20 प्रतिशत बिस्तर ही कोरोनाकाल के लिए होंगे। यह भी कहने, सुनने में कहीं अंतर आ जाता है। क्योंकि इस बात को भी हम सब जानते हैं कि लगभग निजी अस्पतालों ने कुछ को छोड़कर हाथ खड़े कर दिये थे और वह कोरोना के केसेस को ले ही नहीं रहे थे। वह एक भी कोरोना का प्रकरण नहीं ले रहे थे। उन परिस्थितियों में उनसे चर्चा करके, क्योंकि और भी मरीज उनके यहां आते हैं, उनके भी जीवन की रक्षा का सवाल आता है, न्यूनतम 20 प्रतिशत की बात थी और कई अस्पतालों में बाद में 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तक भी स्थिति गई है तो 20 प्रतिशत ही सीलिंग है, उल्टा है, न्यूनतम 20 प्रतिशत बेड था। यह कुछ बातें आयी थी और आबकारी विभाग की कुछ टीप है जो चर्चा में आयी है, मैं जब बजट पर चर्चा करूंगा तो उसके संदर्भ में जानकारी दे दूंगा कि कब दुकानें खुल रही है इत्यादी क्या-क्या है। हमको राज्य में काम करना है, हमेशा यही कहा जाता है कि राज्य सरकार कितना काम कर पा रही है और कितना काम नहीं कर पा रही है। मनरेगा के संबंध में भी यह कहा जाता है कि यह तो केंद्र सरकार की राशि है, मान लीजिये कि हमारी राशि है, वह राशि दलगत हो जाती है। उसमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिये कि ये ''महात्मा गांधी नरेगा संवैधानिक प्रावधान'', यह एक्ट के रूप में है, यह हमारी choice नहीं है और जब शुरू में एन.डी.ए. की सरकार आयी थी तो प्रधानमंत्री जी तक ने कहा था, उन्होंने कुछ असंतोष व्यक्त किया था इस संदर्भ में कि ये योजना शायद, सार जो मुझे समझ में आया कि बहुत लंबा चलाने लायक भी नहीं है या कोई ताबुत की बात आयी थी, तो यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक एक्ट के तहत केंद्र सरकार के कानून के तहत इसकी व्यवस्था है, तो इसमें राशि आती है और कभी-कभी कैसी दिक्कतें होती है, मैंने वह भी बताया। एक और उसका उदाहरण केवल जानकारी देने के लिये इस समय कि अगर अकेले GST का ही ले ले तो अभी-भी 1311.08 करोड़ रूपये हमारा बकाया है। वित्तीय वर्ष 2019-20, यह बैंकों से लोन लेने की जो बात थी उसको ग्रहण करने के बाद, प्राप्त करने के बाद 463.72 करोड़ और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 810.75 करोड़, यह जो हमारा प्रोटेक्टेट रेवेन्यू था कि 14 प्रतिशत हर साल की बढ़ोत्तरी आपको सुनिश्चित मिलेगी, इस पर GST council कह ले, केंद्र सरकार कह ले, वैसे GST council खरा नहीं उतर पायी। मैं विभागवार अनुमति लेकर कम से कम समय में बात रखने का प्रयास करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आ गया, पूरा जवाब आ गया। आपने जितना बताया है, मुझे लगता है कि सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आ गई। अब आप चाहते हैं तो पारित करवा ले।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सब आ गया, जी, तो अच्छा सुझाव है। अगर सदन की अनुमति है तो..।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- मंत्री जी, एक मिनट, बोल दीजिये कि आपके विभाग में, हम लोगों का भी मनरेगा का काम स्वीकृत करवा दिया करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जी, इसमें यह सही है देखें। मटेरियल का काम कोरोना काल के समय में जो ब्रेक लगा था, मैंने विभाग से चर्चा भी की है और अपनी तरफ से डायरेक्शन भी दिया है कि इसको खोलिये, इसमें जो पाबंदियां थीं, वह सब पाबंदियां वैसी थी कि प्राथमिकता के आधार पर और 60-40 की...।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, अगर थोड़ा-सा भी काम हो, तो हम लोगों का भी उसमें कर देंगे, उसको थोड़ा बोल दीजियेगा। हम आपको ऐसे छोटे-छोटे काम का लिस्ट देकर रखे हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें आनी चाहिये। आप बता देंगे तो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों का, तो मैं प्रयास करूंगा और सिटी स्कैन मशीन की जो बात है ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले छः महीने से महाराजा साहब यहां नहीं थे, वह दिल्ली में थे, इसलिये आपके काम स्वीकृत नहीं हुये, अब वह यहां रहेंगे तो आपके काम स्वीकृत हो जायेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आना जाना लगा रहेगा। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपसे तो मैंने खुद कहा कि आपका आना-जाना लगा नहीं रहेगा, यहीं रहिये। लेकिन जो अधिकारी मंजूर करते हैं वहां बोल दीजिये कि हम लोगों के काम को करवा दीजिये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी, मैं इस बात से सहमत हूं कहां पर कितना काम हो पायेगा, मैं इसके लिये अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यह आना-जाना लगा रहेगा बोल रहे हैं तो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तो आने-जाने में क्या दिक्कत है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- तो उनकी अनुमति से तो आना-जाना होता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- क्यों भई आप कहीं आते-जाते नहीं हो ?(हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आप घर में रहते हो क्या ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं आना-जाना करता हूं और आना-जाना करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बता कर करता हूं। उनकी जानकारी में रहता है, यह बात बाहर नहीं जाती, लेकिन आज आपने बाहर कर दिया। मैं कान में जाकर बता देता हूं कि घर का यह काम है, यहां जा रहा हूं, अभी दिल्ली जा रहा हूं, मैं उनको बता कर जाता हूं। कभी-कभी चूक होती होगी तो वह भी मैं बता देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- और अभी दिल्ली में आने-जाने का माहौल भी नहीं है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बन रहा है। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अभी वह सिटी स्केन की बात है, हम लोगों ने चर्चा की, इसमें थोक में बजट में, हम लोगों की मंशा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा थी लेकिन बाकी का मैं नहीं कहता किसी न किसी फंड से, मुंगेली वाला, यह बजट के अंदर नहीं है। मैं बजट के बाहर बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको किसी फण्ड से कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक दो जगह और भी सीटी स्कैन के लिए कहा है। तो बजट के बाहर व्यवस्था है, हम उससे कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपको अपने गांव की बात भी याद दिलाई थी।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। जल्दीबाजी में असली बात रह गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं। अभी ध्यान में यह बात आई कि माननीय स्पीकर साहब के क्षेत्र में सारागांव बस्ती, क्षेत्र है। वह विकसित हो गया है। नगर पंचायत भी बन गई है। अगर मेरी जानकारी गलत न हो तो वहां दादी जी के नाम पर अस्पताल स्थापित है। अभी वह 30 बिस्तर का अस्पताल है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी वह 10 बिस्तरों का अस्पताल है, उसको 30 बिस्तरों का अस्पताल करना है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां 10 बिस्तरों का अस्पताल है, उसको 30 बिस्तरों का अस्पताल करना है। क्योंकि उसमें स्टाफ लगेगा और मेरे ख्याल से वर्तमान में उसका उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब सप्लीमेंट्री में बात आये तो मैं उसमें अवश्य निवेदन करके, इसके लिए पहल करूंगा। एक मिनट। बिजली विभाग के संबंध में बिजली बिल के बारे में बात आयी थी। 15 वें वित्त आयोग से इसको देने की बात थी कि पंचायतें कहां से देगी ? यह केन्द्र सरकार से पत्र आ गया है। इसमें केन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि 15 वें वित्त आयोग से पुराने बिजली बिल का और अगर प्रचलन में भी बिजली बिल आता है, उसका भुगतान किया जा सकता है। मैं सबकी सहमति से अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनसे निवेदन करिये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपके गांव हे लेकिन ओ गांव के नाम सारागांव काबर रखाए हे, तेला बतावव।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा गांव।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-**30, 80, 19, 79, 7** एवं **50** पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को:-

मांग संख्या - 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन हजार चार सौ चौरानबे करोड़, तिरासी लाख, तिरालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - तीन हजार चार सौ बहत्तर करोड़, अन्ठानबे लाख, इंक्यानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिये - दो हजार आठ सौ तेईस करोड़, अठारह लाख, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार एक सौ आठ करोड़, तिरानबे लाख, इंक्यावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ तिरानबे करोड़, तीन लाख, तीन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन करोड़, पचासी लाख, पच्चीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय राजा साहब, आपको बधाई और धन्यवाद् भी कि आपने जल्दी छोड़ दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- सहानुभूति भी।

वाणिज्यक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- लेकिन जो राजा साहब को बुलाये उस बात को दिल्ली में बोलिए। यह बी.जे.पी. पार्टी हर चीज में जातिगत कर रहे हैं।

(2)	**मांग संख्या**	**1**	**सामान्य प्रशासन**
	मांग संख्या	**2**	**सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
	मांग संख्या	**6**	**वित्त विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**60**	**जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**12**	**ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मांग संख्या 65 विमानन विभाग

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए-तीन सौ उनचालीस करोड़, अड़सठ लाख, इक्यासी हजार रूपये

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-चार सौ उनतीस करोड़, साठ लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए- सात हजार सात सौ चौंतीस करोड़, चौबीस लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ आठ करोड़, पैंसठ लाख रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो हजार छः सौ चौंतीस करोड़, सत्रह लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- साल सौ इंक्यावन करोड़, सत्तर लाख, बयालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन सौ उन्नीस करोड़, सतासी लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये- एक सौ बयानबे करोड़, बत्तीस लाख, सड़सठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिए- इकसठ करोड़, उनचास लाख, अठाईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 1

सामान्य प्रशासन

1.	श्री धरमलाल कौशिक	6
2.	डॉ. रमन सिंह	1
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	8
4.	श्री अजय चंद्राकर	1
5.	श्री ननकीराम कंवर	1
6.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	3

मांग संख्या - 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1

मांग संख्या - 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	1
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री ननकीराम कंवर	1
5.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2

मांग संख्या - 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

1.	श्री अजय चंद्राकर	1
2.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	13
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
3.	श्री अजय चंद्राकर	3
4.	श्री ननकीराम कंवर	1
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	3

मांग संख्या - 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	5
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	5
3.	श्री अजय चंद्राकर	2
4.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2

मांग संख्या - 32

जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	2
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1.	श्री धरमलाल कौशिक	5
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
3.	श्री अजय चंद्राकर	4
4.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 65

विमानन विभाग

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	रजनीश कुमार सिंह	2

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ करने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। इस निवेदन के साथ समय का ख्याल रखें। डॉ. रमन सिंह जी।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की विभागों की मांगों के आज चर्चा पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों से सबसे शुरूआत वित्त विभाग से करना चाहूंगा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत संक्षिप्त में थोड़ी-थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि वही बात पहले बोल चुका हूं। मैं यहां से शुरूआत करूंगा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अर्थी पर आ गयी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति जहां तक पहुंची है, किसी भी नवजात शिशु के जन्म होते ही 35 हजार रूपए का कर्जदार हो जाता है। आज प्रदेश में कुल कर्ज 1 लाख 14 हजार रूपए तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड की तुलना करता हूं तो उत्तराखंड में 68 हजार करोड़ रूपए का कर्ज आता है। अध्यक्ष महोदय, जब जवाब आएगा तो इस बात का जवाब आएगा कि पंजाब ने 3 लाख कर्ज ले लिया, 2 लाख कर्ज ले लिया। सवाल यह है कि हमारे साथ जिन राज्यों का निर्माण हुआ, उन राज्यों से हम तुलना करते हैं, पंजाब से तुलना करेंगे तो क्या पंजाब की तरह उड़ता पंजाब बनाने की हमारी कल्पना है। क्या हम पंजाब से तुलना करके उनकी आर्थिक स्थिति की दिशा में हमारा एक आदर्श राज्य यदि कोई है तो पंजाब है, उस दिशा में जाने की सोचते हैं। इसलिए मैंने एक उत्तराखंड का उदाहरण दिया कि वह आज भी 68 हजार करोड़ रूपए के कर्ज में है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्ज अच्छी चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डवलपमेंट के लिए लिया जाना चाहिए। कर्ज लिये जाने का कोई विरोध नहीं होता लेकिन उसके साथ ही साथ राज्य के आर्थिक संसाधन को भी तो बढ़ाये जाने का प्रयास होना चाहिए जिससे हम और बेहतर तरीके से उन कामों को दिशा दे सकें जो राज्य के लाखों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला, लाखों लोगों के सपने को पूरा करने वाला काम हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे याद आ रहा है कि यदि आज स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव जी जीवित होते । वे आज राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन को देखकर दुखी होते । मुझे ख्याल है कि इन 15 सालों में कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब उनका सुझाव पत्र के माध्यम से न मिलता रहा हो कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए और जब वे आज की वित्तीय स्थिति को देखते, वित्तीय कुप्रबंधन को देखते कि राज्य किस प्रकार कर्ज के बोझ से डूब गया है तो सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई होता तो वही होते । मैं छोटे-छोटे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा कि आर्थिक कुप्रबंधन का असर राज्य के आम आदमी के जीवन पर कैसे पड़ता है, योजनाओं के क्रियान्वयन में कैसे पड़ता है और इसकी जो तकलीफ होती है । जब बजट में हम यहां पर प्रस्तुत करते हैं उसका जो इफेक्ट है वह एक गांव के व्यक्ति के जीवन पद्धति में कैसे पड़ता है और जब योजनाएं धीरे चलती हैं तो चाहे वह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की योजना हो या 50-50 या 60-40 के योग से चलने वाली योजना है । उन योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में जहां असफलता हो जाती है तो उन योजनाओं में फिर आने वाले समय में पूरी तरीके से सेंट्रल सपोर्ट समाप्त होते जाता है इसलिये कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की योजनाओं को जब हम स्टेट सपोर्ट जो मेंडेटरी होता है, करना चाहिए और वह आवश्यक योजनाओं में होता है । उन योजनाओं में जब यह सपोर्ट नहीं मिलता तो पूरे छत्तीसगढ़ के देश-प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इसलिये मैं बात की शुरूआत ही वहीं से करना चाहता हूं कि क्या इफेक्ट पड़ता है ? एक योजना जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन योजना जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया । इसका बड़ा लक्ष्य है कि हर घर तक पानी और पानी ही सारी बीमारी की जड़ है । स्वच्छ पानी के लिये छत्तीसगढ़ आज भी या पूरे देश की आधी आबादी इसके लिये तरस रही है । यदि पीने का पानी हो जाये तो स्वास्थ्य की सारी परेशानियां हल हो जायेंगी, गांव की समस्या हल हो जायेगी । उसको पूरा करने के लिये केंद्र द्वारा वर्ष 2019-20 में एक कार्ययोजना बनायी गयी कि हर घर को लक्ष्य बनाकर काम किया गया और एक बड़ा जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में 2004 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी । अब देखिये कि यदि 50-50 की योजना है और वर्ष 2019-20 में 2008 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी, राज्य सरकार को भी उतनी ही स्वीकृति दी गयी होती तो योजना की रफ्तार बढ़ जाती और काम होता । राज्य ने उसके अगेंस्ट में यानी 2008 करोड़ के अगेंस्ट में 24 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी । कहां 2008 करोड़ रूपये की राशि और कहां 24 करोड़ की स्वीकृति ? यदि यह स्थिति पहले साल बनी तो मैं उसके आगे यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी उसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 283 करोड़ रूपये इतना डिफरेंस बढ़ता जा रहा है । वर्ष 2021 आ गया, वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने 1908 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने 503 करोड़ रूपये दिये । अब देखिये, कितना फर्क पड़ता जा रहा है ? यदि वर्ष 2019-20, वर्ष

2020-21 और वर्ष 2021-22 को जोड़ दिया जाये तो जो गेप बनता है वह 180 करोड़, 160 करोड़ और 1405 करोड़ रूपये यानी कुल मिलाकर 1751 करोड़ रूपये का गेप 3 साल में दिखता है । केंद्र सरकार ने 2561 करोड़ रूपये दे दिये अब यदि हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना का क्रियान्वयन हमको करना है तो जिस प्रकार के मैचिंग ग्रांट, जिस प्रकार की राशि दी जा रही है और जो गैप बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम इसको पूरा करना चाहते हैं तो इस मिशन का क्या होगा और इसकी स्थिति क्या होगी ? रिजल्ट क्या निकल रहा है ? इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में तीसवें स्थान में आ गया है । जहां सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां हमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर होना चाहिए क्योंकि पानी की समस्या और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 18.4 प्रतिशत कार्य समीक्षा में सामने आये । अब यह स्थिति, यदि यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है और उसके बाद भी टेंडर हुआ तो कैंसिल हो गया। भ्रष्टाचार में चला गया। उसके बाद रि-टेंडर हुआ। प्रोसेस में लंबाई बढ़ती गयी और कई किस्म के जांच होते रहे और इधर आर्थिक रूप से सबसे बड़ी स्थिति उसमें निराकरण होगा कैसे? यह पहला प्रश्न है कि आर्थिक रूप से जो स्टेट बजट का इफेक्ट होता है, यदि उसे समयबद्ध नहीं दिया गया और आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा जब निकलता है तो कैसे गांव के व्यक्ति तक इसका इफेक्ट जाता है, जो जानता नहीं बजट क्या होता है? जो समझता नहीं। उसे तो लगता है कि मुझे योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही है और उसकी पीड़ा को जीवनभर भोग रहा है। अभी अवसर था सरकार को कि उसका क्रेडिट ले लेते। शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कर देते तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी योजना का क्रियान्वयन होता। दूसरी योजना, योजना का इफेक्ट लाखों लोगों पर होता है और लाखों लोगों पर इसलिए होता है कि जब छत्तीसगढ़ के 22 लाख लोग, शुरूआत में 11 लाख sanction हुआ, बाद में 22 लाख लोगों के लिए आवास की योजना, केन्द्र सरकार की 60:40 की योजना, इस योजना में 3 साल का लक्ष्य रखा गया। इस 3 साल के लक्ष्य में केन्द्र सरकार की राशि आ गयी। केन्द्र सरकार ने नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद यहां के आवास को कैंसिल कर दिया। अब नुकसान क्या हो रहा है? 22 लाख गरीबों के जीवन की खुशहाली छिन ली गयी। उन गरीब लोगों को नहीं मालूम है कि कितना बड़ा अन्याय उनके साथ इस सरकार ने किया है। कर्ज लो न भाई। कौन बोलता है कि कर्ज मत लो, लेकिन इसके लिए आप कर्ज लीजिए। आवास बनाने के लिए कर्ज लीजिए। नल जल योजना में यदि पैसा नहीं है तो कर्ज लीजिए। ये पूरा का पूरा विधान सभा एक साथ मिलकर इसे मंजूरी देगा। 22 लाख घरों में खुशहाली का मतलब पैसे में कितना बड़ा नुकसान हुआ? 10 हजार करोड़ राज्य का हिस्सा और 16 हजार हजार करोड़, 26 हजार करोड़ का काम होता छत्तीसगढ़ में आवास में। 26 हजार करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव में मकान जो जीवन में कभी नहीं देखे थे, आपने 26 हजार करोड़ का मकान आपने छिन लिया। यदि बजट को जब देखते हैं तो नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी फ्लैगशिप स्कीम होना चाहिए, मगर ये है फ्लैगशिप। पीने के पानी और आवास जीवन के लिए constitution में जो अधिकार दिया है, उस

अधिकार के क्रियान्वयन की जवाबदारी राज्य और केन्द्र सरकार की है। इसके लिए तो कर्ज लिया जा सकता है। इसके लिए कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है और आज 26 हजार करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 तक का प्रोजेक्ट और वर्ष 2022 में पूरा हो जाता 2022 के अंत में। छत्तीसगढ़ में अभी 600 करोड़ रखे हैं, ये पुरानी योजनाएं हैं। पहली किश्त मिल गयी है। राजा साहब चले गये। दूसरी किश्त मिल गयी है। तीसरी किश्त मिल गयी है। पानी में मकान गिर रहा है। उसके लिए जो पुराने मकान के लिए कुछ पैसा रखा गया है। नई योजनाओं के लिए योजना में कोई रखा नहीं गया है। अब यदि इस प्रकार की स्थिति रही, इस प्रकार से यदि काम चलता रहा तो गरीबों के जीवन में खुशहाली और वह सपना पूरा नहीं होगा और मुझे लगता है। मैं छोटे-छोटे उदाहरण ही दूंगा। लंबी बात नहीं करूंगा। पर मेरे समझाने की कोशिश यही है कि विभाग की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ की जनता की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्राथमिकता के आधार पर बजट बनता है। उसका क्रियान्वयन होता है। सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल बाद में बनते रहते हैं, मगर इस प्रकार की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति यदि नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ के लिए जो नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई कैसे होगी, यह समझ से बाहर ही है। अध्यक्ष महोदय, दो और तीन आंकड़े और अलग बताउंगा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। प्रति व्यक्ति आय का सीधा मतलब जनता के हाथ में पैसा जाना है। अर्थात् बाजार में अधिक पैसा आयेगा। खर्च बढ़ेगा। व्यापार लगेंगे, उद्योग लगेंगे। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। ये हमारी स्थिति क्या है? वर्ष 2018-19 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1 हजार 291 रूपये थी, जो बढ़कर 1 लाख 18 हजार 400, 1 लाख 10 हजार से बढ़कर 1 लाख 8 हजार 400 हो गया। 1 लाख 18 हजार हो गया। अर्थात् प्रतिव्यक्ति 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसकी तुलना मैं मध्यप्रदेश और उत्तराखंड से कर रहा हूं । छत्तीसगढ़ में 6.8 प्रतिशत है, मध्यप्रदेश यह वृद्धि 20 प्रतिशत और उत्तराखंड में यह वृद्धि 12 प्रतिशत है और नेशनल में यह वृद्धि 15 प्रतिशत है । यदि छत्तीसगढ़ में देखा जाए 1 लाख 10 हजार से 1 लाख 18 हजार हुआ । मध्यप्रदेश में प्रतिव्यक्ति आमदनी 99 हजार 500 से बढ़कर 1 लाख 24 हजार यानी 20 प्रतिशत ग्रोथ हुआ, उत्तराखंड में 1 लाख 98 हजार से बढ़कर 2 लाख, 26 हजार और नेशनल 1 लाख, 25 हजार से बढ़कर 1 लाख 48 हजार । इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड से आधे से कम, मध्यप्रदेश से एक तिहाई कम ग्रोथ है । यह बताता है कि जिस रफ्तार से ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ के बारे में जो छत्तीसगढ़ का जी.एस.डी.पी. में इफेक्ट हो रहा है । उसको पॉजिटिव दिशा में ले जाने का प्रयास होना चाहिए । यह तीन राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन इसलिए दिया क्योंकि ये हमारे अड़ोस-पड़ोस के राज्य हैं । हमारा जन्म भी उत्तराखंड के आसपास हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग बजट को बहुत ध्यान से देखते हैं । यदि कर्मचारियों की बात करें । तो पूरे हिंदुस्तान के 33 राज्यों ने 31 प्रतिशत डी.ए. दे दिया । हम 17 प्रतिशत में अटके हैं । 14 प्रतिशत का गेप है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद इतना बड़ा गेप कभी नहीं हुआ और इस बजट में

उम्मीद कर रहे थे कि यह गेप खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि इसको रखा जाना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय, बजट में जो मूल विषय रहता है कि हम पेंशन में यह कर देंगे, तनख्वाह में यह कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्च कर देंगे । इसमें पूंजीगत् व्यय के बारे में जो बातें मैंने पहले कही थी, वह पूंजीगत् व्यय जो दर्शाया जाता है और साल के अंत में जो नतीजा निकलकर आता है, उसमें बेसिक फर्क है । आंकड़ों के जाल से उलझाने की कोशिश होती है । जैसे उदाहरण है कि 2018-19, 2019-20 और 2010-21 में जो बजट का वास्तविक प्रावधान था, उस बजट के प्रावधान का कितना खर्च हुआ । पिछली बार मैंने बताया था, विभागवार किसी में 60 प्रतिशत, किसी में 65 प्रतिशत, किसी में 70 प्रतिशत । अभी उसको रिपीट नहीं करना चाहता, मगर औसत 65 प्रतिशत । उसके साथ ही साथ पूंजीगत् व्यय, यदि पूंजीगत् व्यय को मैं 2017-18 से शुरू करूं तो 2018 में पूंजीगत् व्यय 10 हजार रूपए के आसपास रहा है । अभी 15 हजार रूपया इसमें व्यय दिखाया जा रहा है । जब 15 हजार व्यय दिखाया जाता है तो इस 15 हजार व्यय में हमने एनालिसिस करके दिखाया कि 3 सालों में जो वास्तविक पूंजीगत् व्यय खर्च हुआ है वह 10 हजार, 9 हजार और 10 हजार 500 है । यह बताने का प्रयास करते हैं कि 15 प्रतिशत और करीब-करीब 1 लाख में 15 हजार करोड़ हम खर्च करते हैं । बजट का इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है और टोटल जो खर्च होता है 9 हजार 500 करोड़, बाकी कोई काम का नहीं रहता, बाकी अन्य मद में खर्च होता है । छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रकचर की कमी आ रही है, जो दिक्कत आ रही है प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पा रहे हैं, सेंट्रल का मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रहे हैं । यह इसीलिए होता है कि हमारे पास फंड की कमी रहती है, बजट में दूसरा पहलू रहता है वित्तीय घाटा । आप ने बता दिया कि वित्तीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 30.3 प्रतिशत के बराबर रखा गया है । किंतु 2018-19, 2019-20, 2020-21 में लगातार, आप शो ज़रूर करें किंतु अंत में रिजल्ट आता है, यह जी.एस.डी.पी. का 4 से 5 प्रतिशत तक चला जाता है । यह फर्क है कि घाटे पर घाटा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस साल भी वित्तीय घाटे में कमी आएगी और जिस प्रकार 701 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस दिखाया गया है, अध्यक्ष महोदय मैं अभी से बोल देता हूं कि आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे यह 701 करोड़ का सरप्लस नहीं, 3,600 करोड़ का Deficit में जायेगा। हर साल ऐसे ही होता है। यही तो लिखा-पढ़ी का कमाल है और चमत्कार दिखाने का काम होता है और इसलिए ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बनने वाली है और बनेगी। ब्याज का भुगतान बढ़ता जा रहा है और ब्याज का भुगतान 2017-18 में 3,298 करोड़, 2022-23 में आकर 7,222 करोड़ है, दो गुना हो गया। मूलधन भुगतान 1000 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर ब्याज भुगतान 13,222 करोड़ हो चुका है। कहां जब हमारी सरकार थी तो 4000 करोड़ से अब बढ़ते-बढ़ते 13,222 और यह बढ़ कर आने वाले समय में 15 हजार, 18 हजार और 20 हजार करोड़ में पहुंच जायेगा और कुल कर्जा की सीमा बढ़ते

जाएगी। फिर मैं उसको पंजाब से तुलना करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, क्योंकि पंजाब कर्ज के मामले में हिंदुस्तान में सबसे आगे है। जितनी इनकी Flagship scheme स्कीम थी, जितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं इन्होंने बनाई थी, उनके लिए बजट में क्या प्रावधान है? मान ले कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसको यह रोज बोलते हैं, नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी। एक्चुअल बजट में क्या प्रावधान रखा गया है, किस मद में क्या किय गया है, किस विभाग में कितनी राशि रखी गई है। यह Flagship scheme साढ़े तीन साल निकलने के बाद भी मनरेगा के भरोसे और 15 फाइनेंस कमीशन के आगे केन्द्र सरकार की योजनाएं के भरोसे में कितने दिन योजना चलेगी। इतने प्रचार-प्रसार करने के बाद भी यह योजना किस दिशा में जा रहा है। इस विषय में विचार और चर्चा होनी चाहिए। शराब पर गौठान शुल्क भी लगा दिया गया है। इसलिए बजट में इसका क्या प्रावधान है, इसका अलग-अलग जिक्र जरूर आना चाहिये। जब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, तो इन बातों का जिक्र आना चाहिये। मैं जल्दी-जल्दी विभागों को लेता जा रहा हूं। मैं सामान्य प्रशासन विभाग में आ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग में जो कार्यशैली है, उसकी कार्यशैली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कलेक्टर और एस.पी. की पोस्टिंग जिस तरीके से हो रहा है। जिस प्रकार कलेक्टर और एस.पी. के पोस्टिंग में एक प्रकार से जो ज्यादा से ज्यादा कमाई देगा, वह कलेक्टर बनेगा। वह उसका मापदण्ड बन गया। आज कलेक्टिंग एजेंट बन गया है, कलेक्टर जिस नाम से कलेक्टर था। सरकार के लिए वसूली करने वाला व्यक्ति बन गया है। यह स्थिति मैं नहीं कह रहा हूं। इस सरकार के मंत्री कहते हैं कि कलेक्टर आकंठ भ्रष्टचार में डूबे हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं कर सकते। सार्वजनिक जब प्रेस में स्टेटमेंट आ जाता है तो न कलेक्टर को रहना चाहिए, न मुख्यमंत्री को रहना चाहिये। कोई न कोई एक को तो जाना चाहिये था।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉक्टर साहब ठीक से पढ़े नइ हे। तैं तो झन बोल, बाकी बोलय त बोलय।

डॉ. रमन सिंह :- इसी सरकार में जब यह स्थिति बन जाए, इतनी नाजुक स्थिति बन जाय। सरकार का हिस्सा होता है मंत्री। प्रशासन का हिस्सा होता है कलेक्टर।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- यह तो होली अंक में छपा था और बताया गया था कि आप लोग इस्तीफा दे दिया है।

डॉ. रमन सिंह :- इस प्रकार से यदि सार्वजनिक रूप से मीडिया में प्रशासन के बारे जिस प्रकार बातें आयेगी तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति से बचना चाहिये और यह दोनों को रहने का हक नहीं बनता। यह स्थिति स्टेट के लिए दुर्भाग्यजनक है। यह स्थिति प्रशासन के लिए दुर्भाग्यजनक है। ऐसी स्थिति से बचकर रहना चाहिये। कलेक्टर और एस.पी. ताश की गड्डी की तरह फेटे जा रहे हैं। तीन साल हुआ नहीं चार-चार बार स्थानांतरण। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छः महीने का कार्यकाल, सात

महीने का कार्यकाल। उसको काम तो करने दो। दो साल Minimum उसका Tenure होना चाहिये। वह कुछ अच्छा काम करके दिखायेगा। छः महीने, आठ महीने में जिस प्रकार बदलाव हो रहा है, इससे प्रशासन का मनोबल भी बिगड़ता है और इस प्रकार की कार्यशैली से इसका इफेक्ट प्रशासन पर अच्छा नहीं होता। इस पर तो सोच होनी चाहिये। इस पर तो दृष्टि होनी चाहिए और एक विजन के साथ काम करने का तरीका होना चाहिये। स्टेटमेंट में आपका भी देख रहा था। कोरबा में प्रशासनिक प्रदूषण हैं, किस भाषा में बोले, किस भाव से बोले, यह मैं नहीं जानता। मगर प्रशासनिक प्रदूषण बोलना तो अनिश्चित रूप से इससे बड़ा और कोई कमेंट नहीं हो सकता। इससे बड़ा और कोई कमेंट नहीं हो सकता। जिस प्रकार से एक विधायक बोलता है कि भैया थाने में रेट लिस्ट टांग दीजिये । छत्तीसगढ़ में यह क्या स्थिति बनती जा रही है? छत्तीसगगढ़ में क्या स्थिति है? रेप की घटना को छोटी घटना कहा जाता है। कांग्रेस के विधायक समूह में मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का, ट्रांसफर में पैसा लेने का आरोप लगाते हैं। डायरी पेश की जाती है। लिखित में दिया जाता है यह विधायक इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत कैसे देंगे और किस प्रकार देंगे? इस प्रकार यदि सामान्य प्रशासन विभाग की कार्रवाई चली और मुखिया इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया तो निश्चित रूप से यह जुआ, सट्टा, अपराध। अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि थानेदार घर से निकलकर, घर के बाहर टी.आई. आता है तो उसकी हत्या हो जाती है। जिस राज्य में पुलिस के सिपाही भी सुरक्षित नही हैं। इस राज्य में आम महिलाएं, पुरूष और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दिन-दहाड़े रायपुर के चौक में चाकूबाजी होती है, हत्या कर दिया जाता है। अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है। जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कार्यकर्ता मंत्री जी को बोलता है कि मंत्री की हिम्मत है मेरी गाड़ी को पकड़ ले। मंत्री को बता देना कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा हूं। यदि अधिकारियों से इस प्रकार की बातचीत होती रही तो काम करने वाले अधिकारियों का क्या मनोबल रहेगा? उनके सामने यदि मंत्री को अपशब्द बोला जाए और वह बाहर घूमता रहे। इस स्थिति को लाने के लिए हम किस दिशा में जा रहे हैं ? प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनेगी? और यह एक प्रकार से घोषित, अघोषित आपातकाल और प्रशासनिक आतंकवाद है। संविधान की धज्जियां बिगड़ रही हैं। सरकार के खिलाफ कलम उठाने वालों के ऊपर, जिस प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को षडयंत्र में फंसाया जा रहा है जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष हो, हमारे विधायक हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, सांसद हो, एट्रोसिटी जिनको लगाकर जिस प्रकार से परेशान करने की साजिश रची जा रही है। पत्रकार के खिलाफ दमन का चक्र चल रहा है। हाल ही में एक वीडियो आया जिसमें लकड़ी तस्कर खुलेआम गृहमंत्री को गाली दे रहा है। रायपुर, सरगुजा तक के कार्यकर्ता प्रताड़ित हैं। शासन, प्रशासन और कांग्रेस के कार्यकर्ता का जो षडयंत्र और छल-कपट चल रहा है मुझे लगता है कि यह अवसर है अभी साढ़े 3 साल ही हुआ है अभी भी सुधरने का वक्त है अभी भी यदि प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त नहीं करेंगे तो जनता इसका हिसाब लेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक दक्षता के नमूने हैं। मैं आज छोटे-छोटे example से ही अपनी बात

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रखूंगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं छोटे-छोटे उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रशासनिक दक्षता कैसे रही और हाईकोर्ट ने कितने बार फटकार लगाया। सरकार का फेल्योर कहां पर है, वह दिखता है। इन लोगों ने, सरकार ने स्व-सहायता समूह की बहनों का रेडी टू ईट छीना, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। मीसाबंदियों की पेंशन रोकी, कोर्ट ने बहाली का आदेश दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग में इन्होंने ओ.बी.सी. वर्ग के साथ धोखा किया, कोर्ट में रोक लगाने के लिए अपने आदमी को ही बैठाया, जिसको बाद में लाल बत्ती दे दिया। फिर पक्ष को कमजोर किया और कोर्ट में हार गये। ओ.बी.सी. वर्ग ठगा रहा और ओ.बी.सी. की जनता देखती रही कि सरकार की नियत क्या है। पाठ्यपुस्तक निगम के मामले में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। टोल किट मामले में षडयंत्र धराशायी हुआ। सरकार कैसे बेनकाब होती है और सरकार को काम करने के लिए कुछ मांग पंत्र आते हैं। जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात आती है तो निर्णय नहीं लिया जाता है। मुझे तरस आ रहा है कि इन्होंने आज तक कोई बड़े निर्णय नहीं लिये। इनको निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम लगता है समिति का गठन कर दो। सबसे बड़ा निर्णय है कि समिति का गठन कर दो। शराबबंदी के लिए 1, 2 और 3 समिति बना दी। साढ़े 3 साल से अध्ययन पर अध्ययन कर रहे हैं भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि साढ़े 3 साल तक अध्ययन करते-करते शराबबंदी के अध्ययन को भूल गये हैं और शराब का खपत बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं, इस पर रिसर्च चल रहा है। आर.एन.बी. कर रहे हैं। बड़े-बड़े विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं। बड़े-बड़े दौरे होते हैं। 3-3 कमेटी और साढ़े 3 साल में एक भी रिपार्ट नहीं आई है कि शराबबंदी करना है या नहीं करना है तो बोल दो न भाई, नहीं करना है। काहे के लिए कमेटी बनाकर महिलाओं को, बहनों को भ्रम में रखते हो? काहे जन घोषणा पत्र को दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो? पुलिस परिवारों ने मांग की, आंदोलन किया, उसके लिए समिति बना दी । एस.टी., एस.सी. कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में लोगों ने आन्दोलन किया, उसमें लाखों कर्मचारी आ गए । उसके लिए कमेटी बना दी, झुनझुना बजाते रहो । अभी तक उसमें कोई निर्णय करने का काम नहीं हुआ । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण, जिसमें अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सम्मिलित हैं । वे इसलिए मांग कर रहे हैं कि आपने जन घोषणा-पत्र में कहा है, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है कि हम अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को स्थायी करेंगे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण करेंगे । नियमितिकरण के लिए समिति बना दी, साढ़े तीन साल निकल गया, कुछ नहीं होना है । माननीय अध्यक्ष जी, नया रायपुर में किसानों का आन्दोलन शुरू हुआ । वहां किसान 22 दिन से आन्दोलन कर रहे हैं, वहां पर भूखे-प्यासे आन्दोलन करते हुए एक किसान की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति काफी गंभीर रूप से बीमार है और आन्दोलन जारी है। उसके लिए एक समिति बना दी । साढ़े तीन साल में समिति बनाने के सिवाय और कोई मांगों का क्रियान्वयन नहीं हुआ । यह स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा । खनिज विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसमें कोई नीति नहीं है । पहले हमने उसका काम पंचायतों को दिया, उसका कार्य पंचायत के माध्यम से होता था । आजकल यह समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में रेत निकालने का काम, लीज़ का काम, स्वीकृति देने का काम खनिज विभाग करता है । यदि खनिज विभाग करता है तो ऐसे अवैध तरीके से बिना अनुमति के हजारों स्थान में रेत का खनन कैसे हो रहा है । पुलिस की पकड़ने की ताकत नहीं है । यदि पुलिस का थानेदार पकड़ने जाएगा तो रेत माफिया उसको दौड़ाकर मारते हैं । उनको पकड़ने की कोई हिम्मत कर दे, यहां के विधायक के पति को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, एस्ट्रोसिटी एक्ट में मामले दर्ज हो जाते हैं, जिला पंचायत का सदस्य खड़ा हो जाता है तो शराब माफिया उसके हाथ-पैर तोड़ देते हैं । इसका मतलब है कि रेत का जो विरोध करेगा, उसके ऊपर या तो एस्ट्रोसिटी एक्ट लगेगा या पुलिस उसको जेल के अंदर डाल देगी । बिना टी.पी. के लाखों ट्रक रेत उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहा है, लाखों रूपए के लेन-देन हो रहे हैं । आज छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव दिखने लगा है । नदी का धार बदलने की स्थिति आ गई है । जिस प्रकार से रेत निकाला जा रहा है, जिस प्रकार से वहां अपराधी तत्वों का जमावड़ा रहता है, आज रेत की कीमत छत्तीसगढ़ में 16 हजार रूपए प्रति ट्रक हो चुकी है । कहां 7-8 हजार रूपए में एक ट्रक रेत मिलता था, पंचायतों को खुद के काम करने के लिए फ्री रेत मिलता था, लोग ले जाते थे, पंचायत उनके लिए टी.पी. जारी करता था, पंचायत की आमदनी बढ़ती थी, लेकिन उसे पंचायत को हटाकर आज माफियाओं के हाथ में दे दिया गया है । यह स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है और इन्होंने वादा किया था कि हम पंचायतों को सशक्त करेंगे और इन्हें रेत के लिए अधिकृत करेंगे, पंचायतों को सशक्त बनाकर अधिकार देंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में डी.एम.एफ. की राशि की बड़ी चर्चा हो रही है । डी.एम.एफ. की राशि का किस प्रकार से बंदरबांट हो रहा है, किस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में है । हम लोगों ने डी.एम.एफ. की योजना बनाई थी, उसका आज भी उदाहरण है, जिसकी चर्चा देश में होती है । बस्तर के दूरस्थ अंचल दंतेवाड़ा, बीजापुर में शिक्षा के संस्थान और स्वास्थ्य के संस्थान् एजुकेशन हब बनाने का काम, जिला अस्पताल बनाने का काम किया । यदि आज एशिया का सबसे बेहतर एजुकेशन हब दंतेवाड़ा में बना है तो डी.एम.एफ. की राशि की मदद मिली थी । बीजापुर के हॉस्पिटल को मॉडल बताते हैं, उस समय उसके लिए मदद की थी । जिला अस्पताल की चर्चा दिल्ली में होती है । बी.पी.ओ. की स्थापना हुई थी, शक्ति गारमेंट्स, ई-रिक्शा की योजना चली थी, आज यह सारी योजनाएं बंद हो गई हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरबा में कोयले का और कोयले के क्षेत्र में जिस प्रकार खुला लूट छत्तीसगढ़ में हो रहा है । कोरबा से प्रति टन 25 रूपए दिए बिना कोई ट्रक पास नहीं हो सकता । जब तक 25 रूपए प्रति टन नहीं देगा, तब तक वह ट्रक वहां से निकल नहीं सकता । यदि महीने का हिसाब

लगाया जाये तो 120 करोड़ और साल भर का हिसाब लगाएं तो 14 सौ करोड़ होते हैं । आखिर यह 14 सौ करोड़ हर साल कहां जाता है ? मैंने आजतक हिन्दुस्तान में सुना था कि इस प्रकार की कोई वसूली किसी राज्य में हो सकती है, जिसमें एस.पी. और कलेक्टर खड़े होकर इस वसूली में मदद करते हैं और पैसे की शेयरिंग में उनकी भागीदारी रहती है। इस प्रकार का टैक्स जिसे गब्बर टैक्स, सूर्या टैक्स, पता नहीं क्या-क्या नाम देते हैं। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है। रेत का इतना बड़ा व्यापार, कोयले का इतना बड़ा व्यापार, यह इनकी खनिज नीति है, ऐसी खनिज नीति दुनिया में नहीं होगी, जो छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ को ऐसी खनिज नीति से मुक्ति मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की नीतियां बताती है कि बहुत इनवेस्टर आ रहे है। आ रहे होंगे। सरकार की औद्योगिक और खनिज नीति इतनी लचर है कि अब बड़ी निजी संस्थान काम करने से डर रही हैं। यहां हिण्डालको जैसी कम्पनी ने लगभग काम बंद कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को कोल ब्लाक के लिए सोनिया जी को पत्र लिखना पड़ रहा है। इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। आज समय-समय के हिसाब से सीमेन्ट तीन सौ, साढ़े तीन सौ रूपये से ऊपर बिकता है, आज यह स्थिति बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ छोटे-छोटे विभाग लेना चाहता हूं। उन विभागों में जो स्थिति है, उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। ताकि आपके माध्यम से जानकारी यह रहे कि छत्तीसगढ़ में इनके तीन-साढे तीन साल और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में क्या फर्क है ? किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को तो फर्क पड़ता है। उसे तो अहसास होना चाहिए। मैं उन्हें अहसास दिलाने के लिए बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता तक बिजली पहुंचे। गुणवत्ता का मापन, इसके लिए वितरण में अधोसरंचना का विकास, वितरण में, वितरण की अधोसरंचना, सबसे महत्वपूर्ण चीज रहता है। वितरण में 33/11 के.व्ही. के सब स्टेशन, 11 के.व्ही. के ट्रांसफार्मर, 33 और 11 के.व्ही. के ट्रांसमिशन लाईन का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन बताना चाहता हूं। इस तुलनात्मक अध्ययन से मालूम हो जायेगा कि सरकार के काम करने की रफ्तार कैसी है। 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, हमने 15 साल में 33/11 के 1,213 सब स्टेशन बनाये वहीं कांग्रेस ने 3 साल में 117 सब स्टेशन बनाये। यदि हिसाब लगायेंगे तो इन्होंने हर साल 40 सब स्टेशन बनाये और भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में हर साल 81 सब स्टेशन बनाये। दोगुने से ज्यादा सब स्टेशन बनाये। यह 15 साल सतत चलता रहा। मैं दूसरा आकड़ा 33 के.व्ही. लाईन का बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 33 के.व्ही. लाईन का विस्तार 21,800 सर्किट किलोमीटर बनाया, इन्होंने 3 साल में 1,435 सर्किट किलोमीटर बनाया। मैं तुलना इसीलिए कर रहा हूं। यदि हमने 15 साल में 33 के.व्ही. लाईन 21,800 सर्किट किलोमीटर बनाया और इन्होंने तीन-साढ़े तीन साल में 1,435 सर्किट किलोमीटर बनाया, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस शासनकाल में प्रतिवर्ष 478 सर्किट किलोमीटर का निर्माण हुआ और हमने

हमारे शासनकाल में 1458 सर्किट किलोमीटर बनाया। हमने तीन गुना, three hundred times और four hundred times का विस्तार इन्फ्रास्ट्रकचर के क्षेत्र में किया था। आप इस आकड़ें से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार बिजली के निर्माण में काम किया था। यदि 11 के.व्ही. लाईन को देखा जाये तो हमने 1 लाख 06 किलोमीटर का निर्माण किया था और इन्होंने 6 हजार किलोमीटर निर्माण किया। ये 10 प्रतिशत भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कछुये की गति की रफ्तार से चल रहे हैं। यदि ये इस रफ्तार से चलते रहे तो छत्तीसगढ़ में पावर का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से पिछड़ जायेगा। मैं पिछड़ने का उदाहरण दे रहा हूं, उसके लक्षण सामने आने लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी आया कि विद्युत कनेक्शन हेतु 88,265 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें से 37 हजार प्रकरण स्वीकृत किए गए। कुल आवेदन का 43 प्रतिशत का ही निराकरण हो पाया। स्वीकृत हुए काम नहीं हुए हैं। एक लाख का वादा, मैं 15 साल की तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे समय वेटिंग लिस्ट समाप्त हो गया था। पम्प में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं था। वर्ष 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने 45 हजार पम्प कनेक्शन से आगे बढ़कर काम शुरू किया और जब सरकार छोड़े तो 45 हजार से बढ़कर 4 लाख 70 हजार पम्प कनेक्शन, कोई वेटिंग लिस्ट की स्थिति नहीं थी, 15 दिन में पम्प कनेक्शन देने का प्रावधान, एस.सी. और एस.टी. को फ्री, यह अद्भूत चमत्कार करके दिखाया है और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो चमत्कार दिखता है, यह ट्रांशमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाईन का नेटवर्क बनाने का काम, बस्तर के मेरे विधायक बंधु जानते हैं, बस्तर तक एक 132 के.वी.ए. का लाईन था । अबूझमाड़ के पास नक्सलियों ने उसे गिरा दिया, 15 दिन तक पूरा बस्तर संभाग अंधेरे में था । मैं पहली बार उस नक्सल प्रभावित एरिया में पैदल चलते हुये गया । विद्युत विभाग के जवान भीगते हुये बारिश में काम कर रहे थे, रातों रात टॉवर लाईन खड़ा किये थे । हमने तय किया कि 132 केवीए के लाईन से बस्तर को रोशनी नहीं मिलेगी, 230 केवीए और 470 केवीए और 460 केवीए का तीन-तीन कनेक्शन हमने बस्तर को दिया है । 132 केवीए के साथ इसे दिया है, अब बस्तर में कभी अंधेरा नहीं आयेगा, यह कार्ययोजना होती है । इसके लिए योजना बनाकर काम करना पड़ता है । ट्रांसमिशन लाईन, डिस्ट्रीब्यूशन लाईन, इसके नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, मैं इसलिए कह रहा था कि बिजली की जो आज स्थिति है, मैं उस पर बिजली के उत्पादन की बात करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश बिजली उत्पादन में भी पिछड़ता जा रहा है । दीर्घकालिक योजना न बनने से उत्पादन में पूर्णत: आत्मनिर्भर हो गये थे । प्रदेश जीरो पॉवर कट हो गया था, आज छत्तीसगढ़ पॉवर कट में पांचवें नंबर पर आ गया है । तापीय बिजली का उत्पादन, थर्मल प्रोजेक्ट का उत्पादन 3280 मेगावॉट से घटकर 2840 मेगावाट हो चुका है । थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की उपयोगिता, उसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति लापरवाही, पुराने पॉवर प्लाण्ट की स्थिति और उनको मैंटेनेंस की स्थिति में सरकार चूक कर रही है । सभी तापीय विद्युत संयंत्र का फ्लू गैस,

डीसल्फ्राइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, जो टारगेट रहता है । फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन एक प्रक्रिया है, जो पुराने प्रोजेक्ट में किया जाता है । 1 मेगावाट में 1 करोड़ खर्च होता है । इसका मतलब 2840 करोड़ खर्च होगा । इस पूरे प्रोजेक्ट को डीसल्फ्राइजेशन की प्रोसेस करने की कोई कार्ययोजना बनाई है ? इसके लिए कोई बताने को तैयार नहीं है । ग्रीन ट्रिब्यूनल की नोटिस है, उन्होंने कहा भी है कि हम कर देंगे, इसमें एक पैसे का प्रावधान बजट में नहीं है । यदि प्लाण्ट सब बैठ गये तो छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था खत्म हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासनिक प्रतिवेदन देख रहा था, प्रशासनिक प्रतिवेदन ही वित्तीय प्रबंधन का दर्पण होता है । वर्ष 2021-2022 में दिसम्बर 2021 तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने के लिए 825 करोड़ शासन द्वारा नहीं दिया गया है, यह बताया जा रहा है । 875 करोड़ का नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना है, सरकार ने नहीं दिया है । मैं प्रशासनिक प्रतिवेदन में से उठाकर पढ़ रहा हूँ । बिजली बिल हाफ योजना इसमें 315 करोड़ नहीं दिया गया है । पम्प उर्जीकृत योजना में से 153 करोड़ की राशि नहीं दिया जाना बताया गया है । अब यदि यह राशि नहीं मिलेगी, विद्युतीकरण का टारगेट कहां से पूरा होगा ? पम्प का उर्जीकरण कैसे होगा ? ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार कैसे होगा ? बिजली कंपनी की स्थिति गंभीर से गंभीर होती जायेगी । मीटर उपलब्ध नहीं है, दो-दो महीने, तीन-तीन महीने में ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया चल रही है । विलंब के कारण आर्थिक स्थिति जर्जर होती जा रही है । डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की स्थिति तीन वर्षों में इतनी बद्तर हो गयी है कि विद्युत नियामक आयोग को दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे ही नहीं पाया है । बिजली दर बढ़ाने का निर्णय आयोग को छोड़ दिया गया है । कंपनी इतनी नुकसान में हो चुकी है कि इस आधार पर यदि बिजली बिल बढ़ाने का प्रस्ताव देंगे तो वर्तमान में जो बिजली की दर है वह दोगुनी हो जायेगी। अब सरकार इस बात से डर रही है कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर यदि बिजली का बिल बढ़ाया जायेगा तो आयोग की मजबूरी रहेगा, इसलिए उनसे रिपोर्ट ही नहीं मंगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कंपनियों की यह स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बारीक चीज बताना चाहूंगा। केन्द्र सरकार की उदय योजना यह मॉनीटर करती है। पूरे देश के अलग-अलग ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन कंपनी को फंडिग भी करता है। अभी से लाल बत्ती जला दोगे तो क्या होगा भाई?

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत देर बोल चुके हैं, 40 मिनट हो चुके हैं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं बत्ती की बात ही कर रहा हूं। रोशनी की बात ही कर रहा हूं। अंधेरा न हो, इसके लिए बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए लाल बत्ती जला रहा हूं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उदय योजना में इसकी रिर्पोटिंग आई है और उसके वेवसाईट में आप भी जाकर देखेंगे कि ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन लॉस (T&C Loss) छत्तीसगढ़ में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कैसे बढ़ता गया। मुझे ख्याल है कि 15 साल में जो लासेस थे, यह लासेस 18-19 प्रतिशत तक लाने में सफल हो गये थे। अब यह लासेस 19 प्रतिशत से बढ़ते-बढ़ते 26 प्रतिशत तक पहुंच गये। इसकी इकॉनामी यह है कि यदि 1 प्रतिशत लासेस बढ़ता है, लासेस यानि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस होता है और तीसरा लॉस होता है जो बिजली का टोटल उत्पादन होता है और बिजली के बिल से पैसे की वसूली होती है। वह आखिरी होता है। ये तीनों मिलाकर यदि 1 प्रतिशत भी लॉस होता है तो कंपनी को 100 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। 7-8 प्रतिशत का यदि नुकसान हुआ है, 18-19 प्रतिशत से 26 प्रतिशत आ गया है तो यह मानकर चलिये कि टोटल लॉस 700-800 करोड़ रुपये का इसी वजह से हुआ है जो इस प्रकार की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाईन को और नेटवर्किंग को ठीक करने में असफल हुए हैं जिसकी वजह से आज इतने बड़े नुकसान की स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ में पॉवर कंपनी में नियुक्ति भी जोरदार तरीके से होती है। पॉवर कंपनी के प्रबंधक संचालक की नियुक्ति अपने आप में कीर्तिमान है। भाई-भतीजावाद का, नियम का यह अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जनरेशन कंपनी में नियुक्ति, एक प्रबंधक संचालक को इस आधार पर हटाया गया कि वह एक विशेष जाति के नहीं थे। उसकी नियुक्ति में जाति का भ्रम हो गया था इसलिए नियुक्ति मिल गई थी। भ्रम दूर होते ही उसको हटा दिया गया। उसके बाद अपने निकट रिश्तेदार को वहां पर प्रबंध संचालक बना दिया गया। सेवा का विस्तार दे दिया गया। इस प्रकार की स्थिति यदि मैरिट को छोड़कर नियुक्ति होगी, उच्च पद में मेरिट के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया यदि पारदर्शी नहीं हुई तो निश्चित रूप से यह सारी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांममिशन, जनरेशन कंपनी जिसकी भागदौड़, जिनका पूरा योगदान जिनके हाथ में रहता है वहां यदि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो पूरा सिस्टम कोलेप्स हो जायेगा। इतना बड़ा नेटवर्क है, लाखों लोग हैं, करोड़ों उपभोक्ता हैं, इन तक पहुंचते-पहुंचते यदि इन कंपनियों को सुधारना बहुत कठिन होता है। इसको सुधारने की प्रक्रिया करने की जरूरत पड़ेगी और इसको करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय विमानन विभाग को थोड़ा ले लेता हूं क्योंकि विमान की बहुत चर्चा होती है। हमारे केन्द्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पत्र भी लिखा था। उसमें रायपुर एयरपोर्ट के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 464 एकड़ जमीन सरकार से मांगी थी। 440 एकड़ जमीन मिली है, शेष जमीन आवंटित नहीं होने की वजह से काम रूका हुआ है। उसके साथ ही साथ बिलासपुर एयरपोर्ट में 351 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिस्टोर किया जाना प्रस्तावित है। अन्य स्थानों में भी लैंण्ड के प्राब्लम हैं। उन्होंने 4 बिन्दु में पत्र लिखा है। रायगढ़ का भी है। अन्य स्थान से संबंधित भी है, उसको भी देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आज जो जनसंपर्क विभाग की हालत चल रही है । पत्रकारिता विभाग की जो स्थिति है और चौथे स्तंभ को जिस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। जन घोषणा पत्र में, पत्रकार सुरक्षा की घोषणा करने वाली यह सरकार,

आज सरकार बनते ही पत्रकारों पर अत्याचार करने लगी है, प्रदेश का पत्रकार सहमा हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। आज चाहे वह नीलेश शर्मा हो या अन्य कोई पत्रकार या तो वह जेल में है या तो बेल में है या उसके मकान को ध्वस्थ कर दिया गया है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार इस स्थिति में है, चाहे जिला स्तर के हो चाहे अन्य स्तर के लोग हो, जो कोई भी आवाज उठाता है उसको धमकाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश में जिस प्रकार से विज्ञापन दे रहे हैं, जिस प्रकार से 5 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया, अब क्या जनसंपर्क विभाग का यही काम रह गया है कि दावा करे 5 लाख का और विधान सभा में जवाब दे कि 22 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है। यदि विधान सभा के जवाब को जनसंपर्क छापे, कम से कम छोटा-सा कॉलम तो दे दें, मगर उसको कॉलम नहीं देंगे। 5 लाख नवयुवकों को रोजगार दिया गया, पूरे छत्तीसगढ़ में बडे-बड़े पोस्टर छप गये, बड़े-बड़े पॉम्प्लेट छप रहे हैं, पेपर में एड दिया जा रहा है। सरकारी विज्ञापन के माध्यम से 3 वर्षों में 221 करोड़ रूपये खर्च किये गये। 83 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ के बाहर की एजेंसी को दिया गया। यह है इनकी प्रचार-प्रसार का खर्चा और पूरे प्रचार का तंत्र। बहुत सारे अन्य विषय अन्य विभाग से संबंधित है, मैं और डिटेल में बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता, मेरे साथी बोलेंगे, आपने अवसर दिया धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद्। श्री संतराम नेताम जी।

श्री अजय चंद्राकर :- संतराम जी, फिर देख के पढ़थस।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं, मैं बिना देखे ही बोलूंगा। (हंसी) रमन सिंह जी भी तो पूरा देख के पढ़ रहे थे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब डॉ. रमन सिंह जी देख-देख कर पढ़ रहे थे तब तो आप उधर देखे नहीं। अब वह बोलना के लिये खड़े नहीं हुये हैं, आप टोकना शुरू कर दिये।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग संख्या 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71 और 65 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और अपनी बात भी रखना चाहता हूं।

समय :
06.37 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुये)**

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके कार्य करने का जो तरीका है, पूरे प्रदेश की जनता, गांव, गरीब और किसान वह राज्य सरकार की कार्यशैली से काफी खुश है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का जो तरीका है, हमारे प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को अब लगने लगा है कि हमारे प्रदेश में

कोई छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री किसानों के लिये, गरीबों के लिये काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, अभी बोल रहे थे कि 1014 करोड़...।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, ओपनिंग बैट्समैन बन गये हो, मरकाम जी की गति को प्राप्त मत कर लेना।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, वह अभी किसी काम से गये हैं, उसके बाद उनका रोल है। कोई भी सरकार कर्जा ले सकती है, पर किसके लिये ? अभी हमारी सरकार ने जो 1014 करोड़ रूपये का कर्जा ली है, जैसा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, वह किसानों के लिये लिया गया है। आपको मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- संतराम भैया, सब विधायक लोगों के नीचे में एक Lie detector machine लगना चाहिये, कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल सही बात है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- (व्यवधान) की तारीफ करना पड़ता है।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, देखिये यह हमारे पहले वक्ता है और इन लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और खास कर के शिवरतन शर्मा जी। यह अपनी आदत से बाज नहीं आयेंगे।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, मैं 2013 में यहां पर विधायक बनकर आया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह बात थी कि हम किसानों को 2100 रूपये धान की कीमत देंगे और 300 रूपये बोनस देंगे, आपने क्यों नहीं दिया, आपको किसने रोका था, किसने मना किया, क्यों किसानों का दिल नहीं जीत पाये ? और आज हमारी सरकार प्रदेश के 18 लाख किसानों का लगभग 11 हजार करोड़ रूपये का कर्जा माफ किया है तो क्या बुरा है ? किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप भी किसान है, मैं भी किसान के घर का बेटा हूं] हमें मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई लेम्प्स में, अगर कोई बैंक में हमारा कर्जा है। हम उस बैंक की तरफ नहीं जाते हैं। हम उस लैम्प्स की तरफ नहीं जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने किसानों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। उनको इतनी बड़ी राहत दी है। आज वही किसान जिसको डिफाल्टर कहते थे। उनका कर्ज माफ हो गया। वह किसान लैम्प्स में जाकर कर्ज ले रहा है और डबल फायदा हुआ। एक तो उसका कर्ज भी माफ हो गया और दूसरी बात की उसको धान बेचने का भी मौका मिल गया। अगर उस किसान को धान की कीमत 2500 रूपये मिल रहा है तो कर्ज लेने में क्या बुरा है? चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, वह किसानों का दर्द जानते हैं मैं एक बार पढ़ा हूँ और यह देखा भी हूँ कि वह स्वयं खेत में हल चलाये हैं। वह किसानों का दर्द समझते हैं। अगर वह किसानों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मजबूत कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कर्ज लेना चाहिए।

मानननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग बस्तर के लोग हैं हम तेन्दूपत्ता तोड़ते हैं। हम जंगल में जाते हैं, वहां बस्तर के हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के लोग तेन्दूपत्ता बड़ी मुश्किल से लाते हैं। वे सुबह से निकलते हैं और शाम को आते हैं। तब 200, 100 ऐसे सैकड़े में तेन्दूपत्ता तोड़कर लाते हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 2500 रूपये मानक बोरा दिया जा रहा था, आज हमारी सरकार उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, अगर 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये मानक बोरा कर दिया है। इसलिए इन्हें देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पैसा मिलना चाहिए, यह उनका अधिकार है। इस पैसे से पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे बस्तर संभाग और सरगुजा के उन वनवासियों को फायदा होगा, अगर उनको पैसा मिलेगा, अगर वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गये तो निश्चित तौर पर अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। अगर उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, अगर उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेते हैं अगर उसका बच्चा, बेटा, बेटी पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका विकास होगा, उसके घर-परिवार के लोग अच्छी जगह में नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बड़े-बड़े उद्योगों में काम करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश का भी विकास होगा। कहीं न कहीं उस परिवार का विकास होगा। इसलिए इन्हें यह पैसा देना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो राशि दी जा रही है जैसे हमारे यहां बस्तर में मात्र 7 प्रकार की वस्तुओं को वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदते थे। आज हमारी सरकार वहां बस्तर के आदिवासियों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 61 वस्तुओं को समर्थन मूल्य में खरीद रही है। यह बड़ी बात है। यह सरकार की सोच है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। हम आदिवासी परिवार के लोग हैं। बस्तर क्षेत्र से आते हैं। बस्तर में कोई आदिवासी बड़ा उद्योगपति नहीं है। गांव का गरीब आदमी, आदिवासी किसान सुबह कमाता है और शाम को खाता है अगर ऐसे लोगों को कोई मजबूत करने का काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। वह उनकी पीड़ा को जानते हैं, वह बस्तर की पदयात्रा किये हैं। जब वह अध्यक्ष पद में थे तो उन्होंने पूरे बस्तर की एक-एक कोना चाहे बीजापुर से सुकमा और पट्टनम से लेकर पूरे कांकेर तक उन्होंने दौरा किया। इसलिए वह आदिवासियों की पीड़ा, तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों का दु:ख दर्द, वह समझते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूँ कि यहां हमारे बीजापुर में माननीय विधायक बैठे हैं। उनको आप पूछ लीजिए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारी सरकार की एक अच्छी सोच, नीति और नीयत है। अच्छी नीयत के कारण हर प्रकार से हमारे लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। चाहे वह किसान, गरीब, मजदूर हो, उसकी जेब में पैसा जा रहा है, इसका परिणाम है कि आज बीजापुर जैसे पिछड़े इलाके में 5 हजार मोटर साईकल खरीदे हैं। वहां 400 ट्रेक्टर खरीदे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि

हमारी सरकार कहीं न कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर है, किसान हैं उनकी जेब में पैसा डाल रही है। तभी तो वह मोटर साईकल खरीद रहे हैं। सरकार की यह सोच होनी चाहिए। अभी एक बड़ी योजना लागू किये हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि उनको भगवान ने सद्‌बुद्‌धि दी है वह गरीबों के लिए सोच रहे हैं, वह गांवों में गये हैं और बस्तर के गांवों में गरीबी को देखे हैं । सभापति महोदय, आपको समझना है कि हम प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं। बस्तर के उन किसानों को, उन गरीबों को जो कृषिविहीन हैं, जिनकी कोई जमीन नहीं हैं, ऐसे लोगों को हमारी सरकार 6 हजार रूपए दे रही थी, अब उसको बढ़ाकर 7 हजार रूपए किए हैं। एक गरीब के लिए यह बहुत बड़ी राशि होती है। बड़े लोग क्या जानेंगे ? बड़े-बड़े ए.सी. में रहने वाले, बड़े-बड़े होटलों और महलों में रहने वाले 7 हजार रूपए का महत्व नहीं समझेंगे लेकिन गांव में जो मड़िया पेज पीने वाला, वहां पर जो पेज पसिया और नमक के साथ खाने वाले हैं, उनके लिए 7 हजार रूपए, 7 लाख के बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के दिल में बैठने वाले, उनके दर्द को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यह कहना चाहता हूं कि लोग उनकी तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने गांव के गरीब, किसान, मजदूर को अपने जीवन का उद्‌देश्य माना है। आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने लगातार त्यौहार के दूसरे दिन दौरा करते हैं, उनका उद्‌देश्य होता है कि हमारे प्रदेश में लोग कैसे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, हम उसको कैसे आगे ले जाएं, इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि अल्प समय में इस साढ़े तीन साल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, हमारे आदिवासियों के लिए काम किया, हमारे पिछड़े वर्गों के लिए काम किया और उसी सर्वे के आधार पर पूरे देश में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जा रहा है। विपक्ष का धर्म आरोप लगाना है। सभापति महोदय, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बहुत सी बातें कर रहे थे, मैंने उनको भी देखा। इनको किसने मौका नहीं दिया। आप जब तेंदूपत्ता का बोनस दे रहे थे, चप्पल दे रहे थे, वह इसलिए कि कमीशन खाने के नाम से दे रहे थे। हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी धनोरा गए थे और उन्होंने चप्पल बांटा, मैंने सदन में यह बात एक बार और कहा था। वह चप्पल एक पैर का 6 नंबर और दूसरे पैर का 9 नंबर था। इसका मतलब कमीशन होता है। अगर आपको दया है, आप आदिवासियों को मानते हैं, वनवासियों को मानते हैं तो आप उसके खाते में पैसा जमा कीजिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं, आप उनके खाते में पैसा डालिए। कोई खराब नियत नहीं है। चाहे कोई भी पैसा हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सीधे उनके खाते में डाल रहे हैं। कोई कमीशन का खेल नहीं हो रहा है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कलेक्टर और एस.पी. भ्रष्टाचार हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक भी उदाहरण पेश कर दीजिए, अगर कोई भी कलेक्टर और एस.पी. भ्रष्ट हैं तो सदन में उदाहरण प्रस्तुत कर दें। आपने पिछली पंचवर्षीय में कितना भ्रष्टाचार किया है, वह हम लोगों ने देखा है। हमारे प्रशासन में

रहने वाले जो कलेक्टर, एस.पी. हैं, वह अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई लाईन आर्डर होगा, अगर प्रशासनिक क्षमता को मद्देनजर रखते हैं तो फेरबदल स्थानांतरण तो प्रक्रिया है। मुझे उसमें भ्रष्टाचार वाली बात नहीं लगती है। यह लोग आरोप लगाते हैं। मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में भर्ती हो रही है, इसलिए पैसा ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर इस सदन में धन्यवाद देना चाहूंगा, बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी हुआ करते थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा अधिकार हम लोगों को दे रखा है। वहां के आदिवासी विधायकों को दे रखा है। इसलिए वहां के विधायक सड़क, पुल, पुलिया किस प्रकार से काम होना हैं, वे जानते हैं, उनको पूरा पावर देकर रखा है। बस्तर संभाग में कनिष्ठ बोर्ड का गठन कर दिया है। आज वहां कनिष्ठ बोर्ड के गठन के कारण स्वास्थ्य विभाग में बम्फर भर्ती हो रही है, वहां पर शिक्षा विभाग में बम्फर भर्ती हो रही है। वहां के स्थानीय लोग उसका लाभ ले रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब बस्तर के लोगों को, बेरोजगारों को एक नई उम्मीद जगी है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं तो भरोसा है। एक नारा चलता है कि भूपेश है तो भरोसा है। एक नारा चलता है कि भूपेश है तो भरोसा है । माननीय सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि यह नारा यह साबित करता है इसलिये कि अभी जो भर्ती हो रही है, बस्तर फाईटर में 3100, एक जिले में 300 बेरोजगारों की नौकरी लग रही है । किसकी ? पांचवीं पढ़ने वालों की, जो आदिवासी बच्चे हैं, वहां के जो गरीब लोग हैं, बिना किसी भी प्रकार के धांधली के वहां पर भर्ती होने जा रही है । प्रदेश स्तर पर पुलिस विभाग में 975 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है । बम्पर भर्ती हो रही है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, चूंकि बीजापुर में डॉक्टर की कमी नहीं है । अभी आप स्टॉफ नर्स का देख लीजिये कि 10-10 के समूह में एक-एक अस्पताल में जा रहे हैं इसलिये इस सरकार को पैसा देना चाहिए, मैं इसीलिये इसका समर्थन करता हूं और विपक्ष से कहना चाहता हूं कि यह हमारी कांग्रेस सरकार की सोच कि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले । जो लिपिक होते हैं, उनकी बम्पर भर्ती हो रही है, प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, खाद्‌य निरीक्षकों की नियुक्ति हो रही है, सुपरवाईजरों की नियुक्ति हो रही है । आपको किसने मना किया था ? आपने 15 सालों से बेरोजगारों को लूटने का काम किया है, बेरोजगारों को धोखा देने का काम किया था । अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी चले गये हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं बस्तर के लोग...।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, हम लोग नहीं कर पाये इसीलिये इधर आकर 14 लोग बैठे हैं । आप लोग भी चाहते हैं कि फिर से 14 लोग आकर यहां बैठें तो बात अलग है ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, यदि आप ऐसा स्वीकार कर रहे हैं तो आपको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की तारीफ करनी चाहिए । मैंने यहीं सदन में पिछली बार देखा है कि बस्तर के बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था इसलिए तमिलनाडू में,

कर्नाटक, उड़ीसा में हमारे बेरोजगार भाई वहां जाकर नौकरी कर रहे थे । वह कब पता चला जब हमारे प्रदेश में कोरोना आया, पूरे देश में कोरोना आया तो जब वहां के मजदूर इधर निकलकर आये तो पता चला कि हमारे बस्तर के लोग कितनी बड़ी संख्या में रोजगार के अभाव में बाहर गये थे और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग मर-मिट गये, आपने उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया ? आपने हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया ? वे आदिवासी भाई-बहन जो आज जेल में हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? आपकी नीयत नहीं थी । यदि आपने 15 सालों में कोई भर्ती की हो तो वह बता दीजिये और आज अल्पकाल में, मात्र 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी है । आज यह स्थिति बन गयी है कि आज हमारे पढ़े-लिखे जो बेरोजगार लोग हैं, वे सोचते हैं कि इसमें फॉर्म भरें कि इसमें फॉर्म भरें ? चंद्राकर जी, यह आज के बेरोजगारों की स्थिति है । यह हमारी सरकार की सोच है, यह हमारी सरकार की नीयत है । इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आप उसका विरोध कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि यह पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि यह पैसा केवल इस प्रदेश के लिये है, यहां के लोगों के लिये है, गरीबों के लिये है, किसानों के लिये है । अभी आप बात कर रहे थे कि खनिज में कोई नीति नहीं है । इसी खनिज निधि के पैसे का कैसा दुरूपयोग कर रहे थे, बंदरबांट कर रहे थे । मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक डी.एफ.ओ. ने सुकमा में अपने घर में खनिज निधि के पैसे का स्वीमिंग पुल बनाया था, यह आपके समय में बंदरबांट हुआ है । आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुल और पुलिया में पैसा नहीं लगाया है, वे मानव जीवन के लिये पैसा लगा रहे हैं, सुपोषित बच्चों के लिये पैसा लगा रहे हैं, आज कुपोषण में कमी आ गयी है । उन्होंने दंतेवाड़ा में शुरूआत की, गरम भोजन दिया । आज उसी खनिज न्यास निधि के पैसे को बिल्डिंग बनाने में कम और लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, यह हमारी सरकार की सोच है, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है । मानव को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं उसके बाद विकास कार्य को, आज रेत में जो माफिया की बात आ रही है । हम लोगों ने भी 15 सालों में आपके काम करने का तरीका देखा है, अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा नियम निकाला है कि अब पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं । हमारे गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग अब वे जिसको चाहेंगे, वे ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत की बैठक में रेत का प्रस्ताव रख सकते हैं । आज ये लोग जो आरोप लगाते हैं उसको साबित करने के लिये हमारी सरकार द्वारा पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं कि ढ़ाई सालों में 102 नग, 33/11 के.व्ही. के उपकेंद्र बहुत बड़े-बड़े केंद्र खोल रहे हैं । मेरे विधानसभा में 400 पारा-टोला है । सभी गांवों में बिजली लग चुकी है, सभी गांव में विस्तार हो चुका है । किसानों को अपने खेतों में बिजली मिलने से वे फसल उगा रहे हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही

है । नदी किनारे रहने वाले बोर कर-करके अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की सोच है। ये हमारी सरकार की एक ताकत है। सभापति महोदय, बिजली बिल जो हाफ हुआ है, 1 मार्च, 2019 से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का जो लाभ मिला है, 39 लाख 63 हजार उपभोक्ताओं को 1 हजार 812 करोड़ रूपये छूट मिली है। कितनी बड़ी राहत है? ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। हमारी बिजली के लिए जो काम हो रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार हैं, 3 यूनिट का जो नि:शुल्क बिजली की जा रही है, इससे 18 लाख बी.पी.एल. परिवारों को लाभ मिला है। सरकार की नीयत होनी चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है। ये लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार के काम करने का जो तरीका है, वह बहुत ही अच्छा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा पर जो काम किये हैं, वे सारे अच्छे काम हो रहे हैं। बेहतरीन ढंग से इस प्रदेश का कैसे निर्माण कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। इसलिए पैसा दिया जाना चाहिए। मैं इनका समर्थन करता हूं। आपने मुझे मौका दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मुख्यमंत्री जी, संतराम जी को मैं आपके ही अनुदान मांग में नहीं, हर अनुदान मांग में बोलता हूं कि बिना देखे बोला करो और वे जानते हैं कि उस बात को मैं क्यों बोलता हूं? जब वे पढ़कर देखना के.वी. ऐसा शुरू किया तो बैठ गया और जिस समय देख नहीं रहा था, उस समय आपकी ओर से सबसे अच्छा बोलते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा कहता हूं कि बिना देखे बोला करो।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- संतराम नेताम जी बहुत अच्छा बोले। मैं उन्हें बधाई देता हूं। अभी राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन में भी उन्होंने बहुत शानदार बोला, लेकिन अजय जी हमारे पास वक्ताओं की कोई कमी नहीं है। यदि शिवरतन जी, आपका गला उस दिन खराब हो गया था, वह तो ऊपर वाले की कृपा है जल्दी से ठीक हो गई। आप लोगों को भ्रम यह है कि 3 ही झन सदन को चलाते हैं। वैसे ये लोग कोई कम काबिल नहीं हैं। आपके सारे अनुभवी लोग बैठे हैं, लेकिन मौका ही नहीं देते। केवल 3 झन ही हैं जो बार-बार खड़े हो जाते हो, लेकिन आपको धोखा है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता तक को नहीं पूछते। उन्हें भी बोलने नहीं देते।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- ननकी दादा तो हमेशा अपने पक्ष का अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उन्हें दबा दिया जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, काबिल लोग तो सब इसी तरफ बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आंकड़े को रख दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- यह आंकड़ा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है आपके संसदीय कार्यमंत्री जी का फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी के 3 भाषण महत्वपूर्ण होते हैं। विभाग के भाषण होंगे, कल आपके भाषण होंगे। दो दिन में दो भाषण होंगे और उसके बाद गवर्नर एड्रेस में होंगे और उधर पूरा खाली रख दिये हैं। आप समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री का जिस दिन भाषण होता है तो आपकी जो दीर्घा हैं न, आज आपके मंत्री ही गायब हैं। आपकी विश्वसनीयता आपके दल में कितनी है, उसे आप आंकिये। मैं उसे नहीं आंकता। कितने मंत्री बैठे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी का भाषण है और हम इसलिए बैठे हैं कि हम सब मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनेंगे और आपके दल के लोग कैसे हैं, उसे देख लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- 4-6 तो हो ही गये हो।

श्री भूपेश बघेल :- हमने आपको आमंत्रित किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, मैं आज छोटी-छोटी बात बोल देता हूं। आज बहुत लंबा भाषण हुआ है। अच्छा भाषण हुआ है। संतराम जी कहां चले गये? बस्तर में नौकरी बम्फर। अरे बाप रे। भाई, बस्तर में कैसे बम्फर भर्ती हो गयी? किस तरह से बम्फर भर्ती हो गयी? 15 मार्च, 2022 के प्रश्नोत्तरी में माननीय सभापति महोदय, एक उत्तर है कनिष्ठ चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। मैंने तारीख और प्रश्न क्रमांक बताया है और एक भर्ती भी नहीं हुई है। अभी व्यापमं की एक भी भर्ती नहीं हुई है। तो ये कहां का डाटा है? आप एस.आई.टी. बनाने के विशेषज्ञ हैं। ये भर्ती, रोजगार, इसकी परिभाषा, नौकरी इसकी परिभाषा के लिए कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सेवाएं ले लीजिए और इसे परिभाषित कर दीजिए |

समय :

7.00 बजे

क्योंकि वे आंकड़े इतने उलझे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं । मैं सामान्य प्रशासन विभाग पर बोल रहा हूं । आपने जिन शासकीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 3 साल कर दी है, प्रथम वर्ष 30 प्रतिशत की, द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत की एवं तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत की वेतन कटौती की जाएगी। अच्छा है, उसको करिये । इसलिए करिये क्योंकि आपको लाभ मिलेगा, लोग उससे बहुत प्रसन्न होंगे । कोविडकाल में अनुकंपा नियुक्ति में जो 10 प्रतिशत की छूट दी गई थी, संतराम जी आपका बहुत मानवीय चेहरा बता रहे थे, अतिसंवेदनशील, और अति से भी ज्यादा वाला एडजेक्टिव मैं नहीं जानता । मैं, अत्यधिक संवेदनशील कह देता हूं । 10 प्रतिशत छूट देने के बाद उसमें कितनी नियुक्ति हुई ? आपने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कटऑफ नम्बर 65 प्रतिशत गया है । उसका मतलब क्या होता है, लोगों से थोड़ा पूछ लीजिएगा कि किस कारण से ऐसा होता है ? 3 माह में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक्ज़ाम के लिए 22 केविएट लगाए हैं । यह पी.एस.सी. की स्थिति है । आपको मालूम है कि पी.एस.सी. की ऐसी स्थिति क्यों बनी है ? आपने सचिव स्तर की जांच को माफ किया । आज जांजगीर के मनरेगा घोटाले में डी.एफ.ओ. की बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि इसको पी.एस.सी. का सदस्य बना दीजिए । जो मनरेगा का घोटाला करता है और सचिव उसकी जांच करता है तो वह बड़े-बड़े पद पर जाता है । इतने सारे केविएट लगे हैं, यह आपकी संस्थाएं चल रही हैं । लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रतिवेदन आप पढ़ लीजिए । 60 हजार प्रकरण लंबित हैं और आपके थाने के बारे में नहीं बोलता, कितने प्रकरण दर्ज हैं, कितने की सुनवाई हुई, कितने पंजीकृत हुए जो राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है, उसके आंकड़े को प्रतिवेदन में पढ़ लीजिएगा, बहुत जोरदार परफारमेंस है । क्योंकि दर्ज किये जा रहे हैं । 4 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं । आपके यहां भ्रष्टाचार इतना कम हो गया कि सुन सुन कर खत्म हो गया । इतना नैतिक राज्य सम्राट अशोक के समय भी नहीं था और न ही राम राज्य में था। साढ़े 3 साल में केवल 4 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं । महोदय, अचानक विमानन विभाग का कागज लग गया । इसमें ज्यादा नहीं बोलता, जैसे मुझे व्यक्तिगत् तौर पर सड़क से यात्रा करना बहुत पसंद है । मैंने सड़क से लगभग पूरा भारत घूमा है, केवल कश्मीर को छोड़कर । आपने साढ़े तीन साल में पूरा भारत हवाई जहाज से नाप दिया । 50 करोड़, 45 लाख रूपए आपने किराया दिया ।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, मैं प्लेन में गया तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ । मुझे एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया, मैं साढ़े तीन घंटे तक जमीन पर बैठा रहा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, उस समय तो आप राजनीति करने गए थे, जिसमें आपको एट्रैक्शन मिले, मीडिया एट्रैक्शन वह सब काम आप कर रहे थे । आप राजनीतिक आदमी हैं, कौन कह रहा है कि आप भजन गाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। राजनीति भी करेंगे और जनता की सेवा भी करेंगे । आपने अभी तक तो नहीं किया है, हो सकता है आगे करें । पेपर में बड़ा बड़ा छपा कि राज्यपाल महोदय को मांगने के बाद भी आप उपलब्ध नहीं करवाते, जो आपकी मर्जी हो । एक विभाग है जिस पर कोई नहीं बोलता । मैं भी इसका विशेषज्ञ नहीं हूं । लेकिन थोड़ी मेहनत की है । इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग । चिप्स एवं जियो स्पेशलिस्ट स्पेशल वर्ड सेमीनार । इस सेमीनार के बारे में कौन जानता है साहब । कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से पेपर में हुआ, किसने भाग लिया और इसका उद्देश्य क्या था ? होगा चिप्स का कोई विशेषज्ञ । चिप्स का काम सॉफ्टवेयर बनाना, सर्वर डाउन करना, किसी को ऑफलाईन करना, किसी को ऑनलाईन करना, वह मुख्यमंत्री जी के इशारे पर होता है कि किसको ऑफलाईन करना है और किसको लॉनलाईन करना है । अब आपका 36 आई.एन.सी. यानी equvator cum exilator institute, जो एक भी स्टार्टअप 36 आई.एन.सी. का नेशनल या इंटरनेशनल लेबल पर कभी नहीं पहुंची। अब उसका कारण है कि आपने मेंटर रखा या मेंटर कोई भी हो, उसको काम करने नहीं दिया गया। वह कोई विशेषज्ञ नहीं था। वह आपका कृपापात्र आदमी था या जो चिप्स में बैठता है,

उसको कोई यार दोस्त है जिसको लाकर बैठा देता है। जो सेमिनार 36 आई.एन.सी. के छपे कहीं पर, उसकी किसी भी प्रतिष्ठित जगह पर प्रकाशित और छपाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की चिप्स की, यह आपको बता देता हूं। अब इसका काम है साफ्टवेयर बनाना। बहुत सारे साफ्टवेयर इन्होंने बनाये। एक छत्तीसगढ़ हाट परियोजना, एक साफ्टवेयर बना, एक आई.ए.एस. ने उसको बनाया। यह मात्र 29 दिन चली और उसका बिल निकला करोड़ों रूपये का। हल्का-फुल्का नहीं, आपके यहां करोड़ों में होता है। लाख-लाख को कौन पूछेगा। अब ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना। करोड़ो खर्च हुए। तीन साल पहले बनी न कि इस सत्र में बनी है और यह बात है कि आज तक यह बनने के बाद कोरोना काल के बाद भी लोग आफलाईन काम करने के लिए तैयार हैं। लोग आफिस जाते हैं। 95 प्रतिशत ई-सुविधा, 100 प्रतिशत आनलाईन नहीं है और सरकारी दफ्तर तो एक बार जाना ही पड़ता है। वेबसाईट में इतनी खामियां है कि वह मोबाईल में दिखता नहीं। किसी का ई-मेल या फोन का सत्यान नहीं हो रहा है, वह कैसे पंजीयन करायेगा या क्या करायेगा, यह तो आप ही जान सकते हैं, इसको मैं नहीं जान सकता।

श्री संतराम यादव :- यह कागज को कैसे देख रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तकनीकी मामला है।

श्री संतराम यादव :- हमारे पास भी रहता है, लेकिन उसको थोड़ा देखो न।

श्री अजय चंद्राकर :- ये हर थोड़ा तकनीकी मामला हे ग। अब यदि सबकी जो लागत बाजार में पूछेंगे है 10-20 हजार होगा, जिसको आप करोड़ों में संपादित करते हैं। आप हल्के-फुल्के काम करते नहीं। अब आपको स्टेट पोर्टल बता देता हूं। ऑनलाईन-ऑनलाईन का बहुत छपता है। एस.पी. कार्यालय वेबसाईट, करोड़ों रूपये खर्च हुए, गूगल में अभी तक लाईव नहीं हुई। उर्जा विभाग छत्तीसगढ़, यह सब आपके प्रतिवेदन में है। यह वेबसाईट जिसमें करोड़ों रूपये खर्च हुए, गूगल में अब तक लाईव नहीं हुई। संसदीय कार्य विभाग अब तक गूगल में लाईव नहीं हुई। पंजीयन एवं मुद्रांक गूगल में अब तक लाईव नहीं हुई। हर समिति अभी तक लाईव नहीं हुई। श्रम विभाग जिसमें करोड़ों रूपये खर्च हुई, पांच साल पहले बनी थी। उसको आपने नहीं बनाया था। अब समाज कल्याण विभाग का वह भी अभी तक गूगल में लाईव नहीं है, यह आपके चिप्स का काम है। ठेकेदारी भर में अच्छा काम करते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा वे करते हैं। अब बाकी यह बहुत लंबा-चौड़ा है, लेकिन इसके जो काम हैं, इसके पूरे काम की चाहे आप 15 साल से जांच करवायें, जांच की जरूरत है, क्योंकि यह काम करोड़ों में करता है और इसका काम दिखता नहीं। क्योंकि यह तकनीकी चीजें हैं और मैं ज्यादा पढ़कर बोल पाता नहीं। तो आफलाईन, आनलाईन, ये कर रहे हैं, ई-सूचना, ई-सुविधा, ई वह, ई लगता है। लेकिन आदमी ऑफिस जाता है, तो कोई भी चीजें आनलाईन नहीं दिखती।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था दे दी जाये। अजय चंद्राकर जब भी बोलेंगे तो कागज देखकर बोलेंगे। वे देख कर बोलते हैं तो उनका वाल्युम ठीक रहता है और बिना देखे बोलते हैं तो वाल्युम अनलिमिटेड हो जाता है। अभी ठीक ही चल रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- बिना देखे कर चलाउंगा।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- दूसरा मन बोलथे त पटल में रख दे कइ दिही।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- वैसे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। गूगल में लाईव नहीं हुआ, उसका मतलब क्या है? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- जनसंपर्क विभाग के साहब लोग हैं। बहुत काबिल सचिव भी हैं।

श्री उमेश पटेल :- अजय भैया, गूगल में लाईव को समझा तो दीजिये। सदन जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है?

श्री देवेन्द्र यादव :- बहुत सारी ऐसी बात आ गई है सर। ई अलग समझ नहीं आया और आप वह बोल रहे थे कि यह जो दफ्तर चिप्स का खुला है। आपको ध्यान होगा पिछली सरकार में एक आई.ए.एस. थे सिंह साहब, वही चिप्स के दफ्तर में बैठते थे और पूरा संचालन करते थे, डाउन और अप करने का।

श्री अजय चंद्राकर :- देखिये, पिछली बार मेरी सरकार में जो बैठते थे न, उधर देखोगे तो रमन सिंह जी को चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। इसलिए कौन अधिकारी किसका है, यह मत बोलना। कौन किसके निकट थे, यह मैं सब जानता हूं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, रमन सिंह जी को सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और अभी भी मिलते हैं तो अलग से यही बोलते हैं कि डेढ़ साल बाद आप लोग आ रहे हैं करके। यह अभी भी बोलते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए वही तक बोलो। पैर जो है पैजामे के अंदर ही अच्छा लगता है। वह बाहर अच्छा नहीं लगता है। समझे, चौथी बार सरकार बनाने वाले, आधी बार सलाह देने वाले बैठे हैं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- और डेढ़ साल बाद फिर आओगे, यह भी बोलते हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास जन संपर्क में एजेंसी है। कितने पद खाली हैं? कितने पद को आपने आऊट सोर्सिंग की है? कि आऊट सोर्सिंग करने के बजाय आपने अपने कार्यकर्ताओं को वहां भरा है? और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा विज्ञापन जितनी एजेंसी रखी हैं आप बात भर छत्तीसगढ़िया की करेंगे, लेकिन काम भर छत्तीसगढ़िया की नहीं करेंगे। कोई भी छत्तीसगढ़ का आदमी जो कुसाभाऊ ठाकरे से निकला होगा या बाहर पढ़कर छत्तीसगढ़ में आया होगा, वह नहीं जाएगा क्योंकि उससे जंतर-मंतर हो ही नहीं सकता। जंतर-मंतर करने के लिए बाहरी आदमी जाने। आपके जंतर-मंतर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को घर का आदमी जान जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा न, यह तो। छत्तीसगढ़ में आम चर्चा हो जाएगी। इसलिए एजेंसी भर्ती लो जरूरत है या नहीं है, इसकी कोई गणना करने वाला नहीं है। संवाद क्यों है? जब आप एजेंसियों से काम करवाते हैं तो संवाद बंद कर देना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- थोड़ा देखकर पढ़ो भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब वह पत्रकार कानून के बारे में बोल दिये। पत्रकारों को मार-पीट रहे हैं, उसके बारे में भी बोल दिये। लेकिन सबसे अच्छा यह है कि आप 3 अरब, एक बार 55 करोड़ रूपया हवाई जहाज में और आप कहते हैं कि मितव्ययी की सरकार है। आपके कोटेशंस को मैं देखता हूं, श्लोगन को मैं देखता हूं तो जो छोटे-छोटे प्रशासकीय ऑर्डर जो निकलते हैं न, वह आपके पोस्टर में दिखते हैं। एक भी नीतिगत विषय नहीं दिखते हैं। एक भी नीतिगत उपलब्धियां नहीं दिखती हैं। एक भी। हम नल कनेक्शन को सस्ता कर रहे हैं, वह पेपर में आ गया। मैं इतना थर्ड क्लास कोटेशन कभी नहीं देखा हूं। आप इतने पैसे खर्च करके एजेंसी रखे हो, आपकी ब्रांडिंग सही नहीं हो रही है। अब वह ब्रांडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। साहब, ऊर्जा विभाग में काफी बातचीत हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ब्रांडिंग के लिए आप अजय जी को बुलवा लो। वह ठीक से करवा देंगे। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- मैं सोच ही रहा था। इनके भाषण के बाद वनमंत्री जी के साथ नास्ता में जाना है। इनके भाषण के बाद उनको आमंत्रित करने वाला हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, माननीय, मैं ऊर्जा में एक लाइन दूसरी चीज बोल रहा हूं। क्या है वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 की तुलना में, यह आपके आंकड़ों में से है। वर्ष 2019-20 में माइनस 14 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में माइनस 12.8 प्रतिशत की गिरावट आई है और वही खपत निरंतर बढ़ते जा रहा है तो हमारा जो खपत है और हमारा जो उत्पादन है। दुर्भाग्य है कि आप साढ़े 3 साल में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर पाये। आप 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर पाये। समझ रहे हैं न। तो उसके समीप पहुंच रहे हैं और आपकी कंपनियां, सब निलामी होने की कगार पर हैं। जिस वित्तीय व्यवस्था में चल रही हैं जिस तरह से आपकी छूट है और आप जो कथन करते हैं जितना पैसा आपने विद्युतीयकरण, पंपों के ऊर्जीकरण के लिए रखा है और आप जितना ऊर्जीकरण का आंकड़ा देते हैं, वह फर्जी है। एक, 37 हजार का मैं यहां करूंगा। आपने घोषणा कर दी। जितना बजट है उसमें 37 हजार का हो नहीं सकता है। जितना आपने इस साल भी रखा है और पिछले साल भी रखा था और जो खर्चा दिखाया। आप उस बात को अपने प्रतिवेदन में देख लीजिए या तो आपने काम करवाया होगा तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया होगा, यह है। लेकिन 37 हजार का उतना पैसे में नहीं हो सकता। यह आपने तीनों साल के आंकड़े दिये हैं आपने पहले साल भर का आंकड़ा नहीं दिया है तो पंपों के ऊर्जीकरण में आप जो एक धारणा बनाकर रखे हैं न कि मैं 2500 रूपये में खरीद रहा हूं, उसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़

के आदमी को कुछ नहीं चाहिए। वह बेवकूफ लोग हैं, यदि आप समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके उपभोक्ता जो, आप टैरिफ में हाफ बोले हैं। राजा साहब, 400 में हाफ। आप कितने प्रकार के टैरिफ में 400 के हाफ बोले हैं? भाषण में स्पष्ट करवाइयेगा कि इतने प्रकार के टैरिफ दोनों प्रकार के लाइन में हैं और सभी टैरिफ में मैं 400 में आधा करूंगा करके। खनिज में आपकी जो आवक होती है वह लगतार घटी है और डी.एम.एफ का दुरूपयोग। डॉ. साहब रहते तो मैं उसके सामने कह देता और आज भी आपके सामने कह रहा हूं, डी.एम.एफ. के लिए छत्तीसगढ़ के लायक योजना नहीं बनी। जिसकी मर्जी आई...।

श्री अमरजीत भगत :- इतना अमूल्यन नहीं झेल रहे हैं अभी। अगर वह कुर्सी से हट गये तो वह रहते तो उसके सामने कह देता। उनके लगाओ थोड़ा-सा सर, रिसपेक्टेड वर्ड लगाओ। इतने दिन में क्या सीख रहे हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, जिसको जो मर्जी आई, वह किया । मुझे लगा कि तैरना सीखाने के लिए यंत्र खरीदना है तो तैरना सीखाने के लिए, राफ्टिंग के लिए खरीदकर ले आए कि मैं गंगरेल में राफ्टिंग करवाऊंगा । किसी को समझ में आया कि मैं एफिल टावर बनाऊंगा तो वह कबाड़ खरीदकर ले आया, किसी को समझ में आया कि मैं स्विमिंग पुल बनाऊंगा तो उसके लिए खरीदकर ले आया । सब जिलों को मिला लें तो इतने हजार करोड़ रूपए होते हैं तो आप एक-दो उदाहरण को छोड़कर कोई ठोस उपलब्धि बता नहीं सकते । इसकी तनख्वाह दी जाती है, उसका भवन बनाया जाता है । राजा साहब, यदि आप उसको लेजिस्लेटिव सपोर्ट दे देते तो शायद आप यह नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछकर बताऊंगा कि इसके दो महीने की तनख्वाह और बढ़ाई जा सकती है क्या ? लेजिस्लेटिव सपोर्ट देकर यह बोलते कि साहब, जब तक डी.एम.एफ. रहेगा, तब तक डी.एम.एफ. के पैसे से इनको दिया जाएगा, नहीं तो राज्य शासन उन सबका इंतजाम करेगी । आप लाईए, जिन संस्थाओं को हमने चालू किया है, उनको लेजिस्लेटिव सपोर्ट दीजिए । वह तो भगवान भरोसे है कि जो मुख्यमंत्री आये या जो मंत्री आये, वह अपनी मर्जी से कोई भी योजना संचालित कर सकता है, वह पैसा पॉकिट मनी है ।

(डॉ. रमन सिंह के सदन में आने पर)

श्री अमरजीत भगत :- अब डॉ. साहब आ गए हैं, आप उनको देखकर बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, हां, वे सुन रहे हैं, बिल्कुल उनके सामने बोल रहा हूं, मैं पीठ पीछे नहीं बोल रहा हूं । दो-चार उदाहरण छोड़ दें तो वह पॉकिट मनी है ।

माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरण्डम । खनिज पर 10 गांव के पुनर्स्थापन के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनी है, जो कोरण्डम वाली है। डोलोमाईट, जो आपके सी.एम.डी.सी. के

पक्ष में आवेदन है, उसकी कार्यवाही एक वर्ष से लंबित है । 2019-20 के दौरान कोल ब्लॉक आवंटन में छत्तीसगढ़ की एक भी कम्पनी को आवंटित नहीं किया गया । मैं छत्तीसगढ़ में बहुत जोर देता हूं कि बेचारा, मेरा प्यारा मित्र । संतराम जी, आप छत्तीसगढ़ सुनकर बहुत खुश होते हैं । क्या आप इसमें खुश हैं कि चतुर्थ वर्ग की बम्फर, बम्फर, बम्फर भर्ती वहां हो रही है? कोयला खदान, रेडी टू ईट ये सब आऊट सोर्सिंग के विषय हैं, हमारे विषय नहीं हैं। जो क्वालिटी बाहर के लोगों में है, वह हमारे में वह क्वालिटी नहीं है । इसलिए मैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी को बार-बार परिभाषित करने के लिए कहता हूं । नहीं तो किसी नेतृत्व शास्त्री की सेवाएं ले लीजिए कि कौन छत्तीसगढ़िया है ? यहां की डोमिसाईल नीति बनाईए कि छत्तीसगढ़िया कौन है, कहां का छत्तीसगढ़िया है । डोमिसाईल नीति बनाने से आप पीछे क्यों हटते हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- तोर चक्कर में निपट गे हे । हम तोर सलाह ला नहीं मानन ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजमन बेंजाम जी ।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अजय भैया, क्या हुआ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- राजमन बेंजाम जी, आप इसी में खुश रहो कि बस्तर में ऐसा हो गया, सड़क बन गया, बस्तर में ये हो गया, वह हो गया । बस्तर और सरगुजा का असली माल है, वह बाहर जा रहा है । और बनो बस्तर वाले ।

श्री राजमन बेंजाम :- बस्तर में जो विकास हो रहा है, वह हमारी सरकार कर रही है । आपने बस्तर को, वहां के लोगों को विकास के लिए 15 साल वंचित रखा है। आपने वहां 15 साल में कुछ नहीं किया । हमारी सरकार विकास कर रही है तो आप चिल्ला रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, इस सरकार को निजी निवेश की क्या जरूरत है, इस सरकार को तो निजी निवेश लाना ही नहीं चाहिए । राजा साहब, इस दौर में यह सरकार विधान सभा में यह संकल्प पारित करती है कि मैं नगरनार स्टील प्लांट खरीदूंगा । यदि नगरनार प्राईवेटाईजेशन होता है, उस स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार खरीदेगी, इस विधान सभा से यह संकल्प पारित है, । अब वह चालू होने वाला है, अभी तक उसका प्राईवेटाईजेशन नहीं हुआ । मान लो अगर प्राईवेटाईजेशन होगा भी तो यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जो सरकारें व्यवसाय करती हैं, दुनिया के विपरीत घोषणा है कि हम निजीकरण के दौर में, उदारीकरण के दौर में जब निजी क्षेत्र को ला रहे हैं, उस दौर में सरकार यदि व्यवसाय के लिए जाती है तो फिर आपको निवेश की क्या जरूरत है और आप क्यों निवेश की बात करते हैं ? क्यों, उसको हम आपको कल बताएंगे । इसलिए कि उसमें घोटाला करना है । पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एम.ओ.यू. घोटाला प्रचलित है । आप प्रति टन कितना रूपए लेकर ओपन करके रखे हो और मैं सभापति जी को बता देता हूं कि यहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स तीन साल बाद देखिए, वह 200 से ऊपर रहेगी, जिस तरह से आप उसमें ला रहे हैं । अब जब डी.एम.एफ. की बात कर रहे थे । मेरा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिला का डी.एम.एफ. 2 करोड़ रूपया है। बेमेतरा जिले का कितना डी.एम.एफ. है ? दंतेवाड़ा या मेरे पड़ोसी या कोरबा वालो को पूछ लीजिये, रायगढ़ वालो से पूछ लीजिये कि कितना डी.एम.एफ. है ? तो यह अनबैंलेसेज हो रहा है। मैंने कई बार कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में डी.एम.एफ. की राशि नहीं है, आप बजट से वहां के लिए राशि दीजिये। आप उनको राशि दें ताकि वहां भी कुछ काम हो, जरूरी काम हो। आपकी सरकार ने उसको नहीं माना। जो छोटे-मोटे काम, जैसे धमतरी जिले का उदाहरण दूं। आपके विभाग से जो छोटे-मोटे काम होते थे, वह पूरी तरह बंद है। मैं बहुत श्रद्धा के साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के सडकों को समर्पित कर दिया कि जो आपने दिया है । कहां के लिए ? दुर्ग ग्रामीण के लिए या पाटन के लिए ले जाओ। मैं अपने क्षेत्र की छहो-सातों सड़क जो एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर लंबी है, उसको समर्पित कर देता हूं।

मानवीय सभापति महोदय, अब मैं आपको बता देता हूं कि विकास का असंतुलन, एक बड़ी समस्या है, आपके पीछे माननीय डहरिया जी बैठे हैं, साढ़े तीन साल में 3 नगर पंचायत बनाये। वह विधानसभा क्षेत्र आरंग है। यदि मुझे कुछ बनवाना है या मुझे बेहतर काम करना है,, अपने जिले या विधानसभा क्षेत्र के बारे में कभी बोलता भी नहीं हूं, यह उदाहरण है। मेरी कोई मांग मत मानी जाये, यदि मेरे कुरूद के कालेज में 5 हजार विद्यार्थी हैं और कालेज की जरूरत है, बोल दूंगा तो मेरा कांग्रेसी होना जरूरी है। क्षेत्रीय असंतुलन, विभाग की जरूरत, जनता की जरूरत, यह आपके एजेण्डे में नहीं है। आप जहां कर रहे हैं, वहीं कर रहे हैं। मैं उस दिन बोला था, आप भर को दोबारा याद दिला देता हूं, आप उस दिन नहीं थे। कोई सड़क नीति नहीं है, कोई खनिज नहीं है, किसी तरह की नीति नहीं है। दृष्टिकोण का कितना अभाव है ? दुर्ग से अंडा तक फोरलेन सड़क बना रहे हैं। अंडा एक गांव है, मैं अंडा जाता हूं, मैं देखा भी हूं, मुख्यमंत्री जी जानते हैं। उस दिन उल्लेख भी कर रहे थे। वहां कितनी ट्रेफिक डेन्सिटी होगी ? उतई से पाटन, मैं तो रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखूंगा कि उतई से पाटन रोड में हवाई जहाज उतरे, उसको ऐसा रोड बनाया जाये, ऐसा करके लिखूंगा। जो गाजीपुर एक्सप्रेस हाईवे या यमुना एक्सप्रेस हाईवे जिस प्रकार से बनी है, जिस पर जेट उतर सकते हैं, वह फोरलेन सड़क भी जेट उतरने के लायक बने, यह मैं रक्षा मंत्री जी को जरूर लिखूंगा। इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है।

श्री संतराम नेताम :- जी.एस.टी. के पैसे लिए भी चिट्ठी लिख देना।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, यहां का पैसा है, यह कभी बोलता ही नहीं हूं। देश में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्थाओं में जो ऊपर-नीचे होता है, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो ये बोलते हैं कि साहब हमको यह नहीं मिला, हमको वह नहीं मिला, यह सब राजनीतिक चालबाजी है।

माननीय सभापति महोदय, राजा साहब, आप बहुत पढ़े-लिखे हैं। खनिज सिर्फ एक विभाग नहीं है। खनिज से क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पर डाक्टर साहब ने छोटा सा भाषण दिए थे। बोल रहे थे

कि नदियां धारायें बदल रही हैं, रेत खत्म हो रहा है, पानी नहीं सूख रहा है, माफिया खुले आम दादागिरी कर रहे हैं। अकबर जी नहीं हैं क्या ? लेमरू में आपकी-उनकी सहमति बनी या नहीं बनी ? कोल ब्लाक प्राथमिकता में है या लेमरू रिजर्व एलीफेन्ट प्राथमिकता में है ? धर्मजीत जी ने उस समय हसदेव के लिए बहुत सुन्दर लाया था कि इसको बचाना है। नेता ये होता है, चिंता ये होती है। यदि हमको उस बांध को बचाना है, तो यह खदान खुलने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की जो सम्पूर्ण चिंता करता है, ऐसे लोगों को लीडर कहा जाता है। लीडर उसको नहीं कहा जाता है, आप पद में बैठे रहे न, उससे क्या होता है ? यदि दिग्विजय सिंह पद में नहीं हैं तो वह लीडर नहीं हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडर बिल्कुल अलग कांसेप्ट है । वह अलग अवधारणा है, उसमें अलग बहस हो सकती है । लेमरू में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, यह आपकी प्राथमिकता है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने विभाग हैं, उसका अचीवमेंट एक-एक करके देख लीजिए, फुर्सत नहीं है । पैसा किसलिए दें, खनिज में आपका राजस्व घट रहा है । बिजली में छूट इतनी दे दी है, उसका पैसा विभाग नहीं दे रहा है । खनिज बाहर जा रहा है, विमान के 50 करोड़ रूपया किराया है, जिससे तीन नया विमान आ जाता । उस विभाग का नाम बता दो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विभाग के मांग में आऊटस्टैंडिंग परफार्मेन्स दिखाई हो ? सभापति महोदय, मैं नौकरशाही के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है । जब सामान्य प्रशासन में बोलता हूँ, शुरूआत जिससे की थी, अनुकम्पा नियुक्ति अगर कोविड के मरने वालों को सरकारी कर्मचारियों को 10 परशेंट छूट थी, फिर आपको पाप लगेगा । उससे नीचे नहीं । चाहे आपको नया सेट अप उसमें बनाना पड़े । मैं आपको और बता देता हूँ । छत्तीसगढ़ का ओरिजनल मॉल बाहर जा रहा है । आप चतुर्थ श्रेणी के पद में ही संतुष्ट रहो । मैं अपने को भी जोड़ लेता हूँ । उससे ज्यादा के औकात वाले हम नहीं है । हमारे पास कोई विशेषज्ञता जनसंपर्क में नहीं है, हमारे पास कोई विशेषज्ञता किसी क्षेत्र में नहीं है । मैं जब सामान्य प्रशासन में बोल रहा था, मुख्यमंत्री जी आज नहीं है, कल फिर बोलूंगा । मैंने दो लाईन हमेशा बोला है । शेष के पैसे किसमें खर्च हुये हैं, कुछ बोलने की हिम्मत है तो मैं बताता हूँ । किसमें उपयोग हुये हैं ? कुछ बोल सकने की हिम्मत हो तो बताईयेगा ? जो शेष के नाम से अधिकारी हो या कर्मचारी हो या मंत्री हो, डेढ़ साल इंतजार कीजिए, यदि कोरोना से बाहर खर्च हुआ होगा तो हम उसको वसूली करके बतायेंगे । वही हाल आरीडोंगरी में है, वही हाल जिस-जिस में घोषित है, 80 करोड़ आपका, आप नहीं थे, पहले दिन आपका जवाब पटल में रखा गया । आदेश हुआ, मैंने पटल में रखा है । जो पैसे सत्ता बदलते ही आपने वापस मंगवाये थे, वह कहां गया ? किसने खाया, वह खर्च किसी को पता नहीं है । इसकी जांच होगी, देखते हैं । जांच के कितने बिन्दु हैं ? कोरबा की वसूली की बात है । कई माफिया हैं, मैं उसमें नहीं पड़ता । वसूली डिसेन्ट्रालाईज हो गयी है । मैंने कहा कि बायोडीजल में पाटेकोहरा में लल्लू दादा, कल्लू दादा, राधे दादा, 10 रूपये प्रति लीटर वसूल कर रहे हैं । रेत में आपके लोग चौकी लगाये बैठे हैं, शराब में चौकी

लगाये बैठे हैं । गांजा को, शराब को, अफीम को, चरस को, किसका संरक्षण है ? आप दुनिया के जिस तरह के अपराध हैं, आप क्या समझते हैं, बिना शासकीय संरक्षण के यह संभव है, जहां से डॉक्टर साहब ने बात शुरू की थी, एक नई प्रशासनिक शैली आपने विकसित की, उसका नाम है, ठेका पद्धति । डॉ.साहब की भाषा तो थोड़ी शालीन है । साफ बात है, पैसे के लेन-देन में एस.पी. और कलेक्टर की नीलामी हो रही है । देश के 30 प्रदेश में छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है, उसको आम आदमी भुगत रहा है । हर चीज का पैसा, मैंने माननीय मंत्री श्री जयसिंह जी को बताया है, आप कोई भी काम ऐसा बता दो, जो बिना पैसे के होता होगा । पैसा देकर पोस्टिंग हुआ है, जनता सेवा के लिए नहीं गया है, वह जो पैसा देकर गया है, किसी के एप्रोच से गया है । मेरे अति प्रिय माननीय मंत्री जी आपके बाजू में है । मैं तो कल से उनको प्रवीण तोगड़िया जी कहूंगा । वह बिल्कुल धर्मराज है । उन्होंने सरेंडर कर दिया है । यह माफिया हैं । यह तीनों युग में रहेंगे, चारो युग में रहेंगे, आपने मान लिया था। जो सप्लायर हैं, अमर प्राणी हैं वह चारो युग में पाये जायेंगे। शाश्वत हैं। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। आप एक बात भर समझ रहे हैं कि 2500 रुपया क्विंटल धान खरीद रहा हूं। साहब, आप 2500 रुपया खरीद रहे हैं, आपको धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद। लेकिन उसके बाद किसान के बच्चे को क्या-क्या चाहिए, एक गांव के आदमी को क्या-क्या चाहिए, शायद आपने आंख मूंद ली और यह सरकार शुतुरमुर्गी सरकार हो गई कि मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। इस शुतुरमुर्गी सरकार का अंत उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, कल उसमें पूरा ठप्पा लग जायेगा। छत्तीसगढ़ की जनता इस वसूली करने वाली, माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार को, छत्तीसगढ़ के लोगों को उनके स्वाभाविक हक से वंचित करने वाली सरकार, संतराम जी मैने बोला न कि आप क्लास फोर की भर्ती में ही खुश रहो। इस जन्म में आपका संसाधन नहीं हो सकता। आप इमली पैक करो, महुआ बिनो, उसकी वेल्यू एडीशन होगा, उसका उदाहरण बनो या फिर नाचो। संसाधन दूसरो के हैं। इसलिए इस सरकार का जाना तय है।

समय :
7.31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

आप जल्दी अपने अधूरे काम निपटा लीजिए। आप बहुत सज्जन आदमी हैं, मुख्यमंत्री जी भी बहुत सज्जन आदमी हैं। अब मुख्यमंत्री जी का मैं दो सत्र से देख रहा हूं मुस्कुराना जोरदार हो गया है। तब बोलने में मजा आता है, बीच में खड़े होकर पूछने मे भी मजा आता है, जब भड़कते हैं तो फिर उस सूरत में गड़बड़ हो जाता है न। यह तो शेरशाह सूरी हैं, उसके बाद अटल बिहारी बाजपेयी जी हैं। सड़क बनाने में देश में दो ही आदमी जाने जाते हैं- शेरशाह शूरी और अटल बिहारी बाजपेयी जी। भारत माता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, जनसंपर्क विभाग, विमानन विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में इन विभागों के कामकाज और नये बजट के प्रावधान के औचित्य के बारे में मैं अपनी बात रखूंगा। इसके पहले माननीय डॉ. रमन सिंह जी, श्री संतराम नेताम जी, श्री अजय चन्द्राकर जी ने अनुदान मांग की चर्चा में भाग लिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सेवाजतन सरोकर और गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ इन दो ध्येय वाक्यों को लेकर चल रहे हैं। हमने एक ओर जहां जनता को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने पर जोर दिया वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के हरसंभव उपाय किये। अध्यक्ष महोदय, 2018 के पहले जिन हालातों में आपने छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, आपने कराहते हुए छत्तीसगढ़ को छोड़ा, जिसके बारे में हमारे मंत्रियों ने आपने जो-जो सवाल खड़े किये, पुराने उदाहरण के साथ, आंकडों के साथ उसका करारा जवाब दिया। उन सब चीजों को और दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 03 वर्षों में हमने बड़े बदलाव किये जिसके कारण से छत्तीसगढ़ की जनता को राहत भी मिली और उनका सशक्तिकरण भी हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी ने जो भाषण दिये, उनका एक घंटा का भाषण था, उसमें कोई नई बात नहीं थी। वही सब पुरानी बातें, कभी पंचायत के, कभी महिला बाल विकास के, कभी खनिज के, कभी रेत के, कभी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के, उन्हीं सब बातों को रिपीट करते रहे जिसके बारे में माननीय सदस्य अनेक बार चर्चा कर चुके थे। मैं नहीं समझता की डॉ. रमन सिंह जी ने जो बातें कहीं, उसके बारे में कोई जवाब देने की आवश्यकता है। वित्तीय प्रबंधन के बारे में जब भाषण की शुरूआत की तो ऐसा लग रहा था कि विनियोग में चर्चा कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश की चर्चा कर रहे थे। जिन बातों का उल्लेख डॉ. साहब ने किया है, कल जरूर उसका तुलनात्मक जवाब दूंगा। अजय चन्द्राकर जी ने भी बहुत सारे अच्छे सुझाव दिये और आज बहुत अच्छा लग रहा था। जब सभापति जी बैठे थे मैं तो आसंदी से निवेदन किया कि स्थाई आदेश निकाले कि अजय जी जब भी भाषण दे, या बोलने खड़े हो तो जो लिखित भाषण है उसको पढ़े, तो उससे क्या होगा कि उनका वॉल्यूम बड़ा कंट्राल रहता है। हम लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन जहां वह पेपर हाथ से नीचे गया टेबल में और उसके बाद दोनों हाथ खुले तो पता नहीं कहां से ऐसी आवाज आती है इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे डी.जे. फट जायेगा। हम लोगों की आदत मत बिगाड़ों न भई, कही इतने जोर से सुनने की आदत पड़ गई तो लोग सोचेंगे बहरा हो गया है और 90 सदस्यों की ही विधान सभा है, यदि 320 सदस्यों की होती तो जोर से बोलते तो आखिरी तक सुनाई भी देता, यहां तो 90 सदस्य है, आप यहां धीरे से कान में बोलेंगे तो भी लोगों को पता चल जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात मैं खनिज विभाग से शुरू करूंगा, छत्तीसगढ़ महतारी का सबसे बड़ा आशीर्वाद खनिज के रूप में छत्तीसगढ़ को मिला है। यहां घने जंगल भी है, नदी है, पहाड़ है, उसके साथ-साथ रत्न गर्भा है, धरती के अंदर सारे खनिज है और एक ऐसी धरोहर है जिससे हमको वर्तमान को भी संवारना है और भविष्य के लिये भी सुरक्षित रखना है, यह हम सब की जिम्मेदारी है। अब इसमें कहते हैं कि कोई नीति नहीं है, तो डॉ. साहब 15 साल तो आप ही सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं । जो भारत सरकार की नीति है, जो राज्य सरकार की नीति है, जो अधिकार मिला है उसी से काम करना है। अब आप घूमफिर के रेत में आ जाते हैं, राजनांदगांव में क्या कर रहे थे, कितनी बार प्रदर्शन हुआ ? कोरिया जिले की नदी का पूरा रेत ही गायब हो गया। कौन ले जा रहा था और कौन ठेकेदारी कर रहा था ? आप जब ऊंगली उठाते हैं तो तीन ऊंगली आप ही की तरफ उठती है। रेत के मामले में हमने निश्चित रूप से कहा कि यह व्यवस्था में कुछ सुधार किया जाये, हमने प्रयास किया। यदि गलत है तो हमें उसे वापस लेने में या सुधारने में कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि बाजार में लोगों को ज्यादा रेट में मिले, लोगों को परेशानी हो, यह हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यह पारदर्शी ढंग से हो और इसलिये सारे टेण्डर किये गये थे, यदि उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारा जायेगा। जैसे अभी हमने अनुसूचित क्षेत्र में किया था, हमने वापस लिया। जिसके बारे में उस दिन बृजमोहन जी बोल भी रहे थे, हमे कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधारना चाहिये, जो आपने किया था उसके बाद क्या हुआ ? पूरे प्रदेश की रेत खदान से 10 करोड़ रूपये की भी तो रॉयल्टी नहीं मिलती थी, हमने उसमें सुधार किया, रॉयल्टी भी बढ़ी। लेकिन जहां खनिज में, आज हमारे खनिज के रूप में सबसे बड़ा राजस्व 2021-21 में 5717 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रैल से दिसंबर और 2021 तक की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य 7800 करोड़ रूपये के विरूद्ध, 8200 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ और इस तरह इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 11900 करोड़ रूपये प्राप्त होंगे (मेजों की थपथपाहट) ,यह हमारी उपलब्धि होगी। यहां से 11900 करोड़ रूपये प्राप्त करेंगे। जहां तक कि कोयला के बारे में बात कर रहे थे, क्या छत्तीसगढ़ में एक भी प्राईवेट खदान चल रहा है? जितना है SECL का है या और है तो राज्य सरकार का है। जब से यह लोग, NDA की सरकार ने नियम चेंज किये है, पूरे देश में कोयले की कोई प्राईवेट खदान संचालित नहीं है, क्योंकि आपकी नीति ही गलत थी। अभी बालको का उदाहरण दिये, आज 3100 रूपये प्रीमियम कौन देगा ? जब 3000 रूपये में कोयला मिल रहा है तो 3100 रूपये प्रीमियम देकर क्या करेगा । पहले जो सारे लोग प्रीमियम लिये थे सब सरेंडर कर रहे हैं कि कैसे बहाना करके वापस कर जाये। दूसरी बार आपने नीलामी की, कौन लिया, नीलामी में एक भी आदमी भाग लिया क्या ? नहीं लिया, तीसरी बार नीलामी किये, कोई भाग लिया क्या ? नहीं लिया। क्यों ? क्योंकि आप उस गलत नीति में गलत ट्रेंड में घुस गये हैं और उससे वापस हो नहीं पा रहे हैं। उस समय तो आरोप लगा दिये कि 1 लाख, 86 हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ,

अशोधित/प्रकाशन हेतु नहीं

लेकिन वह प्रमाणित भी नहीं हुआ। लेकिन यह फायदा हुआ कि आप सरकार में आ गये। आज अभी मुझे पता चला कि रायगढ़ में एक को कोल ब्लॉक मिला। वह शुरू करने की स्थिति में है। भारत सरकार की कोल मिनिस्ट्री ने उसको बुलाकर, सम्मानित किया कि आप पहले आदमी, प्राईवेट प्लेयर हैं, जिसका कोयला खदान शुरू हो रहा है। हम आपको सम्मानित करते हैं। यही स्थिति, पूरे देश में प्राईवेट प्लेयर कहां रह गये ? आप किसको दिये ? सारे राज्य सरकारों को दिया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रायल्टी आएगी, यह कहां से आएगी ? कोई प्राईवेट प्लेयर नहीं ले रहा है। अब दूसरा खेल क्या हुआ ? सारे राज्य सरकारों को देना शुरू किया। आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को सब को दिया। छत्तीसगढ़ को जो खदान मिला था। आप ही के समय में जो खदान पहले से एलॉटेड था, वह भी वापस हो गया। वह भी खत्म हो गया। ले-देकर केवल दो ही बचा था, चूंकि अब वह कोरबा प्लांट ही शुरू नहीं होना है। उसी के लिए वह मिला था, लेमरू एलीफेंट कॉरीडोर में आ गया। वह भी शुरू नहीं होगा, लेकिन हमने मांग की है कि हमको दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य को दो, हमारे विद्युत विभाग को दो, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप जो कह रहे हो तो यह तो सीधा-सीधा छत्तीसगढ़ के साथ नाइंसाफी है। यदि 3 हजार, 3100 रूपये का प्रीमियम मिलता तो 30 सालों में हमारा 9 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हो गया। अब राज्य सरकारों को दिये तो 100 रूपये रायल्टी मिल रही है। जिस भी राज्य सरकार को देंगे, वह 100 रूपये रायल्टी देगा, वह 3100 रूपये तो नहीं देगा। आपकी भारत सरकार की कोयले की नीति ठीक नहीं है। इसके कारण से कोयले की कमी भी हुई, आज जो कोयले की पूर्ति हो रही है, यह कहां से हो रही है ? जो आपके पास डिपॉजिट था, ए.सी.सी.एल. पहले डिपॉजिट करके रखा था कि संकट के समय में काम आएगा। वही आज तक के हर महीने वहां से एक-एक लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त निकालते जा रहे हैं, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर कोयले का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोरोना के काल में में भी हमने किसी खदान को बंद नहीं करवाया। यही कारण है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में भी बिजली की आपूर्ति बनी रहे, इसलिए जहां कटघोरा में रेड जोन घोषित हो गया था, उसके बाद भी हमने कोयला खदान बंद होने नहीं दिया और बिजली की पूर्ति होती रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खदानों की नीलामी के बारे में बहुत सारी बातें हुईं। डी.एम. एफ. के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, अभी अजय जी बढ़िया बात बोल रहे थे, जो डी.एम. एफ. की गाईड लाईन है, वह भारत सरकार की है। वर्ष 2015 में आप ही की सरकार ने शुरू किया। मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राज्य सरकार क्या-क्या करेगी ? वह जो गाईड लाईन बनी है, उसके हिसाब से आपको करना है। आप इसमें कह रहे हैं, राज्य सरकार के बजट में कह रहे हैं। आप अनुमति दिला दीजिए, हमको तो बढ़िया है हमारा बजट 2 हजार करोड़ रूपये का बढ़ जाएगा। जो 2 हजार करोड़ रूपया आ रहा है, वह बजट में शामिल हो जाएगा। तो हमारे बजट का आकार बढ़ेगा, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि आप इसमें, बजट में नहीं ले सकते। माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने जो बात कही, हमने जो

नीति बनायी, आपकी नीति में एक विधायक को नहीं रखे थे। "अंधा बांटे रेवड़ी चिन्ह-चिन्ह के दे"। हमारे यहां भी डी.एम. एफ. का था, हम लोग तो मेम्बर नहीं थे। महाराज साहब, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे उस समय बहुत आग्रह किये कि यह गलत नीति है, डॉ. साहब आप इसको चेंज करें। आप जनप्रतिनिधियों को रखें, हमने रखा। यह तो जनप्रतिनिधियों को नहीं रखें, हमने रखा। न केवल जनप्रतिनिधियों को रखा, बल्कि जो प्रभावित पंचायत हैं उनके भी प्रतिनिधि और जो आम नागरिक में से भी लोगों को रखा है। उस समिति में पंचायती राज के लोग भी सदस्य हैं। जो सुधार की गुंजाईश है, वह हमेशा बनी रहती है। उसमें कोई इंकार नहीं है। यदि उसमें कोई संशोधन करना है, यदि कोई गलत हो रहा है, निश्चित रूप से बतायें, हम उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, जिसके बारे में उन्होंने कहा, हमने अधिकारी के यहां स्वीमिंग पुल बनाया, बड़ी बिल्डिंग बनायी, एजुकेशन हब बनाया, डॉ. साहब वह सब बता रहे थे, जब मैंने कैबिनेट की पहली बैठक में विभागीय चर्चा, समीक्षा की। मैंने अधिकारियों से एक ही लाईन पूछा। उसमें सारे कलेक्टर थे, सचिव थे, सी.एस. साहब थे और सारे अधिकारी थे। मैंने कहा कि यह वर्ष 2015 से चल रहा है, 3 साल हो गये, मुझे बताओ कि मेरे आदिवासी भाई, बहनों के जीवन में क्या परिवर्तन आया ? आप इतना बिल्डिंग बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, सब ठीक है, वह जो खदान प्रभावित क्षेत्र के निवासी हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, यह मुझे बता दीजिए ? एक भी आई.ए.एस. अधिकारी वहां पर जो बैठे थे, वह यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि उसमें कोई परिवर्तन आया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि यह खदान प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हित के लिए है, आपसे कुछ नहीं मांगते तो उसमें डी.एम.एफ. में नियम भी है कि उन पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को नगद भुगतान कर दें। उसमें तो कम से कम अंतर आ जाएगा, वह अपने पसंद का चप्पल खरीद लेगा, अपनी पंसद का कपड़ा खरीद लेगा, अपनी पसंद की हॉस्पिटल में जाकर ईलाज करा लेगा। वह कर लो। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आपकी योजनाओं का कोई मतलब है ? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए यही जो एरिया है, दुर्भाग्य है कि वही खदान एरिया है और वही एक्सप्रेसनल डिस्ट्रीक्ट भी है। जहां-जहां खदानें हैं, वही आकांक्षी जिले में शामिल हैं। वहीं सबसे ज्यादा कुपोषण है, वहीं सबसे ज्यादा शिक्षा है, वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यह सब उन जिलों में हैं और इसीलिए हमने नीति में परिवर्तन किया कि उन लोगों को कहीं गर्म भोजन तो मिले, कुपोषण तो दूर हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्कूलें तो खुलें। आपके समय में सारी स्कूलें बंद थी, 3 हजार स्कूल तो बंद ही किए थे। नक्सल प्रभावित जिले के सारे स्कूल बंद थे। यही डी.एम.एफ का पैसा है, जिससे हमने वहां शिक्षक नियुक्त किए। अब सुकमा जिले में कौन जाएगा ? आप तीन चार ट्रांसफर भी कर देंगे तो सुकमा में रहेगा या अपने घर में रहकर हाजिरी भरेगा। वह दोरनापाल के आगे नहीं जाने वाला है। कोई कांकेर लंका नहीं जाएगा। हमने वहीं के लड़कों को किया। आप शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती करो, उनको दो और आज सारी स्कूलें शुरू हो गयी। अध्यक्ष महोदय, आज क्या स्थिति है ? अभी

संतराम नेताम जी ने बहुत बड़ी बात कही। 5वीं पास को आपके नगर निगम में आप ड्राईवर की नौकरी नहीं देते थे। उसके लिए भी आपको एजुकेशन चाहिए और वहां की स्थिति क्या है ? हम 5 वीं पढ़े बच्चों को पुलिस में भर्ती करवा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसमें दोनों बातें हैं, एक, हमारी उस क्षेत्र के लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है और दूसरा, आपकी नाकामी है कि पुलिस भर्ती के लिए आपके 5 वीं के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, भर्ती करना पड़ रहा है। (मेजों की थपथपाहट) आप 15 साल में बस्तर के लोगों को 5वीं तक नहीं पढ़ा पाए। यह दुर्भाग्य है। आप किसकी बात कर रहे हैं। जब वह पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। नौकरी के योग्य नहीं है। आप ही के समय भर्ती हुई है, भैया भर्ती तो हो जाए बाद में परीक्षा पास करके सर्टिफिकेट दे देना। यह स्थिति है, हम लोग किस दुनिया में हैं ? आप कहां की बात करते हैं ? आज वहां के लोगों की मजबूरी समझिए, वे किस दौर से गुजरे हैं ? आज हमारी सरकार लगातार आम जनता के हितों में है। अजय जी, आप तो बहुत बड़ी-बड़ी सैद्धांतिक बातें करते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको वहां व्यावहारिक निर्णय लेना पड़ेगा। आज आपके समय में जो सड़कें बनती थी, वह फोर्स के जाने के लिए बनती थी। हमारे समय में जो सड़कें बनती हैं, वह आदिवासियों की मांग पर बनती है। यह अंतर है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, सड़कें हम भी बना रहे हैं, बिजली हम भी पहुंचा रहे हैं, सोलर लाईट हम भी लगा रहे हैं, पंप हम भी लगा रहे हैं लेकिन उनकी मांग पर लगा रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे कहने से हो रहा है। आज सुकमा जिला में नक्सली सिमट गया है, बीजापुर और आपके मांढ़ का एरिया वहीं तक ही सीमित रह गया है। इन लोग जो पैसा बता रहे हैं, अभी अंतागढ़ के 250 लोग आए थे। क्यों आए थे, हमारी जो घोटूल की पुरानी संस्कृति है, उसको आपने पुनर्जिवित किया इसलिए धन्यवाद देने आए थे, सारे नौजवान लड़के-लड़कियां आए थे। (मेजों की थपथपाहट) और वे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने हमारी जड़ों को सींचने का काम किया है, उसको जोड़ने का काम किया है। इसलिए वे धन्यवाद देने आए थे। संस्कृति को बचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आप ही के समय में, आप ही के पूर्व सांसद आप पर आरोप लगा रहे थे कि आदिवासियों की जनसंख्या कम करने का षड़यंत्र हो रहा है और आज वह काम हम नहीं होने दे रहे हैं । लगातार उनको सुपोषित करने का काम, शिक्षित करने का काम, रोजगार देने का काम इसका उपयोग डीएमएफ के माध्यम से हो रहा है । कहीं शिकायत होगी तो निश्चित रूप से बताईयेगा उसे दूर करेंगे । सदन उसी के लिये है, कहीं गलती होती है, अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से कहीं चूक हुई तो उसको जरूर बताईयेगा । उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे और सुधार भी करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कहीं विनियोग न आ जाये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब विभाग के बारे में थोड़ा-थोड़ा बोल ही देता हूं । नहीं तो बोलेंगे कि कुछ नहीं बोले । भैया ऐसा है कि आप लोग एक-एक घंटे बोलते हैं, आसंदी से बड़ी कृपा है आप लोगों की और अभी मुझे 15 मिनट नहीं हुए हैं और उधर से ईशारा हो गया । यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बृजमोहन जी को देखिये । महाराज आपको वैसे ही बोल दिये आधे घंटे में समाप्त करना पड़ा । हमारे अजय जी तो आधे घंटे में माहौल बनाते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बोले के काम हमर मन के हे, अब आप मन के थोड़ी हे ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, ता हमर सरकार के उपलब्धि ला बताये के काम तो हमर हे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- काम करके बताव, हमर मन के काम बोले के हे ।

श्री भूपेश बघेल :- जी । अब जो ईलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में अजय जी बहुत तकनीकी ढ़ंग से बात कर रहे थे उतनी तकनीकी तो मुझे भी नहीं आती । लेकिन उसका जो उपयोग है, मैं उसके बारे में यह कहूंगा कि हमारी जितनी भी प्राथमिकता वाली योजनायें हैं उसकी मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन एडवांस प्लेटफार्म, मुख्यमंत्री सीजी कैम्प पोर्टल विकसित किया गया है । इस पोर्टल में प्रमुख रूप से फ्लैगशिप योजनाओं को शामिल किया गया है । चाहे वह गौधन न्याय योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना है, सी.जी. ई-डिस्ट्रिक मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, नरवा-गरूआ, घुरवा बाड़ी की योजना है इसकी मॉनिटरिंग के लिये पोर्टल बनाया गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको टोकूंगा नहीं लेकिन यह जो भी चिप्स काम कर रहा है उसमें सॉफ्टवेयर बनाते हैं और जो करते हैं । जो पहले से काम कर रहे हैं, जिसमें 5-6 का मैंने उदाहरण दिया । बाजार में उसके रेट कितने हैं और चिप्स कितने में बनवाये इसकी जांच करवाईयेगा ?

श्री भूपेश बघेल :- उसको दे दीजियेगा, तुलनात्मक रूप से देख लेंगे । उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई छिपाने वाली बात तो है ही नहीं । आपने पिछली सरकार का भी जोड़ा है उसकी भी जांच करा लीजिये करके क्योंकि अब मैंने तो पहले ही बताया कि हमारे जो बच्चे हैं उनके सामने हम लोग आउटडेटेड हैं, नाती के सामने आउटडेटेड हैं क्योंकि ईलेक्ट्रॉनिक्स में चूंकि वे तो दो साल के बच्चे हैं, वे मोबाईल खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, नेट के बारे में जानते हैं और सर्च करते हैं । हम लोगों को उतना कहां आता है ? हम लोगों ने तो सन् 98 में पहली बार मोबाईल हाथ में लगाया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरकारी दफ्तरों में लोकसेवकों की जवाबदेही तय करते हुए लोकसेवा केंद्र सक्षम बनाया है जिसके माध्यम से इस वर्ष 25 लाख 21 हजार से अधिक नागरिक विभिन्न शासकीय सेवाओं से लाभांवित हुए हैं । वर्तमान में 132 सेवाएं ऑनलाईन रूप से उपलब्ध है । इस योजना के माध्यम से अभी तक 172 लाख 86,000 से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 161 लाख 66,000 आवेदन निराकृत हुए हैं । इस साफ्टवेयर के बारे में आप कह रहे हैं तो जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है । जिसमें ऑफलाईन शिक्षा के लिये ब्लूटूथ आधारित ई शिक्षा, समाधान बुल्टू के बोल, ग्रामीण क्षेत्र में नगद भुगतान हेतु डिजी पे सखी और गौधन न्याय योजना को भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी डिजिटल

ट्रांसफार्मेशन स्टोरीज की किताब में प्रकाशित किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त होगा, मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा झेल नहीं पायेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के बारे में चूंकि डॉ. रमन सिंह जी का यह प्रिय विषय है और वे इसके बारे में लगातार बोलते भी रहे हैं । मैं ऊर्जा विभाग के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा । मैंने पहले भी बताया था कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने न तो कोयला खदानों को बंद होने दिया और न ही ट्रांसपोर्टेशन में कोई अड़चन हुई और न ही बिजली उत्पादन में, लगातार हमारे अधिकारी और हम लोग मॉनिटरिंग करते रहे और इस कारण से प्रदेश और देश में बिजली की उपलब्धता बनी रही। अध्यक्ष महोदय, जब राज्य गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ की बिजली की मांग सिर्फ 1 हजार 334 मेगावाट थी। वर्ष 2018 तक आपने 4 हजार 559 मेगावाट तक पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमने 5 हजार 57 मेगावाट के शीर्ष को छूआ है। बताइए इतना डिमांड हुआ। 5 हजार 57 मेगावाट, उसकी भी पूर्ति हमारी सरकार ने की। आपके वोल्टेज की कमी, अघोषित बिजली कटौती, आवेदन देकर बिजली कनेक्शन नहीं मिलना, जिसके बारे में अजय जी ने भी कहा और आदरणीय रमन सिंह जी ने भी कहा। आपके समय आवेदन कितना ही आता था? मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं। 10 हजार से अधिक किसी साल आपने कनेक्शन दिये हैं क्या? आप यह कहते थे कि कनेक्शन नहीं आया। किसान के पास पैसा ही नहीं था। वे पंप कहां से खुदवाते? कनेक्शन के लिए पैसा कहां से मांगते? आपकी 10-15 हजार से कभी बढ़ी ही नहीं। पिछले साल धर्मजीत जी हैं, बहुत सारे हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, पिछले साल 36 हजार, 37 हजार बिजली कनेक्शन की मांग हुई। हमने घोषणा की और आज 35 हजार विद्युत कनेक्शन हो चुके। (मेजों की थपथपाहट) कोरोना के बावजूद भी और 31 मार्च तक उसे पूरा करने की हमारी कोशिश, जो हमने सदन में आपको आश्वस्त किया था कि उसे पूरा करेंगे। अब पैसा कहां से आया? कैसे हुआ? पैसा है भाई, तभी तो हो रहा है। क्या ठेकेदार फोकट में करेगा? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, यदि ट्रांसमिशन की बात करें तो कुशल प्रबंधन के कारण से 3 प्रतिशत के करीब ला दी है, जो नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.22 प्रतिशत से भी कम है। अच्छी व्यवस्था के कारण पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.79 प्रतिशत रही, जो कि कीर्तिमान है और जहां तक पारेषण क्षमता बढ़ाने के लिए 132/33 के.व्ही. क्षमता के 2 उपकेन्द्र उदयपुर जिला-सूरजपुर और खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव में ऊर्जीकृत किया गया है और 5 उपकेन्द्र पूर्ण करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वितरण व्यवस्था की बात आप कर रहे थे, वर्ष 2018 तक आपने 18 वर्षों में प्रदेश में 4 लाख 17 हजार 523 पंपों को बिजली दिया और हमने मात्र 3 वर्षों में 67 हजार 942 पंपों को बिजली दिया है यानी 3 वर्षों में 16 प्रतिशत की वृद्धि। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, 11 के.व्ही. उपकेन्द्र की बात आप कर रहे थे, 18 वर्षों में 1 लाख 56 हजार 94 उपकेन्द्र स्थापित किये, जबकि हमने मात्र 3 साल में 44 हजार 321 उपकेन्द्र स्थापित किये, यानी 3 वर्षों में 28 प्रतिशत।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जितना आप किये थे, हमने 28 प्रतिशत किया। उसमें 16 प्रतिशत किया। तो इसलिए आप यह कहें कि हमने कुछ नहीं किया, यह गलत बात है। आपने भी किया तो उससे बढ़कर हमारी सरकार ने काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) हाफ बिजली योजना के बारे में 50 प्रतिशत तक की छूट, 400 यूनिट तक में उसका लाभ, 40 लाख 74 हजार घरेलू उपभोक्ता इसका लाभ ले रहे हैं और इसमें अभी तक के 2200 करोड़ रूपये की राहत दी गई है। प्रदेश की जनता को 2200 करोड़ रूपये का लाभ मिला है। नि:शुल्क बिजली और रियायती दर पर बिजली 3 वर्षों में 5 लाख 94 हजार सिंचाई उपभोक्ता किसानों को 7 हजार 464 करोड़ रूपये की छूट दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई कमी नहीं जो आप कह रहे थे, वह अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि आपने जो शुरू किया, उसे हमने बंद कर दिया है। अन्य किसानों को 3 हार्स पावर तक 6000 यूनिट तक और 3 से 5 हार्स पावर तक के साढ़े 7 हजार यूनिट बिजली प्रतिवर्ष नि:शुल्क दी जा रही है। 30 यूनिट तक के जो सिंगल कनेक्शन बिजली है, वह आज भी जारी है। 17 लाख घरों को रोशन कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के तहत 3 वर्षों में 56 हजार से अधिक पंपों की स्थापना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में बड़ी चर्चा हुई। डॉ. साहब अपना कुछ अनुभव साझा कर रहे थे। वे नकद के बजाय गोल्ड वगैरह लेते थे, यह सुनते थे। ससुराल वाले, समधी, ये वो। बहुत सुना करते थे। बहुत चर्चाएं भी होती थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी की पोस्टिंग के बारे में इस प्रकार की आपके पास कोई भी जानकारी है तो दीजिएगा। जो रेट की बात करते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। आप जनप्रतिनिधि हैं। बहुत जिम्मेदार हैं। चाहे वह विधायक हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, बहुत जिम्मेदार हैं। आपकी बात सुर्खियों में आती है, लेकिन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आप यह न करें ।

समय :
8.00 बजे

यदि आपके पास जानकारी है तो आप दीजिए, पूरी कार्यवाही होगी, निष्पक्ष कार्यवाही होगी और उसकी सज़ा भी मिलेगी (मेजो की थपथपाहट)। यह सरकार है, जिसमें दो-दो एडीशनल डी.जी. के खिलाफ कार्यवाही हुई है । आज ही पंचायत मंत्री जी ने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है । जिसके बारे में आपने कहा कि पी.एस.सी. के अध्यक्ष बन गए । आप भी तो लम्बे समय तक पंचायत मंत्री रहे, आपने क्या कर लिया ? आपने तो कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं की, हमारे पंचायत मंत्री ने आज कार्यवाही की (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसकी सचिव स्तर पर जांच हुई, किस सचिव ने जांच की, उसका नाम विधान सभा में नहीं लेते और उसकी जांच की रिपोर्ट को आपकी सरकार ने खत्म करके उसको पोस्टिंग दी ।

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन आप सत्ता में रहे, आपने क्या कार्रवाई की ? मुख्यमंत्री के समधी के बारे में सवाल किया था, क्या कार्रवाई कर ली आपने ? एक बार आपने कहा था । धर्मजीत भइया, जहां आप बैठे हैं मैं वहीं बैठता था । अजय जी ने मुझसे कहा भूपेश भाई आप नहीं बोल रहे हो । मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं । उन्होंने कहा कि आप नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा तो मैंने कहा ठीक है । मैंने निकाला शासकीय प्रतिवेदन वगैरह और छांटा, नेता प्रतिपक्ष कार्यालय से सम्पर्क किया, भई अजय जी ने निवेदन किया है, आज मूड में हैं तो कुछ तो घोषणा करेंगे और मेरे हाथ लग गया मुख्यमंत्री के समधी का भ्रष्टाचार । फाईल में है, आपके ही पास विभाग था, आपने क्या कर लिया ? अजय भइया, दूसरों पर उपदेश कुशल बहुतेरे । इतना उपदेश मत दिया करें, आप बता दो आपने मुख्यमंत्री जी के समधी के खिलाफ...मुख्यमंत्री के साले के खिलाफ क्या किया, मुख्यमंत्री के साले । (श्री अजय चंद्राकर, सदस्य द्वारा इशारा करने पर) लो अब भूल भी गए । इस सदन के रिकॉर्ड में है ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि कभी कभार एक एस.डी.ओ. और तहसीलदार के विरूद्ध में नक्शा बदलने का एप्लीकेशन मैंने आपको दिया था, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया था, आपने कहां किया, यह बता दीजिए । यह कोरबा की घटना है ।

श्री भूपेश बघेल :- भाटो बैठो ।

श्री अजय चंद्राकर :- ये तो सबके भाटो हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अरे गुंडरदेही तो ओकर ससुराल हे, हमर तो पड़ोस हे गा, दुर्ग जिला के ।

श्री ननकीराम कंवर :- मुश्किल तो यह है कि किसी को दिखता नहीं है ना।

श्री भूपेश बघेल :- अरे भाटो, आप हो किसलिए ? आप यह बताने के लिए ही तो हो । आप बता दिया करो, कहां-कहां गलती हो रही है ? लेकिन मुश्किल है कि आप ही के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहते हो तो मैं कैसे करूं ? अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने बस्तर में बिजली टावर गिरने के बारे में बात कही। बहुत सही बात है, 15 दिन में टावर लगा था और अंधेरा दूर हुआ था, मोमबत्ती की कीमत कई गुना बढ़ गई थी । बिल्कुल सही बात है और उनका भाषण निकालकर देखिए रमन सिंह जी ने स्वीकार किया, हपटते, गिरते मैं पहली बार गया। पहली बार तो जमीन में उनका पैर पड़ा था, लेकिन यह नहीं बताया कि उस टावर के लाईन का सर्वे कैसे हुआ ? जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं राजस्व मंत्री था। तब सेटेलाइट से फोटोग्राफ्स लिए थे, इसी कारण 7 दिन में सर्वे हुआ और 15 दिन में आप टावर खड़ा कर पाए । यह हमारी सरकार की उपलब्धि थी, जिसके कारण आप यह सब कर पाए । लाईन सर्वे करने में महीनों लगता है, आप कहां से बिजली पहुंचा पाते ? आप अपनी उपलब्धि तो बता देते हैं लेकिन दूसरों की उपलब्धि के बारे में चर्चा नहीं करते । अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। उन्होंने विनियोग की चर्चा आज ही कर ली । कल अजय जी ही ओपनिंग बैट्समैन रहेंगे तो शायद उनके दल ने तय किया है कि रमन सिंह जी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा

इसलिए आज ही उन्होंने विनियोग की चर्चा कर ली । लेकिन वित्तीय प्रबंधन के बारे में कल जरूर मैं बात रखूंगा । वित्त विभाग के द्वारा इस समय जो सबसे पहला निर्णय लिया गया है वह है पुरानी पेंशन योजना जो बंद कर दी गई थी। अटल जी के समय में इनके शासनकाल में बंद हुआ था, ओल्ड पेंशन स्कीम की शुरूआत हमने की है (मेजो की थपथपाहट) । इससे लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे में अब कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जी.आई.एस. मेपिंग के माध्यम से ऐसे ग्रामों का चिन्हांकन किया गया था जो पांच किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी बैंक शाखा या ए.टी.एम. वित्त कार्यरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसके अंतर्गत 1,540 ग्रामों को चिन्हांकित किया गया। यानी आपकी 15 साल में कितनी उपलब्धि है कि 5 किलोमीटर की दूरी में ऐसे गांव इतने हैं, उसकी संख्या 1483 है। वहां कोई बैंक नहीं है, कोई शाखा नहीं है, कोई बैंक वित्त कार्य नहीं कर रहे थे। वहां हमारी सरकार ने 1,540 के Against में 1,483, इसका मतलब यह है कि 96 प्रतिशत हम लोगों ने उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी प्रकार से बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास की किये गये, जिसमें 30312 बैंक नियुक्त किया जा चुके हैं। बैंक शाखाओं की संख्या 338 से बढ़ाकर 551 कर दिया गया है। ए.टी.एम. की संख्या 222 से बढ़ाकर 455 कर दिया गया। इसी प्रकार से लगभग 4,000 बी.सी. सखियां भी जो सेवाएं दे रही हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। इससे आम जनता को, गरीब जनता को लाभ हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जहां तीन सालों में 91 हजार करोड़ रूपये लोगों के जेब में डाले, वहीं उनकी पैसों की सुरक्षा की दिशा में प्रयास करने में हम सफल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यांतर्गत विभागों के विभिन्न योजनाओं हेतु निर्बाध वित्तीय आपूर्ति हेतु लिए गए लोक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु 6,011 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रावधान है। ऋण के ब्याज समयबद्ध अदायगी हेतु 7,002 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। राज्य के कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों हेतु 7,594 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान है। किसानों को दिये जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण के संबंध में ग्रामीण बैंकों को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान 16 करोड़ रूपये का प्रावधान है। विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त छत्तीसगढ़ लोक वित्त परियोजना प्रबंधन अंतर्गत 15 करोड़ 27 लाख रूपये का प्रावधान है। इसके अंतर्गत सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य कार्यान्वयन व्यय किये जायेंगे। जगदलपुर में लेखा प्रशिक्षण शाला की स्थापना हेतु 6 नवीन पदों की सृजन के लिए 20 लाख रूपये का प्रावधान है। इससे बस्तर क्षेत्र के कर्मचारियों को लेखा संबंधी ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ लेखा सेवाओं में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क विभाग के बारे में चर्चा हुई। अब मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि आपके शासनकाल में क्या हुआ था और हमारे शासनकाल में क्या हो रहा है। यह चर्चाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको कहना चाहूंगा। हमारे जनसंपर्क के विभाग द्वारा पं. माधव

राव सप्रे के नाम से राष्ट्रीय पुरूस्कार तथा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर एवं स्वर्गीय मधुकर खेर की स्मृति में प्रतिवर्ष चयनित पत्रकारों को पुरूस्कार दिया जाता। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में 10 हजार रूपये तक की राशि की व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मी तथा उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों की बीमारी एवं दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमने पांच नये जिले में जनसंपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया है। विमानन के बारे में भी चर्चाएं हुईं। जो जमीन उपलब्धता के बारे में आपने कहा, उसमें जो योजना कनेक्टिविटी अंतर्गत जगदलपुर, बिलासपुर एयरपोर्ट को CCC V.F.R. Airport के अनुरूप विकसित करने का इनका लाइसेंस प्राप्त किया गया। दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जगलपुर से हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर तथा बिलासा देवी केंवट एसयरपोर्ट बिलासपुर, चकरभाटा से दिल्ली, जबलपुर प्रयागराज सेक्टर में अब तक नियमित सेवा संचालन हो रहा है। राज्य शासन द्वारा महामाया एयरपोर्ट, अंबिकापुर रनवे के विकास के लिये राशि 43 करोड़ 98 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। एयरपोर्ट का विकास CCC V.F.R. Airport अनुरूप किया जा रहा है। शीघ्र ही एयरपोर्ट पर लाइसेंस प्राप्त कर घरेलू विमान सेवा प्रारंभ कर दिया जायेगा। जहां तक बिलासपुर एयरपोर्ट के बारे में है, तो हमारा प्रयास है हाउसी V.F.R. की प्रणाली विकसित हो ताकि नाईट लैंडिंग की भी व्यवस्था हो और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। दूसरी बात स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की बहुत संभावनाएं और व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कारगो सुविधा विकसित करने का अनुरोध बार-बार किया है। आप लोग भी प्रयास करे तो जल्दी मिल जाए। रायपुर से दुबई, सिंगापुर के लिए विमान सेवा शीघ्र प्रारंभ करने का भारत सरकार से किया अनुरोध । पिछले समय वह बोले कि इनका जो पसंदीदा है न नेता प्रतिपक्ष का कौन-सा स्टेट, बैंकाक। मैं बोला कि हमको बैंकाक मत दो। हमको देना है तो सिंगापुर दो, दुबई दो। जिससे लोग बिजनेस करने जाए। तो इसके लिए मैंने, अब वह मंत्री बदल गये। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह विधानसभा का थोड़ा-सा रिकार्ड निकलवा लेंगे। बैंकाक में नहीं गया हूं। बैंकाक जाने वाले दूसरे कोई हैं।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, आपका प्री विषय है न। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि क्यों गये थे? क्या करने गये थे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा प्री विषय नहीं है। मेरा प्री विषय नहीं है। जिसके लिए बैंकाक भेजे थे, उसका अभी तक के हाथ-पैर नहीं निकल रहा है। न वह अधिकारी निकाल पा रहा है, न मंत्री जी निकाल पा रहे हैं और इसलिए उसको रिकार्ड में निकलवा लो। आप तो...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां आप जो जमीन के बारे में बात कर रहे थे...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चकरभट्ठा के लिए बोला था, कल मैं उसमें बात करूंगा कि सीधी प्लेन सेवा नहीं है। यदि उसका विस्तार करेंगे तो बिलासपुर को लाभ मिलेगा।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, वह तो हमने सीधा कहा कि यह जो वह उनका राज्यों को कनेक्ट करने वाले हैं, उसमें हमने सीधी उड़ान के लिए मांग की थी। सारे अधिकारियों को ले गये थे। भाई हमको सीधा दिल्ली दे दो न। हमको यह वाया, प्रयागराज और दूसरी जगह भेजने के बजाय हमको सीधा दिल्ली दो और उसके कार्यक्रम का नाम मैं अभी भूल रहा हूं। मुझे वह याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि हमें उस योजना के तहत दीजिए। इस योजना से हमको लाभ नहीं है। उतना लाभ नहीं है लेकिन योजना को शुरू करें। यहां की जो जमीन के बारे में जो बात कही, वह आस-पास की 20 एकड़ की जमीन विवादित है। जो हाईकोर्ट में लंबित है। जल्दी शीघ्र निराकरण होगा तो 20 एकड़ जमीन भी, जो विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए जो बाधित हो रहा है। बचत जमीन तो उपलब्ध है केवल 20 एकड़ का है वह प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। उसका शीघ्र निराकरण हो जाएगा तो वहां भी वह जमीन हम सौंप देंगे ताकि उसका विस्तार किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो मांग रखी है उन सभी मांगों को ध्वनि मत से सदन अनुमति देगा, इसी अपेक्षा के साथ सभी साथियों ने, जिन्होंने धैर्य से मेरी बात...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रूपये। अगर आप प्रधानमंत्री आवास के लिए या आप नल-जल योजना के लिए, जिन योजनाओं के लिए आपके पास मैचिंग ग्रांट नहीं है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से 10-20 हजार करोड़ रूपये मिल सकता है और वह 50 साल के ऋण पर मिलेगा। 50 साल के लंबे लांग ऋण पर। तो मुझे लगता है कि अगर आप वह...।

श्री भूपेश बघेल :- भइया, हम लोग 1 लाख करोड़ रूपये, 20 लाख करोड़ रूपये तो सुने हैं यार। सेंट्रल गवर्नमेंट से 20 पइसा नहीं आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, अभी मिल जाएगा। हमारी बात हुई है कि अगर आपकी सरकार प्रधानमंत्री आवास के लिए...।

श्री भूपेश बघेल :- वह जो 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज है न। सुनो तो भाई, एक मिनट के लिए। सुनना चाहते हो न पेयजल के बारे में...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, ले चलते हैं। सब लोगों को दिल्ली तक के ले चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, एक शब्द में उत्तर दे देना।

श्री भूपेश बघेल :- हां।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ कि अध्यक्ष महोदय के कक्ष की बातों की चर्चा नहीं होती है। कुछ-कुछ घटना घटी हैं। सभी मंत्रीगण शामिल थे तो माननीय अध्यक्ष महोदय

जी ने व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री जी कुछ अद्भूत करने वाले हैं करके। लेकिन उसका कोई इशारा उस अद्भूत का दिख नहीं रहा है। अद्भूत होने की कोई दिशा-रीति नहीं दिख रही है तो फिर आपको कुछ दूसरा करना पड़ेगा।

श्री भूपेश बघेल :- देखिये रहिये आज तक, इंतजार करिये कल तक। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट) हो गया न अद्भूत। आप जो पेयजल के बारे में कह रहे थे, बहुत दिक्कत यह है कि इनके जो योजनाकार हैं, वह शौचालय बना दिये, पानी की व्यवस्था नहीं किये। पहले 1 लोटा में काम चल जाता था, अब 5 लीटर लगता है। पहले 1 लोटा में काम चल जाता था, अब बाल्टी भर लगता है। अब प्रति व्यक्ति 55 लीटर लगता है पहले 40 लीटर था। अब बढ़ाकर 55 लीटर कर दिये हैं। पानी कहां से आएगा? और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में नरवा योजना शुरू किया, जिसकी रोज पानी पी-पी कर आप आलोचना करते हैं न, वही नरवा योजना है यह जो नल-जल योजना है जो घर-घर में जल पहुंचाने का काम उससे होगा और हम पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। उसकी पूरी व्यवस्था है और हम पहले नाला, पहले पानी की उपलब्धता हो और उसके बाद घरों में नलों में व्यवस्था हो, हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं बल्कि हमने नरवा का काम पहले लिया और उसके बाद अब पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप उसके मामले में निश्चिंत रहे। हम घर-घर में पानी पहुंचाएंगे। लेकिन यह केंद्र भर की योजना नहीं है राज्य सरकार का 50 प्रतिशत है। आप क्यों श्रेय लेंगे? पैसा भी हमारा लगा है और आप जब वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं पहले 90:10 का रहता था, 75:25 का रहता था, 60:40 का रहता था, अब क्या हो गया, सब योजना फ्लट 50 परसेंट।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब लोग बोलते हें कि केंद्र की योजना है। जनता का पैसा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. रमन सिंह जी ने नया रायपुर का मामला उठा दिया । अजय जी राजा साहब के विभाग में भाषण दे रहे थे कि ये पाप आपने किया है, ये पाप आपने किया है । नया राजधानी किसका पास है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब नया राजधानी का शिलान्यास हुआ, उस समय आप उस केबिनेट में मंत्री थे ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, थे । ठीक है । और उसके बाद आप 15 साल में बसा भी नहीं पाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए आपको बनवाना था इसलिए शिलान्यास हुआ था । सिडको कम्पनी को किसने किया था ? आपने सिडको को आफर किया था, हमने सिर्फ बाजू में शिलान्यास किया है, बाकी सब तो आपने किया है । उसी आधार पर बन रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- अब उसमें चर्चा होगी तो लंबी चर्चा होगी । उस केबिनेट में हम सब लोग थे- चौबे जी, अकबर जी, सत्तू भैया, सब साथ में थे । हम लोग जानते थे कि क्या-क्या घटनाएं घटीं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेकिन यह जो पाप है न, उसको हम लोग ढो रहे हैं। मैंने पाप शब्द का प्रयोग किया तो आपको बुरा लग गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरा चीज बोलथव ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मेरे विभाग के मांगों पर सबका समर्थन, आशीर्वाद मिले, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए-तीन सौ उनचालीस करोड़, अड़सठ लाख, इक्यासी हजार रूपये

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-चार सौ उनतीस करोड़, साठ लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए- सात हजार सात सौ चौंतीस करोड़, चौबीस लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए- दो सौ आठ करोड़, पैंसठ लाख रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए- दो हजार छ: सौ चौंतीस करोड़, सत्रह लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- साल सौ इंक्यावन करोड़, सत्तर लाख, बयालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन सौ उन्नीस करोड़, सतासी लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये- एक सौ बयानबे करोड, बत्तीस लाख, सड़सठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिए- इकसठ करोड़, उनचास लाख, अठाईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, कल आपकी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उच्च स्तरीय बैठक फिर से होनी चाहिए । फिर से उच्च स्तरीय बैठक करनी पड़ेगी ।

समय :
8:18 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) का पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल के लिए आगे बढ़ा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आगे बढ़ा दें ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, सामान्यत: यह परम्परा रही है कि विनियोग विधेयक के बाद कोई काम नहीं होता है । आज जो कार्यसूची में छपा है, सामान्य: वह नियम के विरूद्ध है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नियम के विरूद्ध तो पहले भी कर चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(रात्रि 8 बजकर 19 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022 (चैत्र 1, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 21 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं